इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

40वीं वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

40वीं वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

महामहिम भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2016 के उद्घाटन के सुअवसर पर

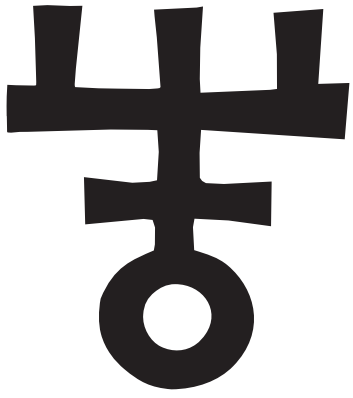

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

वार्षिक रिपोर्ट 2016-17

लोकसभा/राज्यसभा के पटल
पर रखे जाने हेतु दस्तावेज

अधि-प्रमाणित

आई टी पी ओ की 40वीं वार्षिक आम बैठक जारी

लेखा परीक्षक
मैसर्स ग्रोवर, लाला ऐण्ड मेहता
चार्टर्ड लेखाकार

मुख्य बैंकर्स
सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
कैनरा बैंक
यूनियन बैंक आफ इण्डिया

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

40वीं

वार्षिक रिपोर्ट

2016-2017

आई टी पी ओ का मुख्यालय, नई दिल्ली

विषय सूची

निदेशक मंडल	08
मुख्य कार्यकारी	09
भारत में आई टी पी ओ के कार्यालय	13
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का वक्तव्य	16
वार्षिक आम बैठक की सूचना	25
निदेशकों की रिपोर्ट	30
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	75

लेखा

(i) आई टी पी ओ का पृथक लेखा	95
(ii) आई टी पी ओ का समेकित लेखा	143

नयाचार
PROTOCOL
RESERVED LOUNGE
VVIP LOUNGE
INTERNATIONAL BUSINESS LOUNGE

40वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2016-2017

निदेशक मण्डल

श्री एल सी गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
(2.9.2015 से)

श्री जे के डाडू
अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(13.8.2015 से)

श्री मनोज जोशी
संयुक्त सचिव
सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम मंत्रालय
(16.8.2017 तक)

श्री अल्का नागिया अरोड़ा
संयुक्त सचिव
सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम मंत्रालय
(17.8.2017 से)

श्री संजय चड्ढा
संयुक्त सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(30.3.2016 से)

श्री के नागराज नायडू
संयुक्त सचिव (ई डी)
विदेश मंत्रालय
(7.7.2015 से)

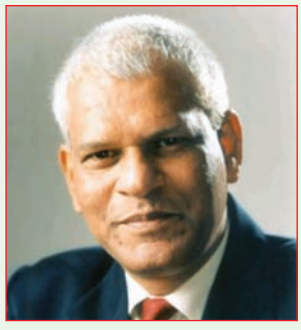

श्री पी एन विजय
निदेशक
(10.6.2016 से)

श्रीमती शुभ्रा सिंह
कार्यकारी निदेशक
(09.2.2017 तक)

श्री रजनीश
कार्यकारी निदेशक
(24.5.2017 तक)

श्री दीपक कुमार
कार्यकारी निदेशक
(25.5.2017 से)

मुख्य कार्यकारी

(26.09.2017 को आयोजित वार्षिक आम बैठक की तिथि को यथास्थिति)

श्री जयन्त दास
महाप्रबन्धक

श्री जे गुणाशेखरन
महाप्रबन्धक

श्री अजय कुमार वशिष्ठ
महाप्रबन्धक

श्री डी एम शर्मा
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

श्री विकास मल्होत्रा
महाप्रबन्धक

श्री एस आर साहू
कम्पनी सचिव एवं महाप्रबन्धक

श्री आर पी धूसिया
महाप्रबन्धक

श्री डी के जैन
महाप्रबन्धक

भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2016

भारत में आई टी पी ओ कार्यालय

भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2016

भारत में आई टी पी ओ के कार्यालय

पंजीकृत एवं मुख्यालय

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001 (भारत)
फोन: 91-11-23371540 (ईपीएबीएक्स) फैक्स: 91-11-23371492
ई-मेल info@itpo.gov.in वेबसाइट: www.Indiatradefair.com
ट्रेड पोर्टल: www.tradeportalofindia.com
सी आई एन: यू74899डीएल1976एनपीएल008453

क्षेत्रीय कार्यालय

चेन्नई

राजा अन्नामलाई बिल्डिंग, द्वितीय तल
18-ए, रूकमणी लक्ष्मीपति रोड
एग्मोर, चेन्नई-600008
फोन: 91-44-28554655/28587297/28415416/28524655
फैक्स: 91-44-28554740
ई-मेल: itpochn@md4.vsnl.net.in
narayanv@itpo.gov.in

कोलकाता

इन्टरनेशनल ट्रेड फेसिलिटेशन सेन्टर
पांचवा तल, 1/1, वुड स्ट्रीट
कोलकाता-700016
फोन: 91-33-22825820/22822904/22828586
फैक्स: 91-33-22828269
ई-मेल: itpocal@cal3.vsnl.net.in/rroy@itpo.gov.in

मुम्बई

7-कूपरेज रोड, तीसरा तल
झांसी कैसल,
मुम्बई-400001
फोन: 91-22-22026629/22021788/22044918/22021730/22850878
फैक्स: 91-22-22044922
ई-मेल: itpo@itpomumbai.com/itpomumbai@gmail.com

भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2016

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का वक्तव्य

40वीं वार्षिक आम बैठक में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का वक्तव्य

देवियो और सज्जनो

आई टी पी ओ की 40वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए, मैं गौरवान्वित हो रहा हूं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 की निदेशकों की रिपोर्ट और परीक्षित लेखा, समेकित लेखा एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों की राय तथा भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां पहले ही आप लोगों में परिचालित की जा चुकी हैं। यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आई टी पी ओ के वित्तीय वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखों के बारे में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक से 'शून्य' टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। आपकी अनुमति से, इन्हें मैं पढ़ा हुआ मान लेता हूं।

भावी चुनौतियां और सुअवसर

प्रदर्शनी उद्योग का अर्थव्यवस्था और व्यापार में सतत् विकास के साथ गहरा संबंध है। प्रदर्शनियों के माध्यम से संवर्धनात्मक आयोजन व्यापार और वाणिज्य को उत्प्रेरित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आपकी कम्पनी चुनौतियों और अवसरों को स्वीकारने के लिए तैयार है और भारत तथा विदेशों में व्यापार मेलों/ प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत की क्षमता का प्रदर्शन करके अर्थव्यवस्था के विकास के लिए योगदान दे रही है। आई टी पी ओ ने आई आई टी एफ, 2017 (14-27 नवम्बर) के दौरान **'स्टार्ट अप इण्डिया: स्टेण्ड अप इण्डिया'** थीम अपनाई है, जहां पर कि सभी राज्य और सरकारी संगठन तथा अन्य हितधारकों ने मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री के **'स्टार्ट अप इण्डिया: स्टेण्ड अप इण्डिया'** विजन को प्राप्त करने के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे।

वित्तीय निष्पादन

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष आपकी कम्पनी के द्वारा अर्जित कुल आय गत वर्ष की **375.56 करोड़ रु. की तुलना में 388.97 करोड़ रु.** है। आपकी कम्पनी का उत्कृष्ट निष्पादन कुल आय अर्थात **388.97 करोड़ रु. से प्रतिबिम्बित होता है जो आपकी कम्पनी के द्वारा उसके शुरू होने से लेकर सर्वाधिक अर्जित कुल आय है। आपकी कम्पनी ने 263.14 करोड़ रु. के प्रचालनों से रिकार्ड राजस्व अर्जित किया है, जो पिछले 5 वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व से सबसे अधिक है।**

आई टी पी ओ की प्रमुख उपलब्धियां/कार्यकलाप समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कार्य-निष्पादन रेटिंग

आपकी कम्पनी ने वर्ष 2015-16 के समझौता ज्ञापन में

'बहुत अच्छा' रेटिंग प्राप्त किया है जो 23 करोड़ रु. की पेंशन स्कीम के प्रभाव के कारण 'उत्कृष्ट' रेटिग में न आ सकी। वर्ष 2016-17 के दौरान, स्व-मूल्यांकन के अनुसार एम ओ यू रेटिंग के 'बहुत अच्छा' रहने की भी संभावना है, जो 01.01.2017 से तीसरे पी आर सी के वेतन संशोधन संबंधी दिशा-निर्देशों की वजह से वेतन संशोधन, उपदान (ग्रेच्युटी) और 22 करोड़ रु. (लगभग) के छुट्टी नकदीकरण के प्रभाव के बिना भी 'उत्कृष्ट' हो सकती थी।

वर्ष के दौरान, आई टी पी ओ की अवसंरचना क्षमता और सेवा उपलब्धता में सुधार और वृद्धि करने के लिए बहुत से महत्त्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :-

- आई आई टी एफ और नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के लिए टिकटों की ऑन लाइन बुकिंग का कार्यान्वयन।
- घरेलू मेलों में आनलाइन स्थान बुकिंग सिस्टम।
- जी ई एम एस से ई-प्राप्ति/ई-निविदा शुरू करना।
- आई टी पी ओ के घरेलू मेलों में मोबाइल ऐप शुरू करना।
- ई-भुगतान/ई-रिफण्ड कार्यात्मक।
- सभी ए. सी. हालों में वाई-फाई सुविधा।
- सोशल मीडिया का उपयोग-फेसबुक, ट्विटर और यू-ट्यूब।
- उत्तम नेटवर्क कनेक्टीविटी के लिए 7 नए टेलीकॉम टावर लगाए गए।
- आई टी पी ओ का व्यापक मोबाइल ऐप अंतिम चरणों में हैं।
- थर्ड पार्टी मेलों के दौरान 'हेल्प डेस्क' का कार्यान्वयन।
- स्टार्ट-अप्स के लिए आई टी पी ओ के मेलों में 50 प्रतिशत छूट।
- भागीदारों/आयोजकों के साथ परस्पर बातचीत और ब्रीफिंग।
- थर्ड पार्टी मेलों के लिए ऑन-लाइन स्थल की बुकिंग करना सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

विदेशों में आयोजित मेलों में भागीदारी

वर्ष 2016-17 के दौरान, आई टी पी ओ ने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में एकल भारतीय प्रदर्शनियां सहित 26 विदेशी मेलों में राष्ट्रीय स्तर की भागीदारी आयोजित की। इन 26 मेलों में से 5 यूरोप में, 6 अफ्रीका/वाना, 3 एन ए एफ टी, एल ए सी, एन ई ए और सार्क तथा एशियन, सी आई एस और दक्षिण एशिया क्षेत्र में प्रत्येक में 1-1 मेला आयोजित किया गया है।

आई टी पी ओ विश्व के प्रमुख बड़े-बड़े मेलों में नियमित रूप से भागीदारी कर रहा है, ये मेले हैं - ए ए पी ई एक्स - लास वेगास (ऑटो पार्ट), नेशनल हार्डवेयर मेला, लास-वेगास, एस आई ए एल - पेरिस, समर फेंन्सी फूड शो- न्यूयार्क, फूडेक्स-सऊदी; (फूड ऐण्ड बेवरेज), मेडिका डसेल्डोर्फ (फार्मास्युटिकल), अफ्रीका बिग सेवन/साइटेक्स, अफ्रीका हेल्थ (जोहांसबर्ग), ए एफ एल' आर्टिजियानो इन फिएरा - अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, मिलान (इटली)।

'ब्राण्ड इण्डिया' को बढ़ावा देने के लिए - 6 विशेष इण्डिया सोर्सिंग मेले आयोजित किए गए थे अर्थात दो एल ए सी क्षेत्र में अर्थात् चिली और पेरू में, तीन सार्क क्षेत्र अर्थात दो बंगला देश में और एक श्रीलंका में; एक सी. आई. एस. क्षेत्र अर्थात् रूस में। आई टी पी ओ ने अपने वार्षिक समसामयिक मेला ओसाका (जापान में) में भारतीय परिधान मेला और भारतीय होम फर्नीशिंग मेला भी आयोजित किया। आई टी पी ओ दो दशकों से अधिक समय से इन मेलों का आयोजन कर रहा है, जिनसे विशेषीकृत जापानी बाजार में इण्डिया ब्रांड की प्रतिष्ठा और उपस्थिति सुनिश्चित हुई है। आर्गनाइजेशन विदेशों में मेले/प्रदर्शनियां आयोजन करने की संख्या में वृद्धि करने के लिए भागीरथ प्रयास कर रही है।

भारत में आयोजित मेले

- वर्ष 2016-17 के दौरान, आपकी कम्पनी ने भारत में 15 राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले/प्रदर्शनियां आयोजित कीं। इन मेलों में से 10 मेले दिल्ली में और 5 अन्य नगरों में आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान, प्रगति मैदान में आयोजित मेलों में दूसरा भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला, 36वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला; 32वां आहार अंतरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ एवं आतिथ्य मेला; 19वीं भारतीय अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी तथा टेक्स-स्टाइल्स इंडिया शामिल थे।
- 36वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आई आई टी एफ, 2016) आयोजित किया गया। इस मेले का थीम 'डिजिटल इंडिया' था। इस मेले का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति, श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा किया गया। 24 देशों की 285 विदेशी कम्पनियों और 7000 से ज्यादा घरेलू कम्पनियों ने इस मेले में भागीदारी की। विशिष्ट मण्डप

वाले 27 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के अलावा, सरकार के 47 विभागों ने मेले में भागीदारी की थी। मेले में 464 दर्शकों सहित 64 विदेशी प्रतिनिधि मंडलों ने भी दौरा किया था। 14 दिनों के इस मेले में 14 लाख दर्शक आए थे, जो यह दर्शाता है कि यह मेला विश्व में अपने किस्म का सबसे बड़ा मेला है।

- आपकी कंपनी ने प्रगति मैदान में 32वां आहार अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आयोजित किया, जिसमें दो प्रदर्शनियां 'फूड इंडिया' और 'हॉस्पिटेलिटी इंडिया' साथ-साथ आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में 17 देशों से 51 विदेशी प्रदर्शकों सहित कुल 1141 प्रदर्शकों ने भाग लिया।
- आई टी पी ओ द्वारा प्रगति मैदान में 22वां दिल्ली पुस्तक मेला आयोजित किया गया। थीम मण्डप का हाल सं. 8 में स्थापना की गई थी, जिसमें 'मेक-इन-इण्डिया' क्लीन इण्डिया - स्वच्छ भारत अभियान, डिजीटल इण्डिया, स्किल इण्डिया, स्टेण्ड अप इण्डिया, स्मार्ट सिटी, स्टार्ट अप इंडिया और उमंग (यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू-एज गवर्नेन्श) के बारे में सेल्फी स्टेशन दर्शाए गए थे।
- दूसरा भारतीय अंतरराष्ट्रीय फुटवीयर मेला (आई आई एफ एफ) आयोजित किया गया। इस मेले का सह प्रायोजक भारतीय फुटवीयर उद्योग संघ था, यह 6550 वर्गमीटर क्षेत्र में लगाया गया था। इसमें विदेशों (ब्राजील, चीन, इरान, इटली और ताइवान आदि) से 103 विदेशी प्रदर्शकों सहित 263 प्रदर्शक आए थे।
- 18वां टैक्स-स्टाइल्स इंडिया प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। टैक्स-स्टाइल्स इण्डिया के प्रदर्शन में धागे से लेकर तैयार उत्पाद और टेक्सटाइल मशीनरी सहित टेक्सटाइल उद्योग की सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला (चेन) थी। टेक्सटाइल्स इण्डिया 2017 मेला समस्त वस्त्र उद्योग की लगभग 70 कम्पनियों ने भागीदारी की। इस मेले में आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, चीन, जापान, श्रीलंका, तुर्की, यू. के, और यू. एस. ए. की 50 विदेशी क्रेता और क्रेता एजेंट सहित लगभग 1000 व्यापारी दर्शक आए थे।
- आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रगति मैदान के बाहर कुछ प्रमुख मेले आयोजित किए, जिनमें से एक 32वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला (आई आई एल एफ) था, जिसका आयोजन चेन्नई में किया गया था और मेले में 59 देशों के 415 विदेशी दर्शकों सहित 12,630 पंजीकृत व्यापारी प्रदर्शकों ने भागीदारी की।
- कोलकाता में 22वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा वस्तु मेला (आई आई एल जी एफ) आयोजित किया गया। मेले में सम्पूर्ण भारत से लगभग 2000 घरेलू दर्शक आए। चमड़ा क्षेत्र के विभिन्न संघटकों सहित लगभग 63 प्रमुख कम्पनियों ने इस मेले में अपने उत्पाद को प्रदर्शित किया।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ और विकास के लिए गंगटोक (सिक्किम) में 8वीं पूर्वी हिमालयी प्रदर्शनी, 2016 आयोजित की गयी। प्रर्दशनी में प्रमुख भागीदारों में डोनर मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के वी आई सी, पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, सिक्किम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय जूट बोर्ड, आयुष मंत्रालय, केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् (योग और प्राकृतिक विज्ञान) और राष्ट्रीय होम्योपेथी संस्थान आदि थे। रॉयल एम्बेसी ऑफ थाइलैण्ड ने मेले में भागीदारी की थी।

आईटीपीओ में अन्य (थर्ड पार्टी) द्वारा आयोजित/मेले/प्रदर्शनियां

वर्ष 2016-17 के दौरान, प्रगति मैदान में अन्य पार्टियों के द्वारा 86 मेले/प्रदर्शनियां आयोजित किए गए। इनमें से 11 ऐसे नए आयोजन/ प्रदर्शनियां थीं, जिनका आयोजन प्रगति मैदान में पहली बार किया गया था। वर्ष के दौरान आयोजित प्रमुख आयोजनों में पावरजेन इंडिया, एम्बायंट/ हिम टेक्सटाइल इंडिया, इंडिया वेयरहाउसिंग प्रदर्शनी, भारतीय अंतरराष्ट्रीय परिधान मेला, स्मार्टकार्ड एक्सपो, दिल्ली ज्वैलरी ऐण्ड जेम्स मेला, फ्रेंचाइजी इंडिया, एलईडी एक्सपो, पेपरएक्स, आईएफएसईसी, एसएटीटीई, ईटी एक्टेक इंडिया इत्यादि शामिल थे। प्रथम ब्रिक्स व्यापार मेला प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ब्रिक्स व्यापार मेला पूरी तरह परस्पर बातचीत व्यापार मेला था और इसके आयोजन का उद्देश्य भागीदार ब्रिक्स राष्ट्रों, अर्थात् ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका में व्यापार और निवेश के सुअवसरों को बढ़ावा देना था। प्रत्येक ब्रिक्स राष्ट्र की ब्रिक्स व्यापार मेले में 397 कम्पनियों ने अभिज्ञात क्षेत्रों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए भागीदारी की। लगभग 910 कम्पनियों ने विभिन्न ब्रिक्स व्यापार कार्यों में भाग लिया

और तीन दिनों में लगभग 1601 बिजनेस-टू-बिजनेस (बी 2 बी) बैठकें हुईं। अन्य बिजनेस-टू-बिजनेस अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों की भांति ब्रिक्स व्यापार मेला प्रौद्योगिकियों, वस्तुओं और सेवाओं का प्रदर्शन करने, व्यापार करने के लिए अवसर तलाश करने, संयुक्त उद्यम साझेदारियों और सहयोगों के लिए बातचीत और विचार-विमर्श करने हेतु एक विशिष्ट मंच था।

अन्य व्यापार संवर्धनात्मक क्रियाकलाप

व्यापार संवर्धन संबंधी प्रयासों में सहयोग की संभावना तलाश करने के लिए इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के द्वारा अप्रैल 2016 से मार्च, 2017 तक आयोजित विभिन्न व्यापार मेलों में व्यापारियों ने दौरा किया। श्रीलंका के प्रमुख प्रतिनिधियों ने आई आई टी एफ का दौरा किया और हस्तशिल्प और वस्त्रों में विशेष रुचि दिखायी, वियतनाम के प्रतिनिधि मण्डल ने वस्त्रों से निर्मित वस्तुओं, हथकरघा, हस्तशिल्प, आभूषण आदि में रुचि दिखायी, सूरीनाम से आए प्रतिनिधि मण्डल ने नारियल, बांस, चीनी के उत्पादों और प्रसंस्करण मशीनरी, सौर ऊर्जा उत्पादों, जलविद्युत (हाइड्रो) पम्पों, पवन ऊर्जा और लघु बेकिंग मशीनरी में रुचि दिखायी तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, केरल और असम मण्डप का दौरा किया तथा नरौबी से आए प्रतिनिधि मण्डल ने बहु-उत्पादों में रुचि दिखायी। सदस्यों के रूप में नामांकित निर्यातकों को आई टी पी ओ सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराता है। बुलेटिनों, ट्रेड पोर्टल आदि के माध्यम से व्यापार संबंधी सूचना उपलब्ध करायी जा रही हैं।

पुनर्विकास योजना (आई ई सी सी)

आई टी पी ओ प्रगति मैदान, नई दिल्ली में एक विश्वस्तरीय प्रतिष्ठित एकीकृत प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंन्द्र (आईईसीसी) की स्थापना करने की प्रक्रिया में है। प्रस्तावित केंन्द्र में राष्ट्रों के बीच भारत के आर्थिक, राजनैतिक और सामरिक महत्त्व के अनुकूल विश्वस्तरीय सम्मेलन केन्द्र की सुविधाएं होंगी। प्रस्तावित अवसंरचना से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एमआईसीई (बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और मेलों) के अपेक्षाओं में अंतर को पाटने की संभावना होगी। इससे देश की विदेशी मुद्रा आय और दिल्ली के सेवा और व्यापार क्षेत्र के राजस्व में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि होने की उम्मीद है क्योंकि एम आई सी ई क्षेत्र के बहुत से मेले पूर्व एशियाई देशों तथा विश्व के अन्य क्षेत्रों से नई दिल्ली में स्थानान्तरण हो सकते हैं। यह परिसर माननीय प्रधानमंत्री के 'न्यू इण्डिया' स्वप्न का एक विशिष्ट प्रतीक होगा।

परियोजना प्रस्ताव में चरण-। में 1,51,687 वर्ग मी. के प्रदर्शनी क्षेत्रफल सहित अवसंरचना के 3,82,188 वर्ग मी. का विकास करना शामिल है।

सम्मेलन केन्द्र विश्व में सर्वोत्तम अत्याधुनिक ढांचे के अनुरूप 32.4 मीटर लंबा होगा और इसमें बैठक हाल, लॉज, सेवाओं और लगभग 4800 यात्री कार यूनिटों के लिए भूतल पार्किंग जैसी विभिन्न आनुषंगिक सेवाओं के साथ-साथ सिंगल फार्मेट में 7000 पैक्स (3000 पैक्स क्षमता का एक हाल और 4000 पैक्स का कार्यात्मक हाल सहित) बैठने की व्यवस्था होगी। 6 नए आधुनिक प्रदर्शनी हॉल होंगे, जिनका 1,00,388 वर्ग मीटर कवर्ड प्रदर्शनी स्थल होगा। आई ई सी सी के लिए बेहतर पहुंच हेतु तथा आम जनता के लाभ के लिए व्यापक ट्रेफिक यातायात की जाम की समस्या के समाधन के लिए भी प्रस्ताव किया गया है। अनिवार्य तौर पर मथुरा रोड/पुराना किला को छः लेन के मार्ग के एक भू-तल की सुरंग के माध्यम से रिंग रोड को जोड़ेगा जो प्रगति मैदान और मथुरा रोड को सिंगल फ्री बनायेगा।

प्रदर्शनी हॉलों के लिए जीआरआईएचए-3 रेटिंग और सम्मेलन केन्द्र के लिए जीआरआईएचए-4 रेंटिंग की योजना बनायी गयी है।

प्रगति मैदान में परियोजना के पूरा होने पर परिसर में 5800 वृक्षों से हरियाली उपलब्ध होगी। आई ई सी सी परियोजना का निष्पादन करते समय समस्त पर्यावरणात्मक कार्यों से संबंधित नियमों का पालन किया जायेगा।

आर्थिक मंत्रिमण्डल समिति (सी सी ई ए) ने 2254 करोड़ रु. की अनुमानित परियोजना लागत पर आई ई सी सी परियोजना को 24 जनवरी, 2017 को अनुमोदित किया गया था। परियोजना के वित्तीयन के लिए आई टी पी ओ अपने फ्री रिजर्व में से 1200 करोड़ रु. का उपयोग करेगा तथा सांस्थानिक ऋण और/अथवा परिसर में होटल हेतु भूमि के मुद्रीकरण के जरिये शेष धनराशि जुटायेगी।

राष्ट्रीय भवन विनिर्माण निगम लिमिटेड (एन बी सी सी) परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा है। वैश्विक नीलामी के आधार पर परियोजना का विनिर्माण करने के लिए शपूर्जी पालनजी को परियोजना

निष्पादक के रूप में चयन किया गया है। परियोजना को सितम्बर 2017 से 24 महीने के भीतर पूरा करना होगा। सभी आवश्यक अनुमोदन/ सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं और यह सी सी ई ए के अनुमोदन के 6-7 महीनों की रिकार्ड अवधि में हुआ। परियोजना का निष्पादन इस तरीके से किया जायेगा कि प्रगति मैदान, के मौजूदा ए सी हालों में 7 से 12 ए में आयोजित किए जाने वाले निर्धारित प्रदर्शनियों/ मेलों में उस समय भी कोई बाधा नहीं आएगी।

आई सी टी सक्षम बनने की ओर

भारत सरकार के 'डिजिटल इण्डिया' अभियान के अनुरूप आई टी पी ओ में गवर्नेंस पहलों ने वर्ष 2016-17 में एक व्यापक रूप ले लिया, जिसमें प्रदर्शक/दर्शक पर सेवाओं की पारदर्शिता और डिजीटाइजेशन में वृद्धि करने पर बल दिया गया। परिवर्तन करने के मुख्य सिद्धांतों से जारी ई-गवर्नेंस परियोजनाओं और कुछ नई परियोजनाओं में सुधार किया/ कार्यान्वयन किया गया था।

प्रगति मैदान में आई टी पी ओ के द्वारा आयोजित किए गए घरेलू मेलों के लिए ऑनलाइन स्थान की बुकिंग प्रणाली में सुधार किया गया था तथा ऑनलाइन भुगतान करने के लिए भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आई आई टी एफ), नवम्बर, 2016 के दौरान पहली बार प्रावधान किया गया था, जिसको बाद में अन्य मेलों के लिए भी अपनाया गया है।

प्रवेश टिकटों की बुकिंग करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम (आई आई टी एफ) नवम्बर 2016 के दौरान पहली बार शुरू किया गया था। इससे प्रगति मैदान के लिए दर्शकों को टिकट बुक करने में आसानी हुई।

प्रगति मैदान के प्रमुख प्रदर्शनी हॉलों और उनके आस-पास के क्षेत्रों में वाई-फाई सुविधा की गई थी तथा पट्टे पर (लीज) लाइन सेवाएं और वाई-फाई इंटरनेट कनेक्टीविटी सुविधाओं का प्रावधान किया गया था।

राजभाषा हिन्दी

आई टी पी ओ में भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु और कार्यालय का सरकारी कामकाज राजभाषा हिन्दी में करने का वातावरण बनाने हेतु प्रति वर्ष कार्यालय में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

अनुषंगी कंपनियां

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (टी एन टी पी ओ)

तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (टी एन टी पी ओ) द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान अच्छा कार्य करना जारी है। कम्पनी ने चेन्नई व्यापार केन्द्र के प्रदर्शनी हॉलों में 108 प्रदर्शनियों का आयोजन किया और सम्मेलन केन्द्र में 78 मेले आयोजित किए गए। टी एन टी पी ओ को पिछले वर्ष के 42.23 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 47.49 करोड़ रुपये की कुल आय अर्जित की। विगत वर्ष के 21.56 करोड़ रु. की तुलना में इस वर्ष का निवल अधिशेष 31.53 करोड़ रु. है। टी एन टी पी ओ के बोर्ड ने टी एन टी पी ओ की विस्तार योजना के तहत 15,708 वर्ग मीटर के एक बहु-उद्देशीय (प्रदर्शनी/ सम्मेलन) हॉल का निर्माण करने के लिए अनुमोदन दिया है। विस्तार करने के बाद 31,063 वर्ग मीटर के कुछ क्षेत्र में सम्मेलन के लिए 2 हॉल और प्रदर्शनी के लिए 4 हॉल होंगे। अनुमानित परियोजना लागत 289 करोड़ रु. तक होगी।

कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (के टी पी ओ)

वर्ष 2016-17 के दौरान, बैंगलोर ट्रेड सेंटर में 35 मेले आयोजित किए गए और विगत वर्ष की 7.99 करोड़ रु. की तुलना में कुल आय 8.00 करोड़ रु. हुई थी। तथापि वर्ष का समग्र अधिशेष 53.16 करोड़ रु. था जो मुख्यत: बैंगलोर मेट्रो निगम को दी गई भूमि के हिस्से के लिए प्राप्त किए गए मुआवजे की वजह से था।

मानव संसाधन प्रबंधन

आई टी पी ओ में आरक्षण से संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों का ध्यान रखने के लिए सम्पर्क अधिकारियों का नामांकन किया गया। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक श्रेणियों के बारे में सभी दिशा-निर्देशों, दिव्यांग व्यक्तियों को पदों/ सेवाओं में आरक्षण के बारे में दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर एवं अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं सुधार) अधिनियम, 2013 का अनुपालन किया गया।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर)

एक समर्पित सामाजिक जिम्मेदार आर्गनाइजेशन के रूप में वर्ष 2016-17 की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के अंतर्गत आई टी पी ओ ने भारत सरकार के 'स्वच्छ भारत कोष' और 'गंगा सफाई कोष' के लिए प्रत्येक हेतु एक-एक करोड़ रु. का अंशदान देकर स्वच्छता को बढ़ावा देने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा। इसके अलावा, दो एम्बुलेंसों के प्रायोजक, मिड-डे-मील कार्यक्रम के तहत स्कूल में पका हुआ भोजन ले जाने के लिए 5 वितरण वाहनों के प्रायोजन, खादी शिल्पकारों (200) के लिए चरखा दान तथा स्वास्थ्य मंत्री के कैंसर रोगी कोष के लिए अंशदान जैसे कार्यकलापों के संबंध में 0.92 करोड़ रु. की धनराशि के प्रस्ताव कार्यान्वयनाधीन हैं।

कारपोरेट गवर्नेंस

आपकी कम्पनी ने सर्वोत्कृष्ट कारपोरेट (गवर्नेंस) प्रक्रियाओं का उत्साह तथा सच्ची भावना से पालन करती है। कंपनी के वर्ष 2016-17 के दौरान, वाणिज्य विभाग को कारपोरेट शासन की अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। विभिन्न जोखिमों को कम करने के लिए जोखिम प्रबंध कार्य भी किया जा रहा है।

आचार संहिता

निदेशक मण्डल के और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए प्रतिपादित आचार संहिता का विधिवत पालन किया गया है। इसके अनुपालन की पुष्टि डी पी ई के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त कर ली गई है और घोषणा को निदेशक की रिपोर्ट के भाग के रूप में रख दिया गया है।

आभार

इस सुअवसर पर, मैं कम्पनी के सभी सदस्यों द्वारा दिये गये निरंतर एवं सतत् सहयोग तथा प्रबंधन में व्यक्त किये गये विश्वास के लिए इन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं वाणिज्य विभाग का उसके हार्दिक एवं निरंतर सहायता देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं अन्य मंत्रालयों/ राजदूतावासों और केंन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के कार्यालयों तथा विशेष रूप से शहरी एवं नगर विकास मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, जिसमें भारतीय मिशन शामिल हैं, के निरंतर मार्गदर्शन व सहायता के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। हम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी), (पी डब्लू डी) दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और अन्य एजेंसियों तथा व्यक्तियों के प्रति भी आई टी पी ओ को दिये गये उनके सहयोग के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं।

आई टी पी ओ की ओर से, मैं सभी हितधारकों का समर्थन चाहता हूं और विगत की भांति और भी अधिक गुणवत्तापरक सेवाएं देने का आश्वासन देता हूं। मैं निदेशक मण्डल के अपने सहयोगियों, लेखा परीक्षकों तथा आई टी पी ओ के कर्मचारियों के अनुशासन, लगन, समर्पण एवं कठिन परिश्रम के लिए उनका साधुवाद करता हूं, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी लगातार उत्कृष्ट कार्य निष्पादन कर सकी। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके इस सहयोग एवं विश्वास से आई टी पी ओ भविष्य में अनेक उपलब्धियों और नई बुलन्दियों को प्राप्त करेगा और हम सब मिलकर आई टी पी ओ को उन्नत बना सकते हैं।

जय हिन्द।

हस्ता./-
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 सितम्बर 2017

दिल्ली पुस्तक मेला 2016

वार्षिक आम बैठक की सूचना

स्टेशनरी मेला 2016

वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जा रही है कि मैसर्स इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के सदस्यों की 40वीं वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित कार्यवाही पूरी करने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय-प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली - 110001 में मंगलवार, 26 सितंबर, 2017 को दोपहर बाद 3.00 बजे होगी :-

सामान्य कार्यवाही

दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार पृथक परीक्षित वार्षिक लेखा और समेकित लेखा तथा इस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के आय एवं व्यय विवरण के साथ-साथ निदेशकों की रिपोर्ट एवं उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना, अनुमोदन करना और स्वीकार करना।

कृते निदेशक मण्डल,
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के आदेश से

हस्ता./-
(एस. आर. साहू)
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.09.2017

टिप्पणियां :

बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए हकदार कोई भी सदस्य अपने स्थान पर मतदान के समय उपस्थित होने और मतदान करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करने का हकदार है और उस व्यक्ति को कम्पनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। तथापि, नियुक्त करने संबंधी विलेख बैठक आरंभ होने से 48 (अड़तालीस) घंटे से पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करना होगा।

प्राक्सी फार्म संलग्न है।

कृते निदेशक मण्डल
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के आदेश से

हस्ता./-
(एस. आर. साहू)
कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.09.2017

फार्म सं. एमजीटी - 11
प्रॉक्सी फार्म

(कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 105 (6) और कम्पनी (प्रबंध और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19 (3) के अनुसरण में)

सीआईएन: यू74899 डीएल 1976 एनपीएल008453

कम्पनी का नाम : इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

पंजीकृत कार्यालय : प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001

सदस्य (सदस्यों) के नाम :
पंजीकृत पता :
ई-मेल आईडी :
पृष्ठ सं./ ग्राहक आई. डी. :
डीपी आईडी :

मैं/हम ..... कम्पनी के ..... शेयरधारक एतद्द्वारा नियुक्त करता हूं/ करते हैं।

नाम :	नाम :
पता :	पता :
ई-मेल आईडी :	ई-मेल आईडी :
हस्ताक्षर :	हस्ताक्षर :

कम्पनी की ..... पंजीकृत कार्यालय में ..... को होने वाली कम्पनी के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक में मेरे/ हमारे लिए और मेरी/ हमारी ओर से उपस्थित और वोट डालने के लिए तथा नीचे दर्शाए अनुसार ऐसे संकल्प के संबंध में उसके किसी आस्थगन पर हम अपनी ओर से अपना प्रॉक्सी नियुक्त करता हूं/ करते हैं।

संकल्प सं. : .....

निदेशकों की रिपोर्ट और उस लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार स्टेण्ड अलोन (पृथक) लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे और समेकित लेखों तथा उस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का विवरण प्राप्त करना, विचार करना, अनुमोदित और स्वीकार करना।

आज ..... दिनांक ..... 2017 को हस्ताक्षरित

शेयर होल्डरों के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी होल्डर(रों) के हस्ताक्षर

यहां पर रसीदी टिकट लगाएं

नोट: प्रॉक्सी फार्म समुचित रूप से भरकर बैठक प्रारम्भ होने से पहले कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कर दिया जाये।

भारतीय अन्तरराष्ट्रीय चमड़ा मेला, चेन्नई 2017

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट

सदस्यों को

निदेशक मण्डल इस कम्पनी की 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की 40वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं परीक्षित लेखा प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव कर रहा है।

1. वित्तीय विशेषताएं

आपकी कंपनी ने विगत वर्ष **164.13 करोड़ रु.** (भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निर्धारित) की तुलना में 'अन्य व्यापक आय' पर विचार करने के बाद में वर्ष 2016-17 के दौरान **निवल 168.99 करोड़ रु. का अधिशेष** अर्जित किया है। कम्पनी के द्वारा विगत वर्ष के **375.56 करोड़ रु.** (भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निर्धारित) की तुलना में इस वर्ष के दौरान **388.97 करोड़ रु.** की कुल आय अर्जित की है, आपकी कम्पनी का उत्कृष्ट निष्पादन सदैव सर्वाधिक अधिकतम **कुल आय अर्थात् 388.97 करोड़ रु. से प्रतिविम्बित होता है, जो आपकी कम्पनी के द्वारा अपने प्रारंभ होने से लेकर सृजित कुल आय से सदैव अधिकतम है। आपकी कम्पनी ने 263.14 करोड़ रु. के कार्य निष्पादन से रिकार्ड राजस्व अर्जित किया है जो विगत 5 वर्षों के दौरान सबसे अधिक है।**

यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के अंतर्गत पंजीकृत है, इसीलिए कम्पनी पर लागू इस धारा के अंतर्गत संगत प्रावधानों के अनुसार कम्पनी को कोई लाभांश घोषित करना मना है। इसीलिए अधिशेष आय को कम्पनी ने अपने पास रखा है और इसे अन्य इक्विटी में स्थानांतरण कर दिया गया है।

भारतीय लेखांकन मानक

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एम सी ए) ने दिनांक 16 फरवरी, 2015 की अपनी अधिसूचना के द्वारा भारतीय लेखांकन मानक (इण्ड ए. एस.) अधिसूचित किया जो वित्तीय वर्ष 2016-17 से आई टी पी ओ पर लागू है। इण्ड ए. एस. ने कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित पूर्ववर्ती भारतीय जी. ए. ए. पी. का भारतीय लेखांकन मानक का स्थान ले लिया है। तदनुसार, आपकी कम्पनी ने वर्ष के भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निर्धरित वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

2. निदेशक मण्डल

श्री एल. सी. गोयल ने दिनांक 2 सितम्बर, 2015 से आई टी पी ओ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है। श्रीमती शुभ्रा सिंह 14 दिसम्बर, 2015 से 9 फरवरी, 2017 तक आई टी पी ओ में कार्यकारी निदेशक थी। श्री रजनीश संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 10 फरवरी, 2017 से 24 मई, 2017 तक कार्यकारी निदेशक थे। श्री दीपक कुमार ने 25 मई, 2017 से कार्यकारी निदेशक, आई टी पी ओ का कार्यभार ग्रहण किया। कम्पनी के बोर्ड में अन्य गैर-पूर्णकालिक निदेशक और स्वतंत्र निदेशक इस प्रकार हैं :-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	से	तक
1.	श्री जे. के. डाडू अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली	13.08.2015	जारी
2.	श्री मनोज जोशी संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम मंत्रालय (एम एस एम ई), नई दिल्ली	28.12.2015	16.08.2017
3.	श्रीमती अल्का नागिया अरोड़ा संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम मंत्रालय (एम एस एम ई), नई दिल्ली	17.08.2017	जारी
4.	श्री संजय चड्ढा सयुक्त सचिव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली	30.03.2016	जारी
5.	श्री के. नागाराज नायडू संयुक्त सचिव (ईडी) विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली	07.07.2015	जारी
6.	श्री पी. एन. विजय कारपोरेट वित्त विशेषज्ञ	10.06.2016	जारी

वर्ष 2016-17 के दौरान, निदेशक मंडल की 4 बैठकें हुईं। निदेशकों की नियुक्ति, इस संबंध में भारत सरकार की नीतियों के तहत प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है।

3. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51) के अनुसार आई. टी. पी. ओ. के निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को संबंधित कार्यालयों में नियुक्त/ कार्यमुक्त/ कार्यभार जारी रखा गया :-

- श्री एल. सी. गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आई. टी. पी. ओ. - दिनांक 02.09.2015 से जारी
- श्रीमती शुभ्रा सिंह, कार्यकारी निदेशक, आई टी पी ओ - दिनांक 14.12.2015 से 09.02.2017 तक
- श्री रजनीश, कार्यकारी निदेशक, आई टी पी ओ - दिनांक 10.02.2017 से 24.05.2017 तक
- श्री दीपक कुमार, कार्यकारी निदेशक, आई टी पी ओ - दिनांक 25.05.2017 से जारी
- श्री डी. एम. शर्मा, मुख्य वित्तीय अधिकारी - दिनांक 31.07.2015 से जारी
- श्री एस. आर. साहू, कंपनी सचिव - दिनांक 27.08.2013 से जारी

4. समझौता ज्ञापन (एम ओ यू)

कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती है। तदनुसार, वर्ष 2017-18 के लिए 7 जुलाई, 2017 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

आपकी कम्पनी वर्ष 2015-16 के समझौता ज्ञापन में **'बहुत अच्छा'** रेटिंग प्राप्त किया है, जो उत्कृष्ट होती, लेकिन पेंशन स्कीम के 23 करोड़ रु. के प्रभाव की वजह से यह रेटिंग रही। वर्ष 2016-17 के लिए स्वत: मूल्यांकन के अनुसार एम ओ यू रेटिंग भी **'बहुत अच्छा'** रहने की संभावना है जो 01.01.2017 से तीसरे पी आर सी के वेतन संशोधन संबंधी दिशा-निर्देशों की वजह से 22 करोड़ रु. (लगभग) वेतन संशोधन, उपदान (ग्रेच्युटी) और छुट्टी नकदीकरण के प्रभाव के बिना 'उत्कृष्ट' रहेगी।

2017-18 के समझौता ज्ञापन में प्रचालनों से राजस्व के लिए

श्रीमती रीता तेवतिया, वाणिज्य सचिव एवं श्री एल सी गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी, आईटीपीओ के समझौता ज्ञापन 2017-2018 पर हस्ताक्षर करने के सुअवसर पर

'उत्कृष्ट' वित्तीय लक्ष्य 228.00 करोड़ रु., प्रचालनों से राजस्व की प्रतिशत के रूप में प्रचालन लाभ/ अधिशेष के लिए 7 प्रतिशत और पी ए टी अथवा अधिशेष/औसत निवल मूल्य 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। पुनर्विकास कार्य के प्रगति पर होने की वजह से कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन है, लेकिन आपकी कम्पनी 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त करने का अथक प्रयास करेगी।

5. विदेशों में आयोजित मेले

आई टी पी ओ ने वर्ष 2016-17 के दौरान, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में एकल भारतीय प्रदर्शनियों सहित 26 विदेशी मेलों में भारत की राष्ट्रीय स्तर की भागीदारी आयोजित की। इन 26 मेलों में 5 यूरोप में, 6 अफ्रीका/ घाना में, 3-3 मेले एन ए एफ टी ए, उत्तर अमरीकी मुक्त व्यापार संघ, लैटिन अमरीकी देशों और सार्क देशों में तथा एशियन, सी आई एस और दक्षिण एशिया क्षेत्र प्रत्येक में एक-एक मेले का आयोजन किया गया।

आई टी पी ओ विश्व के प्रमुख मेलों में नियमित रूप से भागीदारी कर रहा है। ये मेले हैं: – एपेक्स - लास वेगास (आटो पार्ट्स), नेशनल हार्डवेयर शो - लास वेगास (हार्डवेयर), एस आई ए एल - पेरिस, समर फेंसी फूड शो - न्यूयार्क, फूडेक्स - सऊदी, (फूड ऐण्ड बेवरेज), मेडिका - डस्सेडार्फ (फार्मास्युटिकल्स), अफ्रीका का बिग सेवन/ साइटैक्स, अफ्रीका हैल्थ (जोहांसवर्ग), ए एफ एल' आर्टिजियानो इन फिएरा - अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, मिलान (इटली)।

'ब्राण्ड इण्डिया' को बढ़ावा देने के लिए 6 (छः) विशिष्ट इण्डिया सोर्सिंग मेले आयोजित किए गए थे, अर्थात् एल ए सी क्षेत्र अर्थात् चिली और पेरु में 2, सार्क क्षेत्र में 3 अर्थात् बंगला देश में 2 और श्रीलंका में 1 (एक) तथा सी आई एस क्षेत्र अर्थात् रूस में 1 (एक) मेले का आयोजन किया गया। आई टी पी ओ ने ओसाका (जापान) में अपने वार्षिक समवर्ती शो अर्थात् भारतीय परिधान मेला और भारतीय होम फर्निशिंग मेले का भी आयोजन किया। आई टी पी ओ दो दर्शकों से अधिक समय से युग्म (ट्विन) शो आयोजित कर रहा है, जिनसे विशिष्ट जापानी बाजार में भारत की ब्राण्ड संबंधी प्रतिष्ठा और उपस्थिति सुनिश्चित हुई है।

वर्ष 2016-17 के दौरान, आई टी पी ओ के माध्यम से इन सभी मेलों में कुल 1073 भारतीय कम्पनियों ने भागीदारी की।

6. भारत में आयोजित मेले

वर्ष 2016-17 के दौरान, आपकी कम्पनी ने भारत में 15 राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले/ प्रदर्शनियां आयोजित की। इन मेलों मे से 10 मेले दिल्ली में और 5 अन्य नगरों में आयोजित किए।

भारतीय परिधान मेला और भारतीय गृह फर्नीशिंग मेला, ओसाका, जापान-2016

भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2016

वर्ष के दौरान, प्रगति मैदान में आयोजित मेलों में दूसरा भारतीय अंतरराष्ट्रीय फूटवियर मेला, 5-7 अगस्त, 2016; 36वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 14-27 नवम्बर, 2016; 32वां आहार अंतरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ एवं आतिथ्य मेला, 07-11 मार्च, 2017; 19वीं भारतीय अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी, 19-21 सितम्बर, 2016; 12वां नक्षत्र, 7-14 जनवरी, 2017 तथा टैक्स स्टाइल्स इंडिया, 21-24 फरवरी, 2017 शामिल थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रदर्शनी को बढ़ावा देने के लिए आठवां ईस्ट हिमालयन मेले का गंगटोक, सिक्किम में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था।

I. प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित प्रमुख मेले

भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2016

प्रगति मैदान में 14-27 नवम्बर, 2016 तक 36वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2016 (आईआईटीएफ 2016) आयोजित किया गया। मेले का थीम विषय 'डिजिटल इण्डिया' था। इलेक्ट्रॉनिक्स और आई टी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग, नई दिल्ली के द्वारा थीम पवेलियन की स्थापना की गई थी। इस थीम को सभी राज्यों/ सरकारी पवेलियनों के द्वारा अपने प्रदर्शन में दर्शाया गया था। प्रदर्शनी के दौरान, विभाग ने 14-18 नवम्बर, 2016 तक विभिन्न सेमिनारों का आयोजन किया गया। इस अवधि को विशिष्ट व्यापारिक दिनों के लिए निश्चित किया गया था। भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने मेले का उद्घाटन किया।

दक्षिणी कोरिया भागीदार देश था जबकि बेलारूस फोकस देश था। झारखंड और मध्य प्रदेश भागीदार राज्य थे और हरियाणा इस मेले में फोकस राज्य था। 24 देशों से 285 विदेशी कंपनियों और 7000 से अधिक घरेलू कंपनियों ने मेले में भागीदारी की। विशिष्ट पवेलियनों वाले 27 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के अलावा सरकार के 47 विभागों ने इसमें भागीदारी की।

कपार्ट, हुडको, के वी आई सी, एम एस एम ई, सी एस आई आर, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा लघु मझौले उद्यमों के महत्त्वपूर्ण समूहों की भागीदारी का आयोजन किया गया था। इसके अलावा, एक अलग पेवेलियन में कौशल इण्डिया का आयोजन किया गया तथा आई टी पी ओ ने प्रगति मैदान में अच्छे तरीके से स्वच्छ भारत को बढ़ावा दिया और सर्वश्रेष्ठ राज्य पेवेलियन के लिए इस श्रेणी में एक पुरस्कार देने का प्रावधान किया गया।

आई आई टी एफ के दौरान प्रगति मैदान के भीतर मोबाइल कनेक्टीविटी को आई टी पी ओ के द्वारा अच्छी तरह से मानीटरिंग किया गया था। टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और रिलाएंस, जियो एवं अपर सचिव, दूरसंचार विभाग के साथ रोजाना ब्रीफिंग बैठक आयोजित की गई थी। आई टी पी ओ ने उपयोग हेतु 8 मोबाइल टावर स्थापित किए थे तथा सैलफोन सेवा प्रदाताओं ने इन सभी टावरों में ट्रांसपोण्डर किराए पर लिए थे।

वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मेले के दौरान नि:शुल्क पिकअप और ड्रॉप ऑफ सेवा भी प्रदान की गई। इनके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए दो विशेष लॉज स्थापित किए गए थे। प्रगति मैदान के सभी प्रवेश द्वारों के साथ-साथ इण्डिया गेट और सभी मेट्रो स्टेशनों जैसे प्रगति मैदान, इन्द्रप्रस्थ, आई टी ओ और मंडी हाउस को लिंक करते हुए ड्रॉप ऑन ऐण्ड ड्रॉप ऑफ बस सेवा में बढ़ोतरी की गई थी। पहली बार सामान्य टिकटें ऑन लाइन उपलब्ध करायी गई थीं। दर्शकों के लिए मोबाइल अनुप्रयोगों की सेवाएं, कार्ड-स्विपिंग मशीनों के अलावा भागीदारों/ दर्शकों के लिए ए टी एम और ए टी एम वैनों की सेवाएं भी प्रदान करायी गई थीं। मेले के दौरान, कई चिकित्सा शिविरों/ प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं (एम्बुलेंस सहित) उपलब्ध करायी गई थी। विज्ञापनों का प्रचार करने के लिए एल ई डी स्क्रीन, झण्डे वाले खम्बे, होर्डिंग उपलब्ध कराए गए थे।

64 विदेशी प्रतिनिधि मण्डलों ने भी मेले का दौरा किया जिनमें 464 पर्यटक आए। 14 दिनों के मेले के दौरान लगभग 14 लाख दर्शक मेले में आए जो विश्व में अपने आप में सबसे बड़ा मेला है।

मेला प्रारंभ होने से ठीक एक सप्ताह पहले सरकार द्वारा अधिक करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण से मेले की सफलता को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ा। मेले के शुरुआती दिनों में मेले की प्रगति और कारोबार में काफी कमी आयी थी। आई टी पी ओ प्रबंधन ने त्वरित कार्रवाई की और यह दर्शाने के लिए टिकटों के किरायों में संशोधन किया कि वह दर्शकों के साथ है एवं दर्शकों के रुझान (भावना) में सुधार हुआ। ए टी एम सेवाओं एवं स्वेप/ क्रेडिट कार्ड कैशलेस लेन-देनों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख बैंकरों के साथ रोजाना बैठकें आयोजित की गई थीं। आयोजक मंत्रालयों/ एजेंसियों जैसे एम एस एम ई, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, एन एम एफ डी सी तथा कपार्ट को एस बी आई और एक्सिस बैंक, पे टी एम, फ्रीचार्ज आदि से लाभ लेने के लिए प्रचार अभियान चलाया गया था। हैल्प डेस्क चलाने के लिए इन सेवा प्रदाताओं को प्रत्येक हाल में नि:शुल्क स्थान दिया गया था।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, आई आई टी एफ 2016 में 1.4 मिलियन दर्शकों के कम होने की सूचना मिली थी। आई आई टी एफ 2015 में हुई टिकटों की बिक्री में केवल 20 प्रतिशत की कमी आयी।

32वां आहार - अंतरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ एवं आतिथ्य मेला, 2017, दिल्ली

आहार, 58,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में आयोजित की गई जो दक्षिण एशिया में अपनी किस्म की सबसे बड़ी बी 2 बी व्यापारोन्मुख प्रदर्शनियों में से एक है। 32वां आहार मेला 7 से 11 मार्च, 2017 तक प्रगति मैदान परिसर में आयोजित किया गया था। विगत की भांति इस मेले का आयोजन खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एम ओ एफ पी आई), अपेडा एवं अन्य उद्योग संघों की मदद से किया गया।

मेले का उद्घाटन माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने किया। यह मेला मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा गया:- 1. खाद्य उत्पाद और वेबरीज, 2. एफ ऐण्ड बी उपस्कर (तैयार करना/ प्रसंस्करण/ पैकेजिंग), 3. आतिथ्य और डेकोर सोल्यूशन्स। भारतीय क्यूलिनरी फोरम (आई सी एफ) के द्वारा आयोजित क्यूलिनरी प्रतियोगिताएं मेले के आकर्षण का केंद्र थीं।

इस मेले में 17 देशों से 51 विदेशी प्रदर्शकों सहित 1141 प्रदर्शकों ने भागीदारी की। कुल 67472 घरेलू व्यापारी दर्शकों और 24 देशों से 131 अंतरराष्ट्रीय खरीददारों एवं प्रतिनिधि 5 दिनों के दौरान मेले में आये।

मेले का फेसबुक, ट्विटर और यू ट्यूब पर आहार के समर्पित हैण्डल/ लेखों के माध्यम से सोसल मीडिया पर व्यापक रूप से बढ़ावा दिया गया था। व्यापारी दर्शकों के साथ बेहतर विचार-विमर्श करने के लिए एक अद्यतन मोबाइल एप भी शुरू किया गया था।

प्रदर्शनी की अवधि के दौरान 'साथ-साथ काम करें - विधिक/ नीतिगत चुनौती, अवसर और भारतीय आतिथ्य का रोडमैप',

आहार - अन्तरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ एवं आतिथ्य मेला-2017

'आज के खान-पान में भारतीय खाद्य के इतिहास का प्रभाव', 'आर्गेनिक खाद्य एवं उभरते हुए बाजार अवसरों का समग्र परिदृश्य', 'होटल उद्योग के लिए उपकरणों की आपूर्ति और सम्बंधित मामलों' आदि जैसे अलग-अलग किस्म के व्यापार विषयों पर 8 सेमिनार आयोजित किए गए।

22वां दिल्ली पुस्तक मेला, 2016

इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में दिनांक 27 अगस्त से 4 सितंबर, 2016 के दौरान 22वां दिल्ली पुस्तक मेला आयोजित किया। मेले का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के सहयोग से किया गया था।

दिल्ली पुस्तक मेले का उद्घाटन डॉ. हर्षवर्धन, माननीय मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं भू-विज्ञान मंत्रालय के द्वारा 27 अगस्त, 2016 को किया गया था। मेक इन इण्डिया, क्लीन इण्डिया - स्वच्छ भारत अभियान, डिजीटल इण्डिया, स्किल इण्डिया, स्टैण्ड-अप-इण्डिया, स्मार्ट सिटी, स्टार्ट अप इण्डिया और उमंग (यूनिफाइड मोबाइल एप फार न्यू-एज गवर्नेंस) के बारे में सेल्फी स्टेशनों को दर्शाने वाले थीम पेवेलियन के हाल 8 में स्थापना की गई थी।

22वें दिल्ली पुस्तक मेले के दौरान, लगभग 40 सेमिनार/ कार्यशालाएं/ पुस्तक विमोचन समारोह/ लेखक कॉर्नर/ बच्चों के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। स्थान पर ही पेंटिंग प्रतियोगिताएं, कहानी सुनाने, स्ट्रीट प्ले आदि सहित कई नए कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा 'सर्व शिक्षा अभियान' से सम्बंधित सरकारी नीति को बढ़ावा दिया गया। पहचान पत्र रखने वाले छात्रों को मेले में नि:शुल्क प्रवेश की अनुमति दी गई थी।

18वां स्टेशनरी/ कार्यालय ऑटोमेशन और कारपोरेट उपहार मेला, 2016

दिल्ली पुस्तक मेले 2016 के साथ-साथ इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन ने हाल 12-ए, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में दिनांक 27 अगस्त से 4 सितंबर, 2016 तक 18वां लेखन सामग्री, कार्यालय आटोमेशन तथा कारपोरेट उपहार का 18वां मेला आयोजित किया। लेखन सामग्री, उपहार की मदों, कार्यालय आटोमेशन में सम्पूर्ण भारत की अग्रणी कम्पनियों ने इस मेले में भाग लिया। यह मेला लेखन सामग्री मदों, कार्यालय आटोमेशन उपस्कर तथा कारपोरेट उपहार सामग्रियों को प्राप्त करने का एक स्रोत साबित हुआ है।

भारतीय अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी 2016

आई टी पी ओ द्वारा दिनांक 19-21 सितम्बर, 2016 के दौरान

भारतीय अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी–2016

गृह मंत्रालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारतीय सुरक्षा संवर्धन समूह के (एस. पी. जी. आई.), पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी पी आर ऐण्ड डी) सह-आयोजकों की सहायता से भारतीय अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी (आई आई एस ई) 2016 की 19वीं कड़ी का आयोजन किया गया। 70 कम्पनियों ने प्रदर्शनी में अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। मेले का थीम 'मेक इन इण्डिया' अभियान था। नए और युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से आई टी पी ओ ने इस मेले में उनके लिए निर्धारित किराए से 50 प्रतिशत कम किराए पर स्टाल दिए थे। मेले को अधिक सार्थक बनाने के लिए प्रासंगिक रुचि के विषय पर सेमिनारों/ प्रदर्शनी की अवधि के दौरान आयोजित करना भी निर्धारित था। आई टी पी ओ ने इस वर्ष विशिष्ट 'मेक इन इण्डिया' सेक्शन शुरू किया है जिसमें स्वदेशी उत्पादों को नि:शुल्क प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

टैक्स स्टाइल्स इण्डिया, दिल्ली

प्रगति मैदान में दिनांक 21-24 फरवरी, 2017 तक टैक्स स्टाइल्स इण्डिया की 18वीं कड़ी का आयोजन किया गया। टैक्स स्टाइल्स इण्डिया की प्रदर्शनी प्रोफाइल में वस्त्र उद्योग की पूरी आपूर्ति श्रृंखला है, जिसमें धागे से लेकर प्रसंस्कृत उत्पादों तथा टेक्सटाइल मशीनरी शामिल हैं।

वर्ष 2017 की कड़ी का आयोजन समग्र वस्त्र समूह क्षेत्र से 70 कंपनियों ने साथ मिलकर भागीदारी की। इस प्रदर्शनी में करीब 1000 व्यापारी दर्शक आये, जिनमें 50 विदेशी व्यापारी दर्शक शामिल थे और जिनमें आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, चीन, जापान, श्रीलंका, तुर्की, यू के, यू एस ए के क्रेता एजेन्ट शामिल थे।

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फुटवीयर मेला 2016, दिल्ली

भारतीय अंतरराष्ट्रीय फुटवेयर मेला (आईआईएफएफ) की द्वितीय कड़ी का आयोजन दिनांक 05-07 अगस्त, 2016 तक हाल सं. 14 और 18 में प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया गया। इस मेले को भारतीय फुटवीयर उद्योग संघ (सीआईएफआई) द्वारा सह-प्रायोजित किया गया था।

श्री अरुण जेटली, माननीय वित्त मंत्री व श्रीमती रीता तेवतिया, वाणिज्य सचिव ने दिनांक 05 अगस्त, 2016 को मेले का उद्घाटन किया।

आई आई एफ एफ, दिल्ली 2016 मेला 6550 वर्गमीटर क्षेत्र में लगाया गया था। मेले में 263 प्रदर्शकों ने भाग लिया, जिनमें 103 विदेशी प्रदर्शक (मुख्यत: ब्राजील, चीन, ईरान, इटली और ताइवान) थे। आईआईएफएफ ने फुटवेयर और संबंधित क्षेत्र

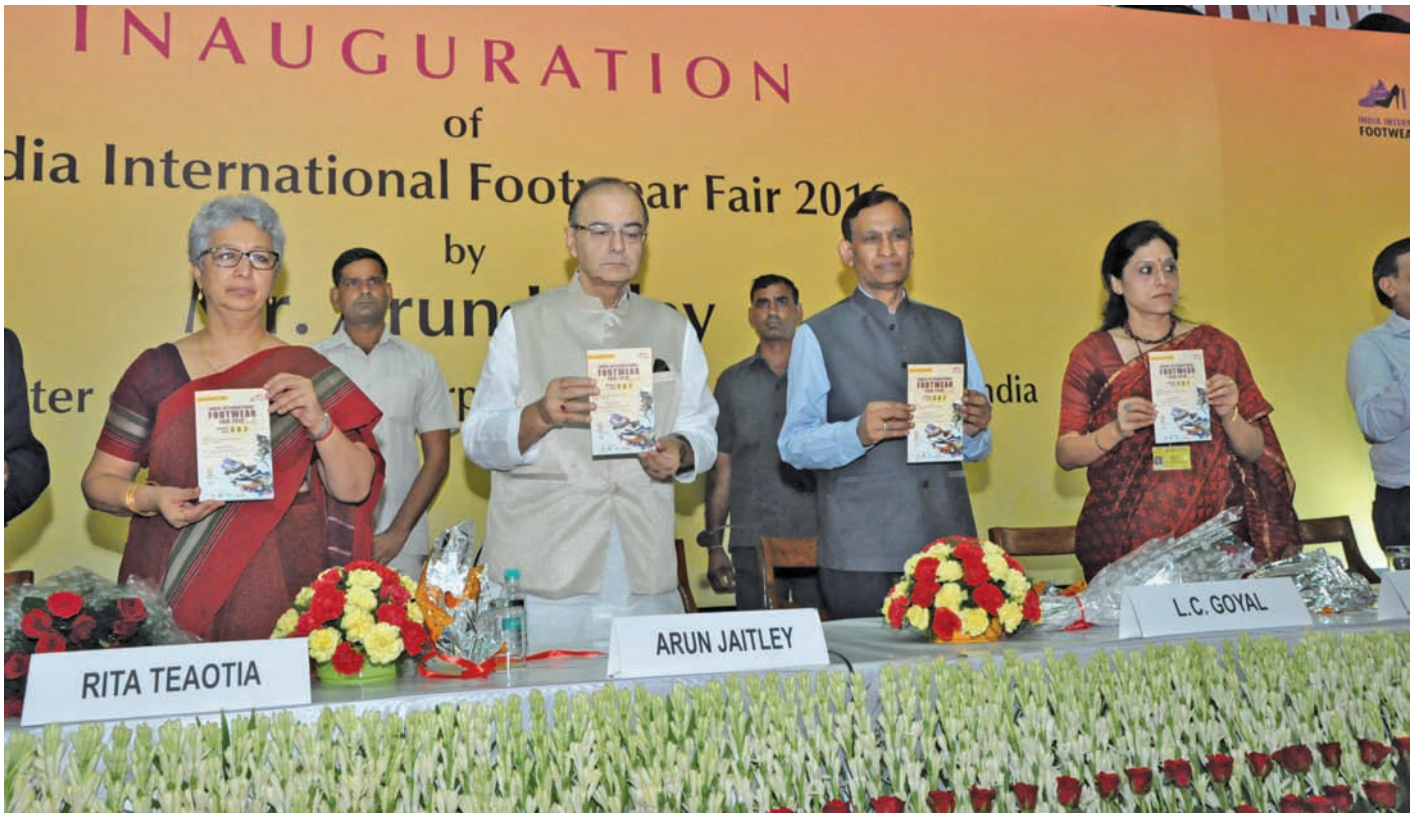

भारतीय अन्तरराष्ट्रीय फुटवीयर मेला, दिल्ली, 2016

से संबंधित वस्तुओं के क्रेताओं और विक्रेताओं के लिए एक महत्त्वपूर्ण मंच उपलब्ध कराने के लिए अपनी अग्रणी स्थिति बरकरार रखी। इस मेले में चमड़ा उद्योग से संबंधित फुटवीयर, सिंथेटिक सामग्री, जूते संगठक, मशीनरी एवं उपकरण, रसायन और सॉफ्टवेयर से संबंधित उत्पादों और सेवाओं का बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया। इसमें 11592 व्यापारी दर्शक पधारे, जिनमें 18 देशों से 72 विदेशी व्यापारी दर्शक आये थे। इनमें चीन, दुबई, नेपाल, थाईलैण्ड, सऊदी अरब, बंगला देश, आयरलैण्ड, तंजानिया, हांगकांग, कनाडा, इटली और श्रीलंका के दर्शक थे।

II. दिल्ली से बाहर आयोजित मेले

भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला (आई आई एल एफ), 2017, चेन्नई

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) ने दिनांक 1-3 फरवरी, 2017 तक चेन्नई में भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला (आई आई एल एफ) की 32वीं कड़ी का आयोजन किया। यह मेला चमड़ा निर्यात परिषद् (सी एल ई), केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सी एल आर आई), भारतीय जूता संघ (आई एस एफ), भारतीय प्रसंस्कृत चमड़ा निर्माता और निर्यातक संघ (आईएफएलएमईए), फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफ डी डी आई) तथा भारतीय फुटवीयर सामान निर्माता संघ (आईएफसीओएमए) के घनिष्ठ सहयोग से आयोजित किया गया था।

श्री के. सी. करुपनान, माननीय पर्यावरण मंत्री, तमिलनाडु ने 31 जनवरी, 2017 को मेले का उद्घाटन किया। यह मेला 1 से 3 फरवरी, 2017 तक व्यापारियों के लिए खुला था।

आई आई एल एफ चेन्नई के 32वां मेला 9581 वर्गमीटर के निवल क्षेत्र (लगभग 20,000 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल) में लगाया गया था। इस मेले में 436 प्रदर्शकों ने भागीदारी की, जिनमें 25 देशों के 136 विदेशी भागीदार भी शामिल थे। इन देशों में थे - अंडौरा, आस्ट्रेलिया, बंगला देश, ब्राजील, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, केन्या, लिथूवानिया, न्यूजीलैण्ड, पुर्तगाल, रूस, सऊदी अरब, स्पेन, श्रीलंका, स्विटजरलैण्ड, ताईवान, तंजानिया, थाइलैण्ड, नीदरलैण्ड, तुर्की, युगांडा, संयुक्त अरब

पूर्वी हिमालयन प्रदर्शनी, गंगटोक, सिक्किम–2016

अमीरात, यू के, चीन के भागीदार समूह, ब्राजील, जर्मनी, इटली और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर (संयुक्त राष्ट्र संघ) एक विशेष आकर्षण था। मेले में 12,630 पंजीकृत व्यापारी दर्शक आए, जिनमें 59 देशों से 415 विदेशी आगंतुक आए। आईआईएलएफ, चेन्नई, 2017 का दौरा करने वाले आगंतुकों की कुल संख्या में 2016 की कड़ी के मुकाबले 0.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

22वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा सामान मेला (आई आई एल जी एफ), 2017, कोलकाता

भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा सामान मेला (आई आई एल जी एफ) एक बी2बी मेला है, जिसका उद्देश्य भारत से विशेषकर पश्चिम बंगाल से चमड़े की वस्तुओं और परिष्कृत चमड़े के निर्यात को बढ़ावा देना है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला की 22वीं कड़ी का सफलतापूर्वक आयोजन मिलन मेला परिसर, कोलकाता में 26 से 28 मार्च, 2017 के दौरान इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) के द्वारा किया गया था। आई आई एल एफ का सक्रिय रूप से समर्थन भारतीय चमड़ा उत्पाद संघ (आई एल पी ए), चमड़ा निर्यात परिषद (सी एल ई) और पश्चिम बंगाल सरकार का था। मेले का उद्घाटन डॉ. अमित मित्रा, माननीय वित्त, बड़े उद्योग और उद्यम मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा 26 फरवरी, 2017 को किया गया था।

लगभग 35 विदेशी व्यापारी दर्शक आई आई एल एफ कोलकाता 2017 में आए। सम्पूर्ण भारत से लगभग 2000 घरेलू दर्शक भी मेले में आए। चमड़े के विभिन्न क्षेत्रों के संघटकों सहित लगभग 63 प्रमुख कम्पनियों ने मेले में अपने उत्पाद प्रदर्शित किए। यह प्रदर्शनी हाल 1 और 2 में 930 वर्गमीटर के क्षेत्र में लगायी गयी।

मेला प्रदर्शकों में संबद्ध क्षेत्र जैसे रसायन, मशीनरी और उपकरणों के निर्यातक, विनिर्माता और कम्पनियां सम्मिलित थीं। लगभग 95 प्रतिशत प्रदर्शकों ने आगामी मेले में पुनः भागीदारी करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की।

8वीं ईस्ट हिमालयन प्रदर्शनी, 2016, गंगटोक, सिक्किम

8वीं ईस्ट हिमालयन प्रदर्शनी, 2016 का आयोजन गंगटोक, सिक्किम में दिनांक 16–25 दिसंबर, 2016 तक किया गया। इस मेले का सह–आयोजन डोनर मंत्रालय ने किया और सिक्किम सरकार के द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन दिया। श्री उगेन टी ग्यात्सो, माननीय पर्यटन, नागर विमान और वाणिज्य

एवं उद्योग मंत्री, सिक्किम सरकार ने 17 दिसम्बर, 2016 को मेले का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में प्रमुख भागीदारों में डोनर मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, के वी आई सी, पूर्वोत्तर, हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, सिक्किम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय जूट बोर्ड, आयुष मंत्रालय, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान (योग और प्राकृतिक चिकित्सा) अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय होम्पोपैथी संस्थान इत्यादि शामिल थे। भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पालिसी के परिप्रेक्ष्य में आई टी पी ओ ने 8वां पूर्वी हिमालयन प्रदर्शनी 2016 आयोजित करके गंगटोक में यह प्रयास किया था। थाइलैण्ड की रॉयल एम्बेंसी ने इस मेले में भागीदारी की थी।

टेक्स-स्टाइल्स इण्डिया, कोलकाता

प्रथम टेक्सटाइल्स इण्डिया, कोलकाता प्रदर्शनी का दिनांक 26 से 28 फरवरी, 2017 तक कोलकाता के मिलन मेला परिसर में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। टेक्स-स्टाइल्स इण्डिया का आयोजन वस्त्र विभाग और एम एस एम ई, पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से किया गया था। इसका उद्देश्य व्यापार संवर्धन के लिए मंच उपलब्ध कराना तथा पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करना था। मेले का उद्घाटन डॉ. अमित मित्रा, माननीय वित्त, बड़े उद्योग और उद्यम मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा 26 फरवरी, 2017 को किया गया था। इस मेले में 17 कम्पनियों ने भागीदारी की तथा इन्होंने शुद्ध रेशम, मिलावटी रेशम दिए लक्वायर फेब्रिक, हथकरघा उत्पाद, जूट एवं जूट के उत्पादों का प्रदर्शन किया गया।

आहार - अंतरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ एवं आतिथ्य मेला, 2016, चेन्नई

आहार - अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला, चेन्नई का आयोजन 15 से 17 सितम्बर, 2016 तक किया गया था और यह 4400 वर्गमीटर क्षेत्र पर लगाया गया। इस मेले में 117 भागीदार थे और इसका उद्घाटन श्री प्रदीप यादव, आई ए एस, प्रधान सचिव, खाद्य, सिविल आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण विभाग, तमिलनाडु सरकार के साथ श्रीमती शुभ्रा सिंह आई ए एस, कार्यकारी निदेशक, आई टी पी ओ के द्वारा किया गया था।

मेले का समर्थन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एम ओ एफ पी आई) और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) के द्वारा किया गया था। इस मेले के सहायक भारतीय खाद्य एवं आतिथ्य समर्थन एसोसिएशन (एफएचएसएआई), भारतीय आतिथ्य उद्योग (आर्ची) हेतु एसोसिएशन आफ रिसोर्स कम्पनी, अखिल भारतीय खाद्य प्रसंस्करण एसोसिएशन (एआईएफपीए), भारतीय होटल एवं रेस्तरां निर्माता संघ (हाट्रेमाई), दक्षिण भारतीय होटल एवं रेस्तरां संघ (एसआईएचआरए) थे। आहार चेन्नई के दौरान, पहली बार मै. फारएवर न्यूज के द्वारा दैनिक घटनाओं की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। मेले का ऑन लाइन मीडिया साझीदार मै. वीवाहोरेका टी वी था जिसने सम्पूर्ण मेले की कवरेज की थी और ट्विटर, यू-ट्यूब, फेसबुक आदि के माध्यम से मेले का प्रचार किया था। वीवाहोरेका टी वी ने आहार चेन्नई, 2016 में एक बहुत ही सफल सोशल मीडिया विपणन पहल का आयोजन किया था।

III. प्रगति मैदान, नई दिल्ली में अन्य आयोजकों द्वारा आयोजित मेले

आई टी पी ओ द्वारा अन्य भागीदारों/ आयोजकों को प्रगति मैदान में विशिष्ट और सामान्य व्यापार मेलों/ प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए लाइसेंस फीस का भुगतान करने पर प्रदर्शनी हॉल तथा सम्मेलन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान, प्रगति मैदान में 86 आयोजन/ प्रदर्शनियों का आयोजन अन्य आयोजकों द्वारा किया गया। इनमें से 11 नई प्रदर्शनियों का आयोजन पहली बार किए गए।

वर्ष के दौरान, आयोजित प्रसिद्ध आयोजनों में पावरजेन इण्डिया, एम्बायंट/ हिम टेक्सटाइल इण्डिया, इण्डिया वेयर हाउसिंग शो, इण्डिया इंटरनेशनल गारमेंट मेला, स्मार्टकार्ड एक्सपो, दिल्ली ज्वैलरी तथा जेम शो, फ्रेंचाइजी इण्डिया, एलईडी एक्सपो, पेपरएक्स, आईएफएसईसी, एसएटीटीई, ईटी एकटेक इण्डिया इत्यादि शामिल थे। प्रथम ब्रिक्स व्यापार मेले का आयोजन दिनांक 12 से 14 अक्तूबर, 2016 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया गया था। ब्रिक्स व्यापार मेला पूरी तरह से परस्पर बातचीत व्यापार विनियोजन था और इसके आयोजन का उद्देश्य भागीदार ब्रिक्स राष्ट्रों अर्थात् ब्राजील, रूस, भारत, चीन

और दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापार एवं निवेश के अवसरों को बढ़ावा देना था। अभिज्ञात क्षेत्रों में ब्रिक्स की प्रत्येक की क्षमता को दर्शाने के लिए ब्रिक्स व्यापार मेले में 397 कम्पनियों ने भाग लिया। लगभग 910 कम्पनियों ने विभिन्न ब्रिक्स व्यापार विनियोजनों में भाग लिया और लगभग 1601 बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) बैठकें तीन दिनों में हुई थी। प्रौद्योगिकियों, वस्तुओं और सेवाओं का प्रदर्शन करने, व्यापार के लिए अवसरों का पता लगाने तथा संयुक्त उद्यम साझेदारियों एवं सहयोगों के लिए अन्य बिजनेस-टू-बिजनेस अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों की भांति ब्रिक्स व्यापार मेला एक अनूठा मंच था।

वर्ष के दौरान, प्रगति मैदान में आयोजित किए गए नए कुछ मेलों/ प्रदर्शनियों में बी. वी. टेक एक्सपो, प्राइड ऑफ चीन, इण्डिया वैडिंग शो, हेल्थ टेक, ट्राइबल कार्निवल, इण्डिया मोबाइल फोन दिवाली, यूरोपियन हायर एजूकेशन फेयर, सी एस आर कानक्लेव, स्किल इण्डिया सप्ताह, टायर एक्सपो, छठा कोयला समिट और इण्डिया गेमिंग शो इत्यादि शामिल थे।

7. सभी हितधारकों के लिए विभिन्न घटकों में किए गए पहल, प्रयास और सुधार

वर्ष के दौरान, आई टी पी ओ की अवसंरचना क्षमता और सेवा सुपुर्दगी में सुधार लाने और उनको बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण पहले की गई हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

❑ **व्यापार करने को सरल बनाने के लिए ई-एनेबलमेंट :**

- आई आई टी एफ और नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के लिए टिकटों की ऑन-लाइन बुकिंग का कार्यान्वयन
- घरेलू मेलों के लिए ऑनलाइन स्थान की बुकिंग प्रणाली
- जी ई एम एस से ई-खरीद/ ई-निविदा शुरू की गई
- आई टी पी ओ के घरेलू मेलों के लिएं मोबाइल एप शुरू किया गया।
- ई-भुगतान/ ई-वापसी शुरू की गई है
- सभी ए सी हालों में वाई-फाई सुविधा
- सोशल मीडिया-फेसबुक, ट्विटर और यू-ट्यूब का उपयोग
- बेहतर नेटवर्क कनेक्टीविटी के लिए 7 नए टेलीकाम टावर लगाए गए।
- आई टी पी ओ का व्यापक मोबाइल एप अंतिम चरण में है।

❑ **ग्राहक अनुकूल उपाय**

- तीसरे पक्षकार के मेलों के दौरान 'हेल्प डेस्क' लागू करना।
- स्टार्ट-अप्स के लिए आई टी पी ओ के मेलों में 50 प्रतिशत छूट।
- भागीदारों/ आयोजकों के साथ नियमित विचार-विमर्श।
- तीसरे पक्षकार के मेलों के लिए ऑन-लाइन स्थान की बुकिंग करना विचाराधीन है।

8. आई ई सी सी परियोजना

आई टी पी ओ प्रगति मैदान, नई दिल्ली में एक विश्वस्तरीय प्रतिष्ठित समेकित प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन परिसर (आईईसीसी) की स्थापना कर रहा है। प्रस्तावित केंद्र में राष्ट्रों के बीच भारत के आर्थिक, राजनैतिक और सामरिक महत्त्व के अनुकूल विश्वस्तरीय सम्मेलन सुविधाएं होंगी। प्रस्तावित अवसंरचना से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में एमआईसीई (बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन, आयोजन) की जरूरतों की पूर्ति होने की संभावना है। आशा की जाती है कि इससे देश के विदेशी मुद्रा अर्जन और दिल्ली के सेवा कारोबार क्षेत्र के राजस्व में पर्याप्त वृद्धि होगी क्योंकि एमआईसीई क्षेत्र में कई आयोजन पूर्वी एशियाई देशों और विश्व के अन्य देशों से नई दिल्ली में स्थानांतरित हो सकते हैं।

परियोजना प्रस्ताव में चरण-। में 1,51,687 वर्ग मी. प्रदर्शनी स्थल सहित कुल निर्मित क्षेत्र का 3,82,188 वर्ग मी. विकास शामिल है।

सम्मेलन केन्द्र विश्व की सबसे अच्छी स्टेट आफ दि आर्ट ऐतिहासिक संरचना का होगा और यह सिंगल फार्मेट में (3000) पैक्स क्षमता के एक प्लेनरी हॉल और 4000 पैक्स क्षमता के एक कार्यात्मक हॉल सहित) 7000 पैक्स सीटिंग क्षमता का होगा और इसमें बैठक हॉल, लाउंज, सेवाएं और करीब 4800 पेसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) के लिए भूमिगत पार्किंग स्थल जैसी विभिन्न संबद्ध सुविधाएं होंगी। आई ई सी सी तक बेहतर पहुंच हेतु तथा सामान्य जनता के लाभ के लिए यातायात के जाम के समाधान हेतु व्यापक माध्यमों का भी प्रस्ताव किया गया है। अनिवार्य तौर पर मथुरा रोड/ पुराना किला रोड को प्रगति मैदान और मथुरा रोड को सिंगल फ्री बनाने के लिए 6 लेन की बंटी सुरंग के जरिए रिंग रोड से जोड़ा जाएगा।

आर्थिक कार्यों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति (सी सी ई ए) ने 2254 करोड़ रु. की अनुमानित परियोजना लागत पर आई ई सी सी परियोजना को जनवरी, 2017 में अनुमोदित किया था। आई टी पी ओ, परियोजना के फण्डिंग के लिए अपने फ्री रिजर्व में से 1200 करोड़ रु. का उपयोग करेगा और परियोजना की शेष धनराशि के लिए संस्थानात्मक ऋण/ सरल ऋण/ बाहरी सहायता और/ या होटल हेतु भूमि के मुद्रीकरण की व्यवस्था करेगा।

राष्ट्रीय भवन विनिर्माण निगम लिमिटेड (एन बी सी सी) परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रहा है। वैश्विक निविदा के आधार पर परियोजना का विनिर्माण करने के लिए परियोजना निष्पादक के रूप में शापूर्जी पालौनजी का चयन किया गया है।

9. व्यापार प्रतिनिधि मण्डल

व्यापार संवर्धन प्रयासों में सहयोग की संभावना तलाशने के लिए आई टी पी ओ के द्वारा आयोजित अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक आयोजित किए गए विभिन्न व्यापार मेलों में कुल 655 व्यापारी दर्शकों ने भाग लिया। मुख्य प्रतिनिधि मंडल में श्रीलंका से आए 30 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल शामिल था, जिसने हस्तशिल्प और वस्त्रों में रुचि दिखायी। वस्त्र, हैण्डलूम, हस्तशिल्प, आभूषण आदि के लिए वियतनाम से आये 28 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल, नारियल, बांस, चीनी उत्पादों और संसाधित मशीनरी, सौर ऊर्जा उत्पादों, जलविद्युत (हाइड्रो) पम्पों, पवन ऊर्जा और छोटी बेकिंग मशीनरी को प्राप्त करने के इच्छुक सूरीनाम से आए 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, केरल और असम पेवेलियन का दौरा किया। बहु-उत्पादों के लिए नेरौबी से आये 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल प्रमुख था।

10. अन्य व्यापार संवर्धन संगठनों के साथ सहयोग

आई टी पी ओ बहुत पहले से ही एशियाई व्यापार संवर्धन मंच (ए टी पी एफ) में बहुत ही सक्रियता के साथ भाग लेता रहा है। यह व्यापार संवर्धन संगठनों का समूह है। ए टी पी एफ की सभी गतिविधियों का समन्वय जापान विदेश व्यापार संगठन (जेईटीआरओ) करता है। आई टी पी ओ इण्डिया कंवेंशन प्रमोशन ब्यूरो (आई सी पी बी) द्वारा आयोजित गतिविधियों में भी भाग लेता है।

आई टी पी ओ प्रदर्शनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बने एक संगठन, यू एफ आई - प्रदर्शनी उद्योग का वैश्विक संघ, फ्रांस का सदस्य बन गया है।

आई टी पी ओ वर्ष 2017-18 के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्जीविशन ऐण्ड इवेंट (आई ए ई ई), यू एस ए का सदस्य बन गया है। आई ए ई ई प्रदर्शनियों एवं अन्य मेलों के विशिष्ट महत्व को बढ़ावा देता है, जिनसे क्रेताओं और विक्रेताओं को एक साथ लाया जाता है, इन मेलों में रोड शो, प्रदर्शनी संघटक के साथ सम्मेलन और प्रोपराइटरी कारपोरेट प्रदर्शनियां आदि शामिल हैं।

11. व्यापार सूचना संबंधी गतिविधियां

आई टी पी ओ सदस्यों के रूप में पंजीकृत निर्यातकों को सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करता है। इन सेवाओं में विदेशों में भारतीय मिशनों तथा विदेशी आयातकों से सीधे ही प्राप्त व्यापार संबंधी पूछताछ तथा आई टी पी ओ द्वारा आयोजित मेलों तथा प्रदर्शनियों में प्रतिनिधि मंडलों के साथ बैठकों की व्यवस्था करना शामिल है। इण्डियन एक्सपोर्ट बुलेटिन में देशी तथा उत्पादों के विषय में व्यापार सूचना आई टी पी ओ द्वारा देश तथा विदेश में आयोजित व्यापार मेलों/ प्रदर्शनियों और विदेशी निविदाओं के संबंध में और व्यापार मेले संबंधी जानकारी तथा प्रगति मैदान में आयोजित तृतीय पक्षकार मेलों संबंधी जानकारी भी प्रकाशित की जाती है।

भारतीय निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं को विश्वसनीय व्यापार संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए आई टी पी ओ ने व्यापार सूचना केन्द्र और ट्रेड पोर्टल www.tradeportalofindia.org शुरू किया है, जो यूरोपीय संघ के 27 देशों सहित 102 देशों की सूचना प्रदान करता है।

आई टी पी ओ के सदस्यों के लिए सुविधाओं में बहुत ही महत्त्वपूर्ण उपकरण केओएमपीएएसएस (कोम्पास) डाटाबेस ऑनलाइन रूप से सुलभ है, जिसमें 66 से अधिक देशों के संबंध में निर्माताओं/ आयातकों/ निर्यातकों/ एजेंटों/ विभागीय स्टोरों/ वितरकों/ थोक विक्रेताओं/ ट्रेडरों के विवरण दिए गए हैं। 'कोम्पास' में 50 लाख कंपनियों का डाटाबेस खोजा जा सकता है और तकरीबन 58,000 उत्पाद और सेवा श्रेणियां वर्गीकृत की गई हैं।

आईआईटीएफ-2016 के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम

12. सांस्कृतिक कार्यकलाप

आई टी पी ओ हर वर्ष आई आई टी एफ के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलापों का आयोजन कर रहा है। सांस्कृतिक प्रभाग ने भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2016 को सांस्कृतिक आयाम उपलब्ध कराने के व्यापक प्रयास किए जिनसे संस्कृति, रंग और साज-सज्जा अत्यधिक होने से मनोरंजनयुक्त वातावरण बन गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मणिपुर, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, पुंडुचेरी, आंध प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा महाराष्ट्र राज्य के दिवसों का लाल चौक थिएटर में आयोजन किया गया था जबकि पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, ओडिशा, झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल के राज्य दिवसों का आयोजन हंसध्वनि थिएटर में आयोजन किया गया था।

हंसध्वनि थिएटर में आई टी पी ओ के सहयोग से दिल्ली निर्यातक संघ के द्वारा कोरियन कल्चर शो 'स्वामी विवेकानंद' के जीवन पर थिएटर नाटक, के वी आई सी के द्वारा खादी परिधान उत्सव, हास्य कवि सम्मेलन सबसे अधिक सराहनीय सांस्कृतिक कार्यक्रम थे। 19 नवम्बर, 2016 से रोजाना शाकुन्तलम कन्वेंशन सेंटर में कुचीपुड़ी नृत्य से लेकर 'पखवाज' तक के अभिनयों का बहुत ही अच्छा मिश्रण देखने को मिला। इनमें कुचीपुड़ी नृत्य, कथक नृत्य, शास्त्रीय संगीत, संतूर संगीत, ओडिशी नृत्य, मोहिनीअट्टम नृत्य, भरतनाट्यम नृत्य और पखवाज संगीत समारोह शामिल थे।

फलकनुमा थिएटर में पौराणिक और होनहार कलाकारों के गुंजायमान अभिनय से स्थल पूरी तरह से भरा हुआ था। इनमें कब्बाली (शाहिद नियाज), भजन (सखा क्रिएशन), लोक गीत (रुचि अनुराग तायलोंग), गीत गजल (निजामी खान), ब्रज रासलीला (प्रतिभा शर्मा), सूफी भजन (सुरेन्द्र सागर) और गीत गजल (पदमा गिडवानी) शामिल थे। मेले में सामाजिक मुद्दों और विषयों को उजागर करते हुए नुक्कड़ नाटक भी होते हैं। ऐतिहासिक चौक पर रोजाना व्यक्तिगत और ग्रुप (समूह) अभिनय होते हैं। निष्ठा सांस्कृतिक मंच, हिमालय आर्ट्स, एक्शन ड्रामा क्रिएशन्स, रंगकर्मी नाट्य मंच, डॉ. एस. एन. सुब्बाराव फाउन्डेशन, जागड़ नाट्य मंच, राम-श्याम आर्ट वेलफेयर, नितिन कुमार, जादू कला ट्रस्ट, लिविंग थिएटर, सारंगा आर्ट्स ऐण्ड दीप ग्रुप के अभिनय कार्यक्रम रोजाना होते थे। आई टी पी ओ ने लाल चौक और हंसध्वनि थिएटरों में हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के वेबकास्ट की व्यवस्था भी की थी,

जिसकी वजह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई।

13. कारपोरेट संचार

वर्ष 2016-17 के दौरान, कारपोरेट संचार सेवा प्रभाग ने भारत और विदेश में आई टी पी ओ ने मेला संवर्धनात्मक बैक-अप उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास किए थे। इसके अलावा, प्रभाग ने संगठन की अधिकतम दृश्यता, धारणा (प्रतिकृति) निर्माण और ख्याति विस्तार सुनिश्चित करने के भी प्रयास किए थे। प्रदर्शनियों में भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रचार अभियान के बारे में जोर दिया गया था। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के सार्थक चर्चा के माध्यम से व्यापक प्रचार प्राप्त हुआ था।

14. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अपनाना

भारत सरकार के 'डिजीटल इण्डिया' अभियान के अनुरूप आई टी पी ओ में ई-गवर्नेंस पहलों को प्रदर्शकों/ दर्शनार्थियों-सेन्ट्रिक सेवाओं में पारदर्शिता और डिजीटेशन को बढ़ाने पर बल देने के साथ-साथ वर्ष 2016-17 में व्यापक रूप से लागू किया गया था। जारी ई-गवर्नेंस परियोजनाओं और कुछ नई परियोजनाओं को परिवर्तन के मुख्य सिद्धांतों के अनुरूप सुधार/ कार्यान्वित किया गया था।

आई टी पी ओ के द्वारा प्रगति मैदान में आयोजित किए जा रहे घरेलू मेलों के लिए ऑन लाइन स्थान बुकिंग प्रणाली में सुधार किया गया था और भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आई आई टी एफ) नवम्बर 2016 के दौरान पहली बार ऑनलाइन भुगतान करने का प्रावधान किया गया था, जिसको अन्य मेलों के लिए भी बाद में स्वीकार किया गया है।

आई आई टी एफ नवम्बर 2016 के दौरान प्रवेश टिकटों की बुकिंग करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम पहली बार शुरू किया गया था। इससे प्रगति मैदान तक दर्शकों को आसानी से अपने स्थान से टिकटों की आसानी से बुकिंग कराने की व्यवस्था की गई।

प्रमुख प्रदर्शनी हालों (प्रगति मैदान के) और उनके आस-पास क्षेत्रों को वाई-फाई किया गया था, लीज्ड लाइन सेवाओं की सुविधाओं और वाई-फाई इंटरनेट कनेक्टीविटी की व्यवस्था की गई थी। ये सुविधाएं प्रदर्शनी आयोजकों के लिए पूरे वर्ष उपलब्ध होती हैं। इस परियोजना को आई टी पी ओ से पूंजीगत व्यय न होने के साथ राजस्व बंटवारे के मॉडल पर कार्यान्वित किया गया था तथा यह परियोजनाएं आई टी पी ओ के लिए राजस्व सृजन का एक स्रोत भी हैं।

विभिन्न घरेलू मेलों के लिए मोबाइल एप और विशिष्ट वेबसाइट का विकास वर्ष 2016-17 में जारी था।

15. प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास

वर्ष 2016-17 के दौरान, 9 भर्तियां की गई और 154 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया तथा 58 कर्मचारियों को प्रोत्साहित सुनिश्चित सेवा प्रोन्नति योजना (आई ए सी पी एस) के अन्तर्गत व्यक्तिगत ग्रेड उन्नयन दिया गया। 12 युवा व्यावसायिकों को एक वर्ष की अवधि के लिए नियोजित किया गया था।

आई टी पी ओ में आरक्षण से संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के हितों को देखने के लिए सम्पर्क अधिकारियों को नामित किया गया है। प्रत्येक विभागीय पदोन्नति समिति/ चयन की बैठकों में इन वर्गों के उम्मीदवारों के हितों पर ध्यान देने के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के उचित स्तर के अधिकारी को शामिल किया जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए (समान अवसर एवं अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 में अन्तर्विष्ट दिव्यांग व्यक्तियों को पदों/ सेवाओं में आरक्षण देने संबंधी उपबंधों का अनुपालन किया गया। कल्याण स्तर सभी पात्र कर्मचारियों को 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार, एक माह के मूल वेतन + डी.ए. के 25 प्रतिशत के समान एक विशेष ब्याज मुक्त धनराशि अग्रिम दी गई।

कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं सुधार) अधिनियम के अंतर्गत कोई शिकायत नहीं पाई गई। वी आर एस योजना 2016-17 को 31.12.2016 से बंद कर दिया था।

सेवानिवृत्ति लाभों, पेंशन स्कीम के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार आई टी पी ओ के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना को वाणिज्य विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। प्रस्तावित योजना 01.01.2007 से प्रभावी होगी और आई टी पी ओ से अंशदान मूल वेतन + डी. ए. का 7 प्रतिशत की

दर से होगा। पेंशन स्कीम का कार्यान्वयन प्रक्रिया अधीन है।

भारत सरकार की आरक्षण नीति:

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित नियुक्ति/ पदोन्नति के विषय में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया गया।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 9 नियुक्तियां की गईं जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

	अ. जा.	अ. ज. जा.	अ. पि. व.	अनारक्षित	कुल
समूह 'क'	-	-	-	05	05
समूह 'ग'	01	-	01	02	04

वर्ष के दौरान, 154 कर्मचारियों की पदोन्नति की गई। इनमें 27 अनुसूचित जाति, 06 अनुसूचित जनजाति और 09 अन्य पिछड़ा वर्ग के थे। ऐसे मामलों में जिनमें आरक्षित श्रेणी के पात्र कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं, उन पदों को आगे ले जाया गया। कनिष्ठ सहायक के 5 एस. सी. पदों तथा सहायक लेखा के 4 अ. पि. व. पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई।

16. इंजीनियरिंग सेवाएं (वास्तुशिल्पीय, सिविल, विद्युत, ए वी और कंजर्वेंसी तथा स्वच्छता)

इंजीनियरिंग प्रभाग प्रगति मैदान में और आई टी पी ओ द्वारा दिल्ली से बाहर अन्य मेलों में प्रदर्शनियों/ मेलों/ सम्मेलनों के आयोजन के लिए अपेक्षित सभी अवसंरचना सुविधाओं के लिए एक एकल समाधान केंद्र प्रदान करता है और आई टी पी ओ के अलावा अन्य संगठनों द्वारा आयोजित मेलों के लिए सभी स्थल बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है। इंजीनियरिंग प्रभाग की बागवानी को छोड़कर सभी सेवाओं तथा विद्युत के कुछ भाग के लिए, जिनमें आई टी पी ओ की सहायता सी पी डब्ल्यू डी के द्वारा की जाती है, उनका रख-रखाव करने के लिए इंजीनियरों (सिविल और विद्युत) और वास्तुकारों की एक पूर्ण एवं आत्मनिर्भर टीम है।

इंजीनियरी प्रभाग की वास्तुशिल्पीय शाखा ने निम्नलिखित सेवाएं प्रदान कीं

- वास्तुशिल्पीय प्रभाग दिल्ली और अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों में आयोजित की जाने वाली आई टी पी ओ की सभी प्रदर्शनियों के लिए मापक चित्र (ले-आउट प्लान) तैयार करता है। आई टी पी ओ के विदेशी मेलों/ प्रदर्शनियों के लिए भी मापक चित्र/ ड्राईंग तैयार करता है। सभी थर्ड पार्टी प्रदर्शनियों के ले-आउट प्लानों की समीक्षा की जाती है एवं जरूरत पड़ने पर दर्शकों की सुरक्षा को देखते हुए उनमें संशोधन किये जाते हैं। वास्तुकीय दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण किया जाता है।

प्रगति मैदान में विद्यमान अवसंरचना में परिवर्धन/ परिवर्तन

- प्रगति मैदान को एक एकीकृत प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र (आई ई सी सी) बनाने के लिए पुनर्विकास करना।
- प्रगति मैदान, नई दिल्ली के हाल 7 की छतों पर 100 किलोवाट पी वी विद्युत परियोजना की स्थापना करना।
- प्रगति मैदान, नई दिल्ली के स्थायी भवन की मौजूदा लाइटिंग व्यवस्था को ऊर्जा दक्ष लाइटिंग में बदलना।
- दिल्ली जल बोर्ड के राजस्व विभाग से 13.80 करोड़ रु. की बकाया धनराशि का समाधान करना।

17. क्षेत्रीय व्यापार संवर्धन केन्द्र

चेन्नई व्यापार केन्द्र

चेन्नई में एक महत्त्वपूर्ण स्थल नन्दम्बक्कम में 25.8 एकड़ क्षेत्र में इस केन्द्र को बनाया गया है। इस केन्द्र में तीन वातानुकूलित हॉल और एक सम्मेलन केन्द्र है। इन हॉलों का क्षेत्रफल क्रमश: 4400 वर्गमीटर है। इन हॉलों में खम्भों और कॉलमों का उपयोग नहीं किया गया है। इस केन्द्र ने जनवरी, 2001 में कार्य करना शुरू कर दिया था। इस कन्वेंशन सेन्टर में 2000 भागीदार भागीदारी कर सकते हैं तथा इस हॉल को दो बराबर भागों में विभाजित करने का भी प्रावधान है। चेन्नई व्यापार केन्द्र का संचालन तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन द्वारा किया जाता है जो कि आई टी पी ओ और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम का संयुक्त उद्यम है।

वर्ष 2016-17 के दौरान, चेन्नई व्यापार केन्द्र के प्रदर्शनी हॉलों में 108 प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया तथा सम्मेलन केन्द्र में 78 कार्यक्रम आयोजित किए गए। टी एन टी पी ओ को पिछले वर्ष की 42.23 करोड़ रुपये आय की तुलना में इस वर्ष 47.49 करोड़ रुपये की कुल आय हुई। गत वर्ष के (भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निर्धारित (21.56 करोड़ रु.)

अधिशेष की तुलना 'अन्य व्यापक आय' पर विचार करने के बाद में 31.53 करोड़ रु. का अधिशेष प्राप्त हुआ।

टी एन टी पी ओ के बोर्ड ने टी एन टी पी ओ की विस्तार योजना के अंतर्गत 15,708 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले बहु-उद्देश्यीय (प्रदर्शनी/ सम्मेलन) हाल के विनिर्माण का अनुमोदन दिया है। विस्तार करने के बाद 31,063 वर्गमीटर (34.61 एकड़) के कुल क्षेत्रफल में सम्मेलन के लिए 2 हाल और प्रदर्शनी के लिए 4 हाल होंगे। अनुमानित परियोजना लागत 289 करोड़ रुपये तक हो सकती है।

बंगलौर व्यापार केन्द्र

व्हाइटफील्ड, बंगलौर में प्रमुख स्थान पर स्थित यह व्यापार केन्द्र 50 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 5371 वर्ग मीटर क्षेत्र का एक वातानुकूलित हॉल है। प्रदर्शनी हॉल के चारों ओर खुले क्षेत्र में 07 प्रदर्शनी हॉलों का विनिर्माण किया गया जिनमें भारी उपकरणों, मशीनों एवं फूड कोर्ट, व्यापार केन्द्रों की स्थापना की गई। व्यापार केन्द्र का प्रबंधन कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (के टी पी ओ), आई टी पी ओ तथा कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डवलेपमेंट बोर्ड (के आई ए डी बी) के संयुक्त उद्यम द्वारा किया जा रहा है वर्ष 2016-17 के दौरान बंगलौर व्यापार केन्द्र में 35 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। के टी पी ओ को गत वर्ष के 7.99 करोड़ रु. की तुलना में 8 करोड़ रु. की कुल आय हुई। गत वर्ष में 7.76 करोड़ रु. (भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निर्धारित) की तुलना में निवल अधिशेष बंगलौर मेट्रो के लिए भूमि की बिक्री पर लाभ सहित 53.16 करोड़ रु. और 'अन्य व्यापक आय' को विचार करने के बाद निवल अधिशेष 50.76 करोड़ रु. है।

बोर्ड ने के टी पी ओ की विस्तार योजना के तहत 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक बहु-उद्देश्यीय (सम्मेलन/ प्रदर्शनी) हाल के विनिर्माण का अनुमोदन किया है। विस्तार के बाद सम्मेलन और प्रदर्शनी के लिए 2 हाल होंगे, जिनका कुल क्षेत्रफल 11,871 वर्गमीटर होगा। अनुमानित परियोजना लागत 40 करोड़ रु. तक हो सकती है।

18. राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

आई टी पी ओ में भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है जिसकी बैठकें नियमित रूप से होती हैं। संसदीय राजभाषा समिति, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद तथा वाणिज्य विभाग के हिन्दी अनुभाग से प्राप्त होने वाले निर्देशों का आई टी पी ओ में उचित रूप से अनुपालन किया जाता है।

कार्यालय का सरकारी कामकाज राजभाषा हिन्दी में करने का वातावरण बनाने हेतु प्रतिवर्ष कार्यालय में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के अलावा आई टी पी ओ ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), (दिल्ली) तथा वाणिज्य विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भी भाग लिया। आई टी पी ओ की कारपोरेट वेब-साइट www.indiatradefair.com द्विभाषी रूप में बनाई गई है तथा उसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

दैनिक सरकारी कार्य में राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये हिन्दी नोटिंग-ड्राफ्टिंग, हिन्दी अनुवाद, हिन्दी वर्तनी शोधन और हिन्दी निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं जिनमें विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र दिये गये। इनके अतिरिक्त प्रत्येक प्रतिभागी को प्रोत्साहन के रूप में श्री कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई पुस्तक (हिन्दी उपन्यास) दी गई। इसी प्रकार आई टी पी ओ के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुवाद और टिप्पण व आलेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। आई टी पी ओ के दैनिक फाइल कार्यों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना पहले से ही चलाई जा रही है।

हिन्दी मासिक 'उद्योग व्यापार पत्रिका' के नियमित प्रकाशन के अलावा, व्यापारी दर्शक मार्गदर्शिका, आईआईटीएफ 2016 की सामान्य जानकारी, प्रगति मैदान में आयोजित विभिन्न प्रदर्शनियों के मोबिलाइजेशन फोल्डर, मेला/ प्रदर्शनियों का कैलेण्डर, वार्षिक रिपोर्ट 2015-16, आई टी पी ओ और वाणिज्य विभाग के मध्य हुए समझौता ज्ञापन को हिन्दी में भी प्रकाशित किया गया।

19. सुरक्षा

सुरक्षा प्रभाग ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, आई आई टी एफ 2016 और अन्य मेलों के आयोजन के दौरान आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं, फायर फाइटिंग व्यवस्थाएं और पार्किंग

व्यवस्थाएं की थी। सुरक्षा प्रभाग ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान थर्ड पार्टी मेला आयोजकों द्वारा की गई विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी निगरानी की। सुरक्षा प्रभाग ने सुरक्षा कार्मिकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम जुलाई 2016 से शुरू किए। सुरक्षा प्रभाग के अधिकारियों ने सुरक्षा कर्मचारियों के लिए मानव और सामग्री की सुरक्षा, सॉफ्ट स्किल, अग्नि सुरक्षा प्रबंध आदि से संबंधित विभिन्न विषयों पर सप्ताह में 2 बार प्रशिक्षण दिया गया।

सुरक्षा प्रभाग के द्वारा आई टी पी ओ के कर्मचारियों के लिए 7 अक्तूबर 2016 को 'अग्नि की बुनियादी बातें और वार्डन प्रशिक्षण' कार्यक्रम चलाया। इसमें आई टी पी ओ के 81 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रयोक्ता अनुकूल और गड़बड़ी मुक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्य सभी आयोजकों (थर्ड पार्टी) के साथ सुरक्षा बैठकें आयोजित की गईं। प्रगति मैदान के भीतर मानव, सामग्री और वाहन के प्रवेश के लिए तथा अन्य मेलों के दौरान एवं आई टी पी ओ के दूसरे प्रमुख मेलों के दौरान विभिन्न गेटों के सुचारु संचालन के बारे में पालन किए जाने वाले स्पष्ट और सुनिश्चित दिशा-निर्देश/ नियम उपलब्ध कराने के लिए आई टी पी ओ के सभी प्रभागों तथा सभी स्टेक होल्डरों के सुझावों और चिंताओं को शामिल करते हुए सुरक्षा प्रभाग के द्वारा एक विस्तृत एस ओ पी (मानक प्रचालन प्रक्रिया) तैयार की गई थी।

सुरक्षा प्रभाग ने आई टी पी ओ के मेलों के दौरान तथा अन्य मेलों के दौरान उत्तम सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निजी सुरक्षा एजेंसियों और अग्नि सुरक्षा एजेंसियों का पैनल तैयार किया है।

20. सतर्कता

सतर्कता विभाग आई टी पी ओ के सामान्य प्रशासन तथा विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा बनाए रखने में सहायता करता है। आई टी पी ओ कर्मचारी (सीडीए) नियमावली के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाहियों/ मामलों की जांच करने के अलावा, सतर्कता विभाग आई टी पी ओ के क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण करता है तथा प्रदर्शनी परिसर और कार्यालय परिसर का औचक निरीक्षण करता है। इनके अलावा, पदोन्नतियों, विदेश प्रतिनियुक्तियों और सेवानिवृत्ति आदि के बारे में कर्मचारियों को सतर्कता क्लीयरेंस दी जाती है तथा वार्षिक सम्पत्ति विवरणों की संवीक्षा करता है। सतर्कता विभाग मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रिटर्नों और रिपोर्टों को वाणिज्य विभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सीबीआई को प्रस्तुत करता है। दैनिक सरकारी कार्यों एवं जनता के साथ कार्यवाही में नैतिकता एवं पारदर्शिता के महत्त्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु आई टी पी ओ के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया।

21. अनुषंगी और सहायक कम्पनियां

आई टी पी ओ की अपनी दो अनुषंगी कंपनियों- तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन और कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन में 51-51 प्रतिशत इक्विटी है। इनके अलावा आई टी पी ओ और राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी), भारत सरकार द्वारा प्रगति मैदान में संयुक्त रूप से 50:50 की भागीदारी से राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र (एन सी टी आई) स्थापित किया गया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में अनुषंगी/ सहायक कम्पनी/ संयुक्त उद्यम कम्पनियों के वित्तीय विवरण की विशेषताएं विवरण में हैं जो इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग हैं (अनुबंध- I)।

22. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उप धारा (3) में प्रदत्त वार्षिकी का सार इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है (अनुबंध II)।

23. सावधि जमा, ऋण पर निवेश और गारंटी

वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 73 और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत जनता से कोई जमा धनराशियां स्वीकार नहीं की हैं।

24. सम्बन्धित पार्टियों से लेन-देन

सूचना देने हेतु ऐसा कोई संगत पक्षकार लेन-देन नहीं हुआ।

25. लेखा परीक्षक

भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी ऐण्ड ए जी) ने मैसर्स ग्रोवर, लाला ऐण्ड मेहता, चार्टरित लेखाकार, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आई टी पी ओ का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

26. सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उठाये गये बिन्दुओं में से प्रत्येक

बिन्दु के बारे में बोर्ड के उत्तर इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है। (अनुबंध-III)

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के वार्षिक लेखे के बारे में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है। (अनुबंध-IV और V)

27. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

बोर्ड ने कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, हेराफेरी और चूक की रोकथाम एवं पता लगाने, लेखांकन रिकार्ड की सटीकता और पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय प्रकटनों को समय पर तैयार करने सहित इसके कारोबार का उचित और सक्षम प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं अपनाई हैं। आई एस आर एस लेखा परीक्षा की गई है और बोर्ड को सूचित कर दिया गया है।

28. कारपोरेट गवर्नेंस

निदेशक मण्डल, ऑडिट कमेटी और पारिश्रमिक कमेटी का गठन कारपोरेट गवर्नेंस से संबंधित सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। निर्धारित अन्तराल पर बोर्ड और आडिट कमेटी दोनों की बैठकें नियमित रूप से की गयी।

वर्ष 2016-17 के दौरान, सार्वजनिक उद्यम विभाग के कारपोरेट गवर्नेंस से संबंधित दिशा-निर्देशों का आई टी पी ओ द्वारा अनुपालन किये जाने के बारे में निर्धारित समय में वाणिज्य विभाग को वार्षिक रिपोर्ट भेजी गई हैं जिससे 'उत्कृष्ट' ग्रेड पाने के लिए निर्धारित 97.85% के वार्षिक औसत प्रो-रेटा स्कोर की सूचना दी गई है, जिसकी एक विस्तृत रिपोर्ट संलग्न की गई है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है। (अनुबंध-VI एवं VII)

29. जोखिम प्रबन्धन

आपकी कम्पनी अपने संचालनों से सम्बन्धित जोखिमों का नियमित रूप से विश्लेषण करती है तथा ज्ञात जोखिमों से निपटने हेतु बीमा और अन्य आदि उपाय किये जाते हैं।

30. सूचना का अधिकार (आर टी आई)

आई टी पी ओ के प्रशासन प्रभाग के अधीन कार्यरत आर टी आई सैल अत्यधिक सक्रिय है और यह सुनिश्चित करता है कि आर टी आई के अधीन प्राप्त हुए सभी आवेदन पत्रों/ अपीलों का निपटान किया जाता है। आर टी आई सैल में अप्रैल 2016 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान 123 आवेदन पत्र और 08 अपीलें प्राप्त हुई थीं।

31. आचार संहिता

आई टी पी ओ ने अपने निदेशक मण्डल तथा वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों के लिए आचार संहिता बनाई है। इसके अनुपालन की पुष्टि सभी संबंधित व्यक्तियों से वार्षिक आधार पर ली जाती है। निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन कर्मिकों ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनुपालन की पुष्टि कर दी है। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा इस रिपोर्ट के साथ में दी गयी है। (अनुबंध-VIII)

32. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सी एस आर और संपोषण में क्षमता निर्माण, समुदायों के सशक्तीकरण, समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित संरक्षण और ऊर्जा क्षम प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने तथा समाज के उपेक्षित और कमजोर तबके के लोगों का उत्थान करने पर बल दिया गया है।

आई टी पी ओ लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी सी एस आर और संपोषण दिशा-निर्देशों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बने नियमों का सख्ती से अनुपालन कर रहा है। सी एस आर पहलों/ कार्याकलापों को तदनुसार अनुमोदन/ निगरानी से कार्यान्वित किया जाता है। आई टी पी ओ की सी एस आर पहलों के बारे में विस्तृत नीति http://www.indiatradefair.com.csr.php पर उपलब्ध है। आई टी पी ओ द्वारा सी एस आर से संबंधित पहलों का पूर्ण विवरण अनुबंध-IX में दिया गया है।

33. प्रबन्धन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबन्धन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट अलग से इस रिपोर्ट के साथ (अनुबंध-X) में संलग्न की गई है और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

34. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अपनाना, विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

(क) ऊर्जा संरक्षण :

कम्पनी के कार्यकलापों के लिए ऊर्जा की निरन्तर खपत नहीं होती, तथापि ऊर्जा संरक्षण के लिये लाइटों, पंखों, एअर कंडीशनरों आदि के सीमित प्रयोग जैसे आवश्यक उपायों को लागू किया जा चुका है।

(ख) प्रौद्योगिकी अपनाना

कम्पनी ने किसी भी स्रोत से किसी भी प्रौद्योगिकी को नहीं अपनाया है। आई टी पी ओ सेवा क्षेत्र में कार्यरत है तथा कम्पनी व्यापार संवर्धन संगठन होने के कारण देश की निर्यात संबंधी गतिविधियां बढ़ाने के हर सम्भव उपाय कर रही है।

(ग) विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

	चालू वर्ष (2016-17) (करोड़ रु. में)	गत वर्ष (2015-16) (करोड़ रु. में)
आय	11.44	13.55
व्यय	22.06	20.09

35. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) में यथानिर्दिष्ट है, निदेशकों द्वारा निदेशक उत्तरदायित्व विवरण का समर्थन किया गया है तथा निम्नलिखित मामलों की पुष्टि करते हैं :-

I. वार्षिक लेखे तैयार करने में वास्तविक सारभूत परिवर्तनों से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण सहित लागू गणना मानकों को अपनाया गया है।

II. निदेशकों ने गणना की ऐसी नीतियां चुनी हैं और उन्हें सुसंगत ढंग से लागू किया है तथा ऐसे आकलन किये हैं जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हैं और इस कम्पनी के बारे में वित्तीय वर्ष और उसी अवधि में कम्पनी के व्यय से अधिक आय का सही तथा उचित विवरण प्रस्तुत करते हैं।

III. निदेशकों ने कम्पनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने, गबन एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त गणना रिकार्ड रखे हैं।

IV. निदेशकों ने प्रचलित आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किये हैं।

V. निदेशकों ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विनिर्दिष्ट किए हैं जिनका कंपनी द्वारा अनुसरण किया जा रहा है और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का पर्याप्त और अधिक प्रभावी ढंग से प्रचालन किया जा रहा है।

VI. निदेशकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली विकसित की है कि सभी लागू कानूनों का अनुपालन हो रहा है और यह कि ऐसी प्रणाली का पर्याप्त और प्रभावी कारगर प्रचालन हो रहा है।

36. आभार

हम केन्द्र सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों, विशेषत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के निरंतर मार्गदर्शन और सहायता के लिए उनके आभारी हैं। निदेशक मण्डल दिल्ली विकास प्राधिकरण, राज्य सरकारों, सार्वजनिक उद्यमों, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और अन्य एजेंसियों तथा व्यक्तियों के प्रति भी आई टी पी ओ को दिये गये उनके तत्पर सहयोग के लिए उनका आभार प्रकट करता है। निदेशक मण्डल भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, लोक उद्यम विभाग और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिये गये बहुमूल्य सहयोग के लिए भी उनके आभारी हैं।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

ह./-

(एल सी गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन नं. 02389348

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.08.2017

अनुबंध-I

फार्म ए ओ सी - 1

(कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा (3) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में)

अनुषंगी कंपनियों/ सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित विवरण

भाग 'क' अनुषंगी कंपनी

(प्रत्येक अनुषंगी कंपनी के संबंध में सूचना रुपए धनराशि में प्रस्तुत की जाए)

क्र. सं.	विवरण	विवरण	
1.	दिनांक 31.03.2017 की स्थिति अनुसार अनुषंगी कंपनी का नाम	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
2.	तारीख जब से अनुषंगी कम्पनी को प्राप्त किया	17.11.2000	06.12.2000
3.	यदि संबंधित अनुषंगी कंपनी के लिए रिपोर्ट की अवधि धारित कंपनी की रिपोर्ट की अवधि से अलग है	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	यदि विदेशी अनुषंगी कंपनी है तो संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति अनुसार रिपोर्ट की मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	शेयर पूंजी	रु. 1,00,000/-	रु. 20,00,00,000/-
6.	आरक्षित एवं अधिशेष	रु. 2,14,59,11,281/-	रु. 1,04,81,85,810/-
7.	कुल परिसंपत्तियां	रु. 2,25,63,61,578/-	रु. 1,27,65,37,740/-
8.	कुल देनदारियां	रु. 11,03,50,297/-	रु. 2,83,51,930/-
9.	निवेश	-	-
10.	कारोबार (टर्न ओवर)	रु. 37,18,36,662/-	रु. 3,66,25,786/-
11.	कराधान से पूर्व लाभ	रु. 31,53,35,091/-	रु. 53,16,34,879/-
12.	कराधान के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
13.	कराधान के बाद लाभ	रु. 31,53,35,091/-	रु. 53,16,34,879/-
14.	प्रस्तावित लाभांश	लागू नहीं (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत लाभांश की घोषणा पर प्रतिबंध है।	लागू नहीं (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत लाभांश की घोषणा पर प्रतिबंध है।
15.	शेयरधारिता का प्रतिशत	51%	51%

टिप्पणियां : विवरण के अंत में निम्नलिखित सूचना दी जाएगी :

1. जिन अनुषंगी कंपनियों द्वारा प्रचालन अभी शुरू किया जाना है, उनके नाम।
2. जिन अनुषंगी कंपनियों को वर्ष के दौरान परिसमाप्त/ बेचा जा चुका है, उनके नाम।

फार्म 'ख' : सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियां

सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसरण में विवरण

सहयोगी/ संयुक्त उद्यम कंपनियों का नाम	नाम 1	नाम 2	नाम 3
नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तारीख: 31 मार्च, 2016	राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र		
वह तारीख जिसको सहयोगी/ संयुक्त उद्यम कम्पनी जुड़ी अथवा प्राप्त की गई थी	31.03.1995		
वर्ष के अंत में कंपनी की सहयोगी/ संयुक्त उद्यम कंपनियों के शेयर			
संख्या	2,00,000		
सहयोगी/ संयुक्त कंपनियों में निवेश की धनराशि	रु. 2,00,00,000/-		
धारिता %	50%		
यह विवरण कि महत्त्वपूर्ण प्रभाव कैसे है	आई टी पी ओ के पास 50% शेयर पूंजी होने के कारण महत्त्वपूर्ण प्रभाव है		
कारण बताएं कि क्यों सहयोगी/ संयुक्त उद्यम कंपनियां समेकित नहीं हैं	भारतीय लेखांकन मानक - 28		
लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार नवीनतम शेयर धारिता के कारण कुल कारोबार धनराशि	रु. 1,66,11,043		
वर्ष के लिए लाभ/ हानि			
समेकित रूप से मानी गई	रु. 1,46,057		
समेकित रूप से नहीं मानी गई	रु. 1,46,057		

1. जिन सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा अभी प्रचालन शुरू किया जाना है, उनके नाम।
2. जिन सहयोगी अथवा संयुक्त उद्यम कंपनियों को वर्ष के दौरान परिसमाप्त अथवा बेचा जा चुका है, उनके नाम।

टिप्पणी : इस फार्म को उसी तरह से प्रमाणित किया जाना है, जिस तरह तुलन पत्र प्रमाणित की जानी है।

हस्ता./-	हस्ता./-	हस्ता./-
(एस. आर. साहू)	(डी. एम. शर्मा)	(एल. सी. गोयल)
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुबंध-II

फार्म सं. एम जी टी - 9

वार्षिक विवरणी से उद्धृत

31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में,

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

i)	सी आई एन	यू 74899 डीएल 1976 एनपीएल 008453
ii)	पंजीकरण की तारीख	30/12/1976
iii)	कम्पनी का नाम	इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
iv)	कम्पनी की श्रेणी/ उप श्रेणी	मिनी - रत्न श्रेणी-1
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और सम्पर्क का विवरण	प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली - 110001 दूरभाष : 91-11-23371540 (ईपीएबीएक्स) फैक्स : 91-11-23371492, 23371493 ई-मेल : info@itpo.gov.in
vi)	क्या सूचीबद्ध कम्पनी है	हां/ नहीं
vii)	पंजीयक एवं अंतरण एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता ओर सम्पर्क का विवरण	लागू नहीं

II. कम्पनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां

कम्पनी के कुल कारोबार में 10 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी कारोबारी गतिविधियां इस प्रकार होंगी :

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/ सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/ सेवा का एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल कारोबार का %
1	भारत के व्यापार संवर्धन के लिए मेलों/ प्रदर्शनियों का आयोजन	-	100%
2	-	-	-
3	-	-	-

III. होल्डिंग, अनुषंगी और एसोसिएट कम्पनियों के विवरण

क्र. सं.	कम्पनी का नाम व पता	सीआईएन/ जीआईएन	होल्डिंग/ अनुषंगी/ एसोसिएट	धारित शेयर का %	लागू धारा
1	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन सीटीसी काम्प्लेक्स, नंदमबक्कम चेन्नई 600089	यू91120टीएन2000एनपीएल046140	अनुषंगी	51%	धारा 25 अब धारा 8
2	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन प्लाट नं. 121, रोड, नं. 5, ईपीआईपी, द्वितीय फेस, व्हाइट फील्ड इंडस्ट्रियल एरिया, बंगलुरू-560066	यू92490केए2000एनपीएल028238	अनुषंगी	51%	धारा 25 अब धारा 8
3	राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र हॉल # 19, प्रगति मैदान, नई दिल्ली 110001	यू74899डीएल1995एनपीएल067008	एसोसिएट	50%	धारा 25 अब धारा 8

IV. शेयर धारित पद्धति (कुल इक्विटी में % के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

(i) श्रेणी-वार शेयर धारिता

शेयर धारकों की श्रेणी	कार्य के प्रारंभ में धारिता शेयरों की संख्या	कार्य के अंत में धारिता शेयरों की संख्या	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
क. प्रोमोटर (1) भारतीय	–	–	–
(क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	–	–	–
(ख) केन्द्र सरकार • भारत के राष्ट्रपति (24998) • वाणिज्य सचिव,(वाणिज्य विभाग (1) • सीएमडी, आई टी पी ओ (1)	25,000/-	25,000/-	0%
(ग) राज्य सरकारें	–	–	–
(घ) निकाय निगम	–	–	–
(ङ) बैंक/ वित्तीय संस्थान	–	–	–
(च) कोई अन्य	–	–	–
उप-जोड़ (क) (1) :-	25,000/-	25,000/-	0%
(2) विदेशी	–	–	–
(क) एनआरआई - व्यक्तिगत	–	–	–
(ख) अन्य - व्यक्तिगत	–	–	–
(ग) निकाय निगम	–	–	–

(घ) बैंक/ वित्तीय संस्थान	–	–	–
(ङ) कोई अन्य	–	–	–
उप-जोड़ (क) (2) :-	–	–	–
प्रोमोटर की कुल शेयर धारिता (क) = (क)(1) + (क)(2)	25,000/-	25,000/-	0%
ख. सार्वजनिक शेयर धारिता 1. संस्थान	–	–	–
(क) म्युचुअल फंड	–	–	–
(ख) बैंक/ वित्तीय संस्थान	–	–	–
(ग) केन्द्रीय सरकार	–	–	–
(घ) राज्य सरकारें	–	–	–
(ङ) उद्यम पूंजी निधि	–	–	–
(च) उद्यम पूंजी निधि	–	–	–
(छ) बीमा कम्पनियां	–	–	–
(ज) एफएलएल	–	–	–
(झ) विदेशी उद्यम पूंजीगत निधियां	–	–	–
(ञ) अन्य (स्पष्ट करें)	–	–	–
उप-जोड़ (ख) (1) :-	–	–	–
2. गैर संस्थान (क) निकाय निगम	–	–	–
i) भारतीय	–	–	–
ii) विदेशी	–	–	–
(ख) व्यक्तिगत	–	–	–
i) 1 लाख रु. तक की सामान्य शेयर पूंजी वाले व्यक्तिगत शेयर धारक	–	–	–
ii) 1 लाख रु. से अधिक की सामान्य शेयर पूंजी वाले व्यक्तिगत शेयर धारक	–	–	–
(ग) अन्य (स्पष्ट करें)	–	–	–
उप-जोड़ (ख) (2) :-	–	–	–
दर्शकों की कुल शेयर धारित (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)	–	–	–
(ग) जीडीआर और एडीआर के लिए धारक के पास रखे शेयर	–	–	–
सकल योग (क+ख+ग)	25,000/-	25,000/-	0%

(ii) प्रोमोटर की शेयर धारिता

क्र.सं.	शेयरहोल्डर का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारिता			वर्ष के अंत में शेयर धारित			
		शेयरों की सं.	कम्पनी के शेयर की कुल %	कुल शेयरों में बंधक/ प्रतिबंधक शेयर का %	शेयरों की सं.	कम्पनी के शेयर की कुल %	कुल शेयरों में बंधक/ प्रतिबंधक शेयर का %	वर्ष के दौरान धारित शेयरों में परिवर्तन का %
1	भारत के राष्ट्रपति	24998	99.98%	नहीं	24998	99.98%	नहीं	0%
2	वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग	1	0.01%	नहीं	1	0.01%	नहीं	0%
3	सीएमडी, आई टी पी ओ	1	0.01%	नहीं	1	0.01%	नहीं	0%
	कुल	25,000	100%	नहीं	25,000	100%	नहीं	0%

(iii) प्रोमोटर की शेयर धारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो स्पष्ट करें)

क्र.सं.		वर्ष के आरंभ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयर धारिता	
		शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयर का %	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयर का %
1.	वर्ष के आरंभ में	लागू नहीं	–	लागू नहीं	–
2.	वर्ष के दौरान प्रोमोटरों की शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि/ कमी जिसमें वृद्धि/ कमी के कारण बताएं (अर्थात आवंटन/ अंतरण) बोनस/ स्वीट	–	–	–	–
3.	वर्ष के अंत में	लागू नहीं	–	लागू नहीं	–

(iv) सर्वाधिक दस शेयरधारकों की शेयरधारिता पद्धति (निदेशकों और प्रोमोटरों और जीडीआर व एडीआर के धारकों के अलावा) :

क्र.सं.		वर्ष के आरंभ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयर धारिता	
	10 सर्वाधिक शेयरधारिकों में प्रत्येक के लिए	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयर का %	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयर का %
1.	वर्ष के आरंभ में	लागू नहीं	–	लागू नहीं	–
2.	वर्ष के दौरान प्रोमोटरों की शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि/ कमी जिसमें वृद्धि/ कमी के कारण बताएं (अर्थात आवंटन/ अंतरण) बोनस/ स्वीट	–	–	–	–
3.	वर्ष के अंत में (अथवा पृथक होने की तारीख को, यदि वर्ष के दौरान अलग हुए हैं)	लागू नहीं	–	लागू नहीं	–

(v) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता

क्र.सं.		वर्ष के आरंभ में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयर धारिता	
	प्रत्येक निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयर का %	शेयरों की सं.	कम्पनी के कुल शेयर का %
1.	वर्ष के आरंभ में	सीएमडी, आई टी पी ओ (1)	.01%	सीएमडी, आई टी पी ओ (1)	.0%
2.	वर्ष के दौरान प्रोमोटरों की शेयरधारिता में तिथि-वार वृद्धि/ कमी जिसमें वृद्धि/ कमी के कारण बताएं (अर्थात आवंटन/ अंतरण) बोनस/ स्वीट	शून्य	–	शून्य	–
3.	वर्ष के अंत में	सीएमडी, आई टी पी ओ (1)	.01%	सीएमडी, आई टी पी ओ (1)	.01%

V. देनदारी

कम्पनी की देनदारी, जिसमें बकाया/ जमा ब्याज शामिल है लेकिन भुगतान करने के लिए बकाया नहीं हैं।

	जमा धनराशियों को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा धनराशियां	कुल देनदारियां
वित्तीय वर्ष के आरंभ में देनदारी (i) मूल धनराशि	शून्य	शून्य	–	शून्य
(ii) ब्याज बकाया लेकिन भुगतान नहीं किया गया	–	–	–	–
(iii) ब्याज शामिल लेकिन देय नहीं	लागू नहीं			लागू नहीं
कुल (i+ ii+iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान देनदारी में परिवर्तन				
वृद्धि				
कमी				
निवल परिवर्तन				
वित्त वर्ष के अंत में देनदारी (i) मूल धनराशि				
(ii) ब्याज बकाया लेकिन भुगतान नहीं किया गया				
(iii) ब्याज शामिल लेकिन देय नहीं				
कुल (i +ii+iii)				

VI. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/ अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशक/ प्रबंधक का नाम				कुल राशि
		सीएमडी	ईडी	–	–	
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के तहत वेतन	रु. 25,95,608/–	रु.25,48,879/–			रु.51,44,487/–
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के तहत परिलब्धियां	रु. 4,28,683/–	रु. 3,02,373/–	–	–	रु.7,31,056/–

	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के तहत	–	–	–	–	–
2.	स्टाक का विकल्प	–	–	–	–	–
3.	स्वीट इक्विटी	–	–	–	–	–
4.	कमीशन – लाभ के रूप में % – अन्य, स्पष्ट करें	–	–	–	–	–
5.	अन्य कृपया स्पष्ट करें	–	–	–	–	–
	कुल (क)	30,24,291/–	28,51,252/–			58,75,543/–
	अधिनियम के तहत अधिकतम सीमा					

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम	कुल राशि
1.	स्वतंत्र निदेशक बोर्ड/ समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए शुल्क	श्री पी. एन. विजय रु. 10,000/20,000/– प्रत्येक बैठक	रु. 1,10,000/–
	कमीशन	–	–
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	–	–
	कुल (1)	रु. 1,10,000/–	रु. 1,10,000/–
2.	अन्य गैर – कार्यकारी निदेशक बोर्ड/ समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए शुल्क	शून्य	शून्य
	कमीशन		
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें		
	कुल (2)	शून्य	शून्य
	कुल (ख) = (1 + 2)	शून्य	शून्य
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	रु. 1,10,000/–	रु. 1,10,000/–
	अधिनियम के तहत अधिकतम सीमा		

ग. प्रबंध निदेशक/ प्रबंधक/ पूर्णकालिक निदेशक के अलावा अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ	कम्पनी सचिव	सीएफओ	कुल
1	सकल आय				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के तहत आय	लागू नही	15,81,861/-	17,98,401/-	33,80,262/-
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत परिलब्धियों का मूल्य	-	12,341/-	18,736/-	31,077/-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-
3	स्वीट इक्विटी	-	-	-	-
4	कमीशन - लाभ प्रतिशत के रूप में - अन्य, स्पष्ट करें	-	-	-	-
5	अन्य कृपया स्पष्ट करें	-	-	-	-
	कुल	-	15,94,202/-	18,17,137/-	34,11,339/-

VII. जुर्माना/ दंड/ मिश्रित क्षति

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए जुर्माने/ दंड/ मिश्रित शुल्क के विवरण	प्राधिकारी (आरडी/ एनसीएलटी/ कोर्ट)	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कम्पनी					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
मिश्रित	-	-	-	-	-
ख. निदेशक					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
मिश्रित	-	-	-	-	-
ग. अन्य अधिकारियों की चूक					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
मिश्रित	-	-	-	-	-

अनुबंध-III

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

'इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन' (आई टी पी ओ), नई दिल्ली के सदस्यों को

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण से संबंधित पृथक रिपोर्ट

हमने इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन ('कम्पनी') के पृथक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा कर ली है जिसमें 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष का तुलन-पत्र, आय और व्यय (अन्य व्यापक आय शामिल हैं) का विवरण, उस वर्ष का कैश-फ्लो विवरण और इक्विटी में बदलाव संबंधी विवरण एवं विशिष्ट गणना नीति का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है, जिसे इसके बाद में पृथक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण कहा है।

पृथक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के संबंध में प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

कम्पनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के अंतर्गत ऐसे पृथक वित्तीय भारतीय लेखांकन मानक विवरण तैयार करना है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं कैश-फ्लो और इक्विटी में बदलाव संबंधी विवरण का सत्य एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं और कम्पनी (लेखा) नियमावली के अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानक सहित भारत के सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं।

इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की परिसंपत्तियों की संरक्षा और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; तर्कसंगत और विवेक सम्मत निर्णय और आकलन करना; तथा पृथक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण तैयार करने संबंधी डिजाइन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रबन्ध प्रस्तुतीकरण शामिल हैं जो सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करें जो भौतिक गलतबयानी से मुक्त हों। चाहे वह धोखाधड़ी या गलती से ही क्यों न हुए हों।

प्रबंधन के उत्तर

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारे द्वारा किये गए लेखा परीक्षण के आधार पर पृथक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के विषय में अपना विचार प्रकट करना है। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों तथा ऐसे मामलों को ध्यान में रखा है, जो अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों के तहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने आवश्यक है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा से संबंधित मानकों के अनुसार पृथक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। ऐसे मानकों की अपेक्षाएं हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा वित्तीय विवरण के विषय में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादन करें कि क्या वित्तीय विवरण असत्य विवरण तो नहीं है।

लेखा परीक्षा में धनराशि पृथक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण से सम्बन्धित घोषणा के विषय में लेखा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल हैं। प्रक्रिया चुनना भारतीय मानक लेखा वित्तीय विवरणों की गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या चूक के कारण हो, के जोखिम का आकलन करने सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर है। जोखिम का आकलन करने में लेखा परीक्षक कम्पनी के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं उसको उचित रूप से प्रस्तुत करने में आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है जो परिस्थितियों में लेखा परीक्षण प्रक्रिया उचित हो लेकिन इस बात पर राय व्यक्त करने के प्रयोजन से नहीं कि कम्पनी के पास ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता तथा वित्तीय सूचनाओं पर कोई पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। लेखा परीक्षण में लेखा गणना नीति का उचित कीमतांकन करना एवं कम्पनी के निदेशकों द्वारा किये गए लेखा अनुमान का उचित एवं पृथक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण का सम्पूर्ण प्रस्तुतिकरण करना है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गए लेखा साक्ष्य पृथक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों से संबंधित योग्य राय के अध्याधीन हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है जो निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता पर निर्भर है।

योग्य राय के लिए आधार

(i) कम्पनी ने कार्य निष्पादन सम्बन्धी वेतन (पीआरपी) हेतु वर्ष के दौरान 184.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। (संचित आधार पर 31.3.2017 के लिए 3264.00 लाख रुपये) और 31.03.2017 तक 1569.92 लाख रुपये कम्पनी ने कर्मचारियों को भुगतान करने, दीर्घावधिक ऋण एवं अग्रिम के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा योजना को अनुमोदित किए बिना जारी किए जैसा कि टिप्पणी 22 में उल्लिखित है। तदनुसार, वर्ष के दौरान व्यय से अधिक आय 184.00 लाख रुपये कम दिखाई और आरक्षित व अधिशेष धनराशि 3264.00 लाख रुपए कम दर्शाई गई और वर्तमान देनदारी शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान 3264.00 लाख रुपए अधिक दिखाया गया।

वास्तविक विवरण। वित्तीय विवरण कृपया टिप्पणी संख्या 22 का अवलोकन करें।

(ii) आकस्मिक देनदारी में 1022.45 लाख रु. का एक सेवा कर मांग व कारण बताओ नोटिस शामिल है, जिसमें से सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा पारित आदेश के लिए 881.31 लाख रु. का वर्ष 2014-15 के दौरान भुगतान किया जा चुका है और शेष 141.14 लाख रु. की धनराशि भुगतान की जानी है, जैसा कि टिप्पणी सं. 35 में स्पष्ट किया गया है। हमारी राय में भारतीय लेखांकन मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिकता देनदारी और आकस्मिक परिसंपत्तियां' के अनुसार 881.31 लाख रु. का प्रावधान नहीं किया गया। तदनुसार, व्यय से अधिक आय बताई गई है और आरक्षित व अधिशेष राशि इस धनराशि के कारण अधिक हो गई है और वर्तमान देनदारी के तहत अल्पकालिक प्रावधान इसी धनराशि के कारण कम दर्शाया गया है।

सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आयुक्त के आदेश के अंतर्गत 75% जुर्माने तथा ब्याज लगाने से छूट प्राप्त करने के लिए कम्पनी ने वर्ष 2014-15 में नियत तिथि तक 881.31 लाख रुपये की मांग की, असहमति के साथ भुगतान कर दिया है। साथ ही कम्पनी ने मांग का विरोध करते हुए आदेश के खिलाफ सी ई एस टी ए टी के समक्ष अपील दाखिल की। चूंकि कम्पनी ने मांग को स्वीकार नहीं किया। सामान्य और स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार आकस्मिक देनदारी प्रदान की है और टिप्पणी संख्या 33 (क) में प्रकट आंकडों में शामिल की गयी है।

इस संबंध में स्थिति को वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 35 में समुचित रूप से स्पष्ट किया गया है।

उपरोक्त अनुच्छेद (i) से (ii) में उल्लिखित योग्यता की निवल प्रभाव स्वरूप वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय का 697.31 लाख रु. का अधिक विवरण, वर्तमान देनदारी और प्रावधान के लिए 2381.69 लाख रु. का अधिक विवरण 31 मार्च, 2017 को 2382.69 लाख रु. अधिक का आरक्षित और अधिशेष है, जिसका योग्य राय के आधार पर ऊपर उल्लेख किया जा चुका है।

योग्य राय

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण, उपर्युक्त योग्य राय अनुच्छेद के लिए दिए गए विवरण के प्रभाव को छोड़कर, उपरोक्त पृथक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार दिए गए हैं जो भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कम्पनी के कार्यों का दिनांक 31 मार्च, 2017 और व्यय से अधिक आय (अन्य विस्तृत आय सहित वित्तीय निष्पादन) बदलाव तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के कैश-फ्लो का एक सच्चा और सत्य दृश्य प्रकट करते हैं।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत है।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (5) के अनुसार जांच किए जाने वाले क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए अनुदेश जारी किए हैं, जिनका अनुपालन 'अनुबंध - क' में दिया गया है।
3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षाओं के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(क) हमने योग्य राय के आधार पर उल्लिखित मदों को छोड़कर सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में कानूनन अपेक्षित लेखा बहियों का समुचित रख-रखाव किया गया है, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) तुलन पत्र, आय और व्यय का विवरण, कैश-फ्लो विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण इस रिपोर्ट का भाग है, जो लेखा बहियों से मेल खाता है।

(घ) हमारी राय में उपरोक्त पृथक वित्तीय कम्पनी (लेखा) नियमावली के संगत नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के साथ भारतीय लेखांकन मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक देनदारी और आकस्मिक परिसम्पतियां' के अलावा मेल खाते हैं, जैसा कि योग्य राय के आधार के अनुच्छेद (ii) में उल्लेख किया गया है।

(ङ) योग्य राय के लिए आधार के उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित मामला हमारी राय में कम्पनी की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

(च) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) और अधिसूचना की धारा 164(2) निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में है जो कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनीय प्रभावकारिता के संबंध में हमारी पृथक रिपोर्ट 'अनुबंध-ख' में दी गई है।

(ज) कम्पनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) संशोधन नियमावली, 2017 के साथ पठित कम्पनी और (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार है :-

(i) कम्पनी ने वित्तीय विवरणों के नोट 33 में स्पष्ट की गई सामान्यत: भारतीय लेखांकन मानक स्वीकृत लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों में अपनी भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय स्थिति पर लंबित वादों के प्रभाव को प्रकट किया है।

(ii) कम्पनी का ऐसा कोई दीर्घावधिक अनुबंध व विचलन अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई बड़ी स्पष्ट हानि हो।

(iii) निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

(iv) कम्पनी ने अपने पृथक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 10 में 8 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 के दौरान विशिष्ट बैंक नोटों के धारण और कार्रवाई करने के लिए पृथक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में अपेक्षित प्रकटन उपलब्ध कराया है। लेखा परीक्षा की प्रक्रियाओं और प्रबंधन की सूचना पर भरोसा करते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि ये प्रकटन कम्पनी के द्वारा बनायी लेखा पुस्तकों के अनुसार है।

कृते ग्रोवर, लाला एवं मेहता
चार्टर्ड लेखाकार
एफ आर एन 002830 एन

ह./-
आलोक गोयल
(भागीदार)
सदस्यता सं. 501529
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 29 अगस्त, 2017

अनुबंध-क 'अन्य विधि एवं विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट' के शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 2 के संदर्भ में उक्त तिथि को हमारी रिपोर्ट

कपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी अनुदेशों पर रिपोर्ट

क्र. सं.	अनुदेश	उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास फ्री-होल्ड और लीज-होल्ड भूमि के लिए क्रमश: स्पष्ट मालिकाना हक विलेख/ पट्टा विलेख है? यदि नहीं तो कृपया फ्री-होल्ड और लीज-होल्ड भूमि क्षेत्र बताएं, जिसके लिए मालिकाना हक विलेख/ पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं है।	सभी फ्री-होल्ड परिसंपत्तियां और लीज-होल्ड भूमियों में मालिकाना हक विलेख/ पट्टा विलेख उपलब्ध हैं।
2.	क्या उधारियों/ ऋणों/ ब्याज इत्यादि की माफी/ बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है, यदि हां तो तत्संबंधी कारण और उसमें शामिल धनराशि का उल्लेख करें।	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से दो पार्टीयों के संबंध में 0.25 लाख रु. की उधारी बट्टे खाते में डाली गई। ऋण की संदेहात्मक वसूली के प्रति सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से चार पार्टियों के मामले 17.86 लाख रूपये के ऋण को बट्टे खाते में डाला गया। छुट-पुट डेबिट/ क्रेडिट के संबंध में विविध बट्टे खाते में डाली गई 0.02 लाख रु. की धनराशि, समायोजित की जा रही है।
3.	क्या अन्य पक्षों के पास पड़ी वस्तु सूचियों और सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से उपहार/ अनुदान(नों) के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के रिकार्ड का समुचित रख-रखा किया गया।	कंपनी के अन्य पक्षों के पास कोई वस्तु सूची पड़ी हुई नहीं है। इसके अलावा, हमारी राय में कंपनी द्वारा सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से उपहार/ अनुदान के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का समुचित रिकार्ड रखा जा रहा है।

कृते ग्रोवर, लाला एवं मेहता
चार्टर्ड लेखाकार
एफ आर एन 002830 एन

ह./-
आलोक गोयल
(भागीदार)
सदस्यता सं. 501529

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 29 अगस्त, 2017

अनुबंध-ख 'अन्य विधि एवं विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट' के शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 2 के संदर्भ में उक्त तिथि को हमारी रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम) की धारा 143(3)(I) के अंतर्गत वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में रिपोर्ट

हमने इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन ('कंपनी) की दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रणों की, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के पृथक (स्टेंड अलोन) भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा को साथ में रखकर लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आई सी ए आई') द्वारा जारी वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्ग निर्देशन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय संसूचना मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और रख-रखाव करने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है, जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, धोखाधड़ी और चूकों की रोकथाम और पता लगाने, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने सहित कारोबार का समुचित और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय संसूचना पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करने की हैं। हमने वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्ग निर्देशन टिप्पणी ('मार्ग निर्देशन टिप्पण ी') और आई सी ए आई द्वारा जारी तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए यथा लागू, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित माने गए लेखा परीक्षा संबंधी मानकों, जो दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों ही आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं, के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों और मार्ग-निर्देशक टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया जाए और इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन किया जाए कि क्या वित्तीय संसूचना पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया था और क्या यह नियंत्रण सभी महत्त्वपूर्ण संबंधों में प्रभावी रूप से संचालित हुआ है।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी प्रचालनीय प्रभावकारिता के संबंध में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना, महत्त्वपूर्ण कमजोरियों की मौजूदगी के जोखिम का आकलन करना और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं प्रचालनीय प्रभावकारिता की जांच व मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों की महत्त्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या चूकों के कारण हो, का आकलन करना शामिल है।

हम यह विश्वास करते हैं कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय संसूचना पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय को एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

एक कंपनी का वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय लेखांकन मानक) सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय संसचूना की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। एक कंपनी की वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो :-

1. ऐसे अभिलेखों के रख-रखाव से संबंधित है, जो तर्कसंगत विवरण में कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देनों तथा उनकी प्रकृति को सटीक और स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं;
2. समुचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेन-देन को आवश्यकतानुसार सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमति के लिए दर्ज किया गया है और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रावधान और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं;
3. कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनका वित्तीय विवरणों पर एक महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान के निवारण अथवा समय पर पता लगाने के संबंध में समुचित आश्वासन प्रदान करती है।

वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की मौजूदा सीमाएं

वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की मौजूदा सीमाओं के कारण, जिनमें मिली-भगत अथवा अनुचित प्रबंधन की संभावना शामिल है, नियंत्रणों को ताक पर रखकर धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण महत्त्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता भी नहीं चले। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के अनुमान भी ऐसे जोखिम के अध्यधीन होते हैं, जिससे कि वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का परिमाण खराब हो सकता है।

राय

हमारी राय में जिनमें प्रबंधन के साथ हुई चर्चा और सहमति के अनुसार सुधार अपेक्षित हैं, उनमें कंपनी का सभी महत्त्वपूर्ण संबंधों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी है और ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से संचालित हो रहा था, जो आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्ग-निर्देशन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रण के मानकों के आधार पर है।

कृते ग्रोवर, लाला ऐण्ड मेहता
चार्टर्ड लेखाकार
एफ आर एन 002830एन

ह./-
आलोक गोयल
(भागीदार)
सदस्यता सं. 501529
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 29 अगस्त, 2017

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

'इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन' के सदस्यों को

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने **इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन** ('इसे इसके बाद से धारित कम्पनी कहा गया है'), इसकी अनुषंगी कंपनियों '**कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन**' और '**तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन**' (धारित कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को मिलाकर 'समूह' कहा गया है) और संयुक्त नियंत्रित संस्था '**राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र**' के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की जांच कर ली है जिसमें 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष का समेकित तुलन-पत्र, आय और व्यय का समेकित विवरण (अन्य विस्तृत आय सहित), नकद प्रवाह का समेकित विवरण और इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण उस वर्ष के लिए कैश-फ्लो के समेकित विवरण एवं विशिष्ट गणना नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं (जिसे इसके बाद से 'समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण' कहा गया है)।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबन्धन का उत्तरदायित्व

धारित कम्पनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की अपेक्षाओं के अनुसार ऐसे समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण तैयार करना है जो समूह तथा संयुक्त नियंत्रित संस्था की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन, अन्य व्यापक आय, समेकित कैश फ्लो एवं केवल समूह के नकद लेन-देन का सत्य एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं और अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत लेखा मानकों सहित भारत के सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार हैं। समूह और इसकी संयुक्त नियंत्रित संस्था में शामिल किए गए कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल के इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की परिसंपत्तियों की संरक्षा और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड रखने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; तर्कसंगत और विवेक सम्मत निर्णय और आकलन करने; तथा ऐसे समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण तैयार करने संबंधी डिजाइन, कार्यान्वयन और आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रबन्ध प्रस्तुतीकरण शामिल हैं जो सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करें जो भौतिक गलतबयानी से मुक्त हों, चाहे वह धोखाधड़ी या गलती से ही क्यों न हुए हों, जिनका उपरोक्त धारित कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजन से उपयोग किया गया है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारे द्वारा किये गए लेखापरीक्षण के आधार पर समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के विषय में अपना विचार प्रकट करना है। लेखा परीक्षा करते समय हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों तथा ऐसे मामलों को ध्यान में रखा है, जो अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने आवश्यक हैं।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। जो भी मानक अपेक्षित हैं, उनकी अपेक्षाओं को हमने पूरा किया है और समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में यह उचित आश्वासन प्राप्त करके लेखा परीक्षा की है कि ये समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण गलत विवरण नहीं है।

किसी भी लेखा परीक्षा में धनराशि एवं समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण से सम्बन्धित घोषणा के विषय में लेखा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल होती है। प्रक्रिया चुनने और वित्तीय विवरण के विषय में जोखिम का आकलन एवं असत्य का पता लगाने का निर्णय लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है जो धोखाधड़ी और गलती से मुक्त हो। जोखिम का आकलन करने में लेखा परीक्षक धारित कम्पनी के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं उसको उचित

रूप से प्रस्तुत करने में आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है जो उन परिस्थितियों में लेखापरीक्षण प्रक्रिया उचित हो। लेखापरीक्षण में लेखा गणना नीति का उचित कीमतांकन करना एवं धारित कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा किये गए लेखा अनुमान का उचित और समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतीकरण करना भी होता है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गए लेखा साक्ष्य और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए लेखा साक्ष्य, जो नीचे अन्य मामलों के अनुच्छेद में उल्लिखित उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में हैं, समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर योग्य राय के अध्यधीन हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

योग्य राय के लिए आधार

(i) धारित कम्पनी (आई टी पी ओ) ने कार्य निष्पादन से संबंधित वेतन (पीआरपी) हेतु वर्ष के दौरान 184.00 लाख रुपये का प्रावधान किया है (संचित आधार पर 31.3.2017 के लिए 3264.00 लाख रुपये) और 31.3.2017 तक 1569.92 लाख रुपये कर्मचारियों को दीर्घावधिक ऋण एवं अग्रिम के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा योजना को अनुमोदित किए बिना जारी किए जैसा कि टिप्पणी संख्या 26 में उल्लिखित है। तदनुसार, वर्ष के दौरान व्यय से अधिक आय 184.00 लाख रुपये कम दिखाई गई और आरक्षित व अधिशेष धनराशि 3264.00 लाख रुपए कम दर्शाई गई और वर्तमान देनदारी शीर्ष के तहत प्रावधान 3264.00 लाख रुपए अधिक दिखाया गया।

(ii) धारित कंपनी (आई टी पी ओ) की आकस्मिक देनदारी में 1022.45 लाख रु. की एक सेवा की मांग व कारण बताओ नोटिस शामिल है, जिसमें से सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा पारित आदेश के लिए 881.31 लाख रु. का वर्ष 2014-15 के दौरान भुगतान किया जा चुका है और शेष 141.14 लाख रु. की धनराशि भुगतान की जानी है, जैसा कि टिप्पणी सं. 39 (i) में स्पष्ट किया गया है। हमारी राय में भारतीय लेखांकन मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिकता देनदारी और आकस्मिक परिसंपत्तियां' के अनुसार 881.31 लाख रु. का प्रावधान नहीं किया गया। तदनुसार, व्यय से अधिक आय अधिक बताई गई है और अन्य इक्विटी धनराशि इस धनराशि से अधिक बतायी गई है और वर्तमान देनदारी के अंतर्गत अल्पकालिक प्रावधान इसी धनराशि से कम दर्शाया गया है।

उपरोक्त पैरा (i) से (ii) में उल्लिखित योग्यता के निवल प्रभावस्वरूप वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय का 697.31 लाख रु. का अधिक विवरण और वर्तमान देनदारी और 31 मार्च, 2017 को 2382.69 लाख रु. अधिक और अन्य इक्विटी 2382.69 लाख रु. कम दर्शायी गयी है, जिसकी योग्य राय के आधार पर उपरोक्त मात्रा का उल्लेख किया गया है।

योग्य राय

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण, उपर्युक्त योग्यता राय अनुच्छेद के लिए दिए गए विवरण के प्रभाव को छोड़कर, उपरोक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार दिए गए हैं जो भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप समूह और संयुक्त नियंत्रित संस्था के समेकित कार्यों की वित्तीय स्थिति भारतीय लेखांकन मानक सहित का दिनांक 31 मार्च, 2017 और व्यय से अधिक समेकित आय तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित कैश फ्लों समेकित इक्विटी परिवर्तनों का एक सच्चा और सही दृश्य प्रकट करते हैं।

मामलों पर बल

हम निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं :-

(i) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 अथवा धारा 10 (23 ग)(iv) के अंतर्गत छूट वापसी पर निर्णय लंबित रहते, समूह कंपनी तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशनल आर्गनाइजेशन (टीएनटीपीओ) द्वारा आयकर और आस्थगित कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया (संदर्भ टिप्पणी सं. 38 (ii) देखें।

(ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 अथवा धारा 10 (23 ग)(iv) के अंतर्गत छूट वापसी पर निर्णय लंबित रहते, समूह कंपनी कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (केटीपीओ) द्वारा आयकर और आस्थगित कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया (संदर्भ टिप्पणी सं. 38 (iii) देखें।

(iii) समूह कम्पनी, कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (के टी पी ओ) ने ठेकेदार के द्वारा प्रस्तुत अंतिम बिल की प्रमाणित प्रति के प्राप्त होने तक तथा स्वतंत्र लेखा-परीक्षक के द्वारा विधिवत प्रमाणित व्यय विवरण मिलने तक के आई ए डी बी की सलाह के आधार पर के आई ए डी बी के द्वारा पूरी की गई परियोजना की अपेक्षा के अनुसार बाह्य अवसंरचना के विकास के प्रति 585.00 लाख रु. लगाए हैं (देखें टिप्पणी सं. 50)।

(iv) संयुक्त रूप से नियंत्रित राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र (एन सी टी आई) ने अपनी बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया है कि एन सी टी आई को बंद करने की औपचारिकताएं शीघ्र शुरू की जाएं, जिससे इसके अनुमान प्रभावित हो रहे हैं (संदर्भ टिप्पणी सं. 55 (ग)) देखें।

(v) संयुक्त नियंत्रित संस्था राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र (एनसीटीआई) के पास वित्तीय वर्ष 1996-97 से 57.86 लाख रुपए की शेयर आवेदन धनराशि आबंटन किए जाने के लिए लंबित पड़ी हुई है, जिसमें से 34.00 लाख रुपए इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) और 23.86 लाख रुपए राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र को आबंटन के लिए लंबित है। कंपनी (एनसीटीआई) ने कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियमावली 2014 के प्रावधानों का उल्लेख किया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य मामले

हमने दो अनुषंगी कंपनियों और एक संयुक्त नियंत्रित संस्था के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचना की लेखा परीक्षा नहीं की, जिनके भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचना से दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार नीचे दी गई धनराशि की कुल परिसंपत्ति हिस्सा तथा कुल राजस्व हिस्सा और इसी तारीख को समाप्त वर्ष के निवल नकदी लेन-देन की लेखा परीक्षा नहीं की थी, जैसा कि समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है :

(रु. लाख में)

कम्पनियों का नाम	कुल परिसम्पत्तियां	कुल राजस्व	निवल नकद प्रवाह
अनुषंगी कम्पनियां			
कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	12765.38	799.94	2.66
तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	22563.62	4749.50	677.05
संयुक्त उद्यम			
राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र *	--	--	--
कुल	35329.00	5549.44	679.71

*इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र में निवेश को लेखा में लिया है।

इन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों/ भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय सूचना की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिसकी रिपोर्ट प्रबंधन ने हमें प्रस्तुत की है और समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक धनराशि और प्रकटीकरण का संबंध है, इन अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त नियंत्रित संस्था के संबंध में शामिल किए गए हैं और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) और (11) के प्रावधानों के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहां तक उपरोक्त अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त नियंत्रित संस्था का संबंध है, केवल अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और निम्नलिखित अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट पर किए गए कार्य और रिपोर्ट पर हमारी निर्भरता से संबंधित उपरोक्त मामले तथा अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की रिपोर्ट संशोधित नहीं की गई है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं से संबधित रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथा अपेक्षित, हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित तथा 'अन्य मामलों' में नोट किए अनुसार अलग भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों एवं अनुषंगी कम्पनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कम्पनी की अन्य वित्तीय सूचना के बारे में अन्य लेखा परीक्षकों की अन्य रिपोर्ट पर विचार करते हुए यथा लागू सीमा तक हम रिपोर्ट करते हैं कि-

(क) हमने योग्य राय के आधार पर उल्लिखित मदों को छोड़कर, सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के उद्देश्य से पूर्वोक्त भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण हेतु आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में उपरोक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में कानूनन अपेक्षित लेखा बहियों का समुचित रख-रखाव किया गया है, जैसा कि इन बहियों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलन पत्र, समेकित आय और व्यय का का विवरण भारतीय लेखांकन मानक समेकित विवरण, कैश फ्लो का समेकित विवरण इक्विटी में बदलाव का समेकित विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन से रखी गई लेखा बहियों से मेल खाता है।

(घ) हमारी राय में उपरोक्त समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानक 37 को छोड़कर, इसमें जारी किए प्रासंगिक नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के साथ 'प्रावधान, आकस्मिक देनदारी और आकस्मिक परिस्थितियां' के अलावा मेल खाते हैं, जैसा कि योग्य राय के आधार के अनुच्छेद (ii) में उल्लेख किया गया है।

(ङ) योग्य राय के लिए आधार के उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित मामला हमारी राय में समूह और संयुक्त नियंत्रित संस्था की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

(च) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी जीएसआर 463 (ङ), दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना के आधार पर कम्पनी धारा 164 (2) के अंतर्गत समूह और संयुक्त नियंत्रित संस्था पर लागू नहीं है जो निदेशकों की अयोग्यता के बारे में है।

(छ) समूह कंपनी, अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त नियंत्रित कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनीय प्रभावकारिता के संबंध में हमारी पृथक रिपोर्ट 'अनुबंध - क' में दी गई है और

(ज) कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा-परीक्षक) संशोधन नियमावली, 2017 के साथ पठित कम्पनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार है तथा 'अन्य मामलों' अनुच्छेद में नोट किए अनुसार संयुक्त नियंत्रित संस्था के अलग भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों तथा अन्य वित्तीय सूचना के बारे में अन्य लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर है :-

(i) वित्तीय भारतीय लेखांकन मानक विवरणों में कम्पनियों और उसकी संयुक्त नियंत्रित संस्था की समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के विवरण 36 देखें। वित्तीय स्थिति पर लंबित विवाद के पड़ने वाले प्रभाव को प्रकट किया है।

(ii) समूह की कम्पनियां और संयुक्त नियंत्रित संस्था का ऐसा कोई दीर्घावधिक अनुबंध और विचलन अनुबंध नहीं था, जिनके लिए कोई बड़ी स्पष्ट हानि हो।

(iii) निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के प्रावधान समूह की कम्पनियों और संयुक्त नियंत्रित संस्था पर लागू नहीं होते।

(iv) समूह की कम्पनियों और उसकी संयुक्त नियंत्रित संस्था ने समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 11 में 8 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 की अवधि के दौरान विशिष्ट बैंक नोटों के धारण और कार्रवाई के लिए समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में अपेक्षित प्रकटन उपलब्ध कराया है। लेखा परीक्षा की प्रक्रियाओं और प्रबंधन की सूचना पर भरोसा करते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि यह प्रकटन समूह कम्पनियों और उसकी संयुक्त नियंत्रित संस्था के द्वारा बनायी गई लेखा-पुस्तकों के अनुसार है।

कृते ग्रोवर, लाला ऐण्ड मेहता
चार्टर्ड लेखाकार
एफ आर एन 002830एन

ह./-
आलोक गोयल
(भागीदार)
सदस्यता सं. 501529

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 29 अगस्त, 2017

अनुबंध-क 'अन्य विधि एवं विनियामक अपेक्षाओं से संबंधित रिपोर्ट' के शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 1(जी) के संदर्भ में उक्त तिथि को हमारी रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143(3)(I) के अंतर्गत वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में रिपोर्ट

हमने इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन ('इसके पश्चात इसे धारित कंपनी कहा गया है') और इसकी अनुषंगी कम्पनियों तथा संयुक्त नियंत्रित संस्था, जो भारत में निगमित कम्पनियां हैं, दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रणों की, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा को साथ में रखकर लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

धारित कंपनी, इसकी अनुषंगी कम्पनियों तथा संयुक्त नियंत्रित संस्था, जो भारत में निगमित कम्पनियां हैं, का संबंधित निदेशक मंडल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आई सी ए आई') द्वारा जारी वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्ग-निर्देशन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय संसूचना मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और रख-रखाव करने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है, जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, धोखाधड़ी और चूकों की रोकथाम और पता लगाने, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने सहित कारोबार का समुचित और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय संसूचना पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करने की हैं। हमने वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्ग-निर्देशन टिप्पणी ('मार्ग-निर्देशन टिप्पणी') और आई सी ए आई द्वारा जारी तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए यथा लागू, अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित माने गए लेखा परीक्षा संबंधी मानकों, जो दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों ही आईसीएआई द्वारा जारी किए गए हैं, के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों और मार्ग-निर्देशक टिप्पणी में यह अपेक्षित है कि नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया जाए और इस संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना और निष्पादन किया जाए कि क्या वित्तीय संसूचना पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किया गया था और क्या यह नियंत्रण सभी महत्त्वपूर्ण संबंधों में प्रभावी रूप से संचालित हुआ है।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी प्रचालनीय प्रभावकारिता के संबंध में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की एक जानकारी प्राप्त करना, महत्त्वपूर्ण कमजोरियों की मौजूदगी के जोखिम का आकलन करना और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन एवं प्रचालनीय प्रभावकारिता की जांच व मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों की महत्त्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या चूकों के कारण हो, का आकलन करना शामिल है।

हम यह विश्वास करते हैं कि नीचे योग्य राय अनुच्छेद में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं और नीचे अन्य मामलों के अनुच्छेद में उल्लिखित उनकी रिपोर्ट के अनुसार अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य उपरोक्त संस्थाओं की वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय को एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

एक कंपनी का वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय लेखांकन मानक) के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय संसचूना की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। एक कंपनी की वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो :-

1. ऐसे अभिलेखों के रख-रखाव से संबंधित है, जो तर्कसंगत विवरण में कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देनों तथा उनकी प्रकृति को सटीक और स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं;
2. समुचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेन-देन को आवश्यकतानुसार सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमति के लिए दर्ज किया गया है और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कंपनी के प्रावधान और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किए जा रहे हैं;
3. कंपनी की ऐसी परिसंपत्तियों, जिनका वित्तीय विवरणों पर एक महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान के निवारण अथवा समय पर पता लगाने के संबंध में समुचित आश्वासन प्रदान करती है।

वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की मौजूदा सीमाएं

वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की मौजूदा सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत अथवा अनुचित प्रबंधन की संभावना शामिल है, नियंत्रणों को ताक पर रखकर धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण महत्त्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं, और उनका पता भी नहीं चले। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के अनुमान भी ऐसे जोखिम के अध्यधीन होते हैं, जिससे कि वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का परिमाण खराब हो सकता है।

योग्य राय

समूह कम्पनी, कनार्टक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन की निम्नलिखित कमियों के बारे में उनके लेखा-परीक्षकों के द्वारा पहचान की गई है :-

(क) कम्पनी की स्टॉफ संख्या कम होने से आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उसके प्रचालन की प्रभावकारिता प्रभावित हो रही है।

(ख) विभिन्न कानूनों के लागू प्रावधानों का पालन करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां अपर्याप्त हैं, जिसकी वजह से अतिरिक्त करों और क्षतियों का भुगतान दिया जा सकता है।

हमारी राय में हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा नीचे अन्य मामलों के अनुच्छेद में उल्लिखित अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर, ऊपर योग्य राय के अनुच्छेद में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, धारक कम्पनी, उसकी अनुषंगी कम्पनी और उसकी संयुक्त नियंत्रित संस्था, जो भारत में निगमित कम्पनियां हैं, उनके सभी महत्त्वपूर्ण संबंधों में वित्तीय संसूचना पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय संसूचना पर ऐसा आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से संचालित हो रहा था, जो आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्ग-निर्देशन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय संसूचना पर आंतरिक नियंत्रण के मानकों के आधार पर है।

अन्य मामले

दो अनुषंगी कम्पनियां और एक संयुक्त नियंत्रित संस्था है, जो भारत में निगमित कम्पनी है, के संबंध में वित्तीय संसूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालनीय प्रभावकारिता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट भारत में निगमित ऐसी कम्पनी की अनुकूल रिपोर्ट पर आधारित है।

कृते ग्रोवर, लाला ऐण्ड मेहता
चार्टर्ड लेखाकार
एफ आर एन 002830एन

ह./-
आलोक गोयल
(भागीदार)
सदस्यता सं. 501529

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 29 अगस्त, 2017

अनुबंध-IV

भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कम्पनी प्रबन्धन की है। अधिनियम की धारा 139(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी अधिनियम की धारा 143(10) में निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम 139 (5) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है। इसे 29 अगस्त 2017 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा कर लिया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के परिकलन दस्तावेज के बिना स्वतन्त्र रूप से की गई है और यह सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कम्पनी के कर्मचारियों से प्रारम्भिक पूछताछ और रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक सीमित है। मेरे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर ऐसी कोई महत्त्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आई है जिसकी वजह से सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने अथवा उस पर अनुपूरक रिपोर्ट देने की आवश्यकता पड़ी हो।

कृते एवं भारत के नियन्त्रक तथा महा लेखापरीक्षक की ओर से
ह./-
(नीलेश कुमार साह)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा प्रधान निदेशक
एवं लेखा परीक्षा बोर्ड-I के पदेन सदस्य
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 सितम्बर, 2017

अनुबंध-V

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के वित्तीय विवरणों से संबंधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के साथ पठित धारा 129 (4) के अधीन भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कम्पनी प्रबन्धन की है। अधिनियम की धारा 139 (5) के साथ पठित धारा 129 (4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी अधिनियम की धारा 143(10) द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप स्वतन्त्र लेखा परीक्षा के आधार पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के साथ पठित धारा 129 (4) के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है। इसे 29 अगस्त, 2017 को उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा कर लिया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के साथ पठित धारा 129 (4) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। उक्त तिथि को हमने इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन और राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र के वित्तीय विवरणों से संबंधित अनुपूरक लेखा परीक्षा की है परंतु कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन के वित्तीय विवरणों से सम्बंधित अनुपूरक लेखा परीक्षा नहीं की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के परिकलन दस्तावेज के बिना स्वतन्त्र रूप से की गई है और यह सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कम्पनी के कर्मचारियों से प्रारम्भिक पूछताछ और कुछ लेखा रिकार्डों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर ऐसी कोई महत्त्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आई है जिसकी वजह से सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने अथवा उस पर अनुपूरक रिपोर्ट देने की आवश्यकता पड़ी हो।

कृते एवं भारत के नियन्त्रक तथा महा लेखापरीक्षक की ओर से
ह./-
(नीलेश कुमार साह)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा प्रधान निदेशक
एवं लेखा परीक्षा बोर्ड-I के पदेन सदस्य
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 सितम्बर, 2017

अनुबन्ध-VI

कारपोरेट गवर्नेंस से संबंधित रिपोर्ट

1. कम्पनी की गवर्नेंस फिलासफी

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की प्रमुख व्यापार संवर्धन एजेंसी - इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) देश द्वारा विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से व्यापार, वाणिज्य एवं गवर्नेंस में प्राप्त की गई उत्कृष्ट उपलब्धियों की झांकी प्रस्तुत करता है।

आई टी पी ओ सरकार की नीतियों के प्रति पूर्णत: समर्पित रहते हुए प्रबन्धन को आवश्यक संरक्षण, सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रदान करने के लिए अच्छे कारपोरेट गवर्नेंस के प्रति पूर्णत: वचनबद्ध है। आई टी पी ओ की गवर्नेंस प्रक्रिया, इसके उद्देश्य - 'उद्योग एवं व्यापार जगत को व्यापक स्तर पर सुविधाएं प्रदान करने तथा भारत का व्यापार बढ़ाने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने' पर केन्द्रित है। कम्पनी कारपोरेट गवर्नेंस के बारे में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करती है।

आई टी पी ओ के मुख्य कार्यकलाप और सेवाएं हैं:

- भारत तथा विदेशों में ऐसे मेले एवं प्रदर्शनियों के माध्यम से औद्योगिक व्यापार का संवर्धन, आयोजन और भागीदारी करना तथा देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक एवं आकस्मिक उपाय करना।
- भारत में आयोजित किए जाने वाले अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों का भारत तथा विदेशों में प्रचार करना तथा इनमें भाग लेने के लिए विदेशी भागीदारी जुटाना।
- भारत तथा विदेशों में ऐसे मेले एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करना जो व्यापार वस्तुओं से संबंधित हों।
- निर्यात को बढ़ाना एवं परम्परागत वस्तुओं के लिए नये बाजारों को तलाशना और नये उत्पादों के लिए निर्यात का विकास करना ताकि निर्यात व्यापार का अनुरक्षण, विविधीकरण और विस्तार हो।
- छोटे एवं मझौले उद्यमों को भारत एवं भारत से बाहर, दोनों जगह बाजार सुलभ कराने में समर्थन व सहायता करना।
- व्यापार सम्बन्धी डाटाबेस तैयार करना तथा उसे अद्यतन करना और भारत में व्यापार एवं उद्योग जगत के बीच उनका प्रचार-प्रसार करना।
- व्यापार संबंधी विषयों पर सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित करना।
- व्यापार संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अपने प्रदर्शनी हॉल एवं सुविधाएं अन्य आयोजकों को किराए पर देना।

कम्पनी द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस से संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन तथा उस बारे में कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षाओं का विवरण नीचे दिया गया है :

2. निदेशक मण्डल

2.1 निदेशक मण्डल का आकार

आई टी पी ओ कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अनुसार (अब धारा 8) और इस समय इसकी कुल चुकता शेयर पूंजी का 100 प्रतिशत भाग भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसके अन्तर्नियमों के अनुसार, इसके निदेशक नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। कम्पनी के अन्तर्नियमों के अनुसार, निदेशकों की संख्या चार से कम तथा बारह से अधिक नहीं होगी।

2.2 निदेशक मण्डल की संरचना

निदेशक मण्डल में कुल 7 निदेशक हैं जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक सहित 2 कार्यात्मक निदेशक तथा 4 निदेशक भारत सरकार द्वारा नामित तथा 1 स्वतंत्र निदेशक है।

श्री एल. सी. गोयल ने आई टी पी ओ के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का कार्यभार 2 सितंबर, 2015 को ग्रहण किया ।

2.3 निदेशक मण्डल की बैठकें और उनमें उपस्थिति

निदेशक मण्डल की बैठकें प्राय: कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में होती हैं। सामान्यत: इन बैठकों की तिथि पर्याप्त समय पहले तय हो जाती है तथा इसकी सूचना, बोर्ड की विस्तृत कार्यसूची, प्रबंधन रिपोर्ट तथा बोर्ड की अन्य स्पष्टीकरण टिप्पणियां निदेशकों में परिचालित की जाती है। निदेशक मण्डल के सदस्यों को कम्पनी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। निदेशक मण्डल द्वारा बैठकों में जिन मुद्दों पर चर्चा की जाती है उनके बारे में अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी देने हेतु इन बैठकों में प्रबन्धन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी आमन्त्रित किया जाता है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बोर्ड की 4 बैठकें क्रमश: 27 जून, 2016, 24 अगस्त, 2016, 29 सितंबर, 2016 और 28 फरवरी, 2016 को हुई।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति वाली बैठकों की संख्या, पिछली वार्षिक आम बैठक (ए जी एम) में उपस्थिति और अन्य निदेशकों (बॉडी कारपोरेट)(आई टी पी ओ के अलावा) की संख्या का विवरण नीचे सारिणी में दिया गया है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	बोर्ड की बैठकें		अंतिम वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति (29 सितंबर 2016)	31 मार्च, 2017 को यथास्थिति (अन्य निदेशकों की संख्या)
		कार्यकाल में हुई बैठकें	उपस्थिति		
1.	श्री एल. सी. गोयल	4	4	हां	2 (केटीपीओ और टीएनटीपीओ)
2.	श्रीमती शुभ्रा सिंह	3	3	हां	4 (केटीपीओ, टीएनटीपीओ डब्ल्युबीटीपीओ, एनसीटीआई)
3.	श्री रजनीश	1	1	नहीं	4 (केटीपीओ, टीएनटीपीओ डब्ल्युबीटीपीओ, एनसीटीआई)
4.	श्री जे. के. डाडू	4	3	नहीं	6 (एमएमटीसी, एसटीसी, एनटीसी, एनजेएमसी, सीसीआई, एनआईएफटी)
5.	श्री मनोज जोशी	4	3	हां	5 (एनएसआईसी, डीएसआईआईडीसी)
6.	श्री संजय चड्ढा	4	3	हां	-
7.	श्री के. नागराज नायडू	4	4	हां	4 (ईईपीसी, आईआईएफटी, जीआईटीए, इन्वेस्ट इण्डिया, डब्ल्यूएपीसीओएस)
8.	श्री पी. एन. विजय	4	4	हां	4 (डाबर इण्डिया लिमि., आईएलएफए, एमएसएल, एच ऐण्ड बी स्टोर्स लिमि.)

2.4 निदेशक मण्डल को दी जाने वाली अपेक्षित जानकारी

निदेशक मण्डल को कम्पनी के बारे में सभी जानकारियां दी जाती हैं। उन्हें ये जानकारियां नियमित रूप से दी जाती हैं:-

1. वार्षिक परिचालन योजनाएं और बजट तथा कोई भी अद्यतन जानकारी।
2. वार्षिक लेखे, निदेशकों की रिपोर्ट आदि।
3. लेखा परीक्षा समिति तथा निदेशक मण्डल की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।

4. प्रमुख निवेश, अनुषंगी कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों और महत्त्वपूर्ण अनुबंधों आदि की जानकारी।
5. बड़े ठेके देना।
6. निदेशकों द्वारा किन्हीं अन्य कम्पनियों में निदेशक बनने तथा समितियों में उनकी हैसियत-इनमें उनके हित का खुलासा।
7. विभिन्न चालू परियोजनाओं/ स्कीमों तथा उनमें बजट के उपयोग की स्थिति रिपोर्ट।
8. वेतन समझौते पर हस्ताक्षर करने आदि जैसे मानव संसाधन/ औद्योगिक संबंध विषयक कोई भी महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम।
9. किसी भी नियामक, विधायी एवं शेयरधारकों संबंधी सेवा का अनुपालन नहीं होना।
10. अधिशेष धनराशि का अल्पकालिक निवेश।
11. कम्पनी अधिनियम की अपेक्षाओं सहित भौतिक रूप से महत्त्वपूर्ण अन्य जानकारी।

3. निदेशक मण्डल की समितियां

निदेशक मण्डल ने निम्नलिखित समितियां गठित की हैं:

(i) लेखा परीक्षा समिति

(ii) पारिश्रमिक समिति

(iii) सी एस आर समिति

3.1 लेखा परीक्षा समिति की संरचना, वर्ष 2016-17 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकें तथा उनमें उपस्थिति

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन ने कारपोरेट गवर्नेन्स का अनुपालन किया है। तीन लेखा परीक्षा समिति की क्रमश: 27 जून, 2016, 24 अगस्त, 2016 और 28 फरवरी, 2017 को तीन बैठकें हुईं।

क्र.सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में धारित पद	बैठकें	
				कार्यकाल के दौरान बैठकें	उपस्थिति
1.	श्री पी. एन. विजय	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	2	2
2.	श्री जे. के. डाडू	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	3	3
3.	श्री मनोज जोशी	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	3	1
4.	श्रीमती शुभ्रा सिंह	कार्यात्मक निदेशक	सदस्य	2	2
5.	श्री रजनीश	कार्यात्मक निदेशक	सदस्य	1	1
6.	श्री के. नागराज नायडू	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	3	3
7.	श्री संजय चड्ढा	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	3	0

3.2 पारिश्रमिक समिति की संरचना, वर्ष 2016-17 के दौरान इसकी बैठकें तथा उनमें उपस्थिति

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन ने पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है।

क्र. सं.	पारिश्रमिक समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	पारिश्रमिक समिति में पद	बैठकें	
				कार्यकाल के दौरान	उपस्थिति
1.	श्री पी. एन. विजय	स्वतंत्र सरकारी निदेशक	अध्यक्ष	0	0
2.	श्री जे. के. डाडू	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	0	0
3.	श्री मनोज जोशी	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	0	0
4.	श्री के. नागराज नायडू	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	0	0
5.	श्री संजय चड्ढा	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	0	0
6.	श्री रजनीश	कार्यात्मक निदेशक	सदस्य	0	0

वर्ष 2016-17 के दौरान, पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

3.3 वर्ष 2016-17 के दौरान, सी एस आर समिति का गठन, इसकी बैठकें और उपस्थिति

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन ने सार्वजनिक उद्यम विभाग/ कम्पनी अधिनियम 2013 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया।

क्र. सं.	सी एस आर समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	सी एस आर समिति में पद	बैठकें	
				कार्यकाल के दौरान	उपस्थिति
1.	श्री जे. के. डाडू	अंशकालिक सरकारी निदेशक	अध्यक्ष	2	2
2.	श्री मनोज जोशी	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	2	1
3.	श्री संजय चड्ढा	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	2	1
4.	श्री पी. एन. विजय	स्वतंत्र सरकारी निदेशक	सदस्य	2	2
5.	श्री रजनीश	कार्यात्मक निदेशक	सदस्य	2	2

वर्ष 2016-17 के दौरान सी एस आर समिति की 2 बैठकें हुई।

4. निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को उनकी नियुक्ति की शर्तों तथा उन पर लागू भारत सरकार के नियमों के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है। यह कम्पनी निदेशक मण्डल की अथवा निदेशक मण्डल की उप-समिति की बैठकों में भाग लेने वाले प्रत्येक अंशकालिक स्वतन्त्र निदेशक को 20,000 रुपये प्रति बैठक सीटिंग फीस देती है। परन्तु कम्पनी अंशकालिक सरकारी नामित निदेशकों को कोई फीस नहीं देती है।

5. आम सभा की बैठकें

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के आयोजन की तिथि, समय और स्थान का विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	तिथि	समय	स्थान	विशेष संकल्प
2013-14	23.09.2014	दोपहर 12.00 बजे	प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001	शून्य
2015-16	29.09.2015	दोपहर 12.30 बजे	प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001	शून्य
2016-17	29.09.2016	दोपहर 12.00 बजे	प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001	शून्य

6. प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर)

(i) सम्बन्धित पार्टियों के साथ किये गये लेन-देन कम्पनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकट किए गए हैं।

(ii) आई टी पी ओ लागू लेखा मानकों का अनुपालन कर रहा है। केवल सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय विवरण की जांच के बाद ही बोर्ड और शेयरधारकों द्वारा वित्तीय विवरण पारित किये जाते हैं।

(iii) पिछले तीन वर्ष के दौरान, कम्पनी पर सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों से संबंधित किसी मामले के बारे में सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कोई दण्ड अथवा अवक्षेप नहीं लगाया गया है।

(iv) व्हिसल ब्लोअर नीति के बारे में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद में नीति प्रतिपादित और कार्यान्वित की गई है।

(v) आई टी पी ओ के निदेशक मंडल/ वरिष्ठ प्रबन्धन का अपना कोई व्यक्तिगत हित नहीं है जिसका कम्पनी के हितों के साथ कोई सम्भावित टकराव हो।

(vi) लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार एक व्यापक जोखिम प्रबन्धन नीति को निदेशक मंडल ने 26.03.2013 को अनुमोदन कर दिया था तथा तब से ही यह कार्यान्वित की गयी है।

(vii) लेखा बहियों में व्यय की ऐसी कोई मद दर्ज नहीं की गयी जो संगठन के प्रयोजन के लिए नहीं थी।

(viii) निदेशक मण्डल के सदस्यों के लिए कोई निजी व्यय कम्पनी की निधि से नहीं किया गया।

7. संचार के साधन

यह कम्पनी, धारा 25 (अब नए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के अन्तर्गत एक गैर-सूचीबद्ध कम्पनी है और इसीलिए इसके लिए तिमाही/ छ:माही परिणामों की जानकारी सूचीबद्ध कंपनियों की तरह नहीं दी जाती।

8. लेखा परीक्षा योग्यता

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लेखा परीक्षा निष्कर्ष/ टिप्पणियां, यदि कोई हों तो, तथा प्रबन्धन के उत्तर निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल किये गये हैं।

9. बोर्ड के निदेशकों का प्रशिक्षण

निदेशकों को प्रशिक्षण निदेशकों की जरूरत के अनुसार प्रदान किया जा रहा है।

10. व्हिसिल ब्लोवर नीति

आई टी पी ओ ने अपनी व्हिसिल ब्लोवर नीति बनायी है तथा इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से कार्यान्वित किया गया है।

11. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आई टी पी ओ ने लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों और कम्पनी अधिनियम के अनुसार एक सी एस आर समिति का गठन किया है जो सी एस आर गतिविधियों की समीक्षा करती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सीएसआर नीति के अनुसरण में तत्काल पूर्व के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, कंपनी को हुए औसत निवल लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत खर्च करना है। वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान, आई टी पी ओ द्वारा अर्जित औसत निवल लाभ का 3.68 करोड़ रु. (लगभग) था, जिसका 2 प्रतिशत आई टी पी ओ को वर्ष 2016-17 के लिए अपने सी एस आर क्रियाकलापों पर खर्च करना पड़ा। इसके अलावा 2.53 करोड़ रु. (लगभग) की अव्ययित शेष धनराशि, जिसे आई टी पी ओ वर्ष 2015-16 के लिए सी एस आर क्रियाकलापों पर खर्च नहीं कर सका था, उसे आगे ले जाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप यह धनराशि कुल 6.21 करोड़ रु. (लगभग) हो गई, जिसे वर्ष 2016-17 के लिए सी एस आर क्रियाकलापों के लिए खर्च करने के लिए रखा गया है।

वर्ष 2016-17 के लिए आई टी पी ओ ने भारत सरकार के 'स्वच्छ भारत कोष' और 'गंगा सफाई कोष' के लिए प्रत्येक के लिए एक-एक करोड़ रु. का अंशदान करके स्वच्छ भारत को बढ़ावा देने हेतु अपने प्रयासों को जारी रखा। इसके अलावा, दो एम्बुलेंसों के लिए प्रत्याभूति, मिड-डे-मील कार्यक्रम के तहत स्कूलों में पका हुआ भोजन पहुंचाने के लिए पांच वितरण वाहनों की प्रत्याभूति, खादी शिल्पकारों को चरखें (प्रति चरखा 13,500 रु. पर 200 चरखे) दान दी गई तथा स्वास्थ्य मंत्री के कैंसर रोगी कोष के लिए अंशदान जैसे 0.92 करोड़ रु. की धनराशि के प्रस्ताव क्रियान्वयाधीन हैं।

अनुबंध-VII

कारपोरेट गवर्नेंस अनुपालन प्रमाण-पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन,
नई दिल्ली

हमने, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस के लिए दिनांक 14 मई, 2010 को जारी की गयी अधिसूचना सं. 18(8)/2005-जीएम में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस दिशा-निर्देशों के अनुपालन की जांच कर ली है। कंपनी के दिनांक 01/04/2016 से 31/03/2017 तक की अवधि के सांविधिक अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने पाया कि कम्पनी ने दिनांक 10/06/2016 से एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। अतः कंपनी के कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप धारा (4) और कम्पनी अधिनियम 2013 के लागू उपबंधों तथा साथ ही सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों की अपेक्षाओं का पालन किया है।

कारपोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच उपरोक्त मार्ग-निर्देशों में यथानिर्दिष्ट कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी द्वारा अपनाई गयी प्रक्रिया और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो कम्पनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा है और न ही उनके बारे में राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कम्पनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों में यथाविहित रूप में कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया।

हमारा यह भी कथन है कि इस तरह का अनुपालन न तो कम्पनी की भावी जीवन क्षमता और न ही उसकी कार्यकुशलता अथवा प्रभावकारिता का आश्वासन है जिससे प्रबन्धन ने कम्पनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते राजेश मित्तल ऐण्ड एसोसिएट्स
कम्पनी सचिव

ह./-
(राजेश मित्तल)
(सदस्यता संख्या ए सी एस 13275, सीपी सं. 3254)

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 14.08.2017

इण्डिया ट्रेड
प्रमोशन आर्गनाइजेशन

अनुबंध-VIII

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन

(भारत सरकार का उद्यम)

प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110 001

फोन: 011-23371540, 23371491, फैक्स: 011-23371492

ई-मेल: info@itpo.gov.in, वेबसाइट: www.indiatradefair.com

घोषणा

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट गवर्नेंस के बारे में सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस बात की पुष्टि की जा रही है कि निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में कम्पनी की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह./-
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 31.07.2017

अनुबंध-IX

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

1. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संपोषण में क्षमता निर्माण, समुदायों का सशक्तिकरण, समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित एवं ऊर्जा क्षम प्रौद्योगिकियों का संवर्धन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, समाज के अति पिछड़ों और वंचित वर्गों का उत्थान करने पर बल दिया गया है।

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संपोषण के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, कंपनी अधिनियम 2013 एवं उसके तहत लागू नियमों का सख्ती से पालन कर रहा है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों/ कार्यकलापों का कार्यान्वयन अनुमोदन/ मॉनिटरिंग के अनुसार किया जाएगा। आई टी पी ओ की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का विस्तृत विवरण http://indiatrade fair.com/information/details/csr_initiative पर उपलब्ध है।

आई टी पी ओ, सी एस आर कार्यकलापों/ पहलों के अंतर्गत विभिन्न समुदायों के कल्याण के लिए सक्रिय योगदान कर रहा है। आई टी पी ओ ने वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक आशा किरण होम, कुष्ठ रोगियों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग को सहायता प्रदान की। वर्ष 2014-15 में, आई टी पी ओ ने भारत सरकार के 'स्वच्छ भारत कोष' में अंशदान किया तथा सी एस आर के अंतर्गत भारतीय अंतरराष्ट्रीय चमड़ा मेला-2014 में दिल्ली में चमड़ा सामान बनाने वाले छोटे शिल्पकारों को उनके उत्पादों को प्रदर्शन करने हेतु नि:शुल्क स्थान उपलब्ध कराया।

वर्ष 2015-16 के लिए, आई टी पी ओ ने भारत सरकार के 'स्वच्छ भारत कोष' और 'गंगा सफाई कोष' के लिए प्रत्येक के लिए एक-एक करोड़ रु. का अंशदान दिया। इसके अलावा, नेत्रहीन कल्याण, दिव्यांगों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग और समाज के कमजोर वर्गों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, अनाथों और बेसहारा बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, दिव्यांगों को व्हीलचेयरों का वितरण, भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण, युद्ध में विधवा हुई महिलाओं/ अशक्तों और उनके आश्रितों के कल्याण, गरीब तबके के कलाकारों के कल्याण जैसे क्रियाकलापों के संबंध में प्रस्ताव वर्ष 2015-16 के लिए आई टी पी ओ की सी एस आर पहल के अंतर्गत निष्पादित किया गया है।

वर्ष 2016-17 के लिए आई टी पी ओ ने भारत सरकार के 'स्वच्छ भारत कोष' और 'गंगा सफाई कोष' के लिए प्रत्येक के लिए एक-एक करोड़ रु. का अंशदान करके स्वच्छ भारत को बढ़ावा देने हेतु अपने प्रयासों को जारी रखा। इसके अलावा, दो एम्बुलेंसों के लिए प्रत्याभूति, मिड-डे-मील कार्यक्रम के तहत स्कूलों में पका हुआ भोजन पहुंचाने के लिए पांच वितरण वाहनों की प्रत्याभूति, खादी शिल्पकारों को चरखें (प्रति चरखा 13,500 रु. पर 200 चरखे) दान करना तथा स्वास्थ्य मंत्री के कैंसर रोगी कोष के लिए अंशदान जैसे 0.92 करोड़ रु. की धनराशि के प्रस्ताव क्रियान्वयाधीन हैं।

2. आई टी पी ओ ने सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सीएसआर समिति का गठन किया जो सीएसआर कार्यकलापों की समीक्षा करती है। समिति में निम्नलिखित बोर्ड सदस्य शामिल हैं :

- अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य विभाग – अध्यक्ष
- नामित निदेशक, एमएसएमई – सदस्य
- कार्यकारी निदेशक, आई टी पी ओ – सदस्य
- नामित निदेशक, वाणिज्य विभाग – सदस्य
- स्वतंत्र निदेशक (श्री पी. एन. विजय) – सदस्य

3. कंपनी का गत तीन वित्तीय वर्षों में (2013-14, 2014-15 और 2015-16) में औसत निवल लाभ लगभग 184 करोड़ रुपए (लगभग) हैं।

4. वर्ष 2016-17 के लिए सीएसआर क्रियाकलापों पर व्यय की गई धनराशि 3.68 करोड़ रु. (लगभग) है (विगत तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत)। इसके अलावा, 2.53 करोड़ रु. (लगभग) की धनराशि अव्ययित थी, जिसे आई टी पी ओ वर्ष 2015-16 के दौरान सीएसआर क्रियाकलापों पर खर्च नहीं कर सका। अत: वह कुल धनराशि जिसे आई टी पी ओ द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान सी एस आर क्रियाकलापों पर खर्च की जानी है, वह 6.21 करोड़ रु. (लगभग) है।

5. वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना अथवा निर्दिष्ट कार्यकलाप	क्षेत्र जिसके अंतर्गत परियोजना आती है	परियोजना अथवा कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2. निर्दिष्ट राज्य एवं जिला जहां परियोजना या कार्यक्रम किये गये	परियोजना का कार्यक्रम-वार कुल परिव्यय धनराशि	परियोजना/ कार्यक्रम पर व्यय की धनराशि उप शीर्षक 1. सीधा व्यय 2. ओवर हैड	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय	प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से व्यय धनराशि
1	स्वच्छ भारत कोष, भारत सरकार	सफाई एवं स्वच्छता	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भारत सरकार की परियोजनाएं	एक करोड़ रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में एक करोड़ रु. व्यय किये। कोई ओवर हैड नहीं है	एक करोड़ रु.	भारत सरकार के व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को एक करोड़ रु. का प्रत्यक्ष अंशदान किया।
2	गंगा सफाई कोष, भारत सरकार	स्वच्छता एवं सफाई	भारत सरकार की गंगा नदी परियोजना	एक करोड़ रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में एक करोड़ रु. व्यय किये। कोई ओवर हैड नहीं है	एक करोड़ रु.	जल संसाधन, नदी विकास, एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय, भारत सरकार को एक करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष अंशदान
3	स्वास्थ्य मंत्री का कैंसर रोगी कोष	स्वास्थ्य देखभाल	भारत सरकार की परियोजना	30 लाख रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में 30 लाख रु. व्यय किये। कोई ओवर हैड नहीं।	30 लाख रु.	स्वास्थ्य मंत्री के कैंसर रोगी कोष को प्रत्यक्ष अंशदान दिया

4	अक्षय पात्र फाउन्डेशन	समाज कल्याण/ भूख उन्मूलन	अंतिम रूप दिया जा रहा है।	20 लाख रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में 20 लाख रु. व्यय किए। कोई ओवर हैड नहीं।	20 लाख रु.	अक्षय पात्र फाउन्डेशन के लिए प्रत्यक्ष अंशदान किया।
5	खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग (के वी आई सी)	समाज कल्याण/ आजीविका अभिवृद्धि	ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं	27 लाख रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में 27 लाख रु. व्यय किये। कोई ओवर हैड नहीं।	27 लाख रु.	के वी आई सी के लिए प्रत्यक्ष अंशदान
6	प्रयास जुवेलियन एड सेंटर सोसायटी	स्वास्थ्य देखभाल	दिल्ली	17 लाख रु.	प्रत्यक्ष व्यय के रूप में 17 लाख रु. व्यय किये। कोई ओवर हैड नहीं।	17 लाख रु.	प्रयास जुवेनाइल ऐण्ड सेंटर सोसायटी के लिए प्रत्यक्ष अंशदान

6. सी एस आर क्रियाकलापों पर अव्ययित शेष धनराशि, जो वर्ष 2016-17 के दौरान खर्च (3.29 करोड़ रु.) (अनुमानित) नहीं हो सकी, वर्ष 2017-18 के दौरान आगे ले जाई गई है। खर्च न होने का कारण प्रचालनात्मक है, यद्यपि प्रबंधन ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2017-18 के लिए व्यय की जाने वाली धनराशि के साथ-साथ अगले वित्त वर्ष में सी एस आर क्रियाकलापों पर व्यय के लिए उत्सुक है।

7. सी एस आर कमेटी का विचार है कि आई टी पी ओ की सीएसआर नीति का अनुपालन सीएसआर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुसार कार्यान्वयन एवं मानिटरिंग हुई है।

ह/- (एल. सी. गोयल) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	ह/- (जे. के. डाडू) अध्यक्ष, सीएसआर समिति

अनुबंध-X

प्रबन्धन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग ढांचा, विजन और मिशन

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) भारत की एक प्रमुख व्यापार संवर्धन एंजेसी है जो व्यापार एवं उद्योग जगत को व्यापक स्तर पर सेवाएं प्रदान करता है तथा भारत से किए जाने वाले व्यापार में वृद्धि के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। आई टी पी ओ के प्रमुख उद्देश्य ये हैं:

- भारत एवं विदेश में आयोजन होने वाले अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेलों का आयोजन करके तथा उसमें भागीदारी करके बड़े किफायती ढंग से देश के अन्दर एवं बाहर भारत के व्यापार में वद्धि करना, क्रेता-विक्रेता बैठकों में सम्पर्क संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन करना, विदेशी बाजारों में सर्वेक्षण करना, व्यापारी प्रतिनिधिमंडलों के दौरों का आवागमन तथा समन्वयन तथा विशिष्ट क्षेत्रों/ बाजारों में व्यापार बढ़ाने हेतु आवश्यकता आधारित अनुसंधान कार्य करना।
- भारत एवं विदेशों में बाजार सुलभ कराने के लिए लघु एवं मझौले उद्यमों को प्रोत्साहन एवं सहायता देना।
- व्यापारिक सूचनाओं का प्रचार-प्रसार करना तथा ई-कामर्स/ व्यापार को सरल बनाना।
- गुणवत्तापरक भौतिक अवसंरचना, सेवाओं तथा प्रबंधन का विकास करना ताकि अन्तरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों एवं व्यापार प्रदर्शनों आदि व्यापार संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके।
- भारत के विदेशी एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन में राज्य सरकारों, अन्य सरकारी निर्यात संवर्धन एजेंसियों, व्यापारिक एवं औद्योगिक संघों की भागीदारी और सहायता लेना।

आई टी पी ओ, प्रगति मैदान, नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय तथा बंगलुरु, चैन्नई, कोलकत्ता और मुम्बई स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों से भारत एवं विदेशों में इसके कार्यक्रमों में देश के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापार एवं उद्योग जगत की प्रतिनिधित्व पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करता है।

विजन

अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति सुदृढ़ करते हुए विश्वस्तरीय व्यापार संवर्धन में प्रमुख संगठन बनाना। विश्व व्यापार एवं निवेश में भारत के हिस्से, अपनी सेवाओं में उत्कृष्टता तथा ग्राहक सन्तुष्टि में तीव्र वृद्धि हमारी सफलता की कुंजी एवं कसौटी है।

मिशन

वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के माध्यम से निर्यात में भारत का हिस्सा बढ़ाने हेतु विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, उन्हें सरल बनाना, प्रोत्साहित करना तथा उनका समन्वयन करना।

एशोसिएशन के ज्ञापन और अनुच्छेद के अनुसार यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अन्तर्गत पंजीकृत है, इसीलिए कोई लाभांश देय नहीं। अत: व्यय से अधिक आय को आरक्षित एवं अधिशेष खाते में डाल दिया गया है ताकि उसका उपयोग इसके भावी उद्देश्यों को पूरा करने हेतु किया जा सके।

वित्तीय विशेषताएं

31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए, कम्पनी की गतिविधियों से (भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निर्धारित) वित्तीय

वर्ष 2015-16 के 164.13 करोड़ रुपये (भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निर्धारण) के मुकाबले इस वर्ष 168.99 करोड़ रुपये अधिशेष प्राप्त हुआ। (भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निर्धारित) विगत वर्ष 2015-16 के दौरान 375.56 करोड़ रुपये (भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार निर्धारण) के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 388.97 करोड़ रुपये आय हुई है।

परिश्रम का कार्य (स्वॉट)

आई टी पी ओ का अपना प्रदर्शनी परिसर महत्त्वपूर्ण स्थान पर स्थित है जिसमें स्टेट ऑफ आर्ट से युक्त छादित प्रदर्शनी हॉल तथा अन्य सम्मेलन/ संगोष्ठी सुविधाएं हैं। राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय मानकों वाले बी-2-बी तथा बी-2-सी मेलों एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करने के लिए इसके पास इंजीनियरी, वास्तु, डिजाइन/ मेले आदि विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक एवं अनुभवी अधिकारियों की टीम है। उद्योग में विभिन्न ट्रेंड, अपेक्षाओं आदि के व्यापार प्रदर्शन का इसको 40 वर्ष का सर्वोत्तम अनुभव है। विदेश मंत्रालय जैसे मंत्रालय के साथ व्यापक नेटवर्क होने, अन्य टी पी ओ तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, अनेक सरकारी एजेंसियों एवं विभागों का साथ होने से भागीदारों को इस पर विश्वास रहता है। प्रमुख मेलों के दौरान यातायात को नियंत्रित करने के लिए सुव्यवस्थित प्रणाली आ गई है। चूंकि कुछ अवसंरचना काफी पुरानी हो गई है और वह अधिक प्रदर्शनियों और मेलों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, इसीलिए इन्हें आधुनिक सुविधाओं और नए प्रदर्शनी हॉलों से सम्मुन्नत करने की आवश्यकता है। सरकारी नीतियों द्वारा भूमि के उपयोग पर बहु-उपयोग पर प्रतिबंध होने के कारण और कम्पनी धारा के अनुपालन के अंतर्गत केवल लाभ कमाना ही नहीं हैं। निजी आयोजकों के साथ प्रतियोगिता और सरकारी नीतियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है।

भावी योजना

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सी सी ई ए) ने 2254 करोड़ रु. की अनुमानित परियोजना लागत पर आई ई सी सी परियोजना को जनवरी 2017 में अनुमोदित किया। परियोजना के निधियन के लिए अपने फ्री रिजर्व में से आई टी पी ओ 1200 करोड़ रु. का उपयोग करेगा और परियोजना लागत की शेष धनराशि के लिए सांस्थानिक ऋण/ सुलभ ऋण/ बाह्य सहायता और/ अथवा होटल की भूमि के लिए मुद्रीकरण की व्यवस्था करेगा।

प्रगति मैदान के पुनर्विकास की दो चरणों में परिकल्पना है। पुनर्विकास का चरण । के अगस्त 2019 तक पूरा किए जाने की उम्मीद है। परियोजना के चरण । से लगभग 3.82 लाख वर्ग मीटर का पुनर्विकास किया जायेगा। पुन: विकास करने के बाद प्रदर्शनी स्थल मौजूदा 65,000 वर्ग मीटर की तुलना में 1.52 लाख वर्ग मीटर हो जाएगा। पुन: विकास में अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र बनाने में स्टेट ऑफ दी आर्ट का उपयोग किया जायेगा तथा इसमें 7,000 लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था होगी।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एन बी सी सी) परियोजना के लिए परियोजना प्रबंध सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा है। वैश्विक नीलामी के आधार पर शापूर्जी पालौनजी को परियोजना का विनिर्माण करने के लिए परियोजना निष्पादक के रूप में चयन किया गया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

प्रबंधक और आंतरिक लेखा परीक्षक आंतरिक नियंत्रणों का लगातार मूल्यांकन करते हैं। आंतरिक लेखा परीक्षण के निष्कर्षों की प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। जहां भी अपेक्षा हो विभिन्न संचालनों की उचित लेखा गणना तथा मॉनिटरिंग करने हेतु निदानात्मक कार्रवाई एवं नियंत्रण के उपाय किए जाते हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

बोर्ड ने कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, हेराफेरी और चूक की रोकथाम एवं पता लगाने, लेखांकन रिकार्ड की सटीकता और पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय प्रकटनों को समय पर तैयार करने सहित इसके कारोबार का उचित और सक्षम प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं अपनाई हैं।

मानव संसाधनों, औद्योगिक सम्बन्धों में भौतिक विकास

आपकी कम्पनी सेवा उद्योग वाली होने के कारण यह विश्वास करती है कि मानव संसाधन महत्त्वपूर्ण परिसम्पत्ति होती है। कम्पनी अपने कर्मचारियों की प्रतिभा का सम्मान करती है तथा अनुभवी जनशक्ति और युवा वर्ग के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करती है। कम्पनी अपने कर्मचारियों को आंतरिक व बाहरी प्रशिक्षण देने हेतु विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण देती है तथा विभिन्न सेमिनारों और कार्यशालाएं आदि में भी नामित करती है।

पर्यावरण संरक्षण और कंजरवेशन, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास

आपकी कम्पनी गैर उत्पादन वाली कम्पनी है फिर भी आई टी पी ओ पर्यावरण और ऊर्जा के संरक्षण तथा पानी, बिजली आदि जैसे ऊर्जा स्रोतों के बारे में कार्य करती रही है। हाल नं. 7 की छतों पर 100 किलोवाट पावर सोलर पी. वी. विद्युत परियोजना की स्थापना करना/ प्रगति मैदान के स्थायी भवन की मौजूदा लाइटिंग व्यवस्था को ऊर्जा की पर्याप्त एवं ऊर्जा किफायत लाइटिंग में बदलना/ पुनर्विकास परियोजना में पर्यावरण सुरक्षा संबंधी विनियमों के बारे में समस्त सावधानी बरती गई है।

जोखिम प्रबन्धन

आपकी कम्पनी अपने प्रचालनों से संबंधित जोखिमों का नियमित विश्लेषण करती है और बीमा तथा अन्य माध्यमों को लागू करके ज्ञात जोखिमों का प्रबंधन एवं उपशमन/समाधान करने के लिए सभी उपाय किए गए।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कारोबार में नैतिक व्यवहार करने तथा आर्थिक विकास हेतु योगदान करने में निरन्तर प्रयासरत है, जिसमें श्रमिकों और उनके परिवारों तथा स्थानीय समुदाय व समाज के जीवनस्तर में सुधार करना शामिल है।

सी एस आर और संपोषण में क्षमता निर्माण, समुदायों की सशक्तिकरण, समावेशी समाज-आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित और ऊर्जाक्षम प्रौद्योगिकियों का संवर्धन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास तथा उपेक्षित और कमजोर तबके के लोगों का उत्थान करने पर बल दिया गया है।

कम्पनी के कार्य निष्पादन वर्णन से संबंधित विवरण इस प्रबन्धन विश्लेषण तथा चर्चा रिपोर्ट में उल्लिखित विवरण, लागू कानूनों और नियमों के तात्पर्य से भावी दृष्टि वाले हो सकते हैं। विभिन्न सरकारी नीतियों एवं मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर परिणाम इस रिपोर्ट में वर्णित या अन्तर्निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।

श्री एल सी गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के अंतर्गत पचंकुइयां रोड, नई दिल्ली में दिव्यांग संस्थान के छात्रावास खण्ड के विनिर्माण हेतु शिलान्यास करते हुए। इनके साथ आई टी पी ओ के कार्यकारी निदेशक एवं वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

भारतीय अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2016

लेखा

पृथक लेखा

31 मार्च, 2017 को तुलन-पत्र

(रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी	31.03.2017 को यथास्थिति	31.03.2016 को यथास्थिति	01.04.2015 को यथास्थिति
परिसम्पत्तियां				
I. गैर चालू परिसम्पत्तियां				
1) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर	3	3,766.58	4,332.75	4,630.01
2) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3	109.26	617.92	559.48
3) अन्य मूर्त परिसम्पत्तियां	3	14.13	-	-
4) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	3	-	-	62.00
5) वित्तीय परिसम्पत्तियां				
क) निवेश	4	1,196.42	1,249.01	1,275.81
ख) ऋण	5	1,392.67	1,553.98	1,708.62
ग) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	6	-	500.00	20,900.00
7) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां	7	14,661.41	342.47	357.49
II. चालू परिसम्पत्तियां				
1) वित्तीय परिसम्पत्तियां				
क) निवेश	8	72.40	58.45	60.72
ख) व्यापार-प्राप्य	9	870.26	992.27	688.18
ग) नकदी और नकदी समतुल्य	10	3,571.50	2,863.59	2,992.42
घ) नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	11	143,599.99	139,299.90	100,700.00
ङ) ऋण	12	2,002.16	2,116.85	1,920.33
च) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	13	12,325.70	12,504.85	12,480.86
2) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	14	20,613.63	17,596.25	14,446.18
कुल परिसम्पत्तियां		**204,196.11**	**184,028.29**	**162,782.10**
इक्विटी और देयताएं				
क. इक्विटी				
1) इक्विटी शेयर पूंजी	15	25.00	25.00	25.00
2) अन्य इक्विटी	16	182,939.23	166,040.19	149,626.52
ख. देयताएं				
I. गैर-चालू देयताएं				
1) प्रावधान	17	2,417.57	1,832.76	1,703.90
2) अन्य गैर-चालू देयताएं	18	853.54	933.39	520.58
II. चालू देयताएं				
1) वित्तीय देयताएं				
क) व्यापार देयताएं	19	2,007.86	2,211.28	1,173.01
ख) अन्य वित्तीय देयताएं	20	1,635.21	1,619.62	1,242.65
2) अन्य चालू देयताएं	21	5,969.65	5,126.73	4,908.97
3) प्रावधान	22	8,348.05	6,239.32	3,581.47
कुल इक्विटी और देयताएं		**204,196.11**	**184,028.29**	**162,782.10**
सामान्य सूचना	1			
महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2			

संगत टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
(एस. आर. साहू)	(डी. एम. शर्मा)	(दीपक कुमार)	(एल. सी. गोयल)
कम्पनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ग्रोवर, लाला ऐण्ड मेहता
चार्टरित लेखाकार
एफ आर एन 002830एन

ह./-
(आलोक गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं. 501529

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण

(रु. लाख में)

	विवरण	टिप्पणी	31.03.2017 को स्थिति	31.03.2016 को स्थिति
I	**आय**			
	प्रचालनों से राजस्व	23	26,314.33	24,552.48
	अन्य आय	24	12,582.45	13,003.24
	कुल आय		**38,896.78**	**37,555.72**
II	**व्यय**			
	कर्मचारी हित व्यय	25	11,121.08	8,960.28
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	26	463.09	485.81
	अन्य व्यय	27	10,341.32	9,536.84
	कुल व्यय		**21,925.49**	**18,982.93**
III	**अपवादात्मक, विशेष मदें और कर से पूर्व व्यय से अधिक आय**		**16,971.29**	**18,572.79**
	विशेष मदें	28	145.96	(2,186.71)
IV	**कर पूर्व व्यय से अधिक आय**		**17,117.25**	**16,386.08**
V	**कर व्यय**		-	-
VI	**अवधि का अधिशेष (क)**		17,117.25	16,386.08
VII	**अन्य विस्तृत आय**			
(क)	(i) मदें जिनको लाभ अथवा हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	(क) निवल निश्चित लाभ (देयता)/ परिसम्पत्ति को पुन: मापना		(218.21)	27.59
	(ii) उन मदों के बारे में आयकर जिनको लाभ अथवा हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
(ख)	(i) मदें जिनको लाभ अथवा हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii) उन मदों के बारे में आयकर जिनको लाभ अथवा हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	अन्य विस्तृत आय (क) = (क + ख)		**(218.21)**	**27.59**
VIII	**अवधि की कुल विस्तृत आय (क + ख)**		16,899.04	16,413.67
	प्रत्येक 100 रु. प्रति इक्विटी शेयर से आय	29		
	(1) आधार भूत		0.68	0.66
	(2) मिश्रित		0.68	0.66

सामान्य सूचना 1
महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 2
संगत टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
(एस. आर. साहू)	**(डी. एम. शर्मा)**	**(दीपक कुमार)**	**(एल. सी. गोयल)**
कम्पनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ग्रोवर, लाला ऐण्ड मेहता
चार्टरित लेखाकार
एफ आर एन 002830एन

ह./-
(आलोक गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं. 501529

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2017

दिनांक 31 मार्च, 2016 की समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरण

(रु. लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2017	को यथा स्थिति	31 मार्च, 2016	को यथा स्थिति
क	**प्रचालन क्रियाकलापों से कैश फ्लों**				
	कर पूर्व व्यय से अधिक आय		16,899.04		16,413.67
	समायोजन :				
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	463.09		485.81	
	अचल परिसम्पत्तियों पर हानि/ (लाभ)	27.98		(0.35)	
	ब्याज और लाभांश आय	(11,825.74)		(12,174.49)	
	प्रावधान	147.93		60.35	
	प्रावधान/ देयताएं, जो अव अपेक्षित नहीं	(145.96)		(138.29)	
	पेंशन कोष में अंशदान के लिए प्रावधान	-		2,325.00	
	बट्टे खाते में डाली गई	-		62.00	
	अमूर्त परिसम्पत्तियां	33.89		-	
	वित्तीय निवेश पर उचित कीमत (लाभ)/ हानि	(8.37)		6.49	
	बट्टे खाते में डाली गई परिसम्पत्तियां	0.11		5.26	
			(11,307.07)		(9,368.22)
			5,591.97		**7,045.45**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ				
	गैर-चालू वित्तीय ऋणों में वृद्धि (कमी)	(171.11)		(173.34)	
	अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियों में वृद्धि (कमी)	479.23		(14.99)	
	व्यापार प्राप्यों में वृद्धि (कमी)	(115.65)		288.04	
	बैंक बैलेंस में वृद्धि (कमी)	4,300.09		38,599.90	
	चालू ऋणों में वृद्धि (कमी)	(123.59)		188.42	
	अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियों में वृद्धि (कमी)	(181.90)		29.95	
	अन्य चालू परिसम्पत्तियों में वृद्धि (कमी)	3,164.08		3,168.79	
	गैर चालू प्रावधानों में वृद्धि (कमी)	(584.81)		(128.86)	
	अन्य गैर-चालू देयताओं में वृद्धि (कमी)	79.85		(412.81)	
	व्यापार भुगतान में वृद्धि (कमी)	203.42		(1,038.27)	
	अन्य चालू वित्तीय देयताएं में वृद्धि (कमी)	(15.59)		(376.97)	
	अन्य चालू देयताएं में वृद्धि (कमी)	(842.92)		(217.76)	
	चालू प्रावधानों में वृद्धि (कमी)	(2,108.73)		(332.85)	
	प्रावधान/ देयताएं, जो अब अपेक्षित नहीं	(141.98)		(86.60)	
	कमी : कार्यशील पूंजी में निवल वृद्धि		3,940.39		39,492.65
	प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकदी (क)		**1,651.58**		**(32,447.20)**
ख	**निवेश क्रियाकलापों से कैश फ्लो**				
	वित्तीय परिसम्पत्तियों में (जमा)/ निकासी	500.00		20,400.00	
	आई ई सी सी परियोजना के लिए विज्ञापन	(13,270.26)		-	
	अचल परिसम्पत्तियों की खरीद	(215.98)		(253.40)	
	अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री	222.42		1.50	
	निवेश और इंटर कारपोरेट जमा	(5.59)		(4.22)	
	ब्याज और लाभांश आय	11,825.74		12,174.49	
	निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी (ख)		**(943.68)**		**32,318.37**

जारी .....

ग	**वित्तीय कार्यकलापों से कैश फ्लो (ग)**		शून्य		शून्य
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/ कमी (क + ख + ग)		707.91		(128.83)
	वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		2,863.59		2,992.42
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		**3,571.50**		**2,863.59**
	नकदी और नकदी समतुल्य के संघटक वर्ष के अंत में				
	हाथ में नकदी और नकदी समतुल्य		9.28		13.85
	बैंकों में शेष - चालू और बचत लेखे में		3,562.22		2,849.74
	बैंकों में शेष - 3 महीने अल्पावधि परिपक्वता जमा		-		-
			3,571.50		**2,863.59**

टिप्पणी:- 1. नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, हाथ में ड्राफ्ट/चैक, बैंक शेष, बैंको के पास जमा और 3 महीने अथवा इससे कम अवधि की मूल परिपक्वता सहित अल्पकालीक निवेश

2. सी एस आर कार्याकलापों पर व्यय हेतु 200.72 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 200 लाख रु.) संचालन कार्यकलापों से आउट - फ्लो 'क' में शामिल है।

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
(एस. आर. साहू)	**(डी. एम. शर्मा)**	**(दीपक कुमार)**	**(एल. सी. गोयल)**
कम्पनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ग्रोवर, लाला ऐण्ड मेहता
चार्टरित लेखाकार
एफ आर एन 002830एन

ह./-
(आलोक गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं. 501529

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी (संदर्भ टिप्पणी सं. 15)

(रु. लाख में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
वर्ष के प्रारंभ में शेष	25.00	25.00	25.00
इक्विटी शेयर का निर्गम	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**25.00**	**25.00**	**25.00**

ख. अन्य इक्विटी (संदर्भ टिप्पणी सं. 16)

वित्तीय वर्ष 2016-17

(रु. लाख में)

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष			अन्य विस्तृत आय	कुल
	धारित आय	पूंजीगत रिजर्व	भारत सरकार से पूंजीगत अनुदान	निश्चित लाभ योजना का पुन:आकलन	
वर्ष के आरम्भ में शेष	159,703.66	1,343.32	4,965.62	27.59	166,040.19
भारतीय लेखांकन मानक समायोजन की वजह से परिवर्तन	-	-	-	-	-
वर्ष के आरम्भ में पुन: सूचित शेष	159,703.66	1,343.32	4,965.62	27.59	166,040.19
वर्ष का लाभ/हानि	17,117.25	-	-	-	17,117.25
वर्ष की अन्य विस्तृत आय/हानि	-	-	-	(218.21)	(218.21)
वर्ष के अन्त में शेष	**176,820.91**	**1,343.32**	**4,965.62**	**(190.62)**	**182,939.23**

वित्तीय वर्ष 2015-16

(रु. लाख में)

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष			अन्य विस्तृत आय	कुल
	धारित आय	पूंजीगत रिजर्व	भारत सरकार से पूंजीगत अनुदान	निश्चित लाभ योजना का पुन:आकलन	
वर्ष के आरम्भ में शेष	143,642.47	6,383.17	-	-	150,025.64
भारतीय लेखांकन मानक समायोजन की वजह से परिवर्तन	-324.89	-5,039.85	4,965.62	-	-399.12
वर्ष के प्रारम्भ में पुन: सूचित शेष	143,317.58	1,343.32	4,965.62	-	149,626.52
वर्ष का लाभ/हानि	16,386.08	-	-	-	16,386.08
वर्ष की अन्य विस्तृत आय/(हानि)	-	-	-	27.59	27.59
वर्ष के अन्त में शेष	**159,703.66**	**1,343.32**	**4,965.62**	**27.59**	**166,040.19**

ह./-
(एस. आर. साहू)
कम्पनी सचिव

ह./-
(डी. एम. शर्मा)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./-
(दीपक कुमार)
कार्यकारी निदेशक

ह./-
(एल. सी. गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ग्रोवर, लाला ऐण्ड मेहता
चार्टरित लेखाकार
एफ आर एन 002830एन

ह./-
(आलोक गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं. 501529

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. सामान्य जानकारी

1.1 कम्पनी का दृष्टिकोण

यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के अंतर्गत मुख्य रूप से भारत तथा विदेशों में व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के आयोजन के माध्यम से भारत के व्यापार संवर्धन के उद्देश्य से 30.12.1976 को ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इण्डिया (टी एफ ए आई) के रूप में गठित की गई थी। बाद में 1.1.1992 को भूतपूर्व ट्रेड डेवलेपमेंट अथारिटी का टी एफ ए आई के साथ विलय हो जाने पर विलयित संगठन को 16.04.1992 को कम्पनी रजिस्ट्रार की विधिवत स्वीकृति लेकर पुनर्नामित करके इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन कर दिया गया। यह कम्पनी भारत सरकार का शीर्ष व्यापार संवर्धन निकाय है तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य कर रहा है।

1.2 वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

I. अनुपालन विवरण

ये वित्तीय विवरण भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय लेखांकन मानक)(अधिनियम) [कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 और कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2016] और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार लेखांकन के आधार पर तैयार किए जाते हैं। ये कम्पनी के प्रथम भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण हैं और भारतीय लेखांकन मानक 101 'भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार स्वीकृत' करके लागू किया गया है।

31 मार्च, 2016 तक की सभी अवधियों के लिए कम्पनी ने भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) कम्पनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अधीन निर्धारित लेखांकन मानकों, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित और लागू करने की सीमा तक) तथा कम्पनी अधिनियम 1956 के लागू प्रावधानों के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए थे।

पूर्व जी ए ए पी से भारतीय लेखांकन मानक में बदलाव से कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह कैसे प्रभावित हुआ है, इस बारे में टिप्पणी 48 में बताया है।

II. निर्धारण करने का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के अंतर्गत लेखांकन के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं के लिए, जिनको उचित कीमत के आधार पर निर्धारण किया जाता है :-

- कुछ वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं को उचित कीमत पर मापन किया गया।
- सुनिश्चित कर्मचारी लाभ योजनाओं की योजनागत परिसम्पत्तियां।

उचित कीमतों का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों के बारे में टिप्पणी सं. 46 में विचार-विमर्श किया है।

III. क्रियाशील और प्रस्तुतीकरण करेंसी (मुद्रा)

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आई एन आर) में तैयार किए जाते हैं जो कम्पनी की क्रियाशील मुद्रा है। भारतीय रुपये (आई एन आर) में प्रस्तुत की गई समस्त वित्तीय सूचना कम्पनी के लिए लाख (2 दशमलव तक) के आस-पास रखी गई है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

IV. अनुमानों, निर्णयों और संकल्पनाओं का उपयोग

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए निर्णय, अनुमान और संकल्पनाओं हेतु प्रबंधन की यह अपेक्षा है, जिससे लेखांकन नीतियों को लागू करने और परिसम्पत्तियों और देयताओं की सूचित कीमत, तुलन-पत्र की तारीख को संबंधित प्रकटन आकस्मिक परिसम्पत्तियां और देयताएं तथा अवधि के दौरान आय और व्यय की सूचित धनराशि प्रभावित हो सकती है। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय अनुभव और परिस्थितियों में उचित और विवेकपूर्ण माने गए अन्य कारकों पर आधारित होते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों में परिवर्तन को उस अवधि के वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाता है, जिसमें परिवर्तन किए जाते हैं और यदि महत्त्वपूर्ण हो, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

वित्तीय विवरणों के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमानों, अनिश्चितता और जटिल निर्णयों के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में सूचना को निम्नलिखित क्षेत्रों में शामिल किया जाता है, जिसका वित्तीय विवरणों में स्वीकार्य धनराशियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव हो सकता है।

(i) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों (पी पी ई) की उपयोगी मियाद

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों की अनुमानित उपयोग मियाद बहुत से कारकों पर आधारित होती है, जिनमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारक शामिल हैं, जिनका निर्धारण परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण करने तथा समय-समय उनकी समीक्षा करने के समय प्रबंधन के द्वारा किया जाता है।

(ii) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों की वसूली योग्य धनराशि और पूंजीगत कार्य प्रगति पर

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों की वसूली योग्य धनराशि तथा कार्य प्रगति पर होना अनुमानों और संकल्पनाओं, विशेषकर संभावित बाजार दृष्टिकोण एवं सम्बद्ध भावी नकद प्रवाह पर आधारित होता है। इन संकल्पनाओं में यदि कोई परिवर्तन होता है तो वसूली योग्य धनराशि मापन पर भौतिक प्रभाव के परिणामस्वरूप हानि।

(iii) सेवा निवृत्ति बाद लाभ योजनाएं

कर्मचारी के लाभ दायित्वों को वास्तविक संकल्पनाओं के आधार पर मापा (निर्धारित) किया जाता है, जिसमें मृत्यु और निकासी (आहरण) दरें तथा छूट दरों पर भावी विकास संबंधी संकल्पनाएं, वेतन वृद्धि की दर, लाभ की संभावित दर और मुद्रास्फीति की दर शामिल हैं। कम्पनी यह मानती है कि उसके दायित्वों को मापने के लिए प्रयुक्त संकल्पनाएं उपयुक्त एवं प्रमाणित होती हैं। तथापि, इन संकल्पनाओं में किसी प्रकार के परिवर्तनों का परिणामी गणनाओं का वास्तविक प्रभाव हो सकता है।

(iv) प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को स्वीकार करने में किए गए आकलन भारतीय लेखांकन मानक 37, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसम्पत्तियों' के अनुसार किए गए हैं।

संदिग्ध ऋणों/ अग्रिमों के लिए प्रावधान सरकारी बकाया धनराशि सहित बकाया, तीन वित्तीय वर्षों से अधिक अथवा अन्यथा बकाया धनराशियों के बारे में किए गए हैं, सिवाय उन मामलों के, जिनमें कम्पनी को वसूली की उम्मीद होती है।

2. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पी पी ई)

(क) 31 मार्च, 2015 तक सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों की भारतीय जी ए ए पी के अनुसार तुलन-पत्र में ले जाया गया था। कम्पनी ने भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तारीख (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को मानी गई लागत के रूप में इन राशियों के लिए भारतीय लेखांकन मानक 101 'भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार स्वीकार' करके प्रदान की गई छूट को चुना है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

(ख) पी पी ई की मद को एक परिसम्पत्ति के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब यदि यह संभव हो कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलेंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

(ग) पी पी ई को परिसम्पत्ति के अधिग्रहण/ विनिर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से किए गए व्यय सहित अधिग्रहण/ विनिर्माण की लागत पर शुरू में निर्धारित किया जाता है। जिन मामलों में ठेकेदारों/ निष्पादन एजेंसी के पास बिलों का अंतिम निपटान लंबित हो, लेकिन परिसम्पत्ति पूर्ण हो और उपयोग हेतु उपलब्ध हो, ऐसे मामलों में आवश्यक समाधानों के अध्याधीन दिए गए ठेके/ लेखा विवरण/ उपयोग प्रमाण पत्र के आधार पर पूंजीकरण किया जाता है, इसमें वे शामिल हैं जो मध्यस्थता/ न्यायालय के मामलों के समाधान से होते हैं।

(घ) पी पी ई संबंधी उत्तरवर्ती व्यय को परिसम्पत्ति की धारित धनराशि के रूप में पूंजी माना जाता है अथवा यथा उपयुक्त एक अलग परिसम्पत्ति के रूप में केवल उस समय मान्यता दी जाती है जब इससे इनकी मियाद बढ़ती हो और/ अथवा मौजूदा परिसम्पत्ति की कुशलता और मद की लागत को विश्वसनीय तौर पर मापा जा सके।

(ङ) प्रारंभिक मान्यता के बाद पी पी ई संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन और संचित क्षति हानियों, यदि कोई हो, को कम करके लागत पर लिए जाते हैं।

(च) परिसम्पत्ति की बिक्री करने अथवा अलग करने पर वित्तीय विवरणों से लागत और संबद्ध संचित मूल्यह्रास हो हटा दिया जाता है और परिणामी लाभ अथवा हानियों को आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है।

2.2 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

(क) 31 मार्च, 2015 तक प्रगति पर पूंजीगत कार्य भारतीय जी ए ए पी के अनुसार तुलन-पत्र में लिए गए थे। कम्पनी ने (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को मानी गई लागत के रूप में इन राशियों के लिए भारतीय लेखांकन मानक 101 'भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार स्वीकार' करके प्रदान की गई छूट को चुना है।

(ख) भारतीय जी ए ए पी के अनुसार विनिर्माणाधीन/विकासाधीन परिसंपत्तिया पूंजीगत कार्य प्रगति के अंतर्गत निर्धारित कीमत पर शामिल किया गया है। जिन मामलों में ठेकेदारों/ निष्पादन एजेंसी के पास बिलों का अंतिम निपटान लंबित हो, लेकिन परिसम्पत्ति पूर्ण हो और उपयोग हेतु उपलब्ध हो, ऐसे मामलों में आवश्यक समाधानों के अध्याधीन दिए गए ठेके/ लेखा विवरण/ उपयोग प्रमाण पत्र के आधार पर पूंजीकरण किया जाता है, इसमें वे शामिल हैं जो मध्यस्थता/ न्यायालय के मामलों के समाधान से होते हैं।

2.3 अमूर्त परिसम्पत्तियां

(क) 31 मार्च, 2015 तक प्रगति पर पूंजीगत कार्य भारतीय जी ए ए पी के अनुसार तुलन-पत्र में लिए गए थे। कम्पनी ने (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को मानी गई लागत के रूप में इन धनराशियों के लिए भारतीय लेखांकन मानक 101 'भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार स्वीकार' करके प्रदान की गई छूट को चुना है।

(ख) अमूर्त परिसम्पत्तियों को लागत पर प्रारंभिक मान्यता के आधार पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद अमूर्त परिसम्पत्तियों को संचित परिशोधन और क्षति, हानियों, यदि कोई हो, को कम करके लागत पर शामिल किया जाता है।

(ग) किसी अमूर्त परिसंपत्ति की किसी मद को निपटान के समय या जब इसके प्रयोग अथवा निपटान से भविष्य में किसी आर्थिक लाभ की संभावना नहीं होती, समाप्त किया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति को समाप्त करने से उत्पन्न लाभ या हानि को परिसंपत्ति के निवल निपटान लाभों और रखरखाव (वहन की जाने वाली) धनराशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और व्यय विवरण के रूप में स्वीकार किया जाता है, जब परिसंपत्ति को समाप्त किया गया हो।

2.4 मूल्यह्रास और परिशोधन

(क) पट्टे के आधार पर अर्जित की गई पट्टा धारित भूमि के लिए परिशोधन नहीं किया गया है।

(ख) परिसम्पत्ति के अनुमानित उपयोग काल के आधार पर आय और व्यय विवरण पर मूल्यह्रास लिया जाता है जो कम्पनी

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित जीवन काल और अवशिष्ट मूल्य से अधिक नहीं होता है। परिसम्पत्तियों के परिवर्धन/ कटौतियों के मामले में मूल्यह्रास उस माह से/ तक यथा अनुपात (प्रो-रेटा) आधार पर लिया जाता है, जिस माह में परिसम्पत्ति बिक्री/ निपटान के लिए उपलब्ध हो।

(ग) 5000 रुपए अथवा उससे कम लागत वाली प्रत्येक परिसम्पत्तियों का 100 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास किया गया है।

(घ) अमूर्त परिसम्पत्तियों का कानूनी अधिकार की अवधि अथवा 3 वित्तीय वर्षों में, जो पहले हो, उस वर्ष से बराबर-बराबर पूर्ण परिशोधन किया गया है, जब परिसम्पत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध हो।

2.5 गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों का ह्रास

परिसम्पत्तियों की निहित राशि की यह निर्धारण करने के लिए रिपोर्ट की प्रत्येक तारीख को समीक्षा की गई है कि क्या ह्रास का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है, तो परिसम्पत्तियों की वसूलनीय धनराशि का अनुमान लगाया जाता है। मूल्यह्रास हानि की पहचान की जाती है यदि परिसम्पत्तियों और इसकी नकद उत्पन्न करने वाली इकाई में निहित धनराशि इसकी अनुमानित वसूलनीय धनराशि से अधिक हो जाती है। ह्रास की हानियों/ अभिशून्यन की पहचान आय और व्यय विवरण में की जाती है।

2.6 नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्य में अपने पास ड्राफ्ट/ चैक, बैंकों में शेष जमा धनराशि और मूल 3 माह अथवा उससे कम समय की वास्तविक परिपक्वता अवधि वाले अल्पावधि निवेश शामिल हैं जो मूल्य में परिवर्तनों में महत्त्वपूर्ण जोखिम के अध्यधीन होते हैं।

2.7 सामान सूचियां

सामान सूचियों का मूल्य-निर्धारण लागत से कम अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य पर होता है।

2.8 विदेशी मुद्रा

(क) विदेशी मुद्रा में लेन-देनों को भुगतानों की औसत दर पर क्रियाशील मुद्रा में कम्पनी के द्वारा प्रारंभ में रिकार्ड किया जाता है।

(ख) विदेशी मुद्रा में सूचित मौद्रिक परिसम्पत्तियों और देयताएं रिपोर्ट करने की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर क्रियाशील मुद्रा में परिवर्तित की जाती हैं। निपटान/ मौद्रिक मदों के परिवर्तन के कारण, कोई विनिमय के कारण अन्तर उत्पन्न होता है तो उसे उस वर्ष के आय और व्यय लेखों में शामिल किया जाता हैं, जिस वर्ष में उत्पन्न हुआ है

(ग) अचल परिसम्पत्तियों की गणना अर्जन के वर्ष में विदेशी मुद्रा की विनिमय की औसत दर पर की गई है। जिन मामलों में पूर्व निधियों का उपयोग किया गया है, वहां परिवर्तन के प्रयोजन से पूर्व में भेजी गई विदेशी मुद्रा की विनियम की गई औसत दर को लिया गया है।

2.9 उचित कीमत निर्धारण

वित्तीय संसाधनों की उचित कीमत का निर्धारण करने में कम्पनी विभिन्न पद्धतियों और संकल्पनाओं का उपयोग करती है जो रिपोर्ट करने की प्रत्येक तारीख को बाजार की परिस्थितियों और जोखिमों पर आधारित होते हैं। उचित कीमत का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों में छूट प्राप्त नकद प्रवाह विश्लेषण, उपलब्ध उद्धृत बाजार कीमतें आदि शामिल होती हैं। उचित कीमत का आकलन करने की सभी पद्धतियां कीमत के मौटे अनुमान पर आधारित हैं और ऐसी कीमत की वास्तव में वसूली नहीं की जा सकती है।

तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष के भीतर परिपक्व हो रही वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं के लिए उन संसाधनों की अल्प परिपक्वता की वजह से इनको उचित कीमत के लिए नहीं लिया जाता है।

2.10 वित्तीय संसाधन

क. प्रारंभिक पहचान और मापन

कम्पनी वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं की तब पहचान करती है जब यह संसाधन के संविदात्मक प्रावधानों के लिए

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

एक पक्षकार बनती है। सभी वित्तीय परिसम्पत्तियां और देयताओं की प्रारंभिक पहचान पर उचित कीमत पर पहचान की जाती है। लेन-देन संबंधी लागतें, जो वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण अथवा निर्गम के लिए प्रत्यक्षत: होती है, और जो लाभ अथवा हानि (एफ वी टी पी एल) उचित कीमत पर नहीं होती है, उनको प्रारंभिक पहचान पर उचित कीमत में जोड़ा जाता है।

ख. उत्तरवर्ती माप

(i) **परिशोधित लागत पर ऋण संसाधन**

ऋण संसाधनों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है, यदि यह व्यापार मॉडल के अधीन नियंत्रित हो और जिसका उद्देश्य संविदात्मक, नकद प्रवाहों को एकत्रित करने के लिए परिसम्पत्तियों को रखना है और वित्तीय परिसम्पत्तियों को संविदात्मक शर्तें नकद प्रवाहों की विशिष्ट तारीखों को बढ़ाती हैं जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का प्रमुख भुगतान (एस पी पी आई) हैं।

प्रारंभिक निर्धारण के बाद में प्रभावी ब्याज दर (ई आई आर) का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियों का बाद में निर्धारण किया जाता है। ई आई आर परिशोधन आय और व्यय विवरण में शामिल है।

(ii) **इक्विटी निवेश**

अनुषंगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा संस्थाओं में सभी इक्विटी निवेश उचित कीमत पर निर्धारित किया जाता है। इक्विटी संसाधनों को, जो व्यापार के लिए धारित होते हैं, लाभ अथवा हानि के जरिए उचित कीमत ('एफ वी टी पी एल') पर वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी इक्विटी संसाधनों के लिए कम्पनी इनको एफ वी टी ओ सी आई अथवा एफ वी टी पी एल पर वर्गीकृत करती है। कम्पनी संसाधन से संसाधन आधार पर ऐसा चयन करती है। प्रारंभिक मान्यता पर वर्गीकरण किया जाता है और यह अपरिवर्तनीय है।

(iii) **वित्तीय देयताएं**

वित्तीय देयताओं को ई आई आर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधन लागत पर बाद में निर्धारित किया जाता है। आय और व्यय विवरण में लाभ और हानियों को निर्दिष्ट किया जाता है

(iv) **अनुषंगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश**

अनुषंगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों में निवेश ह्रास कम करके लागत पर किए जाते हैं, यदि कोई हो।

ग. वित्तीय संसाधनों को मान्यता न देना

कम्पनी किसी वित्तीय परिसम्पत्ति को उस स्थिति में मान्यता नहीं देती है जब वित्तीय परिसम्पत्ति से नकद प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा यह वित्तीय परिसम्पत्तियों को हस्तांतरित कर देती है और भारतीय लेखांकन मानक 109 के तहत मान्यता न देने के लिए हस्तांतरण उपयुक्त हो। किसी वित्तीय देयता (अथवा वित्तीय देयता का भाग) उस स्थिति में कम्पनी के तुलन-पत्र से अमान्य हो जाता है जब संविदा में विनिर्दिष्ट दायित्व पूरा हो जाता अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो जाता है। जब विद्यमान वित्तीय देयता को उसी साहूकार से दूसरे को पर्याप्त अलग-अलग शर्तों पर बदला जाता है अथवा मौजूदा देयता की शर्तों को काफी संशोधित किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा संशोधन को मूल देयता को अमान्य और नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित निहित धनराशियों को आय और व्यय विवरण में निर्दिष्ट किया जाता है।

घ. वित्तीय परिसम्पत्तियों का ह्रास

कम्पनी ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए संभावित क्रेडिट हानि (ई सी एल) मॉडल का उपयोग करते हुए हानि संबंधी छूट को मान्यता देती है, जिनका लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमतांकन नहीं किया जाता है। बिना पर्याप्त वित्तीय संघटक वाले व्यापार प्राप्यों के लिए हानि संबंधी छूट का ई सी एल मियाद के बराबर धनराशि पर निर्धारण किया जाता है। सभी अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए ई सी एल का निर्धारण 12 मास की ई सी एल के बराबर राशि पर तब तक निर्धारण किया जाता

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

है, जब तक प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट में पर्याप्त वृद्धि न हो, जिसमें उनको ई सी एल मियाद पर निर्धारित किया जाता है। ई सी एल (अथवा अभिशून्यन) की धनराशि, जो उस धनराशि के बारे में रिपोर्ट करने की तारीख पर हानि छूट को समायोजित करने के लिए अपेक्षित होती है, उसको आय और व्यय विवरण में लाभ अथवा हानि के ह्रास के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है।

चूंकि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत यह कम्पनी पंजीकृत है, इसीलिए यह आय और व्यय विवरण तैयार करती है। अत: भारतीय लेखांकन मानक एफ वी टी पी एल का पालन करने के लिए लाभ अथवा हानि लेखा के माध्यम से उचित कीमत (जहां कहीं उल्लेख हो) से अभिप्राय आय और व्यय विवरण के माध्यम से उचित कीमत से होगा।

2.11राजस्व/व्यय को मान्यता

(क) भारत और विदेशों में आयोजित मेलों/ प्रदर्शनियों से आय और व्यय की उस वर्ष में गणना की गई है, जिस वर्ष में आयोजन शुरू हुआ। तथापि, दो लेखांकन अवधियों में व्याप्त, तीन माह या अधिक की अवधि वाले दीर्घावधिक आयोजनों के मामले में, जिसकी प्रमुख अवधि परवर्ती लेखांकन अवधि में पड़ती है, उस आयोजन की आय एवं व्यय की धनराशि उस में शामिल की गई है, जिस वर्ष में आयोजन समाप्त हुआ।

(ख) किराए से और प्रचालन पट्टों से प्राप्त राजस्व को प्रासंगिक करार की शर्तों के अनुसार प्रोदभवन आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ग) कम्पनी के प्रदर्शन और मेलों में प्रदर्शित आंतरिक सजावट की वस्तुओं की लागत को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है। तथापि, भावी मेलों में उपयोग करने के लिए स्टॉक में रखे नए सामानों को अंतिम स्टॉक के रूप में माना जाता है।

(घ) सिविल, विद्युत, बागवानी आदि पर सी पी डब्ल्यू डी/ एन बी सी सी जैसी एजेंसियों के द्वारा किए गए व्यय को उनके द्वारा दिए गए विवरणों/ लेखों/ उपयोग प्रमाणपत्रों के आधार पर लेखे में लिया जाता है।

(ङ) विगत वर्षों की आय और व्यय, जो प्रत्येक मामले में 10,000 रु. से अधिक न हो, को चालू वर्ष के संबंध में माना जाता है।

(च) जिन मामलों में लाइसेंसधारी के साथ संविदा समाप्त हो गई हो, उन मामलों में समाप्त हुई संविदा/ इस मामले में अंतिम निर्णय होने तक संशोधित समझौते/ निष्पादित संशोधित संविदाओं के आधार पर बकाया धनराशियों को अस्थायी रूप से लेखें में लिया जाता है।

(छ) कार्य का विलंब से निष्पादन करने के लिए ठेकेदारों से निर्धारित क्षतियों के दावों को तब आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब धनराशि के बारे में अंतिम तौर पर निर्धारण और सहमति हो जाती है।

(ज) एसोसिएट अंशदाताओं से अंशदान शुल्क और नियमित अंशदाताओं से सेवा प्रभारों को प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है। तथापि, अग्रिम रूप से प्राप्त अंशदान शुल्क को उस प्रासंगिक वर्ष में लेखे में डाला जाता है, जिसके लिए यह संबंधित है।

(झ) जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित हो जाता है, तब लाभांश आय को आय और व्यय के विवरण में शामिल किया जाता है।

2.12 सरकारी अनुदान

(क) सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय एप्रोच से स्वीकार तब किया जाता है जब यह उचित आश्वासन हो कि उनको प्राप्त कर लिया जाएगा और कम्पनी अनुदान से जुड़ी शर्तों का पालन करेगी।

(ख) जिन अनुदानों से कम्पनी द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हो, उनको उस अवधि में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है जिस अवधि में संबद्ध खर्च किए हों।

(ग) प्रवर्तक के अंशदान की प्रकृति के अनुदानों को अन्य इक्विटी के तहत उपयुक्त श्रेणी में शामिल किया जाता है।

2.13 ऋण लेने संबंधी लागत

विशेष मूर्त सम्पत्तियों को आशायित उपयोग अथवा बिक्री हेतु तैयार होने में अनिवार्यता काफी समय लेती हैं, उनके अधिग्रहण,

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

विनिर्माण अथवा उत्पादन करने के लिए प्रत्यक्षत: उत्तरदायी ऋण लेने संबंधी खर्चों को परिसम्पत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजी माना जाता है। सभी अन्य ऋण खर्चों को उस अवधि के खर्च माना जाता है, जिस अवधि में वे होते हैं। ऋण संबंधी खर्चों में ब्याज और अन्य खर्चे शामिल होते हैं, जिनको कोई संस्था को निधियों के ऋण लेने के संबंध में करती है। ऋण खर्च में ऋण लेने के खर्चों के समाधान के रूप में मानी गई सीमा तक के लिए विनिमय अंतर भी शामिल होते हैं।

ऋण खर्च का लाभ उस समय समाप्त हो जाता है जब विशेष मूर्त परिसम्पत्तियों को उनके आशयित उपयोग हेतु उन्हें तैयार करने के लिए आवश्यक सभी कार्यकलाप पूरे हों।

2.14 कर्मचारी लाभ

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं

कम्पनी अलग-अलग ट्रस्टों (न्यास) को निर्धारण दरों पर भविष्य निधि/ पेंशन निधि में परिभाषित अंशदानों का भुगतान करने के लिए बाध्य है। जो फण्डों को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, वर्ष के अंशदान को व्यय के रूप में माना जाता है और आय एवं व्यय विवरण में प्रभारित होता है। आई टी पी ओ भी अपने ट्रस्टों की संचित कमी यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है प्रत्येक कमी को अपने व्यय के रूप में मानती है।

(ख) परिभाषित लाभ योजनाएं

कम्पनी की एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है। योजना के लिए वित्त व्यवस्था की जाती है। एक अलग से आई टी पी ओ कर्मचारी ग्रेच्युटी फण्ड ट्रस्ट इसके कार्य का प्रबन्ध करता है। ग्रेच्युटी योजना के संबंध में देयताओं का निर्धारण तुलन-पत्र की प्रत्येक तारीख को स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन से होता है।

कम्पनी परिभाषित लाभ योजना के निवल दायित्व को अपने तुलन-पत्र में एक परिसम्पत्ति अथवा देयता के रूप में मानती है।

बीमांकिक संकल्पनाओं में समायोजनों अथवा परिवर्तनों से हुए पुन: निर्धारित लाभों और हानियों को उस अवधि में शामिल किया जाता है जिस अवधि में अन्य विस्तृत आय (ओ सी आई) में प्रत्यक्षत: होती हैं।

आई टी पी ओ भी आई टी पी ओ कर्मचारी ग्रेच्युटी फण्ड ट्रस्ट की संचित कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है और ऐसी कमी को अपने व्यय के रूप में मानती है।

(ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों में छुट्टी नकदीकरण (अनफण्डेड) शामिल है। प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकिक के द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कम्पनी की पुस्तकों में इसे शामिल किया जाता है।

(घ) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ दायित्वों बिना छूट के आधार पर निर्धारित किया जाता है और कर्मचारी के द्वारा उपलब्ध करायी संबद्ध सेवा के रूप में व्यय माना जाता है। इन लाभों में मजदूरी, वेतन, सुविधाएं और भत्ते आदि शामिल होते हैं।

(ङ) समापन (टर्मिनेशन) लाभ

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजनाओं पर अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन के रूप में टर्मिनल लाभों पर किए गए खर्चों को लाभ और हानि विवरण में ऐसे खर्चों के होने के वर्ष में शामिल किया जाता है।

2.15 प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कम्पनी किसी विगत मेले के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा ठोस) हो, और यह संभव है कि आर्थिक दायित्वों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों का आउटफ्लों दायित्वों का निपटारा करने के लिए

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

आवश्यक होगा तथा दायित्व धनराशि के बारे में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

यदि धनराशि के समय मूल्य का प्रभाव वस्तुतः होता है तो चालू पूर्व कर दर का उपयोग करके प्रावधानों को कम कर दिया जाता है, जो जब उपयुक्त होता है तब देयता के बारे में जोखिम विशेष को दर्शाता है। जब कम प्रावधान का उपयोग किया जाता है, तब समय बीतने की वजह से प्रावधान में वृद्धि को वित्त वर्ष के रूप में माना है।

आकस्मिक देयताएं संभव दायित्व होती हैं जो विगत मेलों से आती (उठती) हैं और उनके अस्तित्व की पुष्टि एक अथवा एक से अधिक भावी मेलों के आयोजनों से ही होगी और यह कम्पनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होती हैं। जहां पर यह संभव नहीं होता है कि आर्थिक लाभों के आउटफ्लों की आवयकता होगी अथवा धनराशि के बारे में विश्वसनीय तौर पर अनुमान नहीं लगा सकते हैं, तब दायित्वों को आकस्मिक देयता के रूप में तब प्रकट किया जाता है, जब आर्थिक लाभों के आउटफ्लों की संभावना अप्रत्यक्ष न हो। आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/ स्वतंत्र विशेषज्ञ के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख को समीक्षा की जाती है और चालू प्रबंध अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित की जाती हैं। आकस्मिक परिसम्पत्तियों संभव परिसम्पत्तियां होती हैं जो विगत मेलों से होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि एक अथवा एक से अधिक अनिश्चित भावी मेलों के होने अथवा न होने से होगी और ये कम्पनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होती हैं। आकस्मिक परिसम्पत्तियों के बारे में वित्तीय विवरणों में तब प्रकट किया जाता है, जब आर्थिक लाभों का अंतर्वाह प्रबंधन के निर्णय के आधार पर संभव हो। इनका यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर समीक्षा की जाती है कि विकासों को वित्तीय विवरणों में उपयुक्त रूप से दर्शाया जाता है।

2.16 वर्तमान लेखांकन उद्घोषणा

मानक जारी किए परंतु अभी प्रभावी नहीं

मार्च 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने भारतीय लेखांकन मानक 7 'कैश फ्लों विवरण' में संशोधनों को अधिसूचित करते हुए कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियमावली 2017 जारी की। ये संशोधन भारतीय लेखांकन मानक 7 'कैश फ्लों विवरण' के लिए अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आई ए एस बी) के द्वारा हाल ही में किए गए संशोधनों के अनुसार हैं। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से कम्पनी पर लागू हैं।

भारतीय लेखांकन मानक 7 में संशोधन

भारतीय लेखांकन मानक 7 में संशोधन किए गए और अतिरिक्त घोषणाएं की गई जिनसे प्रकटन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय कार्यकलापों से हुई देयताओं के लिए तुलन-पत्र में प्रारंभिक और अंतिम शेषों के बीच मिलान को शामिल करने के बारे में सुझाव देते हुए नकद प्रवाहों से परिवर्तनों और गैर नकदी परिवर्तन दोनों सहित वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को मदद मिलेगी।

कम्पनी संशोधनों की अपेक्षाओं और वित्तीय विवरणों पर इनके प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

3. सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर

निम्नलिखित सारणी 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर परिवर्तन को दर्शाती है।।

क्र.सं.	परिसम्पत्तियों का विवरण		लागत पर संकल ब्लाक				
		मियादी (वर्ष)	1.04.2016 को	अतिरिक्त	कटौती/ समायोजन	वर्ष के दौरान हानि (निराकरण)	31.03.2017 को
	(क) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कार						
1	भूमि (स्थायी पट्टे पर)		78.75	-	-	-	78.75
2	प्रगति मैदान परिसर (लीज होल्ड)#		0.00	-	-	-	0.00
3	**भवन (लीज पर ली गई भूमि पर)**						
	क श्रेणी	40	1,586.28	-	13.97	-	1,572.32
	ख श्रेणी	20	79.48	-	45.54	-	33.94
	ग श्रेणी	10	60.63	-	0.42	-	60.21
	अनारकली फूड प्लाजा #		0.00	-	-	-	0.00
4	आवासीय/कार्यालय फ्लैट						
	(i) फ्री होल्ड	40	149.57	-	-	-	149.57
	(ii) स्थायी पट्टे पर		10.29	-	-	-	10.29
5	जल आपूर्ति एवं ड्रेनेज	10	15.56	0.44	-	-	16.00
6	विद्युत संस्थापना/ फिटिंग	10	249.28	-	4.22	-	245.06
7	एयर कंडीशनिंग प्लांट	8	23.50	-	23.25	-	0.25
8	एयर कंडीशनिंग प्लांट	15	1,916.23	-	50.15	-	1,866.08
9	एयर कंडीशनिंग/ एयर वैंटीलेशन प्लांट	10	1.89	-	1.61	-	0.28
10	फर्नीचर और फिक्सचर	10	32.59	1.68	0.17	-	34.10
11	वाहन	5	31.74	-	0.93	-	30.81
12	दृश्य श्रव्य उपकरण	5	151.50	0.00	0.00	-	151.50
13	फायर हाईड्रेन्ट एवं आग से बचाव के उपकरणे	10	175.27	-	170.10	-	5.17
14	कार्यालय उपकरण/ अन्य विविध परिसंपत्तियां	5	114.46	16.85	2.76	-	128.55
15	सर्वर एवं नेटवर्क	6	21.70	-	-	-	21.70
16	कम्प्यूटर आदि	3	83.07	42.45	6.65	-	118.87
17	सौर संस्थापना	15	36.74	73.52	-	-	110.26
	उप जोड़ (क)		**4,818.53**	**134.94**	**319.77**	**-**	**4,633.70**
	(ख) अमूर्त परिसंपत्तियां						
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3	-	0.79	-	-	0.79
	वेबसाइट	3	-	20.41	-	-	20.41
	उप जोड़ (ख)		**-**	**21.20**	**-**	**-**	**21.20**
	(ग) पूंजीगत कार्य प्रगति पर		617.92	251.64	760.30	-	109.26
	उप जोड़ (ग)		**617.92**	**251.64**	**760.30**	**-**	**109.26**
	विकास के अंतर्गत अस्थायी परिसंपत्तियां		-	-	-	-	-
	कुल जोड़ (क + ख + ग + घ)		**5,436.45**	**407.78**	**1,080.07**	**-**	**4,764.17**

\# केवल 1 रुपये (एक) की बुक कीमत

i. मूल्यह्रास में 5,000 रुपये अथवा उससे कम मूल्य की प्रत्येक परिसम्पत्ति के मामले में 100% की दर पर मूल्यह्रास 2.75 लाख रुपये (पूर्ववर्ती वर्ष 0.69 लाख रुपये) शामिल हैं।

ii. एक व्यावसायिक फर्म के द्वारा किये गए अध्ययन के आधार पर परिसंपत्तियों की क्षति पर भारतीय लेखांकन मानक-36 के प्रावधानों के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को विद्यमान परिसंपत्तियों की हानि का कोई मामला नहीं हैं।

iii. आई ई सी सी परियोजना हेतु 593.94 लाख रूपये की परिसंपत्ति लागत में से 236.63 लाख रुपये तोड़फोड़ करने के लिए सौंप दिए और वर्ष के लिए लेखा बही से हटा दिए जिसको 209.34 लाख रु. ब्रिकी प्रक्रिया के अंतर्गत दिखाया गया है। आय एवं व्यय लेखें विवरण में अन्य व्यय में 27.29 लाख रु. शामिल किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप उक्त धनराशि की हानि हुई।

(रु. लाख में)

मूल्यह्रास/संचित				निवल ब्लॉक	
01.04.2016 को	वर्ष के लिए	निपटान/समायोजन	31.03.2017 को	31.03.2017 को	31.03.2016 को
-	-	-	-	78.75	78.75
-	-	-	-	0.00	0.00
78.34	78.31	2.43	154.23	1,418.09	1,507.94
8.54	8.26	7.39	9.41	24.53	70.94
9.66	9.66	-	19.32	40.89	50.97
-	-	-	-	0.00	0.00
5.20	6.13	-	11.33	138.24	144.37
0.93	-	-	0.93	9.36	9.36
0.70	1.42	-	2.12	13.88	14.86
26.51	27.89	0.74	53.66	191.40	222.77
4.18	4.18	8.36	-	0.25	19.32
178.01	177.86	7.73	348.14	1,517.94	1,738.22
-	-	-	-	0.28	1.89
5.72	5.46	0.04	11.14	22.96	26.87
4.17	4.40	-	8.57	22.24	27.57
65.16	65.08	-	130.24	21.26	86.34
22.99	22.99	45.98	-	5.17	152.28
50.60	14.95	0.58	64.97	63.58	63.86
3.53	2.42	-	5.95	15.75	18.17
20.76	21.58	1.43	40.91	77.96	62.31
0.78	5.43	-	6.21	104.05	35.96
485.78	**456.02**	**74.68**	**867.12**	**3,766.58**	**4,332.75**
-	0.27	-	0.27	0.52	-
-	6.80	-	6.80	13.61	-
-	**7.07**	**-**	**7.07**	**14.13**	**-**
-	-	-	-	109.26	617.92
-	**-**	**-**	**-**	**109.26**	**617.92**
-	-	-	-	-	-
485.78	**463.09**	**74.68**	**874.20**	**3,889.98**	**4,950.67**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

निम्नलिखित सारणी 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर में हुए परिवर्तन को दर्शाती है।

क्र.सं.	परिसंपत्तियों का विवरण		लागत पर सकल राशि				
		मियादी (वर्ष)	1.04.2015 को (नीचे टिप्पणी i देखें)	अतिरिक्त	कटौती/ समायोजन	वर्ष के दौरान हानि (निराकरण)	31.03.2016 को
	(क) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कार						
1	भूमि (स्थायी पट्टे पर)		78.75	-	-	-	78.75
2	प्रगति मैदान परिसर (लीज होल्ड) #		0.00	-	-	-	0.00
3	**भवन (लीज पर ली गई भूमि पर)**						
	क श्रेणी	40	1,591.48	-	5.20	-	1,586.28
	ख श्रेणी	20	73.49	5.99	-	-	79.48
	ग श्रेणी	10	60.63	-	-	-	60.63
	अनारकली फूड प्लाजा #		0.00	-	-	-	0.00
4	**आवासीय/कार्यालय फ्लैट**						
	(i) फ्री होल्ड	40	149.80	-	0.23	-	149.57
	(ii) स्थायी पट्टे पर		10.29	-	-	-	10.29
5	जल आपूर्ति एवं ड्रेनेज	10	1.07	14.72	0.23	-	15.56
6	विद्युत संस्थापना/फिटिंग	10	177.06	72.79	0.57	-	249.28
7	एयर कंडीशनिंग प्लांट	8	23.50	-	-	-	23.50
8	एयर कंडीशनिंग प्लांट	15	1,916.23	-	-	-	1,916.23
9	एयर कंडीशनिंग/एयर वैंटीलेशन प्लांट	10	1.89	-	-	-	1.89
10	फर्नीचर और फिक्सचर	10	32.28	0.31	-	-	32.59
11	वाहन	5	15.48	16.26	-	-	31.74
12	दृश्य श्रव्य उपकरण	5	151.50	-	-	-	151.50
13	आग से बचाव के उपकरण एवं फायर हाइड्रेन्ट	10	175.27	-	-	-	175.27
14	कार्यालय उपकरण/ अन्य विविध परिसंपत्तियां	5	92.94	21.73	0.21	-	114.46
15	सर्वर एवं नेटवर्क	6	21.70	-	-	-	21.70
16	कम्प्यूटर आदि	3	56.65	26.42	-	-	83.07
17	सौर संस्थापना	15	-	36.74	-	-	36.74
	उप जोड़ (क)		**4,630.01**	**194.96**	**6.44**	**-**	**4,818.53**
	(ख) अमूर्त परिसंपत्तियां						
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	3	-	-	-	-	-
	उप जोड़ (ख)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			-	-	-	-	
	(ग) पूंजीगत कार्य प्रगति पर		559.48	69.51	11.07	-	617.92
	उप जोड़ (ग)		**559.48**	**69.51**	**11.07**	**-**	**617.92**
	विकास के अंतर्गत अस्थायी परिसंपत्तियां		62.00	-	62.00	-	-
	उप जोड़ (घ)		**62.00**	**-**	**62.00**	**-**	**-**
	कुल जोड़ (क + ख + ग + घ)		**5,251.49**	**264.47**	**79.51**	**-**	**5,436.45**

केवल 1 रुपये (एक) की बुक कीमत

i. प्रत्येक 5,000 रु. कीमत या इससे कम की परिसंपत्ति के संबंध में मूल्यह्रास 0.69 लाख रु. शामिल हैं।

ii. व्यावसायिक फर्म द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर, परिसंपत्ति हानि से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक- 36 के प्रावधान के अन्तर्गत 31 मार्च, 2017 को विद्यमान परिसंपत्तियों में हानि का कोई मामला नहीं हैं।

(रु. लाख में)

मूल्यह्रास/संचित				निवल ब्लाक	
1.04.2015 को	वर्ष के लिए	निपटान/समायोजन	31.03.2016 को	31.03.2016 को	31.03.2015 को
-	-	-	-	78.75	78.75
-	-	-	-	0.00	0.00
-	78.34	-	78.34	1,507.94	1,591.48
-	8.54	-	8.54	70.94	73.49
-	9.66	-	9.66	50.97	60.63
-	-	-	-	0.00	0.00
-	5.21	0.01	5.20	144.37	149.80
-	0.93	-	0.93	9.36	10.29
-	0.70	-	0.70	14.86	1.07
-	26.51	-	26.51	222.77	177.06
-	4.18	-	4.18	19.32	23.50
-	178.01	-	178.01	1,738.22	1,916.23
-	-	-	-	1.89	1.89
-	5.72	-	5.72	26.87	32.28
-	4.17	-	4.17	27.57	15.48
-	65.16	-	65.16	86.34	151.50
-	22.99	-	22.99	152.28	175.27
-	50.62	0.02	50.60	63.86	92.94
-	3.53	-	3.53	18.17	21.70
-	20.76	-	20.76	62.31	56.65
-	0.78	-	0.78	35.96	-
-	**485.81**	**0.03**	**485.78**	**4,332.75**	**4,630.01**
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	617.92	559.48
-	**-**	**-**	**-**	**617.92**	**559.48**
-	-	-	-	-	62.00
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**62.00**
-	**485.81**	**0.03**	**485.78**	**4,950.67**	**5,251.49**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी

(i) पूर्व जी ए ए पी के अनुसार लाने की कीमत पर सम्पति, संयंत्र और उपस्करों का निर्धारण करने के लिए इनके उपलब्ध्ता पर छूट दी है।

1 अप्रैल, 2015 पर मानी कीमत (रु. लाख में)

परिसंपत्तियों का विवरण	मियादी (वर्ष)	सकल ब्लाक	संचित मूल्यह्रास	निवल ब्लाक	भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार समायोजन	मानी गई लागत कीमत
		1 अप्रैल 2015 को	1 अप्रैल 2015 को	1 अप्रैल 2015 को		1 अप्रैल 2015 को
(क) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर						
भूमि (स्थायी पट्टे पर)		78.75	-	78.75	-	78.75
प्रगति मैदान परिसर (लीज होल्ड) #		0.00	-	0.00	-	0.00
भवन (लीज पर ली गई भूमि पर)						
क श्रेणी	40	3,259.96	1,670.42	1,589.54	1.94	1,591.48
ख श्रेणी	20	195.70	122.21	73.49	-	73.49
ग श्रेणी	10	130.06	69.43	60.63	-	60.63
अनारकली फूड प्लाजा #		0.00	-	0.00	-	0.00
आवासीय/ कार्यालय फ्लैट						
(i) फ्री होल्ड	40	219.96	70.16	149.80	-	149.80
(ii) स्थायी पट्टे पर		39.02	28.73	10.29	-	10.29
जल आपूर्ति एवं ड्रेनेज	10	21.42	20.35	1.07	-	1.07
विद्युत संस्थापना/ फिटिंग	10	1,340.05	1,161.67	178.38	(1.32)	177.06
एयर कंडीशनिंग प्लांट	8	65.58	42.08	23.50	-	23.50
एयर कंडीशनिंग प्लांट	15	2,809.30	893.07	1,916.23	-	1,916.23
एयर कंडीशनिंग/ एयर वैंटीलेशन प्लांट	10	37.76	35.87	1.89	-	1.89
फर्नीचर और फिक्सचर	10	236.28	204.00	32.28	-	32.28
वाहन	5	205.31	189.83	15.48	-	15.48
दृश्य श्रव्य उपकरण	5	425.23	273.73	151.50	-	151.50
फायर हाइड्रेन्ट एव आग से बचाव के उपकरण	10	345.48	170.21	175.27	-	175.27
कार्यालय उपकरण/ अन्य विविध परिसंपत्तियां	5	636.88	543.94	92.94	-	92.94
सर्वर एवं नेटवर्क	6	133.20	111.50	21.70	-	21.70
कंप्यूटर आदि	3	513.28	456.63	56.65	-	56.65
सौर संस्थापना	15	-	-	-	-	-
उप जोड़ (क)		**10,693.22**	**6,063.83**	**4,629.39**	**0.62**	**4,630.01**
(ख) अमूर्त परिसंपत्तियां						
कंप्यूटर साफ्टवेयर	3	45.39	45.39	-	-	-
उप जोड़ (ख)		**45.39**	**45.39**	**-**	**-**	**-**
(ग) पूंजीगत कार्य प्रगति पर		559.48	-	559.48	-	559.48
उप जोड़ (ग)		**559.48**	**-**	**559.48**	**-**	**559.48**
विकास के अंतर्गत अस्थायी परिसंपत्तियां		62.00	**-**	62.00	**-**	62.00
उप जोड़ (घ)		**62.00**	**-**	**62.00**	**-**	**62.00**
सकल जोड़ (क + ख + ग + घ)		**11,360.08**	**6,109.22**	**5,250.87**	**0.62**	**5,251.49**

केवल 1 रुपये (एक) की बुक कीमत

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

4 निवेश

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	1.04.2015 को
(क) इक्विटी संसाधनों में निवेश			
अन-उद्धृत (पूर्णत: प्रदत्त - जब तक अन्यथा बताया न हो, लागत पर)			
सयुक्त उद्यम कम्पनी			
राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र में पूर्णत: प्रदत्त 100रु. प्रति शेयर की दर से 2,00,000 इक्विटी शेयर	166.11	200.00	200.00
अनुषंगी कम्पनियां			
तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन में पूर्णत: प्रदत्त 1,000रु. प्रति शेयर की दर से 51 इक्विटी शेयर	0.51	0.51	0.51
कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन में पूर्णत: प्रदत्त 1,000रु. प्रति शेयर की दर से 1,02,000 (31.03.2016 को 1,02,000 एवं 01.04.2015 को 2,550) इक्विटी शेयर	1,020.00	1,020.00	25.50
कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन में पूर्णत: प्रदत्त 1,000रु. प्रति शेयर की दर से 99,450 इक्विटी शेयर	-	-	994.50
शेयर आवेदन धन आबंटन के लिए लम्बित है।	**1,186.62**	**1,220.51**	**1,220.51**
(ख) अन्य			
अन-उदधृत (लागत पर)			
तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (अनुषंगी कम्पनी) (परिशोधन कीमत पर मापन)	9.80	28.50	55.30
सी-ग्लिम्पस को-आपरेटिव सोसाइटी मुम्बई में 50 रु. प्रत्येक के शेयर की दर से 5 शेयर	0.00	0.00	0.00
	1,196.42	**1,249.01**	**1,275.81**
(i) अन-उद्धृत निवेशों की कुल धनराशि	1,196.42	1,249.01	1,275.81
(ii) निवेशों के मूल्य में कमी की कुल धनराशि	33.89	शून्य	शून्य

5 ऋण

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	1.04.2015 को
अग्रिम			
संबंधित पार्टी			
असुरक्षित			
टीएनटीपीओ को अग्रिम-अनुषंगी कम्पनी	-	97.98	187.05
केटीपीओ को अग्रिम-अनुषंगी कम्पनी (कृपया नोट 32 (क) देखें)	773.77	773.77	773.77
कर्मचारियों को (संचित ब्याज सहित)			
असुरक्षित #	618.90	682.23	747.80
	1,392.67	1,553.98	1,708.62
शामिल हैं			
क) निदेशकों पर बकाया	शून्य	शून्य	शून्य
ख) ऋण के रूप में अधिकारियों पर बकाया	24.79	8.90	19.82
ग) निजी गारंटी पर पूर्णत: सुरक्षित/असुरक्षित	368.04	379.13	408.78

6 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	31.04.2015 को
12 महीनों से अधिक मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा	-	500.00	20,900.00
	-	**500.00**	**20,900.00**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

7 अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	1.04.2015 को
पूंजीगत अग्रिम			
सुरक्षित	10,003.19	-	-
असुरक्षित	4,356.39	19.30	22.93
	14,359.58	19.30	22.93
पूंजी अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम			
पूर्व प्रदत्त व्यय	-	1.45	0.08
आस्थगित पेरोल व्यय	139.58	160.28	173.34
विविध जमा	173.57	173.70	173.37
घटाएं : संदिग्ध विविध जमा के लिए प्रावधान	(11.32)	(12.26)	(12.23)
	301.83	323.17	334.56
	14,661.41	**342.47**	**357.49**

8 निवेश

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
म्यूचल फण्डों में निवेश (लाभ और हानि के माध्यम से उचित कीमत पर निर्धारण)			
उदधृत			
यू. टी. आई. में पुनर्निवेश योजना के तहत 10-10 रु. की 2,40,157 (31.03.2016 को 2,20,781 और 01.04.2015 को 2,05,383) यूनिटें	72.40	58.45	60.72
	72.40	**58.45**	**60.72**
(i) निवेशों के मूल्यों में कमी की कुल राशि	शून्य	शून्य	शून्य

9 व्यापार प्राप्य

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
असुरक्षित			
अच्छे माने गए	870.26	992.27	688.18
संदिग्ध माने गए	1,443.25	1,454.74	1,509.66
घटाएं: संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्रावधान	(1,443.25)	(1,454.74)	(1,509.66)
	870.26	**992.27**	**688.18**

चालू प्राप्य के अल्पावधि प्रकृति के कारण, इनको आगे ले जाए गई धनराशि उनकी उचित कीमत पर लगाई गई है।

10 नकदी एवं नकदी के समतुल्य

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
अपने पास रखे ड्राफ्ट/चैक	3.18	-	109.43
पास में नकदी	5.07	13.17	2.60
डाक टिकट अग्रिम	1.03	0.68	2.24
बैंक में बकाया #			
बैंक में चालू/बचत खातें में शेष	3,562.22	2,849.74	2,878.15
3 महीने लेकिन 12 महीने तक मूल परिपक्व सावधि जमा	-	-	-
	3,571.50	**2,863.59**	**2,992.42**
# शामिल हैं			
(i) विदेशी बैंकों में जमा	8.39	15.94	16.30
(ii) उपरोक्त (i) में से तुलन-पत्र की तारीख को अपुष्ट	-	7.33	6.71

टिप्पणी :

एम सी ए अधिसूचना सं. जी एस आर 308 (ई) दिनांक 30 मार्च, 2017 के द्वारा यथा अपेक्षित धरित विशिष्ट बैंक नोटों (एस बी एन) का विवरण और 8 नवंबर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 की अवधि के दौरान लेन देनों का विवरण नीचे दी गई सारणी के अनुसार हैं:-

विवरण	एस बी एन	अन्य मूल्य के नोट	कुल
8 नवंबर, 2016 को अपने पास रखी अंतिम नकद	1.99	1.00	2.99
(+) अनुमत रसीदें	-	161.12	161.12
(-) अनुमत भुगतान	-	(7.18)	(7.18)
(-) बैंकों में जमा धनराशि	(1.99)	(153.07)	(155.06)
30 दिसम्बर, 2016 को अपने पास रखी अंतिम नकदी	-	1.87	1.87

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

11 बैंक बैलेंस के अलावा नकदी और नकदी के समतुल्य

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
3 महीने से अधिक लेकिन मूल परिपक्व सावधि जमा 12 महीने तक	143,599.99	139,299.90	100,700.00
	143,599.99	139,299.90	100,700.00

12 चालू ऋण

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
अग्रिम			
संबंधित पार्टी			
असुरक्षित			
टीएनटीपीओ को अग्रिम-अनुषंगी कम्पनी	99.04	92.29	83.23
केटीपीओ को अग्रिम-अनुषंगी कम्पनी	1.21	65.82	64.78
कर्मचारी को (संचित ब्याज सहित)			
असुरक्षित #	1,901.91	1,958.74	1,772.32
	2,002.16	**2,116.85**	**1,920.33**
# शामिल हैं			
क) निदेशकों/पूर्व निदेशकों पर बकाया	0.86	0.86	0.86
ख) ऋण के रूप में अधिकारियों पर बकाया	5.49	5.74	10.70
ग) पूर्णत: सुरक्षित/ निजी गारंटी पर पूर्णत: सुरक्षित	84.20	91.37	88.58

13 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
असुरक्षित			
भारत सरकार से वसूली योग्य अनुदान	238.97	277.34	497.05
घटाएं : अनुदान की संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधन	(1.48)	(1.48)	(363.05)
	237.49	275.86	134.00
अंत: कारपोरेट जमा	7,500.00	7,500.00	7,500.00
बचत बैंक लेखों/जमाओं पर संचित ब्याज	4,547.71	4,728.99	4,841.13
डिपाजिट (जमा) कार्यों के बारे में पक्षकारों पर बकाया	82.23	44.47	44.72
घटाएं: संदिग्ध बकाया के लिए प्रावधन	(41.73)	(44.47)	(38.99)
	40.50	0.00	5.73
	12,325.70	**12,504.85**	**12,480.86**

14 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
अग्रिम			
पार्टियों को अग्रिम (असुरक्षित)	864.46	860.58	582.25
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(119.33)	(81.54)	(78.53)
	745.13	779.04	503.72
अन्य			
वसूली योग्य सेवा कर	1,543.23	1,096.17	952.28
वसूली योग्य आयकर/टी डी एस	18,594.84	15,830.98	13,182.49
घटाएं : टी डी एस संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	(427.65)	(326.35)	(310.41)
	18,167.19	15,504.63	12,872.08
पूर्व प्रदत्त व्यय	28.38	40.97	46.37
आस्थगित पेरोल व्यय	23.63	26.81	26.86
विविध जमा (असुरक्षित)	104.18	138.19	37.67
घटाएं: संदिग्ध विविध जमा के लिए प्रावधान	(2.36)	(2.39)	(2.34)
	101.82	135.80	35.33
उपभोज्य वस्तुएं (लागत मूल्यांकित)	3.16	10.19	8.20
विदेशों में भारतीय दूतावासों पर बकाया	1.09	2.64	1.34
	20,613.63	**17,596.25**	**14,446.18**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

15 इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
अधिकृत			
100-100 रु. के 50,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 को 100-100 रु. के 50,000 इक्विटी शेयर)	50.00	50.00	50.00
निर्गम, अभिदत्त और पूर्णत: प्रदत्त			
100-100 रु. के पूर्णत: प्रदत्त 25,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 को 100-100 रु. के 25,000 इक्विटी शेयर)	25.00	25.00	25.00
	25.00	**25.00**	**25.00**

क. रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों का मिलान

	31.03.2017 को		31.03.2016 को		01.04.2015 को	
	शेयरों की संख्या	(रु. लाख में)	शेयरों की संख्या	(रु. लाख में)	शेयरों की संख्या	(रु. लाख में)
वर्ष के शुरू में बकाया इक्विटी शेयर	**25,000.00**	**25.00**	**25,000.00**	**25.00**	**25,000.00**	**25.00**
जोड़ : अवधि के दौरान निर्गम	-	-				
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	**25,000.00**	**25.00**	**25,000.00**	**25 .00**	**25,000.00**	**25.00**

ख. इक्विटी शेयर की अवधि/ सम्बद्ध अधिकार

कम्पनी के केवल एक प्रकार के इक्विटी शेयर हैं, जिनका प्रति शेयर समान मूल्य 100 रु. है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक को प्रति शेयर एक वोट का हकदार होता है। चूंकि कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के तहत निगमित है, इसीलिए कम्पनी के अधिशेष, यदि कोई हो, अथवा अन्य आय को अपने सदस्यों को लाभांश, बोनस शेयर अथवा अन्यथा वितरित करने पर प्रतिबंध है।

कम्पनी को बंद करने अथवा विघटित करने की स्थिति में समस्त ऋणों और देयताओं तथा सरकार की मूल पूंजी लौटाने के बाद यदि कोई संपत्ति जो भी हो, रहती है, तो यह कम्पनी के सदस्यों के बीच में बांटी नहीं जाएगी, अपितु उसे ऐसी अन्य कम्पनी को दिया अथवा अंतरित कर दिया जाएगा, जो इस कम्पनी की भांति उद्देश्य वाली हो। इसका निर्धारण कम्पनी के सदस्यों के द्वारा कम्पनी के विघटन के समय पर अथवा इससे पहले किया जाएगा, अथवा इसमें चूक होने की स्थिति में उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है, अथवा मामले में न्यायालय से निर्णय आदेश प्राप्त किया जा सकता है।

ग. कम्पनी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण

	31.03.2017 को		31.03.2016 को		01.04.2015 को	
	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
भारत सरकार को पूर्ण प्रदत्त 100-100 रु0 के इक्विटी शेयर	25,000	100	25,000	100	25000	100

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

16 अन्य इक्विटी

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
आरक्षित पूंजी			
(क) भारत सरकार से प्राप्त पूंजी अनुदान			
(पूरी तरह उपयोग कर लिया)			
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष :	1,325.22	1,325.22	6,290.84
जोड़ें : वर्ष के दौरान जुड़ी धनराशि	-	-	-
घटाएं : समायोजन/ कटौतियां			
भारत सरकार से प्राप्त पूंजी अनुदान के लिए अंतरित			(4,965.62)
इति शेष (क)	**1,325.22**	**1,325.22**	**1,325.22**
(ख) अन्य आरक्षित धनराशि #			
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष	18.10	18.10	92.33
घटाएं : समायोजन/ कटौतियां	-	-	-
धारित आय में अंतरित			(74.23)
इति शेष (ख)	**18.10**	**18.10**	**18.10**
कुल (क + ख)	**1,343.32**	**1,343.32**	**1,343.32**
भारत सरकार से प्राप्त पूंजी अनुदान ##			
(पूरी तरह उपयोग कर लिया)			
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष	4,965.62	4,965.62	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान जुड़ी धनराशि	-	-	4,965.62
घटाएं : समायोजन/कटौतियां	-	-	-
इति शेष	**4,965.62**	**4,965.62**	**4,965.62**
धारित आय			
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष	159,703.66	143,317.58	143,642.47
जोड़ें : वर्ष के दौरान अधिशेष	17,117.25	16,386.08	-
जोड़ें : आरक्षित पूंजी में से अंतरण			74.23
जोड़ें : म्युचल फण्ड में निवेश पर उचित कीमत लाभ/हानि			31.00
घटाएं : पूर्व अवधि समायोजन			(430.12)
(क)	176,820.91	159,703.66	143,317.58
धारित आय में अन्य वृहत आय की मदें			
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष	27.59		
जोड़ें : वर्ष के दौरान सुनिश्चित लाभ योजना का पुन:निर्धारण	(218.21)		
(ख)	(190.62)	27.59	
इति शेष (क + ख)	**176,630.29**	**159,731.25**	**143,317.58**
	182,939.23	**166,040.19**	**149,626.52**

कम्पनी में विलय किए गए संगठनों की पहले वर्षों में देयताओं से अधिक परिसंपत्तियों को दर्शाती है।

धारक कम्पनी के मामले में प्रगति मैदान परिसर में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से 4965.62 लाख रु. का अनिर्दिष्ट अनुदान।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

17 प्रावधान

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
कर्मचारियों के लाभों के लिए प्रावधान			
- छुट्टी नकदीकरण (देखें टिप्पणी 39)	2,417.57	1,832.76	1,703.90
	2,417.57	**1,832.76**	**1,703.90**

18 अन्य गैर - चालू देयताएं

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
अग्रिम रूप से प्राप्त आय	853.54	933.39	520.58
	853.54	**933.39**	**520.58**

19 व्यापार भुगतान

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
वस्तुओं और सेवाओं के लिए	2,007.86	2,211.28	1,173.01
	2,007.86	**2,211.28**	**1,173.01**

20 अन्य वित्तीय देयताएं

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
अन्य			
कर्मचारियों को देय लाभ	143.14	246.33	300.98
सिक्योरिटी जमा	1,053.65	572.14	330.37
अन्य	438.42	801.15	611.30
	1,635.21	**1,619.62**	**1,242.65**

21 अन्य चालू देयताएं

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
अग्रिम में प्राप्त आय	2,695.28	2,597.83	2,211.63
अन्य भुगतान			
अग्रिम भुगतान एवं जमा	2,505.75	2,341.90	2,574.91
सावधिक बकाया	768.62	187.00	122.43
	5,969.65	**5,126.73**	**4,908.97**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

22 चालू प्रावधान

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
(क) कर्मचारियों के हित लाभ के लिए प्रावधान			
- ग्रेच्युटी (टिप्पणी 39 देखें)	1,605.98	240.20	332.25
- छुट्टी नकदीकरण (टिप्पणी 39 देखें)	290.72	479.91	189.01
- कार्य निष्पादन से संबद्ध वेतन/ निष्पादन प्रोत्साहन #	3,264.00	3,080.00	2,946.00
प्रोत्साहन #			
- पेंशन कोष (टिप्पणी सं. 40 देखें)	2,631.14	2,325.00	-
- वेतन संशोधन (टिप्पणी सं. 41 देखें)	442.00	-	-
(ख) अन्य			
- आकस्मिक प्रभारों के रिफंड (वापसी) का प्रावधान #	114.21	114.21	114.21
	8,348.05	**6,239.32**	**3,581.47**

दिनांक 01.01.2007 से वेतनमानों में संशोधन के बारे में 3264.00 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 3080.00 लाख रु.) का प्रावधान लोक उद्यम विभाग (डी पी ई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान लोक उद्यम विभाग (डी पी ई) ने दिनांक 05.11.2015 के ज्ञापन के तहत यह सूचित किया कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत पंजीकृत सी पी एस ई के कर्मचारियों को पी आर पी के संबंध में मामला सी पी एस ई की तीसरी वेतन संशोधन समिति, जब भी गठित होगी, के समक्ष रखा जाएगा। मामले को दिनांक 29.12.2015 को पारिश्रमिक समिति के समक्ष रखा गया था, जिसमें मामले को डीओसी/डीपीई के समक्ष रखने की सिफारिश की गई थी।

दिनांक 3 अगस्त, 2017 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा डी पी ई ने दिनांक 01.01.2017 से वेतनमानों में संशोधन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिनमें यह कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (पूर्व कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25) के अंतर्गत निगमित कंपनियों की पात्रता के बारे में उल्लेख है। अनुमोदन के लिए लंबित रहने, 1569.92 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 1617.58 लाख रु.) की धनराशि के तदर्थ भुगतान सेवा-निवृत्त कर्मचारियों से निवल वसूलियां इस शर्त पर 'ब्याज रहित अग्रिम' के रूप में 31.03.2017 तक कर्मचारियों के लिए जारी कर दिए गए हैं कि उन्हें जारी की गई धनराशि इस विषय पर लिए जाने वाले निर्णय के अनुसार वसूली अथवा समायोजित की जाएगी।

23 प्रचालनों से राजस्व

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
सेवाओं की बिक्री		
स्थान का किराया (निवल) #	23,197.77	21,830.20
सरकार से राजस्व अनुदान	621.85	613.44
बिजली व पानी प्रभारों की वसूली	1,069.16	959.64
ब्राण्डिंग/प्रायोजकता	119.24	167.81
प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं हेतु वसूली	364.62	244.48
होर्डिंग	228.04	-
अन्य प्रचालन राजस्व		
प्रवेश टिकट/सीजनल पास की बिक्री	641.09	690.82
विज्ञापन (प्रकाशन)	57.48	33.80
प्रकाशनों की बिक्री	5.60	6.10
अंशदान शुल्क	9.48	6.19
	26,314.33	**24,552.48**

प्रगति मैदान परिसर में स्थित दो सरकारी विभागों से स्थल किराया आय में शामिल नहीं हैं क्योंकि उन्होंने इसका विरोध किया है। भारतीय लेखांकन मानक - 18 के अनुसार संचित धनराशि बहियों में 9335.99 लाख रु. की धनराशि (पूर्ववर्ती वर्ष 8689.41 लाख रु.) के बारे में पुस्तकों में विचार नहीं किया जा रहा हैं क्योंकि उनकी वसूली सुनिश्चित नहीं है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

24 अन्य आय

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
निम्नलिखित से ब्याज		
– बैंक जमा	11,124.28	11,402.35
– आयकर वापसी	-	-
– कार्मिकों को अग्रिम (परिशोधन लागत पर स्वीकार्य वित्तीय साधन)	90.66	102.63
– अन्य	605.21	665.29
	11,820.15	12,170.27
यू टी आई से लाभांश	5.59	4.22
अन्य गैर-प्रचालनीय आय		
वित्तीय संसाधनों पर उचित कीमत लाभ	8.37	(6.49)
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	0.35
विविध आय #	748.34	834.89
	12,582.45	**13,003.24**

इसमें थर्ड पार्टी आयोजकों के द्वारा मेलों को निरस्त कर देने के कारण 0.55 लाख रु. (31.03.2017 तक संचित 778.12 लाख रु.) के शास्ति प्रभार शामिल नहीं हैं क्योंकि पार्टियों द्वारा जमा कराया गया धन/कम्पनी में उपलब्ध क्रेडिट से अधिक बैठती है। क्योंकि 0.55 लाख रु. के शेष जुर्माना राशि की वसूली की संभावनाएं संदिग्ध हैं। अत: भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार यह धनराशि जब कभी वसूली होगी समायोजित की जाएगी/खाते में दिखायी जाएगी।

25 कर्मचारी लाभ व्यय

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी व भत्ते #	5,815.11	5,647.24
अन्य परिलब्धियां एवं भत्ते	1,027.28	1,011.22
चिकित्सा व्यय	332.68	282.13
निष्पादन संबद्ध वेतन/ निष्पादन प्रोत्साहन (नोट 22 का फुट नोट देखें)	184.00	134.00
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों के लिए अंशदान	886.85	578.22
ग्रेच्युटी (देखें टिप्पणी 39) ##	1,387.85	267.79
छुट्टी नकदीकरण (टिप्पणी देखें 39) ##	790.99	825.54
कर्मचारी कल्याण	83.37	67.09
मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार के बदले प्रतिपूर्ति	102.56	88.63
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान ##	442.00	-
अन्य लागत	68.39	58.42
	11,121.08	**8,960.28**

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुग्रह धनराशि के कारण 106.76 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 66.55 लाख रु.) शामिल हैं।
डी पी ई के दिनांक 03.08.2017 और 04.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार दिशा-निर्देशों के वेतन संशोधन का निर्धारण/प्रावधान शामिल हैं।

26 मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल्यह्रास	456.02	485.81
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	7.07	-
	463.09	**485.81**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

27 अन्य व्यय

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
भागीदारी शुल्क	2,001.96	1,811.92
विनिर्माण एवं आंतरिक सजावट	1,361.70	1,167.65
प्रचार	556.19	480.92
मालभाड़ा, पैकिंग व हैंडलिग	38.26	15.51
सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं फैशन शों	8.20	9.09
यात्रा एवं वाहन (निदेशकों के बारे में 16.25 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 12.58 लाख रु.) शामिल	290.01	244.71
डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन	50.28	57.80
मनोरंजन (निदेशकों के माध्यम से 0.93 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 1.09 लाख रु.) शामिल	42.56	49.76
प्रगति मैदान का रख-रखाव		
- सिविल (भवनों की मरम्मत हेतु 5.54 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 45.18 लाख रु.) शामिल	213.35	298.14
- विद्युत	785.34	885.94
- बागवानी	134.96	136.31
- कन्जर्वेन्सी व्यवस्था	319.73	290.67
विद्युत एवं जल प्रभार	1,673.63	1,590.72
मरम्मत, नवीकरण और रख-रखाव	586.13	359.86
सुरक्षा व्यय	718.70	664.55
दरें और कर	257.77	232.29
घटाएं : वसूलियां	(9.14)	(16.50)
	248.63	215.79
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	19.08	17.68
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	88.51	88.03
किराया	10.66	9.39
घटाएं : वसूलियां	(1.40)	(1.40)
	9.26	7.99
वाहन रख-रखाव	32.07	26.08
घटाएं : वसूलियां	(0.09)	(0.04)
	31.98	26.04
बीमा	5.90	9.28
विज्ञापन व्यय	50.49	55.01
कमीशन	234.62	233.34
विदेशी प्रतिनिधि मंडल	6.50	18.25
विनिमय में भिन्नता (निवल)	38.31	8.18
कानून एवं प्रोफेशनल प्रभार	128.80	157.64
सेमिनार एवं प्रशिक्षण	13.51	12.55
ब्याज	15.30	3.48
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (नोट 36 देखें)	292.75	407.22
प्रावधन/बट्टे खाते में डाले गए	148.31	65.64
अन्य विविध व्यय	159.20	141.63
निदेशकों का बैठक शुल्क	1.30	-
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		
-लेखा परीक्षा शुल्क	5.00	4.02
-कर लेखा परीक्षा शुल्क	1.00	1.01
अन्य व्यय	-	0.51
मामूली हानि	33.89	-
परिसम्पतियों की बिक्री से हानि	27.98	-
	10,341.32	**9,536.84**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

28 आपवादिक मदें

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
देयताएं/प्रावधान, जो अब अपेक्षित नहीं	141.98	86.60
संदिग्ध ऋण/अग्रिम अवलिखित के लिए प्रावधान	1.23	51.69
संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान/अवलिखित जमा कार्य	2.75	-
अवलिखित टी डी एस का संदिग्ध वसूली हेतु प्रावधान	-	-
पेंशन कोष में अंशदान के लिए प्रावधान	-	(2,325.00)
	145.96	**(2,186.71)**

29 प्रति इक्विटी शेयर आय

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को
कर पश्चात निवल अधिशेष (लाख रु. में)	17,117.25	16,386.08
इक्विटी शेयर (संख्या)	25,000.00	25,000.00
इक्विटी शेयर सामान कीमत प्रति शेयर (रु.)	100.00	100.00
आधारभूत व मिश्रित आय प्रति शेयर (रु.)	0.68	0.66

30 विदेशी विनिमय में व्यय

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
विदेश यात्रा	105.18	95.09
मेले एवं प्रदर्शनियां	2,100.61	1,913.92
	2,205.79	**2,009.01**

31 विदेशी विनिमय में आय

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
स्थान का किराया	1,125.25	1,342.95
अन्य प्राप्तियां	18.29	12.32
	1,143.54	**1,355.27**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

32. अनुषंगी कम्पनियां

क) आई टी पी ओ ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (के आई ए डी बी) के सहयोग से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के अन्तर्गत दिसम्बर 2000 में 50 लाख रुपये की शेयर पूंजी के साथ कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (केटीपीओ) की स्थापना की थी जिसमें कम्पनी के 51 प्रतिशत शेयर है। केआईएडीबी के साथ हुए समझौते ज्ञापन के अनुसार आईटीपीओ ने 1793.77 लाख रुपये की कुल लागत से केटीपीओ के लिए एक प्रदर्शनी हाल के विनिर्माण के लिए सहयोग किया।

09.09.2004 को कम्पनी के निदेशक मण्डल ने के टी पी ओ की प्राधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाकर 2,000 लाख रु. कर दी और यह निर्णय भी किया कि प्रदर्शनी हाल में आईटीपीओ द्वारा किये गये 1020.00 लाख रुपये के सहयोग को के टी पी ओ के लिए किया गया पूंजीगत योगदान माना जाए। वर्ष 2015-16 के दौरान, के टी पी ओ द्वारा कंपनी के पक्ष में 994.50 लाख रुपए के शेयर प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। अत: कंपनी को के टी पी ओ की अधिकृत शेयर पूंजी में इसकी समग्र 51 प्रतिशत इक्विटी अर्थात 1020 लाख रुपए के लिए शेयर प्रमाणपत्र 31.03.2017 तक प्राप्त हो गए हैं।

प्रदर्शनी हाल के विनिमार्ण पर खर्च की गई 1,020 लाख रु. की अधिकतम 773.73 लाख रु. को अनुषंगी ऋण ब्याज रहित के रूप में माना जाना था, जिसे के टी पी ओ की वार्षिक समीक्षा और उसकी लेन-देन की स्थिति के अध्यधीन वापस किया जाना था। उपरोक्त के अनुसार लेखांकन प्रविष्टियां विगत वर्षों में की गई थी, चूंकि अनुषंगी ऋण की वसूली नहीं हुई थी, अत: अनुषंगी ऋण के पूरे/ आंशिक अंश को आई टी पी ओ के इक्विटी अंशदान में परिवर्तित करने के लिए के टी पी ओ की शेयर पूंजी में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। अन्य सह-प्रवतर्क अर्थात के आई ए डी बी को अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्ष के दौरान, आई टी पी ओ के निदेशक बोर्ड और के आई ए डी बी ने के टी पी ओ की अधिकृत शेयर पूंजी 3,235.00 लाख रुपए बढ़ाकर तथा शेष धनराशि का रिफण्ड प्राप्त करके के टी पी ओ के अनुषंगी ऋण को इक्विटी में बदलने के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दिया। तथापि, के टी पी ओ की शेयर पूंजी में बढ़ोत्तरी करने के बारे में उनकी ए जी एम में अभी अनुमोदन दिया जाना है। अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर संशोधित शेयर पूंजी के लिए लेखांकन प्रविष्टियां कम्पनी की पुस्तकों में की जाएंगी। पुनर्भुगतान करने की शर्तें/ अवधि न होने की स्थिति में उक्त अनुषंगी ऋण के बारे में उचित कीमत निर्धारण के लिए छूट नहीं दी गई है।

(ख) आई टी पी ओ ने तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टीआईडीसीओ) के सहयोग से 50 लाख रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के अन्तर्गत 50 लाख रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी के साथ नवम्बर 2000 में समूह कम्पनी तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (टी एन टी पी ओ) का गठन किया गया था। टी एन टी पी ओ की अभिदत्त पूंजी एक लाख रुपये हैं जिसमें कंपनी ने 0.51 लाख रुपये दिये हैं।

टी आई डी सी ओ के साथ हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार, आई टी पी ओ ने टी एन टी पी ओ को प्रदर्शनी हाल के लिए 1637.48 लाख रुपये का लागत सहयोग दिया जिसमें वाणिज्य विभाग ने आई टी पी ओ को 1206.39 लाख रुपये का अनुदान दिया। शेष धनराशि 431.09 लाख रु. विगत वर्ष में 'टीएनटीपीओ को अनुदान' के रूप में आई टी पी ओ के खाते में बही में लिखे गए।

टीएनटीपीओ के निदेशक मंडल ने अपनी 44वीं बैठक, जो सीएमडी - आई टी पी ओ की अध्यक्षता में दिनांक 03.12.2014 को आयोजित की गई थी, में आई टी पी ओ द्वारा खर्च किए गए 431.09 लाख रु. की टी एन टी पी ओ अपने संसाधनों से प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है, जो वर्ष 2014-15 से प्रत्येक 26.94 लाख रुपए की समान 16 किस्तों में की जाएगी। तदनुसार, 'विशेष मद - पूर्व वर्षों में अनुषंगी कम्पनी को दी गई सब्सिडी की वसूली' के रूप में शामिल करके 2014-15 में आई टी पी ओ के लेखा व लेखा बही में टीएनटीपीओ से वसूलनीय योग्य 431.09 लाख रुपए दिखाएं गए हैं। इसमें से 31.03.2017 तक 12 किस्तों में 323.32 लाख रु. (विगत वर्ष 215.55 लाख रु.) प्राप्त हो चुके हैं।

33. आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक परिसंपत्तियां और प्रतिबद्धताएं (जब तक प्रदान न की जाएं)

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	31.03.2015 को
(क) आकस्मिक देयताएं			
-कम्पनी के प्रति दावे, जो ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए (दो मामलों में प्राधिकरणों के पास जमा धनराशि 981.31 लाख रु.' है)	5,448.76	7,684.84	8,665.91
100 लाख रु. - ई पी एफ ओ			
881.31 लाख रु. - सेवा कर विभाग			
(ख) पूंजीगत प्रतिबद्धताएं			
पूंजीगत खातें में निष्पादित किए जाने वाले ठेकों की अनुमानित धनराशि (निवल अग्रिम)	1,531.50	48.73	845.09
(ग) आकस्मिक परिसंपत्तियां			
आयकर मामले में अनुकूल निर्णय होने की स्थिति में धारक कम्पनी, आई टी पी ओ को हुई ब्याज को आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं माना गया है। धनराशि का निश्चय नहीं किया जा सकता। (देखें टिप्पणी सं. 37)			

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

34 भूमि और विकास कार्यालय (एल ऐण्ड डी ओ) से मांग

प्रगति मैदान का पुन: विकास करने की योजना के संबंध में प्रीमियम, अतिरिक्त प्रीमियम आदि के प्रति दिनांक 21.04.2017 के पत्र के द्वारा भूमि और विकास कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कम्पनी से ग्राउण्ड के किराए को छोड़कर 9,663.42 लाख रु. की मांग की थी। वाणिज्य विभाग के माध्यम से मंत्रिमंडल के द्वारा मूल मांग की माफी प्राप्त करने के लिए इन आधारों पर मामले को उठाया गया है कि परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है। चूंकि कम्पनी को यह आशा है कि मंत्रिमंडल के द्वारा मांग को माफ कर दिया जाएगा, इसीलिए उक्त मांग, बढ़ा हुआ ग्राउण्ड किराया और ब्याज एवं दण्ड के लिए यदि कोई हो, लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसको आकस्मिक देयता के रूप में भी नहीं माना गया है क्योंकि आउटफ्लो दूरस्थ है।

35 सेवा कर मामले

(क) सेवा कर आयुक्त द्वारा इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) पर 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिए 1087.94 लाख रु. की मांग की गई, जिसमें 1064.27 लाख रु. का सेवा कर और 23.68 लाख- रु. ब्याज शामिल था। मांग का विरोध किया गया और सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयोग ने दिनांक 22.01.2015 के अपने आदेश (दिनांक 03.02.2015 को प्राप्त) के तहत सेवा कर की मांग में संशोधन करके 410.41 लाख रु. किया, जिसके साथ 410.40 लाख रु. का जुर्माना तथा 0.10 लाख रु. और भुगतान की तारीख तक ब्याज इस शर्त के साथ किया गया कि यदि 30 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाता है तो 75% तक जुर्माना धनराशि माफ कर दी जाएगी।

आई टी पी ओ ने 25.02.2015 को 881.31 लाख रु. का भुगतान विरोध के साथ कर दिया, जिसमें सेवा कर के रूप में 410.41 लाख और 102.70 लाख रु. का जुर्माना तथा 368.20 लाख रु. का ब्याज शामिल था। दिनांक 22.01.2015 के आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी के समक्ष दिनांक 24.04.2015 को अपील की गई। 09.02.2017 को एक संशोधित अपील दायर की गई है।

(ख) इसके अलावा, धारित कंपनी को सेवा कर विभाग द्वारा विभिन्न अवधियों के लिए कारण बताओ नोटिस व मांग भेजे गए जो इस प्रकार हैं :

क्र.सं.	धनराशि (लाख रु. में)	टिप्पणियां
i	42.77	2011-12 की अवधि के लिए - ब्याज और दंड यदि कोई हो, को छोड़कर जिसकी गणना नहीं की गई है।
ii	51.68	2012-13 की अवधि के लिए - ब्याज और दंड यदि कोई हो, को छोड़कर जिसकी गणना नहीं की गई है।
iii	46.69	2013-14 की अवधि के लिए - ब्याज और दंड यदि कोई हो, को छोड़कर जिसकी गणना नहीं की गई है।
कुल	**141.14**	

विशेषज्ञों के मतानुसार, उपर्युक्त क्रमांक क एवं ख (i से iii तक) के अन्तर्गत सेवाएं सेवा कर की परिधि में नहीं आती जिनके लिए मांग एवं कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुए हैं। कम्पनी ने संबंधित सेवा कर आयुक्त के समक्ष इस मांग का विरोध किया है।

लेखों में 1022.45 (881.31 लाख रु. और 141.14 लाख रु.) रुपये की मांग का प्रावधान नहीं किया गया है तथापि, इसे टिप्पणी सं. 33 में आकस्मिक देयता के रूप में शामिल किया गया है।

सेवा कर विभाग के पास विवादित 881.31 लाख रु. का भुगतान 'वसूलनीय सेवा कर' शीर्ष के तहत लेखाओं में दर्शाया गया है।

36 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

क. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत, वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा व्यय की जाने वाली अपेक्षित कुल धनराशि 368.76 लाख रु. (विगत 3 वित्तीय वर्षों के अधिशेष का 2 प्रतिशत औसतन) इसके अलावा, कम्पनी के विगत वर्ष 2015-16 की 253.41 लाख रु. की अव्ययित शेष धनराशि आगे ले जाने का निर्णय लिया गया है।

ख. वर्ष के दौरान व्यय की गई धनराशि :

(रु. लाख में)

		नकद	अभी नकद भुगतान किया जाना है	कुल
(i)	किसी परिसंपत्ति का विनिर्माण/अर्जन	-	-	-
(ii)	उक्त (i) के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु	200.75	92.00	292.75

ग. व्यय न की गई धनराशि - 329.42 लाख रु. (368.76 लाख रु. + 253.41 लाख रु. में से 292.75 लाख रु. घटाकर)

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

37 आयकर मामले

आईटीपीओ के मामले में आयकर महानिदेशक (छूट) ने निर्धारण वर्ष 2009-10 और उससे आगे कम्पनी को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23ग) (iv) के अंतर्गत दी गयी छूट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 (15) के संशोधित परन्तुक, जो 1.4.2008 से प्रभावी था के अनुसार ले ली गई है।

कम्पनी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में छूट वापसी के खिलाफ वाद दाखिल किया था। माननीय उच्च न्यायालय ने कम्पनी के पक्ष में दिनांक 22.1.2015 को अपना निर्णय दिया और तदनुसार, मुख्य आयुक्त आयकर (छूट) ने दिनांक 2 मार्च, 2015 के आदेश के तहत आकलन वर्ष 2009-10 और उसके बाद से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) (iv) के तहत आय कर छूट बहाल कर दी।

छूट बहाली लंबित रहते आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए आकलन पूरा किया और कुल 15,589.86 लाख रु. की मांग उठाई जिसमें से 1,319.00 लाख रु. का भुगतान विरोध के साथ किया गया और वर्ष 2014-15 तक टी डी एस वापसी के रु. 8,770.74 भाग के प्रति आयकर विभाग के द्वारा समायोजित किए गए।

इसके अलावा, कंपनी द्वारा आयकर विभाग की ओर से की गई मांग के खिलाफ सी आई टी (अपील) के पास दाखिल की गई, अपील को भी अलग कर दिया गया था तथापि, आयकर विभाग ने मूल्यांकन वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए कंपनी के पक्ष में सी आई टी (अपील) के आदेश के खिलाफ आयकर अपील न्यायाधिकरण में अपील दाखिल की है।

आयकर विभाग ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका एस एल पी (सी) सीसी 5899/ 2016 दाखिल की है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले के प्रचालन पर अंतरिम राहत/ स्थगन के लिए आयकर विभाग के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया। मामला अन्य एस एल पी के साथ शामिल कर दिया गया है और उचित समय में सुनवाई की जाएगी।

चूंकि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा छूट बहाल कर दी गई है, इसीलिए आयकर, ब्याज और दण्ड के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। टी डी एस वापसी और कम्पनी द्वारा भुगतान की गई धनराशि 10089.74 लाख रु. (1319.00 लाख रु. और 8770.74 लाख रु.) का समायोजन 'आय कर वसूलनीय योग्य' शीर्ष के अंतर्गत लेखाओं में दर्शाया गया है।

38 शेष धनराशि की पुष्टि

विभिन्न पार्टियों से/को देय धनराशि की पुष्टि, मिलान और समायोजन, यदि कोई हो, के अध्याधीन है।

39 कर्मचारी लाभ

विभिन्न परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण इस प्रकार है :

क. भविष्य निधि

आई टी पी ओ ने निर्धारित दरों पर आई टी पी ओ कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट को कर्मचारियों की भविष्य निधि के अपने अंशदान का भुगतान करती है, जिसका निवेश ट्रस्ट अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। वर्ष के लिए किए गए अंशदान को व्यय माना जाता है और उसे आय-व्यय विवरण में दर्शाया जाता है। यदि कोई कमी होती है, तो कम्पनी ट्रस्ट की उस कमी को दूर करने के लिए बाध्य है और ऐसी कमी को अपना व्यय मानती है।

ख. छुट्टी

छुट्टी नकदीकरण की योजना अनफण्डेड है और उन्हें कम्पनी के लेखाओं में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर दर्शाया जाता है। कम्पनी, कम्पनी के कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी और अर्धवेतन छुट्टी जो क्रमशः 30 दिन एवं 20 दिन की दर से प्रोद्भूत होती हैं, के नगदीकरण का लाभ देती है। सेवा के दौरान, एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम 30 दिन की अर्जित छुट्टी बकाया रखकर एक बार में अधिकतम 60 दिन की अर्जित छुट्टी नकदीकरण के योग्य होती है। सेवानिवृत्ति/मृत्यु/सेवा से त्याग पत्र आदि की स्थिति में अधिकतम 300 दिन की अर्जित छुट्टी नकदीकरण के योग्य होती है। तथापि कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति/मृत्यु के अंतिम वर्ष में दो बार अर्जित छुट्टी नकदीकरण करा सकते हैं परंतु छुट्टी खाते में हर समय 30 दिन की अर्जित बाकी रहनी चाहिए। कम्पनी के नियमानुसार, अर्जित छुट्टी और अर्ध वेतन छुट्टी नकदीकरण की समग्र 300 दिन की अधिकतम सीमा सेवानिवृत्ति/मृत्यु/त्यागपत्र आदि के समय नकदीकरण योग्य अधिकतम सीमा को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है।

i. आय-व्यय विवरण में मान्य व्यय **(रु. लाख में)**

	2016-17	2015-16
ब्याज लागत	180.16	151.43
वर्तमान सेवा लागत	113.63	84.83
अवधि मे मान्य निवल वास्तविक (लाभ)/हानि	497.21	566.39
आय-व्यय विवरण में मान्य व्यय #	**790.99**	**802.65**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

ii. तुलन-पत्र में मान्य धनराशि (रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को
वर्ष के अंत में दायित्व के वर्तमान मूल्य	2,708.29	2,289.77
तुलन पत्र एवं संबंधित विश्लेषण में मान्य निवल देयताएं/(परिसंपत्तियां)	2,708.29	2,289.77
अनफंडेड स्टेटस	(2,708.29)	(2,289.77)

iii. दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (रु. लाख में)

	2016-17	2015-16
अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,289.77	1,892.92
प्रारंभ में अंतर #	22.89	-
अधिग्रहण में	10.15	-
ब्याज लागत	180.16	151.43
चालू सेवा लागत	113.63	84.83
प्रदत्त लाभ (यदि कोई हो)	(405.52)	(405.79)
वास्तविक (लाभ)/ हानि	497.21	566.39
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**2,708.29**	**2,289.77**

iv. परिभाषित लाभ दायित्व का सुग्राहिता विश्लेषण : (रु. लाख में)

	2016-17
क) कटौती दर में परिवर्तन का प्रभाव	
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**2,708.29**
क) 0.50% बढ़ोत्तरी का प्रभाव	(58.70)
ख) 0.50% कमी का प्रभाव	61.45
ख) वेतन की बढ़ोतरी में बदलाव का प्रभाव	
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,708.29
क) 0.50% बढ़ोत्तरी का प्रभाव	62.38
ख) 0.50% कमी का प्रभाव	(60.10)

v. गणनाओं में प्रयुक्त संकल्पनाओं को सारणीबद्ध किया गया है :

	31.03.2017 को	31.03.2016 को
छूट दर	7.06% प्रति वर्ष	7.79% प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर	5.00% प्रति वर्ष	5.00% प्रति वर्ष
मृत्यु दर	आईएएलएम 2006-08 अंतत:	आईएएलएम 2006-08 अंतत:
निकासी दर (प्रति वर्ष)	2.00% प्रति वर्ष	2.00% प्रति वर्ष

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 31.03.2016 तक सेवानिवृत्त/ मृतक कर्मचारियों के लिए वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान आय और व्यय विवरण में मान्य 825.54 लाख रु. में वास्तविक मूल्यांकन पर प्रदत्त 22.89 लाख रु. लाभ के रूप में है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

ग. ग्रेच्युटी

कम्पनी की एक परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है। योजना को वित्तपोषित किया जाता है। एक अलग आई टी पी ओ कर्मचारी ग्रेच्युटी कोष ट्रस्ट के कार्यों की व्यवस्था करता है। ट्रस्ट के लिए निधियों की व्यवस्था एल आई सी के द्वारा की जाती है। यह वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर कम्पनी की पुस्तकों में दिखाया गया है। जिस कर्मचारी ने 5 वर्ष अथवा अधिक समय तक लगातार सेवा की है। ऐसा प्रत्येक कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए कम्पनी के नियमों/ इस विषय पर डी पी ई के दिशा-निर्देशों के अनुसार 15 दिनों के वेतन [15/26 × (अंतिम लिया गया मूल वेतन + महंगाई भत्तों)] की दर से ग्रेच्युटी पाने का हकदार है।

i. आय व्यय विवरण में मान्य व्यय **(रु. लाख में)**

	2016-17	**2015-16**
निवल ब्याज लागत	20.59	27.18
वर्तमान सेवा लागत	1,367.18	151.19
आय एवं व्यय लेखे के विवरण में मान्य व्यय	**1,387.77**	**178.37**
पुन:निर्धारण		
वर्ष के लिए प्रारंभिक अमान्य वास्तविक लाभ/ (हानि)	27.59	-
वर्ष के लिए प्रदत्त लाभ/हानि	(1.79)	21.51
जनसांख्यिकी धारणा में परिवर्तन के कारण लाभ/ (हानि)	-	-
वित्तीय धारणा में परिवर्तन के कारण लाभ/ (हानि)	(196.81)	-
अनुभव समायोजन धारणा में परिवर्तन के कारण लाभ/ (हानि)	(19.61)	6.08
वर्ष के अंत में (ओ सी आई में) अमान्य निवल वास्तविक लाभ/ (हानि)	**(190.62)**	**27.59**

ii. तुलन पत्र में मान्य धनराशि **(रु. लाख में)**

	31.03.2017 को	**31.03.2016 को**
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,914.22	4,380.20
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्ति की उचित कीमत	4,277.14	4,212.24
तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषण में मान्य निवल दायित्व/ (परिसंपत्तियां)	1,637.09	167.96
फण्डेड/ (अनफण्डेड (स्थिति)	**(1,637.09)**	**(167.96)**

iii. दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन **(रु. लाख में)**

	2016-17	**2015-16**
अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान कीमत	4,380.20	4,215.87
प्रारंभ में अंतर	89.43	-
अधिग्रहण में	6.87	-
ब्याज लागत	357.57	337.27
वर्तमान सेवा लागत	1,367.18	151.19
प्रदत्त लाभ (यदि कोई हो)	(503.45)	(318.05)
वास्तविक (लाभ)/ हानि	216.42	(6.08)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**5,914.22**	**4,380.20**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

iv. **परिभाषित लाभ दायित्व का सुग्राहिता विश्लेषण :** **(रु. लाख में)**

	2016-17
क) कटौती दर में बदलाव का प्रभाव	
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,914.22
क) 0.50% बढ़ोतरी का प्रभाव	(137.74)
ख) 0.50% कमी का प्रभाव	143.68
ख) वेतन की बढ़ोतरी में बदलाव का प्रभाव	
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,914.22
क) 0.50% बढ़ोतरी का प्रभाव	139.74
ख) 0.50% कमी का प्रभाव	(136.14)

v. गणनाओं में प्रयुक्त संकल्पनाओं को सारणीबद्ध किया गया है:

	31.03.2017 को	**31.03.2016 को**
छूट दर	7.06% प्रति वर्ष	8.00% प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर	5.00% प्रति वर्ष	5.00% प्रति वर्ष
मृत्यु दर	आईएएलएम 2006-08 अंतत:	आईएएलएम 2006-08 अंतत:
निकासी दर (प्रति वर्ष)	2.00% प्रति वर्ष	2.00% प्रति वर्ष

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, आय व व्यय विवरण में 240.20 लाख रु. मान्य हैं। 31 मार्च 2016 तक सेवानिवृत्त/ मृतक कर्मचारियों के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान 89.43 लाख रु. लाभ के रूप में दिए हैं।

टिप्पणी : ग्रेच्युटी देयता आई टी पी ओ कर्मचारी ग्रेच्युटी कोष ट्रस्ट के लेखों में मिलान के अध्यधीन है।

40 पेंशन कोष

वर्ष के दौरान पेंशन स्कीम को प्रशासनिक मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित किया गया है। आई टी पी ओ सेवा निवृत्ति पेंशन कोष ट्रस्ट को उसके दायित्व अंतरण होने तक 2631.14 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 2325.00 लाख रु.) का प्रावधान पुस्तकों में किया जा रहा है।

41 वेतन में संशोधन

लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 03.08.2017 और 04.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. डब्ल्यू-02/0028/2017 - टी पी ई (डब्ल्यू सी) - जीएल- XIII/17 के द्वारा दिनांक 03.08.2017 और 04.08.2017 के द्वारा 01.01.2017 से आई डी ए पैटर्न पर कर्मचारियों के वेतनमानों का संशोधन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। संशोधित वेतनमानों के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित रहते आई टी पी ओ के द्वारा लेखों में इनके लिए प्रावधान किया गया है। (कृपया टिप्पणी सं 25 देखें)

42 एकीकृत प्रदर्शनी सह सम्मेलन केन्द्र (आई ई सी सी)

वर्ष के दौरान, आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडल समिति ने 2,25,400.00 लाख रु. की अनुमानित लागत पर प्रगति मैदान परिसर का पुनर्विकास करने के लिए एकीकृत प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र (आई ई सी सी) के चरण । को अनुमोदन दिया जिसके लिए आई टी पी ओ के रिजर्व से 1,20,000.00 लाख रु. वित्त पोषित करनी होगी और शेष धनराशि वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों आदि से जुटानी होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मैं. एन बी सी सी को परियोजना के लिए परियोजना प्रबंध सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और कम्पनी एवं एन बी सी सी के बीच में 29.03.2017 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एन बी सी सी के द्वारा आई ई सी सी परियोजना के लिए कार्य देने की कार्रवाई की जा रही है। परियोजना के लिए कार्य देने संबंधी कार्रवाई के लंबित रहते 'पूंजीगत वचनबद्धताओं' के कार्यक्रम में आई ई सी सी परियोजना हेतु आंकड़े शामिल नहीं होते हैं।

43 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की बकाया

ऐसा कोई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नहीं है जिसकी 31 मार्च, 2017 तक कोई देनदारी हो। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जाने की यथा अपेक्षित इस सूचना को कम्पनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्धारण किया गया है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

44 भारतीय लेखांकन मानक 27 के अनुसार 'अलग वित्तीय विवरण' के प्रकटन

क) सहायक कम्पनियों में निवेश				
कम्पनी का नाम	समावेशन देश	स्वामित्व हित अनुपात%		
		31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	भारत	51	51	51
कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	भारत	51	51	51

ख) संयुक्त उद्यम कम्पनियों में निवेश

कम्पनी का नाम	समावेशन देश	स्वामित्व हित अनुपात %		
		31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र	भारत	50	50	50

*सहायक कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश का निर्धारण 'अलग वित्तीय विवरणों' पर भारतीय लेखांकन मानक 27 के प्रावधानों के अनुसार लागत के आधार पर किया जाता है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

45 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष की सेगमैंट रिपोर्ट

कम्पनी के प्रबंधन द्वारा संसाधनों का आवंटन करने तथा निर्णय लेने के लिए उनके कार्य निष्पादन का आकलन करने के लिए प्रयुक्त आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर प्रचालन सेगमेंटों की पहचान की जाती है। निदेशक बोर्ड सामूहिक रूप से भारतीय लेखांकन मानक 108 के अर्थ के भीतर कम्पनी का 'मुख्य प्रचालन निर्णय लेने वाला' अथवा 'सी ओ एम डी' होता है।

संस्थावार प्रकटन

क. उत्पाद और सेवाओं में बारे में सूचना

समूह मुख्य रूप से एक सेवा में कार्य करता है, इसीलिए सेवा वार राजस्व प्रकटन लागू नहीं होता है।

ख. भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में सूचना

(1) प्रमुख भौगोलिक सेगमेंटों के बारे में सूचना **(रु. लाख में)**

	भारत में व्यापार संवर्धन गतिविधियां	विदेशों में व्यापार संवर्धन गतिविधियां	अनिर्धारित	कुल
राजस्व बाह्य	23,459.41	3,514.42	-	26,973.83
	(22,400.29)	(3,034.05)	-	(25,434.34)
इंटर सेगमेंट	-	-	-	-
कुल राजस्व	23,459.41	3,514.42	-	26,973.83
	(22,400.29)	(3,034.05)	-	(25,434.34)
परिणाम				
सेगमेंट परिणाम	7,204.10	-1,224.14	-814.62	5,165.34
	(6,388.32)	(-889.89)	(-1155.09)	(4,343.34)
अनावंटित व्यय, अनावंटित आय का निवल	-	-	-	-
ब्याज/ लाभांश आय	-	-	11,733.70	11,733.70
	-	-	(12,070.33)	(12,070.33)
कराधान से पहले अधिशेष	-	-	-	16,899.04
	-	-	-	(16,413.67)
व्यय से अधिक आय	-	-	-	16,899.04
	-	-	-	(16,413.67)
अन्य सूचनाएं	-	-	-	-
सेगमेंट परिसंपत्तियां	22,834.36	590.60	180,771.15	204,196.11
	(8,817.77)	(846.05)	(174,364.49)	(184,028.30)
सेगमेंट देनदारियां	9,588.47	455.25	11,188.16	21,231.88
	(8,697.27)	(676.64)	(8,589.20)	(17,963.11)
पूंजीगत व्यय	407.78	-	-	407.78
	(264.47)	-	-	(264.47)
मूल्यह्रास और परिशोधन	463.09	-	-	463.09
	(485.81)	-	-	(485.81)

टिप्पणी:

क. अनावंटित व्यय में स्थापना और कार्यालय व्यय का 10 प्रतिशत शामिल होता है। उनके संबंधित राजस्व के आधार पर शेष धनराशि को सेगमेंटों में बांटा जाता है।

ख. अनावंटित परिसंपत्तियों और देयता में वे शामिल हैं, जिनको विशिष्ट सेगमेंट के लिए उपयुक्त रूप से पहचान करना संभव नहीं होता है।

ग. सेगमेंट रिपोर्ट के कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।

2 समूह का गौण सेगमेंट नहीं होता है।

ग. प्रमुख ग्राहकों (बाहरी ग्राहकों से) के बारे में सूचना

कम्पनी बाहरी ग्राहकों से कोई राजस्व प्राप्त नहीं करती है, जो समूह के कुल राजस्व के 10 प्रतिशत अथवा अधिक होता है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

46 वित्तीय संसाधन - उचित कीमत एवं जोखिम प्रबंध

I उचित कीमत निर्धारण

क. श्रेणी के द्वारा वित्तीय संसाधन

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		1 अप्रैल, 2015 को	
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसम्पत्तियां						
गैर-चालू निवेश		1,196.42		1,249.01		1,275.81
गैर-चालू ऋण		1,392.67		1,553.98		1,708.62
अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां		-		500.00		20,900.00
चालू निवेश	72.40		58.45		60.72	
व्यापार प्राप्य		870.26		992.27		688.18
नकदी एवं नकदी समतुल्य		3,571.50		2,863.59		2,992.42
नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष		143,599.99		139,299.90		100,700.00
चालू ऋण		2,002.16		2,116.85		1,920.33
अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां		12,325.70		12,504.85		12,480.86
	72.40	**164,958.70**	**58.45**	**161,080.45**	**60.72**	**142,666.22**
वित्तीय भुगतान योग्य						
व्यापार प्राप्य	-	2,007.86	-	2,211.28	-	1,173.01
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	-	1,635.21	-	1,619.62	-	1,242.65
	-	**3,643.07**	**-**	**3,830.90**	**-**	**2,415.66**

ख. उचित कीमत समूह

यह भाग वित्तीय संसाधनों के उचित कीमत का निर्धारण करने में किए निर्णयों और अनुमान के बारे में बताता है जो हैं :
(क) उचित कीमत पर मान्य और निर्धारित तथा
(ख) परिशोधित लागत पर निर्धारित और जिनके लिए उचित कीमत को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

उचित कीमत का निर्धारण करने में प्रयुक्त निवेशों की विश्वसनीयता के बारे में संकेत उपलब्ध कराने के लिए कम्पनी ने लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में अपने वित्तीय संसाधनों को वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर के बारे में स्पष्टीकरण नीचे सारणी में दिया है।

उचित कीमत पर निर्धारित वित्तीय परिसम्पत्तियां और देयताएं आवर्ती उचित कीमत निर्धारण

	31 मार्च, 2017 तक			
	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल
वित्तीय परिसम्पत्तियां				
एफ वी टी पी एल पर वित्तीय निवेश				
निवेश				
म्युचल फण्ड	72.40	-	-	72.40
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	72.40	-	-	72.40

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

परिसंपत्तियां और देयताएं जिनका परिशोधित लागत निर्धारण किया जाता है और जिनकी उचित कीमत प्रकट की जाती हैं (रु. लाख में)

	31 मार्च, 2017 तक			
	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल
वित्तीय परिसम्पत्तियां				
गैर-चालू निवेश	-	-	1,196.42	1,196.42
गैर-चालू ऋण	-	-	1,392.67	1,392.67
अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य	-	-	870.26	870.26
नकदी एवं नकदी समतुल्य	-	-	3,571.50	3,571.50
नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	-	-	143,599.99	143,599.99
चालू ऋण			2,002.16	2,002.16
अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	12,325.70	12,325.70
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**-**	**-**	**164,958.70**	**164,958.70**
वित्तीय देयताएं				
व्यापार प्राप्य	-	-	2,007.86	2,007.86
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	-	-	1,635.21	1,635.21
कुल वित्तीय देनदारियां	**-**	**-**	**3,643.07**	**3,643.07**

उचित कीमत पर निर्धारित वित्तीय परिसम्पत्तियां और देयताएं आवर्ती उचित कीमत निर्धारण

	31 मार्च, 2016 तक			
	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां				
एफ वी टी पी एल में वित्तीय निवेश				
निवेश				
म्युचल फण्ड	58.45	-	-	58.45
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**58.45**	**-**	**-**	**58.45**

परिसंपत्तियां और देयताएं जिनका परिशोधित लागत निर्धारण किया जाता है और जिनकी उचित कीमत प्रकट की जाती हैं

	31 मार्च, 2016 तक			
	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां				
गैर-चालू निवेश	-	-	1,249.01	1,249.01
गैर-चालू ऋण	-	-	1,553.98	1,553.98
अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	500.00	500.00
व्यापार प्राप्य	-	-	992.27	992.27
नकद एवं नकदी समतुल्य	-	-	2,863.59	2,863.59
नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	-	-	139,299.90	139,299.90
चालू ऋण	-	-	2,116.85	2,116.85
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	12,504.85	12,504.85
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	**161,080.45**	**161,080.45**
वित्तीय देयताएं				
व्यापार प्राप्य	-	-	2,211.28	2,211.28
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	-	-	1,619.62	1,619.62
कुल वित्तीय देनदारियां	.	.	**3,830.90**	**3,830.90**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

उचित कीमत पर निर्धारित वित्तीय परिसम्पत्तियां और देयताएं आवर्ती उचित कीमत निर्धारण (रु. लाख में)

	1 अप्रैल, 2015 तक			
	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां				
एफ वी टी पी एल में वित्तीय निवेश				
निवेश				
म्युचुल फण्ड	60.72	-	-	60.72
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**60.72**	**-**	**-**	**60.72**

परिसंपत्तियां और देयताएं जिनका परिशोधित लागत निर्धारण किया जाता है और जिनकी उचित कीमत प्रकट की जाती हैं

	1 अप्रैल, 2015 तक			
	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां				
गैर चालू निवेश	-	-	1,275.81	1,275.81
गैर चालू ऋण	-	-	1,708.62	1,708.62
अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	20,900.00	20,900.00
व्यापार प्राप्य	-	-	688.18	688.18
नकदी एवं नकदी समतुल्य	-	-	2,992.42	2,992.42
नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष		-	100,700.00	100,700.00
चालू ऋण	-	-	1,920.33	1,920.33
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	12,480.86	12,480.86
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	**142,666.22**	**142,666.22**
वित्तीय देनदारियां				
व्यापार देय	-	-	1,173.01	1,173.01
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	-	-	1,242.65	1,242.65
कुल वित्तीय देनदारियां	-	-	**2,415.66**	**2,415.66**

लेवल 1 - निर्दिष्ट परिसंपत्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (समायोजित नहीं)

लेवल 2 - वित्तीय संसाधनों की उचित कीमत के बारे में किसी सक्रिय बाजार में लेन-देन नहीं होता है (उदाहरण के लिए ट्रेडिड बाण्ड ओवर दि काउंटर डेरिवेटिवस) जिनका मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारण किया जाता है, जो दर्शनीय बाजार आंकड़ों के उपयोग को न्यूनतम करते हैं और संस्था विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम विश्वास वाले होते हैं। यदि किसी संसाधन की उचित कीमत के लिए अपेक्षित सभी महत्त्वपूर्ण निवेश दर्शनीय हों, तो संसाधन की लेवल-2 में शामिल किया जाता है।

लेवल 3 - परिसंपत्तियों अथवा देयताओं के लिए निवेश जो दर्शनीय बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं होते हैं।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

ग. परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की उचित कीमत (रु. लाख में)

	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		1 अप्रैल, 2015 को	
	मूल कीमत	उचित कीमत	मूल कीमत	उचित कीमत	मूल कीमत	उचित कीमत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
गैर-चालू निवेश	1,196.42	1,196.42	1,249.01	1,249.01	1,275.81	1,275.81
गैर-चालू ऋण	1,392.67	1,392.67	1,553.98	1,553.98	1,708.62	1,708.62
अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	500.00	500.00	20,900.00	20,900.00
व्यापार प्राप्य	870.26	870.26	992.27	992.27	688.18	688.18
नकदी एवं नकदी समतुल्य	3,571.50	3,571.50	2,863.59	2,863.59	2,992.42	2,992.42
नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	143,599.99	143,599.99	139,299.90	139,299.90	100,700.00	100,700.00
चालू ऋण	2,002.16	2,002.16	2,116.85	2,116.85	1,920.33	1,920.33
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	12,325.70	12,325.70	12,504.85	12,504.85	12,480.86	12,480.86
	164,958.70	**164,958.70**	**161,080.45**	**161,080.45**	**142,666.22**	**142,666.22**
वित्तीय देनदारियां						
व्यापार देय	2,007.86	2,007.86	2,211.28	2,211.28	1,173.01	1,173.01
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	1,635.21	1,635.21	1,619.62	1,619.62	1,242.65	1,242.65
	3,643.07	**3,643.07**	**3,830.90**	**3,830.90**	**2,415.66**	**2,415.66**

व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयताओं, नकदी और नकदी समतुल्य की ले जायी गई धनराशियों, अन्य बैंक शेषों, अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को समान नहीं माना जाता है क्योंकि वे अल्पावधि स्वरूप की होती हैं।

ऋणों की उचित कीमत की एम सी एल आर/ एस बी आई की आधार दर का उपयोग करते हुए नकद प्रवाह के अनुसार गणना की गई थी। उनको प्रतिपक्ष क्रेडिट सहित अदर्शनीय निवेशों को शामिल करने की वजह से उनकी उचित कीमत के समूहों में लेवल 3 उचित कीमत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

47. पूंजीगत प्रबंध

कम्पनी के पूंजीगत प्रबंधन के लिए पूंजी में अन्य इक्विटी के रूप में मानी गई इक्विटी पूंजी, भारत सरकार से पूंजीगत अनुदान शामिल होते हैं।

48. भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाना

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुई वर्ष के इन वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किया गया है। 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष तक और इसमें शामिल अवधियों के लिए कम्पनी ने कम्पनी (लेखांकन मानक) नियमावली 2006 (यथा संशोधित) और भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए थे। तदुनसार, कम्पनी ने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं जो 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि और उस तुलनात्मक अवधि के लिए लागू भारतीय लेखांकन मानक का पालन करती हैं जिसमें महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश में यथा वर्णित 31 मार्च, 2016 को और उस तक समाप्त अवधि के आंकड़े शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में 1 अप्रैल, 2015 यानि भारतीय लेखांकन मानक लेन-देन संबंधी कम्पनी की तारीख, को कम्पनी का प्रारंभिक तुलन पत्र तैयार किया गया था। यह नोट 1 अप्रैल, 2015 को तुलन पत्र सहित अपने भारतीय जी ए पी पी वित्तीय विवरण तथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष को तथा उस अवधि के वित्तीय विवरणों के बारे में पुन: बताते हुए कम्पनी के द्वारा किए गए मूल समायोजन के बारे में बताता है।

ली गई छूट और अपवर्जन

नीचे दिए गए लागू भारतीय लेखांकन मानक 101 वैकल्पिक छूट और पूर्व जी ए ए पी से भारतीय लेखांकन मानक लेन-देन में प्रयुक्त अनिवार्य अपवर्जन है।

क. भारतीय लेखांकन मानक वैकल्पिक छूट

(i) मानी गई लागत

भारतीय लेखांकन मानक पूर्व जी ए ए पी के अनुसार निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक के लेन-देन की तारीख को वित्तीय विवरणों में यथा मान्य अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों को ले जाने की कीमत को बनाए रखने और उसे लेन देन की तारीख को उसकी मानी हुई लागत के रूप में उपयोग करने हेतु चयन करने के लिए प्रथम बार स्वीकारकर्त्ता की अनुमति है। इस छूट का भारतीय लेखांकन मानक 38 अमूर्त परिसंपत्तियों में शामिल अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।

तदनुसार, कम्पनी ने अपने पूर्ववर्ती जी ए ए पी के अनुसार परिसंपत्तियां, संयंत्र एवं उपकरण के मापन के लिए चुनाव किया है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

(ii) **सहायक कम्पनियों और संयुक्त उद्यम में निवेश**

भारतीय लेखांकन मानक 101 में सहायक कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों में मानी हुई लागत पर निवेश का निर्धारण करने के लिए भारतीय लेखांकन मानक के लिए संस्था के लेन देन की तारीख को पूर्व जी ए ए पी प्रारंभिक धनराशि को प्रारंभिक निवेश धनराशि माना है।

तदनुसार, कम्पनी ने मानी हुई लागत अर्थात पूववर्ती जी ए ए पी प्रारंभिक धनराशि पर सहायक कम्पनियों और संयुक्त उद्यम में इसके निवेश के लिए विकल्प दिया है।

(iii) **प्रारंभिक मान्य वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं का उचित कीमत निर्धारण**

भारतीय लेखांकन मानक 101 में उचित कीमत पर पूर्व मान्य वित्तीय परिसंपत्ति/ देयता को निर्दिष्ट करने के लिए प्रारम्भिक निर्दिष्ट माना है।

तदनुसार, कम्पनी ने अपनी सभी पूर्व मान्य वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को उचित कीमत अर्थात उस तारीख को मानी गई लागत पर निर्धारण करने के लिए स्वीकार किया है।

ख. भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार अनिवार्य छूट

(i) **अनुमान**

भारतीय लेखांकन मानक के लिए लेन देन की तारीख को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार संस्था के अनुमान पूर्व जी ए ए पी के अनुसार (लेखांकन नीतियों में किसी प्रकार के अंतर को दर्शाने के लिए समायोजन के बाद) उसी तारीख के लिए किए गए अनुमानों के अनुरूप तब तक नहीं होंगे जब तक इस बारे में कोई वस्तुपरक प्रमाण न हो कि ये अनुमान त्रुटिपूर्ण थे। कम्पनी ने पूर्व जी ए ए पी के अनुसार लगाए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

(ii) **वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और निर्धारण**

वित्तीय परिस्थितियों का वर्गीकरण और निर्धारण उन तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा जो भारतीय लेखांकन मानक के लिए लेन देन की तारीख को हों। कम्पनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण और निर्धारण करने के लिए भारतीय लेखांकन मानक हेतु लेन देन की तारीख को मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों का मूल्यांकन किया है और तदनुसार लेन देन की तारीख को वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण एवं निर्धारण किया है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

ग. पूर्व जी ए ए पी और भारतीय लेखांकन मानक के बीच सामंजस्य

भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुसार भारतीय जी ए ए पी से भारतीय लेखांकन मानक को लेन-देनों से पर्याप्त अंतरों के प्रभाव का परिमाणन निम्नलिखित सामंजस्य से उपलब्ध होता है:

इक्विटी का सामंजस्य (लाख रु. में)

विवरण		01.04.2015 को			31.03.2016 को		
	पाद नोट सं.	भारतीय जी ए ए पी के अनुसार	लेन देन के कारण समायोजन	भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार धनराशि	भारतीय जी ए ए पी के अनुसार	लेन देन के कारण समायोजन	भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार धनराशि
परिसंपत्तियां							
गैर चालू परिसंपत्तियां							
1) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	1 (क)	4,629.39	0.62	4,630.01	4,332.75	-	4,332.75
2) प्रगति में पूंजीगत कार्य		559.48	-	559.48	617.92	-	617.92
3) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां		-	-	-	-	-	-
4) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		62.00	-	62.00	-	-	-
5) वित्तीय परिसंपत्तिरयां		-					
क) निवेश	1 (ग)	1,220.51	55.30	1,275.81	1,220.51	28.50	1,249.01
ख) ऋण	1 (घ)	1,669.86	38.76	1,708.62	1,484.34	69.64	1,553.98
ग) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		-	20,900.00	20,900.00	-	500.00	500.00
6) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	1 (घ)	364.51	(7.02)	357.49	366.84	(24.37)	342.47
		8,505.75	**20,987.66**	**29,493.41**	**8,022.36**	**573.76**	**8,596.13**
चालू परिसंपत्तियां							
1) वित्तीय परिसंपत्तियां							
क) निवेश	1 (ङ)	29.72	31.00	60.72	33.94	24.51	58.45
ख) व्यापार प्राप्य		688.18	-	688.18	992.27	-	992.27
ग) नकदी और नकदी समतुल्य		124,592.41	(121,599.99)	2,992.42	142,663.49	(139,799.90)	2,863.59
घ) नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष		-	100,700.00	100,700.00	-	139,299.90	139,299.90
ङ) ऋण	1 (घ)	23,895.62	(21,975.29)	1,920.33	27,213.92	(25,097.07)	2,116.85
च) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		-	12,480.86	12,480.86	-	12,504.85	12,504.85
2) अन्य चालू परिसंपत्तियां		5,038.80	9,407.38	14,446.18	5,077.80	12,518.45	17,596.25
		154,244.73	**(20,956.04)**	**133,288.69**	**175,981.42**	**(549.26)**	**175,432.16**
कुल परिसंपत्तियां		**162,750.48**	**31.62**	**162,782.10**	**184,003.78**	**24.51**	**184,028.29**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

इक्विटी और देयताएं

क. इक्विटी (लाख रु. में)

1) इक्विटी शेयर पूंजी		25.00	-	25.00	25.00	-	25.00
2) अन्य इक्विटी	1(क,ख,ग,ङ)	150,025.64	(399.12)	149,626.52	166,553.77	(513.58)	166,040.19
		150,050.64	(399.12)	149,651.52	166,578.77	(513.58)	166,065.19
ख. देयताएं							
I. गैर चालू देयताएं							
1) प्रावधान		1,703.90	-	1,703.90	1,832.76	-	1,832.76
2) अन्य गैर-चालू देयताएं		520.58	-	520.58	933.39	-	933.39
		2,224.48	**-**	**2,224.48**	**2,766.15**	**-**	**2,766.15**
II. चालू देयताएं							
1) वित्तीय देयताएं							
क) व्यापार देयताएं		1,241.04	(68.03)	1,173.01	2,294.13	(82.85)	2,211.28
ख) अन्य वित्तीय देयताएं		-	1,242.65	1,242.65	-	1,619.62	1,619.62
2) अन्य चालू देयताएं		5,652.85	(743.88)	4,908.97	6,125.42	(998.69)	5,126.73
3) प्रावधान		3,581.47	-	3,581.47	6,239.32	-	6,239.32
		10,475.36	**430.74**	**10,906.10**	**14,658.87**	**538.08**	**15,196.95**
कुल इक्विटी और देयताएं	-	**162,750.48**	**31.62**	**162,782.10**	**184,003.78**	**24.51**	**184,028.29**

* इस टिप्पणी के प्रयोजन की पुष्टि पूर्व जी ए ए पी आंकड़ों का पुनर्वर्गीकरण भारतीय लेखांकन मानक प्रस्तुतीकरण अपेक्षाओं के अनुरूप किया गया है।

अन्य इक्विटी का मिलान

विवरण	पाद सं.	01.04.2015 को	31.03.2016 को
आई जी ए ए पी के अनुसार इक्विटी		**150,025.64**	**166,553.77**
समायोजन :			
जोड़ : भारतीय लेखांकन मानक 8 के अनुसार पुन: सूचित पूर्व अवधि आय के कारण परिवर्तन	1 (क)	(430.12)	(107.97)
जोड़ : म्युचुअल फण्ड में निवेश पर उचित कीमत लाभ/ (हानि)	1 (ङ)	31.00	(6.49)
जोड़ : लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों को मान्यता	1 (घ)	-	-
कुल समायोजन :		**(399.12)**	**(114.46)**
प्रारंभिक तुलन पत्र से आगे ले जाए गए निवल प्रभाव			(399.12)
भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार इक्विटी		**149,626.52**	**166,040.19**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष की कुल विस्तृत आय का मिलान (लाख रु. में)

विवरण	पाद टिप्पणी सं.	भारतीय जी ए ए पी के अनुसार धनराशि	लेन देन के कारण समायोजन	भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार धनराशि
आय				
कार्य संचालन से राजस्व		24,502.89	49.59	24,552.48
अन्य आय	1 (घ)	13,149.02	(145.78)	13,003.24
कुल आय		37,651.91	(96.19)	37,555.72
व्यय				
कर्मचारी हित लाभ व्यय	1 (घ)	8,899.42	60.86	8,960.28
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		485.81	-	485.81
अन्य व्यय	1 (क)	9,551.84	(15.00)	9,536.84
कुल व्यय		18,937.07	45.86	18,982.93
अपवादात्मक, विशेष मदों और कर से पूर्व व्यय से अधिक आय		18,714.84	(142.05)	18,572.79
अपवादात्क मदें		(2,186.71)	-	(2,186.71)
कर पूर्व व्यय से अधिक आय		16,528.13	(142.05)	16,386.08
कर संबंधी व्यय		-	-	-
अवधि (क) का लाभ		16,528.13	(142.05)	16,386.08
अन्य विस्तृत आय				
(i) मदें, जिनको लाभ अथवा हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-	-
निवल परिभाषित लाभ (देयता)/ परिसंपत्ति का पुन: निर्धारण		-	27.59	27.59
अवधि की कुल अन्य विस्तृत आय, आयकर (ख) की निवल राशि		-	27.59	27.59
वर्ष की कुल विस्तृत आय (क + ख)		16,528.13	(114.46)	16,413.67

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की कुल विस्तृत आय का मिलान (लाख रु. में)

	पाद टिप्पणी सं.	धनराशि
आई जी ए ए पी के अनुसार कर के बाद में लाभ		**16,528.13**
समायोजन		
जोड़ : भारतीय लेखांकन मानक-8 के अनुसार पुन:सूचित पूर्व अवधि के कारण परिवर्तन	1 (क)	(107.97)
जोड़ : म्युचुअल फण्ड में निवेश पर उचित कीमत लाभ/ (हानि)	1 (ङ)	(6.49)
जोड़ : परिशोधित लागत पर वित्तीय संपत्तियों को मान्यता	1 (घ)	-
घटाएं : निवल परिभाषित लाभ (देयता)/ परिसंपत्ति का पुन:निर्धारण		(27.59)
कुल समायोजन :		**(142.05)**
भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कर के बाद लाभ		**16,386.08**
अन्य विस्तृत आय		-
जोड़ : निवल परिभाषित लाभ (देयता)/ परिसंपत्ति का पुन:निर्धारण		27.59
वर्ष की कुल विस्तृत आय		**16,413.67**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाहों के विवरण का मिलान (लाख रु. में)

	पाद टिप्पणी संख्या	भारतीय जी ए ए पी के अनुसार धनराशि	लेन देन के कारण समायोजन	भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार धनराशि
प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकद प्रवाह		6,181.23	(38,628.43)	(32,447.20)
निवेश कार्यकलापों से निवल नकद प्रवाह		11,889.85	20,428.52	32,318.37
वित्तीय संबंधी कार्यकलापों से निवल नकद प्रवाह		-	-	-
वर्ष के दौरान नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/ (कमी)		**18,071.08**	**(18,199.91)**	**(128.83)**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		124,592.42	(121,600.00)	2,992.42
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		**142,663.49**	**(139,799.91)**	**2,863.59**

III. मिलानों से संबंधित पाद टिप्पणियां

1(क) पूर्व अवधि त्रुटियां

पूर्व जी ए ए पी के तहत पूर्ण अवधि त्रुटियों के बारे में उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में सूचित किया गया था, जिस अवधि में एक अथवा एक से अधिक पूर्व अवधियों के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में चूक अथवा लोप के परिणामस्वरूप त्रुटि होती है। भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार पूर्व अवधि त्रुटि को पूर्वव्यापी पुन: बनाए विवरण में इस प्रकार ठीक किया जाता है, मानो कि पूर्व अवधि त्रुटि कभी नहीं हुई थी।

1(ख) प्रतिधारण आय

1 अप्रैल, 2015 की प्रतिधारण आय को 31.03.2015 से पूर्व की अवधि के वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के वित्तीय विवरणों में रिकार्ड किए पूर्व अवधि खर्चों में समायोजित किया गया है।

1 अप्रैल, 2015 को तुलन पत्र	यथा सूचित	भारतीय लेखांकन मानक समायोजनों का पुन: विवरण	पुन: सूचित शेष
प्रतिधारण आय	143,642.47	(324.89)	143,317.58

1(ग) सहायक कम्पनी में निवेश

सहायक कम्पनी को दी गई ऋण धनराशि और उसकी उचित कीमत के बीच के अंतर को धारक कम्पनी की लेखा पुस्तकों में सहायक कम्पनी में अतिरिक्त निवेश के रूप में माना जाता है।

1(घ) ऋण

सहायक कम्पनियों और कर्मचारियों को दिए गए ऋणों को परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों की ब्याज दर बाजार दर से कम होती है, वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य में छूट की जाती है। कर्मचारी ऋणों के लिए, समायोजनों के प्रभाव को गेर-चालू और चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत आस्थगित वेतन नामावली व्यय में दर्शाया जाता है।

1(ङ.) म्युचुअल फण्ड में निवेश

यू टी आई म्युचुअल फण्ड में आई टी ओ पी के द्वारा किए गए निवेश का आय और व्यय विवरण के माध्यम से उचित कीमत (अर्थात् बाजार पर) निर्धारण किया जाता है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (जारी)

49 संबद्ध पार्टी के प्रकटन नीचे दिए गए हैं

(लाख रु. में)

(क) **सहायक कम्पनियों में हित**

कम्पनियों का नाम	प्रचालन का मूल स्थान	मुख्य कार्य	स्वामित्व हित का अनुपात	
			31.03.2017	31.03.2016
तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	भारत	व्यापार संवर्धन	51%	51%
कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	भारत	व्यापार संवर्धन	51%	51%

(ख) **संयुक्त उद्यमों में हित**

कम्पनियों का नाम	प्रचालन का मूल स्थान	मुख्य कार्य	स्वामित्व हित का अनुपात	
			31.03.2017	31.03.2016
राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र	भारत	व्यापार सूचना	50%	50%

(ग) **अन्य संबंधित पार्टियों की सूची**

संबंधित पार्टियों का नाम	प्रचालन का मूल स्थान	संबंध का स्वरूप
आई टी पी ओ कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	भारत	आई टी पी ओ की नियोजन के बाद लाभ योजना
आई टी पी ओ कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट	भारत	आई टी पी ओ की नियोजन के बाद लाभ योजना

(घ) **मुख्य प्रबंधन कार्मिक**

	नाम	धारित पर
1	श्री लक्ष्मी चंद्र गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2	श्रीमती शुभ्रा सिंह (09.02.2017 तक)	कार्यकारी निदेशक
3	श्री रजनीश (10.02.2017 से 24.05.2017 तक)	कार्यकारी निदेशक
4	श्री जे. के डाडू	नामित निदेशक
5	श्री मनोज जोशी	नामित निदेशक
6	श्री संजय चड्ढ़ा	नामित निदेशक
7	श्री के. नागराज नायडू	नामित निदेशक
8	श्री पी. एन. विजय (10.06.2016 से)	स्वतंत्र निदेशक
9	श्री देवेन्द्र मोहन शर्मा	मुख्य वित्तीय अधिकारी
10	श्री स्मृति रंजन साहू	कम्पनी सचिव

(ङ) **सरकार का नाम और उसके साथ संबंध की प्रकृति**

सरकार का नाम	आई टी पी ओ के साथ संबंध
भारत सरकार	100% कम्पनी के शेयरधारक

(च) **प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के लिए मुआवजे** (लाख रु. में)

	व्यक्ति का नाम	पदनाम	वेतन एवं भत्ते	परिलब्धियां	कुल पारिश्रमिक
(i)	**अल्पकालिक कर्मचारी लाभ**				
1	श्री लक्ष्मी चन्द गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	25.96	4.29	30.24
2	श्रीमती शुभ्रा सिंह	कार्यकारी निदेशक	26.26	2.25	28.51
3	श्री रजनीश	कार्यकारी निदेशक	-	-	-
4	श्री स्मृति रंजन साहू	कम्पनी सचिव	15.37	0.09	15.46
5	श्री देवेन्द्र मोहन शर्मा	मुख्य वित्तीय अधिकारी	17.75	-	17.75
(ii)	**अन्य लाभ**				शून्य

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(छ)	**संबद्ध पार्टियों के साथ लेन-देन**	**2016-17**	**2015-16**
	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन		
	कम्पनी के द्वारा प्राप्त सेवाएं	137.23	151.77
	आई टी पी ओ कर्मचारी भविष्य निधि न्यास		
	कम्पनी के द्वारा अंशदान	569.83	566.60
	आई टी पी ओ कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि न्यास		
	कम्पनी के द्वारा अंशदान	1,387.85	267.79
(च)	**संबद्ध पार्टियों के पास बकाया शेष**		
	विवरण	**31.03.2017**	**31.03.2016**
(i)	**सहायक कम्पनियों के पास शेष**		
	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन		
	कंपनी द्वारा देय	182.31	155.14
	कंपनी द्वारा प्राप्य	121.48	231.30
	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन		
	कंपनी द्वारा देय	-	-
	कंपनी द्वारा प्राप्य	1,794.98	1,859.59
(ii)	**संयुक्त उद्यम के पास बकाया (एनसीटीआई)**		
	कंपनी द्वारा देय	16.60	18.55
	कंपनी द्वारा प्राप्य	260.93	294.89
(iii)	**कंपनी द्वारा देय**		
	आईटीपीओ कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	शून्य	11.42
	आईटीपीओ कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि न्यास	1,607.53	240.20
(iv)	**केएमपी के पास बकाया**	शून्य	शून्य

कम्पनी राज्य सरकारों और भारत सरकार के द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के साथ कारोबार करती है। इन संस्थाओं के साथ लेन-देन बाजार की शर्तों के आधार पर किए जाते हैं। इसीलिए ऐसे लेन-देनों के पार्टीवार विवरण पहले नहीं दिए गए हैं। क्योंकि ऐसे लेन-देन सामान्य वाणिज्यिक दरों पर व्यापार की साधारण अवधि के दौरान किए जाते हैं। विभाग और सरकार की जो एजेंसियां नियंत्रित नहीं होती हैं, संयुक्त रूप से नियंत्रित हों अथवा ये समूह को काफी प्रभावित करती हैं, ये संस्थाएं/ कम्पनियां भारतीय लेखांकन मानक - 24 के अनुच्छेद 11 (ग) (IV) के अनुसार संबद्ध नहीं होते हैं।

50 पूर्व वर्ष के आंकड़े

पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूह/ पुनः वर्गीकृत/ संशोधित किए हैं, जहां कहीं आवश्यक समझा गया है।

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
(एस. आर. साहू)	**(डी. एम. शर्मा)**	**(दीपक कुमार)**	**(एल. सी. गोयल)**
कम्पनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ग्रोवर, लाला एवं मेहता
चार्टरित लेखाकार
एफ आर एन 002830एन

ह./-
(आलोक गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं. 501529

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2017

समेकित लेखा

दिनांक 31 मार्च, 2017 को समेकित तुलन-पत्र

(रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2017 को यथास्थिति	31.03.2016 को यथास्थिति	31.03.2015 को यथास्थिति
परिसम्पत्तियां				
I. गैर चालू परिसम्पत्तियां				
1) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर	3	10,598.44	10,982.74	11,233.94
2) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3	109.26	617.92	559.48
3) अन्य मूर्त परिसम्पत्तियां	3	14.30	0.42	0.67
4) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	3	-	-	62.00
5) संयुक्त उद्यम में निवेश	4	166.11	164.65	180.84
6) वित्तीय परिसम्पत्तियां				
क) निवेश	5	0.00	0.00	0.00
ख) ऋण	6	618.93	682.24	747.81
ग) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	7	-	500.00	20,900.00
7) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां	8	14,756.99	417.60	433.92
II. चालू परिसम्पत्तियां				
1) वित्तीय परिसम्पत्तियां				
क) निवेश	9	72.40	58.45	60.72
ख) व्यापार प्राप्य	10	870.27	1,000.60	729.11
ग) नकदी और नकदी समतुल्य	11	4,924.19	3,536.57	3,281.86
घ) नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	12	1,63,461.94	1,53,118.83	1,14,473.15
ङ) ऋण	13	1,913.76	1,970.94	1,780.46
च) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	14	12,923.98	12,940.29	13,003.62
2) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	15	27,008.00	22,420.87	18,205.91
कुल परिसम्पत्तियां		**2,37,438.57**	**2,08,412.11**	**1,85,653.48**
इक्विटी और देयताएं				
क. इक्विटी				
1) इक्विटी शेयर पूंजी	16	25.00	25.00	25.00
2) अन्य इक्विटी	17	1,98,728.68	1,77,449.19	59,523.01
अनियंत्रण ब्याज	18	16,492.22	11,915.92	10,631.75
ख. देयताएं				
I. गैर चालू देयताएं				
1) वित्तीय देयताएं				
क) ऋण	19	-	141.65	283.41
2) प्रावधान	20	2,436.32	1,832.77	1,706.20
3) अन्य गैर-चालू देयताएं	21	853.55	933.39	520.58
II. चालू देयताएं				
1) वित्तीय देयताएं				
क) ऋण	22	24.50	-	-
ख) व्यापार देयताएं	23	2,048.16	2,187.16	1,158.82
ग) अन्य वित्तीय देयताएं	24	1,837.46	1,832.49	2,715.35
2) अन्य चालू देयताएं	25	6,635.90	5,849.01	5,502.64
3) प्रावधान	26	8,356.78	6,245.53	3,586.72
कुल इक्विटी और देयताएं		**2,37,438.57**	**2,08,412.11**	**1,85,653.48**
सामान्य सूचना	1			
महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2			

संगत टिप्पणियां समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
(एस. आर. साहू)	**(डी. एम. शर्मा)**	**(दीपक कुमार)**	**(एल. सी. गोयल)**
कम्पनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ग्रोवर, लाला एवं मेहता
चार्टरित लेखाकार
एफ आर एन 002830एन

ह./-
(आलोक गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं. 501529

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का समेकित विवरण

(रु. लाख में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2017 को स्थिति	31.03.2016 को स्थिति
I	**आय**			
	प्रचालनों से राजस्व	27	30,261.71	28,035.13
	अन्य आय	28	14,047.25	14,390.66
	कुल आय		**44,308.96**	**42,425.79**
II	**व्यय**			
	कर्मचारी हित व्यय	29	11,266.42	9,118.33
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	30	929.79	971.89
	अन्य व्यय	31	11,514.05	11,108.56
	कुल व्यय		**23,710.26**	**21,198.78**
III	**अपवादात्मक, विशेष मदें और कर से पूर्व व्यय से अधिक आय**		**20,598.70**	**21,227.01**
	विशेष मदें	32	5,024.38	(1,909.37)
IV	कर पूर्व व्यय से अधिक आय		**25,623.08**	**19,317.64**
VI	कर व्यय		-	-
VII	इक्विटी पद्धति और कर का उपयोग करने के लिए लेखे में लिए निवेशों की निवल आय को बांटने से पूर्व व्यय से अधिक आय		**25,623.08**	**19,317.64**
VIII	जोड़ें : इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए लेखें में लिए गए संयुक्त उद्यम की निवल आय को बांटना		3.32	(16.27)
IX	**अवधि का अधिशेष**		**25,626.40**	**19,301.37**
VII	अन्य विस्तृत आय			
क	(i) मदें जिनको लाभ अथवा हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।			
	निवल निश्चित लाभ (देयता)/ परिसम्पत्ति का पुन: मापन		(220.44)	29.41
	इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए लेखे में लिए गए संयुक्त उद्यम की अन्य विस्तृत आय को बांटना		(1.86)	0.08
	(ii) उन मदों के बारे में आयकर जिनको लाभ अथवा हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
ख	(i) मदें जिनको लाभ अथवा हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किया जाएगा			
	(ii) उन मदों के बारे में आयकर जिनको लाभ अथवा हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किया जाएगा			
	अन्य विस्तृत आय (क + ख)		**(222.30)**	**29.49**
VIII	अवधि की कुल विस्तृत आय		**25,404.10**	**19,330.86**
	बतायी गई आय			
	मूल का स्वामी		21,542.40	17,939.28
	अनियंत्रित ब्याज		4,084.00	1,362.09
			25,626.40	**19,301.37**
	बतायी गई व्यापक आय			
	मूल का स्वामी		(221.21)	28.60
	अनियंत्रित ब्याज		(1.09)	0.89
			(222.30)	**29.49**
	बतायी गई व्यापक आय			
	मूल का स्वामी		21,321.19	17,967.88
	अनियंत्रित ब्याज		4,082.91	1,362.98
			25,404.10	**19,330.86**
IX	प्रत्येक 100 रु. प्रति इक्विटी शेयर से आय	33		
	(1) आधार भूत		0.86	0.72
	(2) मिश्रित		0.86	0.72
	सामान्य सूचना	1		
	महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां			
	संगत टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है	2		

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
(एस. आर. साहू)	**(डी. एम. शर्मा)**	**(दीपक कुमार)**	**(एल. सी. गोयल)**
कम्पनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ग्रोवर, लाला एवं मेहता
चार्टरित लेखाकार
एफ आर एन 002830एन

ह./-
(आलोक गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं. 501529

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2017

दिनांक 31 मार्च, 2016 की समाप्त वर्ष के लिए समेकित कैश फ्लो विवरण

(रु. लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को यथास्थिति		31 मार्च, 2016 को यथास्थिति	
क प्रचालन क्रियाकलापों से कैश फ्लों				
कर पूर्व व्यय से अधिक आय		25,404.10		19,330.86
समायोजन :				
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	929.79		971.89	
अचल परिसम्पत्तियों पर हानि/(लाभ)	27.98		0.79	
ब्याज और लाभांश आय	(13,163.73)		(13,376.76)	
प्रावधान	154.13		63.91	
प्रावधान/देयताएं, जो अब अपेक्षित नहीं	(210.51)		(142.36)	
पेंशन कोष में अंशदान के लिए प्रावधान	-		2,325.00	
बट्टे खाते में डाली गई अमूर्त परिसम्पत्तियां	-		62.00	
वित्तीय निवेश पर उचित कीमत (लाभ)/हानि	(54.12)		(59.06)	
सरकारी अनुदान पर परिशोधन	(81.76)		(81.76)	
बट्टे खाते डाली गई परिसम्पत्तियां	0.11		5.26	
मूल्यह्रास - अपवादात्मक मद	262.16		(273.33)	
इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखें में लिए गए संयुक्त उद्यम के निवल लाभ का शेयर	(1.46)		16.19	
भूमि की बिक्री पर लाभ - अपवादात्मक मद	(5,076.02)		-	
		(17,213.44)		(10,488.22)
		8,190.65		8,842.64
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ				
गैर-चालू वित्तीय ऋणों में वृद्धि (कमी)	(171.08)		(173.34)	
अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियों में वृद्धि (कमी)	499.68		(9.00)	
व्यापार प्राप्यों में वृद्धि (कमी)	(121.39)		248.14	
चालू ऋणों में वृद्धि (कमी)	(66.09)		182.38	
अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियों में वृद्धि (कमी)	(19.05)		(57.37)	
गैर चालू प्रावधानों में वृद्धि (कमी)	4,733.84		4,233.69	
अन्य चालू देयताओं के प्रावधानों में वृद्धि (कमी)	(603.55)		(126.57)	
गैर चालू देयताओं में वृद्धि (कमी)	79.84		(412.81)	
व्यापार देयताओं में वृद्धि (कमी)	181.99		(1,028.35)	
अन्य चालू वित्तीय देयताओं में वृद्धि (कमी)	7.91		894.56	
अन्य चालू देयताओं में वृद्धि (कमी)	(829.89)		(346.43)	
चालू प्रावधनों में वृद्धि (कमी)	(2,107.64)		(330.24)	
प्रावधान/ देयताएं, जो अब अपेक्षित नहीं	(206.53)		(90.60)	
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	10,343.10		38,645.68	
कमी : कार्यशील पूंजी में निवल वृद्धि		11,721.15		41,629.74
प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकदी (क)		(3,530.50)		(32,787.10)

जारी

ख	**निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
	वित्तीय परिसम्पत्तियों में (जमा)/ निकासी	500.00		20,400.00	
	आई ई सी सी परियोजना के लिए विज्ञापन	(13,270.26)		-	
	अचल परिसम्पत्तियों की खरीद	(568.19)		(513.28)	
	अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री	5,325.18		1.68	
	निवेश और इंटर कारपोरेट जमा	(5.59)		(4.22)	
	ब्याज और लाभांश आय	13,163.73		13,376.76	
	निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी (ख)		5,144.87		33,260.94
ग	**वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह**				
	उधारियों से आय				
	उधारियों का पुनर्भुगतान	(226.75)		(219.12)	
	वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह (ग)		(226.75)		(219.12)
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/ कमी (क + ख + ग)		1,387.62		254.71
	वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		3,536.57		3,281.86
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		**4,924.19**		**3,536.57**
	नकदी और नकदी समतुल्यों के संघटक वर्ष के अंत में				
	हाथ में नकदी और नकदी समतुल्य		9.30		13.86
	समतुल्य बैंकों में शेष - चालू और बचत लेखे में		4,914.90		3,522.71
			4,924.19		**3,536.57**

टिप्पणी :

1. नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, हाथ में ड्राफ्ट/ चैक, बैंक शेष, बैंकों के पास जमा और 3 महीने अथवा इससे कम अवधि की मूल परिपक्वता सहित अल्पकालिक निवेश

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
(एस. आर. साहू)	**(डी. एम. शर्मा)**	**(दीपक कुमार)**	**(एल. सी. गोयल)**
कम्पनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ग्रोवर, लाला एवं मेहता
चार्टरित लेखाकार
एफ आर एन 002830एन

ह./-
(आलोक गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं. 501529

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी परिवर्तन का समेकित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

विवरण	31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
वर्ष के प्रारंभ में शेष	25.00	25.00	25.00
- इक्विटी शेयर का निर्गम	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**25.00**	**25.00**	**25.00**

ख. अन्य इक्विटी (संदर्भ टिप्पणी सं. 17)

वित्तीय वर्ष 2016-17

(रु. लाख में)

विवरण	मूल के स्वामियों का				मूल के स्वामियों के लिए कुल इक्विटी	गैर-नियंत्रण ब्याज	कुल
	अधिशेष और आरक्षित			अन्य विस्तृत आय			
	धारित आय	आरक्षित पूंजीगत	भारत सरकार से पूंजीगत अनुदान	निश्चित लाभ योजना का पुन: आकलन			
वर्ष के प्रारंभ में शेष	170,264.79	1,343.32	5,812.48	28.60	177,449.19	11,915.92	189,365.11
भारतीय लेखांकन मानक समायोजनों के कारण समायोजन	-	-	-	-	-	533.45	533.45
वर्ष के प्रारंभ में पुन: सूचित शेष	**170,264.79**	**1,343.32**	**5,812.48**	**28.60**	**177,449.19**	**12,449.37**	**189,898.56**
वर्ष का लाभ/ (हानि)	21,542.40	-	-		21,542.40	4,084.00	25,626.40
वर्ष की अन्य विस्तृत आय/ (हानि)		-	-	(221.21)	(221.21)	(1.09)	(222.30)
कुल विस्तृत आय	**21,542.40**	**-**	**-**	**(221.21)**	**21,321.19**	**4,082.91**	**25,404.10**
ए एस आई डी ई से प्राप्त अनुदान का परिशोधन			(41.70)		(41.70)	(40.06)	(81.76)
वर्ष के अंत में शेष	**191,807.19**	**1,343.32**	**5,770.79**	**(192.61)**	**198,728.68**	**16,492.22**	**215,220.90**

वित्तीय वर्ष 2015-16

(रु. लाख में)

विवरण	पेरेन्ट के स्वामियों का				पेरेन्ट के स्वामियों के लिए कुल इक्विटी	गैर-नियंत्रण ब्याज	कुल
	आरक्षित और अधिशेष			अन्य विस्तृत आय			
	धरित आय	आरक्षित पूंजीगत	भारत सरकार से पूंजीगत अनुदान	निश्चित लाभ योजना का पुनः आकलन			
वर्ष के प्रारंभ में शेष	152,398.95	7,530.14	-	-	159,929.08	9,653.57	169,582.65
भारतीय लेखांकन मानक समायोजनों के कारण से परिवर्तन	(73.44)	(6,186.82)	5,854.18	-	(406.08)	85.71	(320.37)
वर्ष के प्रारंभ में पुनः सूचित शेष	**152,325.51**	**1,343.32**	**5,854.18**	**-**	**159,523.01**	**9,739.28**	**169,262.29**
वर्ष का लाभ/(हानि)	17,939.28	-	-		17,939.28	1,362.09	19,301.37
वर्ष की अन्य विस्तृत आय/ (हानि)		-	-	28.60	28.60	0.89	29.49
कुल विस्तृत आय	**17,939.28**	**-**	**-**	**28.60**	**17,967.88**	**1,362.98**	**19,330.86**
ए एस आई डी ई से प्राप्त अनुदान का परिशोधन			(41.70)		(41.70)	813.66	771.96
वर्ष के अंत में शेष	**170,264.79**	**1,343.32**	**5,812.48**	**28.60**	**177,449.19**	**11,915.92**	**189,365.11**

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
(एस. आर. साहू)	(डी. एम. शर्मा)	(दीपक कुमार)	(एल. सी. गोयल)
कम्पनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ग्रोवर, लाला एवं मेहता
चार्टरित लेखाकार
एफ आर एन 002830एन

ह./-
(आलोक गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं. 501529

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां

1 सामान्य जानकारी

1.1 कम्पनी का परिदृष्य

यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के अंतर्गत मुख्य रूप से भारत तथा विदेशों में व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के आयोजन के माध्यम से भारत के व्यापार संवर्धन के उद्देश्य से 30.12.1976 को ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इण्डिया (टी एफ ए आई) के रूप में स्थापित की गई थी। इसके बाद में 1.1.1992 को भूतपूर्व ट्रेड डेवलेपमेंट अथारिटी का टी एफ ए आई के साथ विलय हो जाने पर विलयित संगठन को 16.04.1992 को कम्पनी रजिस्ट्रार की विधिवत स्वीकृति लेकर पुनर्नामित करके इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन कर दिया गया। यह कम्पनी भारत सरकार का शीर्ष व्यापार संवर्धन निकाय है तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्यिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य कर रहा है।

आई टी पी ओ और इसकी सहायक कम्पनियों तथा संयुक्त उद्यमों को इसके बाद 'समूह' कहा गया है।

1.2 वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

I. अनुपालन विवरण

ये वित्तीय विवरण भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय लेखांकन मानक) कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 और कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2016, और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार लेखांकन के आधार पर तैयार किए जाते हैं। यह कम्पनी के प्रथम भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण हैं और भारतीय लेखांकन मानक 101 'भारतीय लेखांकन मानकों को पहली बार स्वीकृत' करके लागू किया गया है।

31 मार्च, 2016 तक की सभी अवधियों के लिए कम्पनी ने भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) कम्पनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अधीन निर्धारित लेखांकन मानकों, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित और लागू करने की सीमा तक) तथा कम्पनी अधिनियम 1956 के लागू प्रावधानों के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

पूर्व जी ए ए पी से भारतीय लेखांकन मानक में बदलाव से कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह कैसे प्रभावित हुआ है, इस बारे में टिप्पणी 54 में बताया है।

II. निर्धारण करने का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के अंतर्गत लेखांकन के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय निम्नलिखित वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं के लिए, जिनको वास्तविक कीमत के आधार पर निर्धारण किया जाता है :-

- कुछ वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं को उचित कीमत पर तैयार किया गया।
- सुनिश्चित कर्मचारी लाभ योजनाओं की योजनागत परिसम्पत्तियां।

उचित कीमतों का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों के बारे में टिप्पणी सं. 46 में विचार-विमर्श किया है।

III. क्रियाशील और प्रस्तुतीकरण करेंसी (मुद्रा)

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आई एन आर) में तैयार किए जाते हैं जो कम्पनी की क्रियाशील मुद्रा है। आई एन आर में प्रस्तुत की गई समस्त वित्तीय सूचना कम्पनी के लिए लाख (2 दशमलव तक) के आस-पास रखी गई है।

IV अनुमानों, निर्णयों और संकल्पनाओं का उपयोग

भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए निर्णय, अनुमान और संकल्पनाओं हेतु प्रबंधन की यह अपेक्षा है, जिससे

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

लेखांकन नीतियों को लागू करने और परिसम्पत्तियों और देयताओं की सूचित कीमत, तुलन-पत्र की तारीख को संबंधित प्रकटन आकस्मिक परिसम्पत्तियां और देयताएं तथा अवधि के दौरान आय और व्यय की सूचित धनराशि प्रभावित हो सकती है। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय अनुभव और परिस्थितियों में उचित और विवेकपूर्ण माने गए अन्य कारकों पर आधारित होते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों में परिवर्तन को उस अवधि के वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाता है, जिसमें परिवर्तन किए जाते हैं और यदि महत्त्वपूर्ण हो, तो उनके प्रभावों को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

वित्तीय विवरणों के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमानों, अनिश्चितता और जटिल निर्णयों के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में सूचना को निम्नलिखित क्षेत्रों में शामिल किया जाता है, जिसका वित्तीय विवरणों में स्वीकार्य राशियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव हो सकता है।

(i) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों (पी पी ई) की उपयोगी मियाद

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों की अनुमानित उपयोग मियाद बहुत से कारकों पर आधारित होती है, जिनमें अप्रचलन मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारक शामिल हैं, जिनका निर्धारण परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण करने तथा समय-समय उनकी समीक्षा करने के समय प्रबंधन के द्वारा किया जाता है।

(ii) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों की वसूली योग्य धनराशि और पूंजीगत कार्य प्रगति पर

सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कारों की वसूली योग्य धनराशि तथा पूंजीगत कार्य प्रगति पर होना अनुमानों और संकल्पनाओं, विशेषकर संभावित बाजार दृष्टिकोण एवं सम्बद्ध भावी नकद प्रवाह पर आधारित होता है।

(iii) सेवा-निवृत्ति बाद लाभ योजनाएं

कर्मचारी के लाभ दायित्वों को वास्तविक संकल्पनाओं के आधार पर मापा (निर्धारित) किया जाता है, जिसमें मृत्यु और निकासी (आहरण) दरें तथा छूट दरों पर भावी विकास संबंधी संकल्पनाएं, वेतन वृद्धि की दर, लाभ की संभावित दर और मुद्रास्फीति की दर शामिल है। कम्पनी यह मानती है कि उसके दायित्वों को मापने के लिए प्रयुक्त संकल्पनाएं उपयुक्त एवं प्रमाणित होती हैं। तथापि, इन संकल्पनाओं में किसी प्रकार के परिवर्तनों का परिणामी गणनाओं का वास्तविक प्रभाव हो सकता है।

(iv) प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को स्वीकार करने में किए गए आकलन भारतीय लेखांकन मानक 37, "प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसम्पत्तियों" के अनुसार किए गए हैं।

संदिग्ध ऋणों/ अग्रिमों के लिए प्रावधान सरकारी बकाया राशि सहित बकाया, तीन वित्तीय वर्षों से अधिक अथवा अन्यथा बकाया धनराशियों के बारे में किए गए हैं, सिवाय उन मामलों के, जिनमें कम्पनी को वसूली की उम्मीद होती है।

(v) समेकन का आधार

समेकन के प्रयोजन के लिए अनुषंगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख को बनाए जाते हैं, जिस तारीख को कम्पनी के विवरण बनाए जाते हैं।

अनुषंगी कम्पनियां

अनुषंगी कम्पनियां, ऐसी सभी संस्थाएं होती हैं, जिन पर समूह का नियंत्रण होता है। समूह किसी संस्था पर नियंत्रण तब करता है, जब समूह को किसी संस्था के साथ उसके शामिल होने से अस्थिर लाभों को प्रकट करता है अथवा उसके बारे में अधिकार रखता हो, अथवा संस्था के प्रासंगिक कार्यकलापों के बारे में निर्देश देने के लिए अपनी शक्ति के माध्यम से उन लाभों को प्रभावित करने की उसमें क्षमता हो। अनुषंगी कम्पनियों को उस तारीख से पूर्ण रूप से समेकित किया जाता है जिस तारीख से समूह के लिए नियंत्रण अंतरित किया जाता है। जिस तारीख से नियंत्रण समाप्त हो जाता है, उस तारीख से उनका समेकन नहीं होता है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

समूह परिसम्पत्तियों की समान मदों, देयताओं, इक्विटी, आय और व्यय को साथ-साथ जोड़कर मूल कम्पनी और उसकी अनुषंगी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों को मिला देता है। अत: आंतरिक कम्पनी लेन-देनों, शेष धनराशियों और लेन-देनों पर वसूल न किए गए लाभों को अलग कर दिया जाता है। वसूल न हुई हानियों को अलग कर दिया जाता है, जब तक कि हस्तांतरित परिसम्पत्ति के क्षतिग्रस्त होने के प्रमाण की व्यवस्था लेन-देन में न हो।

अनुषंगी कम्पनियों के परिणामों में गैर-नियंत्रण ब्याज (एन सी आई) और इक्विटी को लाभ और हानि के समेकित विवरण इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण और समेकित तुलन-पत्र में क्रमश: अलग-अलग दर्शाया जाता है। एन सी आई द्वारा अधिग्रहण की तारीख को प्राप्तकर्ता की निवल पहचान योग्य परिसम्पत्तियों के उनके आनुपातिक शेयर के अनुसार मापा जाता है। अनुषंगी कम्पनी के इक्विटी हित में परिवर्तनों को, जिनसे नियंत्रण की हानि कम स्थान से न हो, उनको इक्विटी लेन-देनों के रूप में लेखे में लिया जाता है।

नियंत्रण न जाने के बिना किसी अनुषंगी कम्पनी के स्वामित्व हित में परिवर्तन को एक इक्विटी लेन-देन के रूप में लेखे में लिया जाता है।

जब समूह किसी अनुषंगी कम्पनी से नियंत्रण खो देता है, तब यह अनुषंगी कम्पनी और किसी संबद्ध एन सी आई एवं इक्विटी के अन्य संघटकों की परिसम्पत्तियों और देयताओं को मान्यता नहीं देता है। पूर्व अनुषंगी कम्पनी में धारित किसी हित का नियंत्रण खोने की तारीख को उचित कीमत पर निर्धारण किया जाता है। किसी परिणामी लाभ अथवा हानि को लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है।

संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है, जिसके द्वारा जिन पार्टियों का व्यवस्था संबंधी संयुक्त नियंत्रण होता है, उन पार्टियों की व्यवस्था की निवल परिसम्पत्तियों के बारे में अधिकार होते। संयुक्त उद्यमों में हितों को लागत पर प्रारंभ में मान्यता दी जाती है और उसके बाद में इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए लेखे में लिया जाता है।

इक्विटी पद्धति

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत निवेशों को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है और उसके बाद में लाभ और हानि में निवेशकर्ता के अधिग्रहण के बाद लाभ अथवा हानियों का समूह के शेयर और अन्य विस्तृत आय में निवेशकर्ता की अन्य विस्तृत आय का समूह के शेयर को मान्यता देने के लिए समायोजित किया जाता है। संयुक्त उद्यमों से प्राप्त अथवा प्राप्य लाभांश को निवेश की कैरीइंग धनराशि में कमी के रूप में मान्यता दी जाती है।

जब निवेश के रूप में ली गई किसी इक्विटी में हानियों के बारे में समूह का शेयर किसी संस्था में किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्यों सहित उसकी ब्याज के बराबर अथवा अधिक होता है, तो समूह तब तक आगे (अधिक) हानियों को स्वीकार नहीं करता है, जब तक अन्य संस्था बाध्यता न हो अथवा उसकी ओर से भुगतान न किए हों।

समूह और उसके संयुक्त उद्यमों के बीच में लेन-देनों पर प्राप्त न हुए लाभों को इन संस्थाओं में समूह की ब्याज की सीमा तक छोड़ दिया जाता है। वसूल न की गई हानियों को भी हटा दिया जाता है जब तक कि लेन-देनों में अंतरित परिसम्पत्ति को क्षति होने के प्रमाण उपलब्ध न हों।

निवेशों के रूप में ली गई इक्विटी की कैरी धनराशि का समूह की नीति के अनुसार क्षति के लिए जांच परीक्षण किया जाता है।

संयुक्त उद्यम में पण (स्टेक) कम होने लेकिन संयुक्त नियंत्रण अभी रखने पर अवमिश्रण पर किसी लाभ अथवा हानि को आय और व्यय के विवरण में मान्यता दी जाती है।

संयुक्त नियंत्रण न होने की वजह से जब किसी निवेश को लेखे में लेने की इक्विटी पद्धति को समूह लागू करना बंद कर देता है, तब लाभ अथवा हानि में मान्य कैरी राशि में परिवर्तन सहित उसकी उचित कीमत में संस्था के किसी धारित हित को मापा जाता है। इसके अतिरिक्त, उस संस्था के बारे में, अन्य विस्तृत आय में पूर्व में मान्य किन्हीं राशियों को इस प्रकार से लेखों में लिया जाता है जैसे समूह ने सम्बद्ध परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं का सीधे ही निपटान किया था। इसका आशय यह हो सकता है कि अन्य विस्तृत आय में पहले से ही मान्य राशियों को लाभ अथवा हानि में पुन: वर्गीकृत किया जाता है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

यदि किसी संयुक्त उद्यम में स्वामित्वहित कम कर दिया है, लेकिन संयुक्त नियंत्रण रखा जाता है, तो अन्य विस्तृत आय में पहले से मान्य धनराशियों के आनुपातिक शेयर को ही, जहां उपयुक्त हो लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

2. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पी पी ई)

(क) 31 मार्च, 2015 तक सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों की भारतीय जी ए ए पी के अनुसार तुलन-पत्र में ले जाया गया था। कम्पनी ने भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन की तारीख (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को मानी गई लागत के रूप में इन धनराशियों के लिए भारतीय लेखांकन मानक 101 'भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार स्वीकार' करके प्रदान की गई छूट को चुना है।

(ख) पी पी ई की मद को एक परिसम्पत्ति के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब यदि यह संभव हो कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलेंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

(ग) पी पी ई को परिसम्पत्ति के अधिग्रहण/ विनिर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से किए गए व्यय सहित अधिग्रहण/ विनिर्माण की लागत पर शुरू में निर्धारित किया जाता है। जिन मामलों में ठेकेदारों/ निष्पादन एजेंसी के पास बिलों का अंतिम निपटान लंबित हो, लेकिन परिसम्पत्ति पूर्ण हो और उपयोग हेतु उपलब्ध हो, ऐसे मामलों में आवश्यक समाधानों के अध्यधीन दिए गए ठेके/ लेखा विवरण/ उपयोग प्रमाण पत्र के आधार पर पूंजीकरण किया जाता है, इसमें वे शामिल हैं जो मध्यस्थता/न्यायालय के मामलों के समाधान से होते हैं।

(घ) पी पी ई संबंधी उत्तरवर्ती व्यय को परिसम्पत्ति की निहित धनराशि के रूप में पूंजी माना जाता है अथवा यथा उपयुक्त एक अलग परिसम्पत्ति के रूप में केवल उस समय मान्यता दी जाती है जब इससे इनकी मियाद बढ़ती हो और/ अथवा मौजूदा परिसम्पत्ति की कुशलता और मद की लागत को विश्वसनीय तौर पर मापा जा सके।

(ङ) प्रारंभिक मान्यता के बाद पी पी ई संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन और संचित क्षति हानियों, यदि कोई हो, को कम करके लागत पर लिए जाते हैं।

(च) परिसम्पत्ति की बिक्री करने अथवा अलग करने पर वित्तीय विवरणों से लागत और संबद्ध संचित मूल्यह्रास हो हटा दिया जाता है और परिणामी लाभ अथवा हानियों को आय और व्यय विवरण में स्वीकार किया जाता है।

2.2 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

(क) 31 मार्च, 2015 तक प्रगति पर पूंजीगत कार्य भारतीय जी ए ए पी के अनुसार तुलन-पत्र में शामिल किए गए थे। कम्पनी ने (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को मानी गई लागत के रूप में इन धनराशियों के लिए भारतीय लेखांकन मानक 101 'भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार स्वीकार' करके प्रदान की गई छूट को चुना है।

(ख) अमूर्त परिसम्पत्तियों को लागत पर प्रारंभिक मान्यता के आधार पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद अमूर्त परिसम्पत्तियों को संचित परिशोधन और क्षति हानियों, यदि कोई हो, को कम करके लागत पर ले जाया जाता है।

2.3 अप्रत्यक्ष अमूर्त परिसम्पत्तियां

(क) 31 मार्च, 2015 तक प्रगति पर पूंजीगत कार्य भारतीय जी ए ए पी के अनुसार तुलन-पत्र में लिए गए थे। कम्पनी ने (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को मानी गई लागत के रूप में इन धनराशियों के लिए भारतीय लेखांकन मानक 101 'भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार स्वीकार' करके प्रदान की गई छूट को चुना है।

(ख) अमूर्त परिसम्पतियाँ का प्रारम्भ में मान्य लागत पर मापन किया जाता है। प्रारम्भिक मान्य के पश्चात, अमूर्त परिसंपत्तियों के लागत पर लिया जाता है। संचित परिशोधन एवं क्षति के कारण यदि कोई हानि होती है तो उसे लागत में से कम कर दिया जाता है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

(ग) अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद निपटान पर अमान्य की जाती है या जब उस मद का कोई भावी आर्थिक लाभ अथवा इसका उपयोग नहीं होता, अमूर्त परिसंपत्ति के अवर्गीकरण से होने वाले लाभ अथवा हानि का मापन, परिसंपत्ति के निवल निपटान प्रक्रिया और निहित धनराशि के बीच अंतर पर मापा जाता है और जब परिसंपत्ति अवर्गीकरण की जाती है, तब आय एवं व्यय विवरण में मापन की जाती है।

2.4 मूल्यह्रास और परिशोधन

(क) पट्टे के आधार पर ली गई पट्टा धारित भूमि के लिए परिशोधन नहीं किया गया है।

(ख) परिसम्पत्ति के अनुमानित उपयोग काल के आधार पर आय और विवरण व्यय विवरण पर मूल्यह्रास लिया जाता है जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। में निर्धारित जीवन काल और अवशिष्ट मूल्य से अधिक नहीं होता है। परिसम्पत्तियों के परिवर्धन/ से कटौतियों के मामले में मूल्यह्रास उस तारीख से/ तक यथा अनुपात (प्रो-राटा) आधार पर लिया जाता है, जिस तारीख को परिसम्पत्ति बिक्री/ निपटान के लिए उपलब्ध हो।

(ग) 5000 रुपए अथवा उससे कम लागत वाली परिसम्पत्तियों का अलग-अलग संपत्ति का 100 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास किया गया है।

(घ) अमूर्त परिसम्पत्तियों का कानूनी अधिकार की अवधि अथवा 3 वित्तीय वर्षों में, जो पहले हो, उस वर्ष से बराबर-बराबर पूर्ण परिशोधन किया गया है, जब परिसम्पत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध हो।

2.5 गैर-वित्तीय परिसम्पत्तियों का ह्रास

परिसम्पत्तियों की निहित धनराशि की यह निर्धारण करने के लिए रिपोर्ट की प्रत्येक तारीख को समीक्षा की गई है कि क्या ह्रास का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है, तो परिसम्पत्तियों की वसूलनीय धनराशि का अनुमान लगाया जाता है। मूल्यह्रास हानि की पहचान की जाती है यदि परिसम्पत्तियों और इसकी नकद उत्पन्न करने वाली इकाई में निहित धनराशि इसकी अनुमानित वसूलनीय धनराशि से अधिक हो जाती है। ह्रास की हानियों/ अभिशून्यन की पहचान आय और व्यय विवरण में की जाती है।

2.6 नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्य में अपने पास ड्राफ्ट/ चैक, बैंकों में जमा धनराशि और 3 माह अथवा उससे कम समय की वास्तविक परिपक्वता अवधि वाले अल्पावधि निवेश शामिल हैं जो मूल्य में परिवर्तनों में महत्त्वपूर्ण जोखिम के अध्यधीन होते हैं।

2.7 सामान सूचियां

सामान सूचियों का मूल्य-निर्धारण लागत से कम अथवा निवल वसूली योग्य मूल्य पर होता है।

2.8 विदेशी मुद्रा

(क) विदेशी मुद्रा में लेन-देनों को भुगतान की औसत दर पर क्रियाशील मुद्रा में कम्पनी के द्वारा प्रारंभ में रिकार्ड किया जाता है।

(ख) विदेशी मुद्रा में सूचित मौद्रिक परिसम्पत्तियों और देयताएं रिपोर्ट करने की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर क्रियाशील मुद्रा में परिवर्तित की जाती है।

(ग) अचल परिसम्पत्तियों की गणना अर्जन के वर्ष में विदेशी मुद्रा की विनिमय की औसत दर पर की गई है। जिन मामलों में पूर्व निधियों का उपयोग किया गया है, वहां परिवर्तन के प्रयोजन से पूर्व में भेजी गई विदेशी मुद्रा की विनियम की गई औसत दर को लिया गया है।

2.9 उचित कीमत निर्धारण

वित्तीय संसाधनों की उचित कीमत का निर्धारण करने में कम्पनी विभिन्न पद्धतियो और संकल्पनाओं का उपयोग करती है जो रिपोर्ट करने की प्रत्येक तारीख को बाजार की परिस्थितियों और जोखिमों पर आधारित होते हैं। उचित कीमत का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों में छूट प्राप्त नकद प्रवाह विश्लेषण, उपलब्ध उद्धृत बाजार कीमतें आदि शामिल होती हैं। उचित कीमत का आकलन करने की सभी पद्धतियां कीमत के मौटे अनुमान हैं

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

और ऐसी कीमत की वास्तव में वसूली नहीं की जा सकती है।

तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष के भीतर परिपक्व हो रही वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं के लिए उन संसाधनों की अल्प परिपक्वता की वजह से इनको उचित कीमत के लिए नहीं लिया जाता है।

2.10 वित्तीय संसाधन

(क) प्रारंभिक पहचान और मापन

कम्पनी वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं की तब पहचान करती है जब यह संसाधन के संविदात्मक प्रावधानों के लिए एक पक्षकार बनती है। सभी वित्तीय परिसम्पत्तियां और देयताओं की प्रारंभिक पहचान पर उचित कीमत पर पहचान की जाती है। लेन-देन संबंधी लागतें, जो वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण अथवा निर्गम के लिए प्रत्यक्षत: होती है, और जो लाभ अथवा हानि (एफ वी टी पी एल) उचित कीमत पर नहीं होती है, उनको प्रारंभिक पहचान पर उचित कीमत में जोड़ा जाता है।

(ख) उत्तरवर्ती मापन

(i) परिशोधित लागत पर ऋण संसाधन

ऋण संसाधनों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है, यदि यह व्यापार मॉडल के अधीन नियंत्रित हो और जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाहों को एकत्रित करने के लिए परिसम्पत्तियों को रखना है और वित्तीय परिसम्पत्तियों को संविदात्मक शर्तें नकद प्रवाहों की विशिष्ट तारीखों को बढ़ाती हैं जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का प्रमुख भुगतान (एस पी पी आई) हैं। प्रारंभिक निर्धारण के बाद में प्रभावी ब्याज दर (ई आई आर) का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियों का बाद में निर्धारण किया जाता है। ई आई आर परिशोधन आय और व्यय विवरण में शामिल है।

(ii) इक्विटी निवेश

अनुषंगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा संस्थाओं में सभी इक्विटी निवेश उचित कीमत पर निर्धारित किया जाता है। इक्विटी संसाधनों को, जो व्यापार के लिए धारित होते हैं, लाभ अथवा हानि के जरिए उचित कीमत ('एफ वी टी पी एल') पर वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी इक्विटी संसाधनों के लिए कम्पनी इनको एफ वी टी ओ सी आई अथवा एफ वी टी पी एल पर वर्गीकृत करती है। कम्पनी संसाधन से संसाधन आधार पर ऐसा चयन करती है। प्रारंभिक मान्यता पर वर्गीकरण किया जाता है और यह अपरिवर्तनीय है।

(iii) वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताओं को ई आई आर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधन लागत पर बाद में निर्धारित किया जाता है। आय और व्यय विवरण में लाभ और हानियों को मान्यता दी जाती है।

(iv) **अनुषंगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश**

अनुषंगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों के इक्विटी शेयरों में निवेश कम ह्रास लागत पर किए जाते हैं, यदि कोई हो।

ग. वित्तीय संसाधनों को मान्यता न देना

कम्पनी किसी वित्तीय परिसम्पत्ति को उस स्थिति में मान्यता नहीं देती है जब वित्तीय परिसम्पत्ति से नकद प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं अथवा यह वित्तीय परिसम्पत्तियों को हस्तांतरित कर देती है और भारतीय लेखांकन मानक 109 के तहत मान्यता न देने के लिए हस्तांतरण उपयुक्त हो। किसी वित्तीय देयता (अथवा वित्तीय देयता का भाग) उस स्थिति में कम्पनी के तुलन-पत्र से अमान्य हो जाता है जब संविदा में विनिर्दिष्ट दायित्व पूरा हो जाता अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी साहूकार से दूसरे को पर्याप्त अलग-अलग शर्तों पर

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

बदला जाता है अथवा मौजूदा देयता की शर्तों को काफी संशोधित किया जाता है तो ऐसे विनिमय अथवा संशोधन को मूल देयता को अमान्य और नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित निहित राशियों को आय और व्यय विवरण में मान्यता दी जाती है।

घ. वित्तीय परिसम्पत्तियों का ह्रास

कम्पनी ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए संभावित क्रेडिट हानि (ई सी एल) मॉडल का उपयोग करते हुए हानि संबंधी छूट को मान्यता देती है, जिनका लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमतांकन नहीं किया जाता है। बिना पर्याप्त वित्तीय संघटक वाले व्यापार प्राप्यों के लिए हानि संबंधी छूट का ई सी एल मियाद के बराबर धनराशि पर निर्धारण किया जाता है। सभी अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए ई सी एल का निर्धारण 12 मास की ई सी एल के बराबर धनराशि पर तब तक निर्धारण किया जाता है, जब तक प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट में पर्याप्त वृद्धि न हो, जिसमें उनको ई सी एल मियाद पर निर्धारित किया जाता है। ई सी एल (अथवा अभिशून्यन) की राशि, जो उस राशि के बारे में रिपोर्ट करने की तारीख पर हानि छूट को समायोजित करने के लिए अपेक्षित होती है, उसको आय और व्यय विवरण में लाभ अथवा हानि के ह्रास के रूप में मान्यता दी जाती है।

चूंकि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत यह कम्पनी पंजीकृत है, इसलिए यह आय और व्यय विवरण तैयार करती है। अत: भारतीय लेखांकन मानक एफ वी टी पी एल का पालन करने के लिए लाभ अथवा हानि लेखा के माध्यम से उचित कीमत (जहां कहीं उल्लेख हो) से अभिप्राय: आय और व्यय विवरण के माध्यम से उचित कीमत से होगा।

2.11 राजस्व/व्यय को मान्यता

(क) भारत और विदेशों में आयोजित मेलों/ प्रदर्शनियों से आय और व्यय की उस वर्ष में गणना की गई है, जिस वर्ष आयोजन शुरू हुआ। तथापि, दो लेखांकन अवधियों में व्याप्त, तीन माह या अधिक की अवधि वाले दीर्घावधिक आयोजनों के मामले में, जिसकी प्रमुख अवधि परवर्ती लेखांकन अवधि में पड़ती है, उस आयोजन की आय एवं व्यय/ हानि की धनराशि उस में शामिल की गई है, जिस वर्ष में आयोजन समाप्त हुआ।

(ख) किराए से और प्रचालन पट्टों से राजस्व को प्रासंगिक करार की शर्तों के अनुसार प्रोदभवन आधार पर मान्यता दी जाती है।

(ग) कम्पनी के प्रदर्शन और मेलों में प्रदर्शित आंतरिक सजावट की वस्तुओं की लागत को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है। तथापि, भावी मेलों में उपयोग करने के लिए स्टॉक में रखे नए सामानों को अंतिम स्टॉक के रूप में माना जाता है।

(घ) सिविल, विद्युत, बागवानी आदि पर सी पी डब्ल्यू डी/ एन बी सी सी जैसी एजेंसियों के द्वारा किए गए व्यय को उनके द्वारा दिए गए विवरणों/ लेखों/ उपयोग प्रमाणपत्रों के आधार पर लेखे में लिया जाता है।

(ङ) विगत वर्षों की आय और व्यय, जो प्रत्येक मामले में 10,000 रु. से अधिक न हो, को चालू वर्ष के संबंध में माना जाता है।

(च) जिन मामलों में लाइसेंसधारी के साथ संविदा समाप्त हो गई हो उन मामलों में समाप्त हुई संविदा/ इस मामले में अंतिम निर्णय होने तक संशोधित समझौते/ निष्पादित संशोधित संविदाओं के आधार पर बकाया धनराशियों को अस्थायी रूप से लेखें में लिया जाता है।

(छ) कार्य का विलंब से निष्पादन करने के लिए ठेकेदारों से निर्धारित क्षतियों के दावों को तब आय के रूप में मान्यता दी जाती है जब धनराशि के बारे में अंतिम तौर पर निर्धारण और सहमति हो जाती है।

(ज) एसोसिएट अंशदाताओं से अंशदान शुल्क और नियमित अंशदाताओं से सेवा प्रभारों को प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है। तथापि, अग्रिम रूप से प्राप्त अंशदान शुल्क को उस प्रासंगिक वर्ष में लेखे में डाला जाता है, जिसके लिए यह संबंधित है।

(झ) जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित हो जाता है, तब लाभांश आय को आय और विवरण में स्वीकार किया जाता है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

2.12 सरकारी अनुदान

(क) सरकारी अनुदानों को आस्थगित आय प्रस्ताव को तब स्वीकार किया जाता है जब यह उचित आश्वासन हो कि उनको प्राप्त कर लिया जाएगा और कम्पनी अनुदान से जुड़ी शर्तों का पालन करेगी।

(ख) जिन अनुदानों से कम्पनी द्वारा किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति हो उनको उस अवधि में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है जिस अवधि में खर्च किए हों।

(ग) प्रवर्तक के अंशदन की प्रकृति के अनुदानों को अन्य इक्विटी के तहत उपयुक्त श्रेणी में स्वीकार किया जाता है।

2.13 ऋण लेने संबंधी व्यय

विशेष मूर्त सम्पत्तियों को आशायित उपयोग अथवा बिक्री हेतु तैयार होने में अनिवार्यता काफी समय लेती हैं, उनके अधिग्रहण, विनिर्माण अथवा उत्पादन करने के लिए प्रत्यक्षत: उत्तरदायी ऋण लेने संबंधी खर्चों को परिसम्पत्ति की लागत के भाग के रूप में पूंजी माना जाता है। अन्य सभी ऋण खर्चों को उस अवधि के व्यय माना जाता है, जिस अवधि में वे होते हैं। ऋण संबंधी खर्चों में ब्याज और अन्य खर्चे शामिल होते हैं, जिनको कोई संस्था को निधियों के ऋण लेने के संबंध में करती है। ऋण व्यय में ऋण लेने के खर्चों के समायोजन के रूप में मानी गई सीमा तक के लिए विनिमय अंतर भी शामिल होते हैं।

ऋण खर्च का लाभ उस समय समाप्त हो जाता है जब विशेष मूर्त परिसम्पत्तियों को उनके आशयित उपयोग हेतु उन्हें तैयार करने के लिए आवश्यक सभी कार्यकलाप पूरे हों।

2.14 कर्मचारी लाभ

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएं

ई पी एफ ओ/ अलग ट्रस्टों (न्यास) को निर्धारण दरों पर भविष्य निधि/ पेंशन निधि में निर्धारित अंशदानों का भुगतान करने के लिए कम्पनी बाध्य है। ये न्यास सिक्युरिटियों में फण्ड में निवेश करते हैं। वर्ष के अंशदान को व्यय के रूप में माना जाता है और आय एवं व्यय विवरण में प्रभारित होता है। धारक कम्पनी आई टी पी ओ भी अपने ट्रस्टों की संचित कमी यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है प्रत्येक कमी को अपने व्यय के रूप में मानती है।

(ख) निर्धारित लाभ योजनाएं

समूह की एक निर्धारित लाभ ग्रेच्युटी योजना है। योजना के लिए वित्त व्यवस्था एल आई सी/ अलग ट्रस्टी के साथ होती है जो निधियों की व्यवस्था करता है। ग्रेच्युटी योजना के संबंध में देयताओं का निर्धारण तुलन पत्र की प्रत्येक तारीख को स्वतंत्र वास्तविक मूल्यांकन से होता है।

कम्पनी निर्धारित लाभ योजना के निवल दायित्व को अपने तुलन-पत्र में एक परिसम्पत्ति अथवा देयता के रूप में मानती है। वास्तविक संकल्पनाओं में समायोजनों अथवा परिवर्तनों से हुए पुन: निर्धारित लाभों और हानियों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिस अवधि में अन्य विस्तृत आय (ओ सी आई) में प्रत्यक्षत: होती हैं। धारक कम्पनी आई टी पी ओ भी आई टी पी ओ कर्मचारी ग्रेच्युटी फण्ड ट्रस्ट की संचित कमी, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है और ऐसी कमी को अपने व्यय के रूप में मानती है।

(ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों में छुट्टी नकदीकरण (अनफण्डेड) शामिल है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकिक के द्वारा किए गए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर कम्पनी की लेखों में इसे मान्यता दी जाती है।

(घ) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ दायित्वों के बिना छूट के आधार पर निर्धारित किया जाता है और कर्मचारी के द्वारा उपलब्ध करायी गई संबद्ध सेवा के रूप में व्यय माना जाता है। इन लाभों में मजदूरी, वेतन, सुविधाएं और भत्ते आदि शामिल होते हैं।

(ङ) सेवा समापन (सेवानिवृत्ति) लाभ

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजनाओं पर अनुग्रह भुगतान और नोटिस वेतन के रूप में सेवानिवृत्ति लाभों पर किए गए खर्चों को लाभ और हानि विवरण में ऐसे खर्चों के होने के वर्ष में लिया जाता है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

2.15 प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कम्पनी किसी विगत मेले के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा सृजनात्मक/सकारात्मक) हो, और यह संभव है कि आर्थिक दायित्वों को मूर्त देने वाले संसाधनों का आउटफ्लों दायित्वों का निपटारा करने के लिए आवश्यक होगा तथा दायित्व धनराशि के बारे में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

यदि धनराशि के समय मूल्य का प्रभाव वस्तुत: होता है तो चालू पूर्व कर दर का उपयोग करके प्रावधानों को कम कर दिया जाता है, जो जब उपयुक्त होता है तब देयता के बारे में जोखिम विशेष को दर्शाता है। जब कम प्रावधान का उपयोग किया जाता है, तब समय बीतने की वजह से प्रावधान में वृद्धि को वित्त वर्ष के रूप में माना जाता है।

आकस्मिक देयताएं संभव दायित्व होती हैं जो विगत मेलों से आती (उठती) हैं और उनके अस्तित्व की पुष्टि एक अथवा एक से अधिक भावी मेलों के आयोजनों से ही होगी और यह कम्पनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होती हैं। जहां पर यह संभव नहीं होता है कि आर्थिक लाभों के आउटफ्लों की आवयकता होगी अथवा धनराशि के बारे में विश्वसनीय तौर पर अनुमान नहीं लगा सकते हैं, तब दायित्वों को आकस्मिक देयता के रूप में तब प्रकट किया जाता है, जब आर्थिक लाभों के आउटफ्लों की संभावना अप्रत्यक्ष न हो। आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/ स्वतंत्र विशेषज्ञ के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख की समीक्षा की जाती है और चालू प्रबंध अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित की जाती हैं। आकस्मिक परिसम्पत्तियों संभव परिसम्पत्तियां होती हैं जो विगत मेलों से होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि एक अथवा एक से अधिक अनिश्चित भावी मेलों के होने अथवा न होने से होगी और ये कम्पनी के पूर्ण नियंत्रण में नहीं होती हैं। आकस्मिक परिसम्पत्तियों के बारे में वित्तीय विवरणों में तब प्रकट किया जाता है, जब आर्थिक लाभों का अंतर्वाह प्रबंधन के निर्णय के आधार पर संभव हो। इनका यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर समीक्षा की जाती है कि विकास को वित्तीय विवरणों में उपयुक्त रूप से दर्शाया जाता है।

2.16 वर्तमान लेखांकन उद्घोषणा

मानक जारी किए गए परंतु अभी प्रभावी नहीं

मार्च 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने भारतीय लेखांकन मानक 7 'कैश फ्लो विवरण' में संशोधनों को अधिसूचित करते हुए कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियमावली 2017 जारी की। ये संशोधन आई ए एस 7 'कैश फ्लो विवरण' के लिए अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आई ए एस बी) के द्वारा हाल ही में किए गए संशोधनों के अनुसार हैं। ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से कम्पनी पर लागू हैं।

भारतीय लेखांकन मानक 7 में संशोधन

भारतीय लेखांकन मानक 7 में संशोधन किए गए और अतिरिक्त घोषणाएं की गई जिनसे प्रकटन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय कार्यकलापों से हुई देयताओं के लिए तुलन पत्र में प्रारंभिक और अंतिम शेषों के बीच मिलान को शामिल करने बारे में सुझाव देते हुए नकद प्रवाहों से परिवर्तनों और गैर नकदी परिवर्तन दोनों सहित वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को मदद मिलेगी।

कम्पनी संशोधनों की अपेक्षाओं और वित्तीय विवरणों पर इनके प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

3. सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कार

निम्नलिखित सारणी 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर परिवर्तनों को दर्शाती है।

परिसंपत्तियों विवरण	मियादी (वर्ष)	सकल निहित धनराशि				
		01.04.2016 को	वृद्धि	निपटान/ समायोजन	वर्ष के दौरान हानि (निराकरण)	31.03. 2017 को
(क) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कार						
भूमि (स्थायी पट्टे पर)		78.76	-	-	-	78.76
फ्रीहोल्ड भूमि		1,000.00	-	26.73	-	973.27
प्रगति मैदान परिसर (लीज होल्ड) #		0.00	-	-	-	0.00
भवन (लीज पर ली गई भूमि पर)						
क श्रेणी	40	1,586.29	-	13.97	-	1,572.33
ख श्रेणी	20	79.48	-	45.54	-	33.93
ग श्रेणी	10	60.64	-	0.42	-	60.22
अनारकली फूड प्लाजा		0.00	-	-	-	0.00
प्रदर्शन परिसर		1,478.59	417.40	-	-	1,895.99
भवन - I (आर सी सी)		1,028.40	-	-	-	1,028.40
भवन - II (प्रदर्शनी हालें)		2,277.22	-	-	-	2,277.22
आवासीय/कार्यालय फ्लैट						
(i) फ्री होल्ड	40	149.57	-	-	-	149.57
(ii) स्थायी पट्टे पर		10.29	-	-	-	10.29
जल आपूर्ति एवं ड्रेनेज	10	15.56	0.44	-	-	16.00
विद्युत संस्थापना/फिटिंग	10	843.18	167.60	4.22	-	1,006.56
एयर कंडीशनिंग प्लांट	8	23.50	-	23.25	-	0.25
एयर कंडीशनिंग प्लांट	15	2,532.85	279.87	50.15	-	2,762.56
एयर कंडीशनिंग/ एयर वैंटीलेशन प्लांट	10	1.89	-	1.61	-	0.28
फर्नीचर और फिक्सचर	10	93.41	3.48	0.17	-	96.73
वाहन	5	54.53	-	0.93	-	53.60
दृश्य श्रव्य उपकरण	5	151.51	0.00	0.00	-	151.51
आग से बचाव के उपकरण एवं अग्निशमन प्रणाली	10	175.27	-	170.10	-	5.17
कार्यालय उपकरण/ अन्य विविध परिसंपत्तियां	5	156.70	22.04	2.76	-	175.99
सर्वर एवं नेटवर्क	6	21.70	-	-	-	21.70
कंप्यूटर	3	94.04	43.24	6.65	-	130.63
सौर संस्थापना	15	36.74	73.52	-	-	110.26
उप जोड़ (क)		**11,950.10**	**1,007.59**	**346.49**	**-**	**12,611.20**
(ख) अमूर्त परिसंपत्तियां						
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		-	0.79	-	-	0.79
वेबसाइट		0.67	20.41	-	-	21.07
उप जोड़ (ख)		0.67	21.20	-	-	21.86
(ग) पूंजीगत कार्य प्रगति पर		617.92	251.64	760.30	-	109.26
उप जोड़ (ग)		617.92	251.64	760.30	-	109.26
सकल जोड़ (क + ख + ग)		**12,568.69**	**1,280.43**	**1,106.79**	**-**	**12,742.32**

 # केवल 1 (एक) रुपये की बुक (लेखा) कीमत

(रु. लाख में)

मूल्यह्रास/समायोजन				निवल ब्लाक	
01.04.2016 को	वर्ष के लिए	निपटान/समायोजन	31.03.2017 को	31.03.2017 को	31.03.2016 को
-	-	-	-	78.76	78.76
-	-	-	-	973.27	1,000.00
-	-	-	-	0.00	0.00
78.34	78.31	2.43	154.22	1,418.11	1,507.95
8.54	8.26	7.39	9.41	24.52	70.94
9.66	9.66	-	19.32	40.89	50.97
-	-	-	-	0.00	0.00
69.40	228.01	-	297.41	1,598.59	1,409.19
20.57	20.57	-	41.14	987.26	1,007.83
106.11	119.04	-	225.15	2,052.07	2,171.11
5.21	6.13	-	11.34	138.23	144.36
0.93	-	-	0.93	9.37	9.37
0.70	1.42	-	2.12	13.88	14.86
178.98	307.03	41.61	444.40	562.15	664.20
4.18	4.18	8.37	-	0.25	19.31
282.83	235.48	21.92	496.39	2,266.17	2,250.02
-	-	-	-	0.28	1.89
14.09	13.45	7.28	20.26	76.46	79.32
7.68	7.78	0.21	15.25	38.35	46.85
65.16	65.08	-	130.25	21.26	86.34
22.99	22.99	45.98	-	5.17	152.28
62.73	24.26	2.03	84.95	91.04	93.98
3.53	2.42	-	5.95	15.74	18.17
24.96	25.12	2.02	48.06	82.57	69.08
0.78	5.43	-	6.21	104.05	35.96
967.36	**1,184.63**	**139.23**	**2,012.77**	**10,598.44**	**10,982.74**
-	0.26	-	0.26	0.53	-
0.25	7.05	-	7.30	13.77	0.42
0.25	7.32	-	7.57	14.30	0.42
-	-	-	-	109.26	617.92
-	-	-	-	109.26	617.92
967.61	**1,191.95**	**139.23**	**2,020.33**	**10,721.99**	**11,601.07**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

निम्नलिखित सारणी 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर परिवर्तन को दर्शाती है।

परिसंपत्तियों विवरण	मियादी (वर्ष)	सकल निहित/धनराशि				
		01.04.2015 को (नीचे दी गई-टिप्पणी I देखें)	वृद्धि	निपटान/ समायोजन	वर्ष के दौरान हानि (निराकरण)	31.03.2016 को
(क) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कार						
भूमि (स्थायी पट्टे पर)		78.76	-	-	-	78.76
फ्रीहोल्ड भूमि		1,000.00	-	-	-	1,000.00
प्रगति मैदान परिसर (लीज होल्ड) #		0.00	-	-	-	0.00
भवन (लीज पर ली गई भूमि पर)		-	-	-	-	-
क श्रेणी	40	1,591.49	-	5.20	-	1,586.29
ख श्रेणी	20	73.49	5.99	-	-	79.48
ग श्रेणी	10	60.64	-	-	-	60.64
अनारकली फूड प्लाजा #		0.00	-	-	-	0.00
प्रदर्शन परिसर		1,205.26	-	273.33	-	1,478.59
भवन - I (आर सी सी)		1,028.40	-	-	-	1,028.40
भवन - II (प्रदर्शनी हालें)		2,091.94	185.28	-	-	2,277.22
आवासीय/ कार्यालय फ्लैट		-	-	-	-	-
(i) फ्री होल्ड	40	149.80	-	0.24	-	149.57
(ii) स्थायी पट्टे पर		10.29	-	-	-	10.29
जल आपूर्ति एवं ड्रेनेज	10	1.07	14.72	0.23	-	15.56
विद्युत संस्थापना/ फिटिंग	10	743.96	99.79	0.57	-	843.18
एयर कंडीशनिंग प्लांट	8	23.50	-	-	-	23.50
एयर कंडीशनिंग प्लांट	15	2,515.56	17.29	-	-	2,532.85
एयर कंडीशनिंग/ एयर वैंटीलेशन प्लांट	10	1.89	-	-	-	1.89
फर्नीचर और फिक्सचर	10	93.03	0.39	-	-	93.41
वाहन	5	29.24	25.29	-	-	54.53
दृश्य श्रव्य उपकरण	5	151.51	-	-	-	151.51
आग से बचाव के उपकरण एवं अग्नि शमन प्रणाली	10	175.27	-	-	-	175.27
कार्यालय उपकरण/ अन्य विविध परिसंपत्तियां	5	121.51	37.00	1.80	-	156.70
सर्वर एवं नेटवर्क	6	21.70	-	-	-	21.70
कंप्यूटर	3	65.66	28.38	-	-	94.04
सौर संस्थापना	15	-	36.74	-	-	36.74
उप जोड़ (क)		11,233.94	450.87	281.37	-	11,950.10
(ख) अमूर्त परिसंपत्तियां						
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		-	-	-	-	-
वेबसाइट		0.67	-	-	-	0.67
उप जोड़ (ख)		0.67	-	-	-	0.67
(ग) पूंजीगत कार्य प्रगति पर		559.48	69.51	11.07	-	617.92
उप जोड़ (ग)		559.48	69.51	11.07	-	617.92
(घ) विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसम्पत्तियां		62.00	-	62.00	-	-
उप जोड़ (घ)		62.00	-	62.00	-	-
सकल जोड़ (क + ख + ग + घ)		**11,856.08**	**520.37**	**354.43**	**-**	**12,568.69**

 # केवल 1 (एक) रुपये की बुक (लेखा) कीमत

(रु. लाख में)

मूल्यह्रास/समायोजन				निवल ब्लाक	
01.04.2016 को	वर्ष के लिए	निपटान/समायोजन	31.03.2016 को	31.03.2016 को	31.03.2015 को
-	-	-	-	78.76	78.76
-	-	-	-	1,000.00	1,000.00
-	-	-	-	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-
-	78.34	-	78.34	1,507.95	1,591.49
-	8.54	-	8.54	70.94	73.49
-	9.66	-	9.66	50.97	60.64
-	-	-	-	0.00	0.00
-	69.40	-	69.40	1,409.19	1,205.26
-	20.57	-	20.57	1,007.83	1,028.40
-	106.11	-	106.11	2,171.11	2,091.94
-	-	-	-	-	-
-	5.21	0.01	5.21	144.36	149.80
-	0.93	-	0.93	9.37	10.29
-	0.70	-	0.70	14.86	1.07
-	178.98	-	178.98	664.20	743.96
-	4.18	-	4.18	19.31	23.50
-	286.83	4.00	282.83	2,250.02	2,515.56
-	-	-	-	1.89	1.89
-	14.09	-	14.09	79.32	93.03
-	7.68	-	7.68	46.85	29.24
-	65.16	-	65.16	86.34	151.51
-	22.99	-	22.99	152.28	175.27
-	63.00	0.27	62.73	93.98	121.51
-	3.53	-	3.53	18.17	21.70
-	24.96	-	24.96	69.08	65.66
-	0.78	-	0.78	35.96	-
-	971.64	4.28	967.36	10,982.74	11,233.94
-	-	-	-	-	-
-	0.25	-	0.25	0.42	0.67
-	0.25	-	0.25	0.42	0.67
-	-	-	-	617.92	559.48
-	-	-	-	617.92	559.48
-	-	-	-	-	62.00
-	-	-	-	-	62.00
-	**971.89**	**4.28**	**967.61**	**11,601.07**	**11,856.08**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

टिप्पणी

(i) समूह ने मानी हुई लागत अर्थात् लेन-देन की तारीख को पूर्व जी ए ए पी के अनुसार लाने की कीमत पर सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्करों का निर्धरण करने के लिए इनके लिए उपलब्ध छूट दी है। मानी हुई लागत की निम्नानुसार गणना की गई है।

1 अप्रैल, 2015 पर मानी लागत **(रु. लाख में)**

परिसंपत्तियों का विवरण	मियादी वर्ष	सकल ब्लाक	संचित मूल्यह्रास	निवल ब्लाक	भारतीय लेखांकन मानक	मानी गई लागत
		1 अप्रैल, 2015 को	1 अप्रैल, 2015 को	1 अप्रैल, 2015 को	1 अप्रैल, 2015 को	
(क) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर						
भूमि (स्थायी पट्टे पर)		78.76	-	78.76	-	78.76
फ्रीहोल्ड भूमि		1,000.00	-	1,000.00		1,000.00
प्रगति मैदान परिसर (लीज होल्ड) #		0.00	-	0.00	-	0.00
भवन (लीज पर ली गई भूमि पर)						
क श्रेणी	40	3,259.96	1,670.42	1,589.55	(1.94)	1,591.49
ख श्रेणी	20	195.70	122.21	73.49	-	73.49
ग श्रेणी	10	130.06	69.43	60.64	-	60.64
अनारकली फूड प्लाजा #		0.00	-	0.00	-	0.00
प्रदर्शन परिसर		1,812.92	594.56	1,218.37	13.11	1,205.26
भवन - I (आर सी सी)		1,248.75	220.35	1,028.40		1,028.40
भवन - II (प्रदर्शनी परिसर)		2,613.53	521.59	2,091.94		2,091.94
आवासीय/ कार्यालय फ्लैट						
(i) फ्री होल्ड	40	219.96	70.16	149.80	-	149.80
(ii) स्थायी पट्टे पर		39.02	28.73	10.29	-	10.29
जल आपूर्ति एवं ड्रेनेज	10	21.42	20.35	1.07	-	1.07
विद्युत संस्थापना/ फिटिंग	10	3,387.58	2,642.29	745.29	1.32	743.96
एयर कंडीशनिंग प्लांट	8	65.58	42.08	23.50	-	23.50
एयर कंडीशनिंग प्लांट	15	3,836.80	1,321.21	2,515.59	0.03	2,515.56
एयर कंडीशनिंग/ एयर वैंटीलेशन प्लांट	10	37.76	35.87	1.89	-	1.89
फर्नीचर और फिक्सचर	10	454.73	361.70	93.03	-	93.03
वाहन	5	236.17	206.93	29.24	-	29.24
दृश्य श्रव्य उपकरण	5	425.24	273.73	151.51	-	151.51
आग से बचाव के उपकरण एवं अग्नि शमन प्रणाली	10	345.48	170.21	175.27	-	175.27
कार्यालय उपकरण/ अन्य विविध परिसंपत्तियां	5	699.70	578.19	121.51	-	121.51
सर्वर एवं नेटवर्क	6	133.20	111.51	21.70	-	21.70
कंप्यूटर आदि	3	540.88	475.23	65.66	-	65.66
सौर संस्थापना	15	-	-	-	-	-
उप जोड़ (क)		20,783.20	9,536.73	11,246.46	12.53	11,233.94
(ख) अमूर्त परिसंपत्तियां						
कंप्यूटर साफ्टेवयर		45.39	45.39	-	-	-
वेबसाइट		0.75	0.08	0.67	-	0.67
उप जोड़ (ख)		46.14	45.48	-	-	0.67
(ग) पूंजीगत कार्य प्रगति पर		559.48	-	559.48	-	559.48
उप जोड़ (ग)		559.48	-	559.48	-	559.48
(घ) विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसम्पत्तियां		62.00	-	62.00	-	62.00
उप जोड़ (घ)		62.00	-	62.00	-	62.00
सकल जोड़ (क + ख + ग + घ)		**21,450.81**	**9,582.21**	**11,867.94**	**12.53**	**11,856.08**

 # केवल 1 (एक) रुपये की बुक (लेखा) कीमत

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

4. संयुक्त उद्यम में निवेश (इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखे में लिया गया)

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
इक्विटी संसाधनों में निवेश			
अन-उद्धृत (पूर्णतः प्रदत्त - जब तक अन्यथा बताया न हो, लागत पर)			
संयुक्त उद्यम कम्पनी			
राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र में पूर्णतः प्रदत्त 100 रु. प्रत्येक के 2,00,000 इक्विटी शेयर	166.11	164.65	180.84
	166.11	**164.65**	**180.84**
(i) अन-उद्धृत निवेशों की कुल धनराशि	166.11	164.65	180.84
(ii) निवेशों के मूल्य में कमी की कुल धनराशि	शून्य	शून्य	शून्य

5 निवेश

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
अन-उद्धृत (लागत पर)			
सी-ग्लिम्पस को-आपरेटिव सोसाइटी मुम्बई में 50 रु. प्रत्येक के 5 शेयर	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0
(i) अन-उद्धृत निवेशों की कुल धनराशि	-	-	-
(ii) निवेशों के मूल्य में कमी की कुल धनराशि	शून्य	शून्य	शून्य

6 ऋण

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
अग्रिम			
कर्मचारियों को (ब्याज सहित)			
असुरक्षित #	618.93	682.24	747.81
	618.93	**682.24**	**747.81**
# शामिल हैं			
क) निदेशकों पर बकाया	-	-	-
ख) ऋण के रूप में अधिकारियों पर बकाया	24.79	8.90	19.82
ग) निजी गारंटी पर पूर्णतः सुरक्षित/ सुरक्षित	368.04	379.13	408.78

7 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
12 महीनों से अधिक मूल परिपक्वता के साथ आवधिक जमा	-	500.00	20,900.00
	-	**500.00**	**20,900.00**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

8 अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
पूंजीगत अग्रिम			
सुरक्षित	10,003.19	-	-
असुरक्षित			
अन्य	4,384.73	26.22	37.15
	14,387.92	**26.22**	**37.15**
पूंजी अग्रिमों से अन्य अग्रिम			
पूर्व प्रदत्त व्यय	-	1.45	0.08
आस्थगित पेरोल व्यय	139.58	160.28	173.34
विविध जमा	240.81	241.90	235.57
घटाएं : संदिग्ध विविध जमा के लिए प्रावधान	(11.32)	(12.26)	(12.23)
	369.07	**391.38**	**396.76**
	14,756.99	**417.60**	**433.92**

9 निवेश

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
म्युचल फण्ड में निवेश (लाभ और हानि के जरिए उचित कीमत पर निर्धारित उद्धृत			
यू. टी. आई. में पुनर्निवेश योजना के तहत 10-10 रु. की 2,40,157 (पूर्ववर्ती वर्ष 2,20,781) यूनिटें।	72.40	58.45	60.72
	72.40	**58.45**	**60.72**
(i) उद्धृत निवेश और बाजार मूल्यों की कुल धनराशि	72.40	58.45	60.72
(ii) निवेश के मूल्यों में कमी की कुल धनराशि	-	-	-

10 व्यापार प्राप्य

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
असुरक्षित, अच्छे माने गए	870.27	1,000.60	729.11
संदिग्ध माने गए	1,452.87	1,461.78	1,516.70
घटाएं: संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्रावधान	(1,452.87)	(1,461.78)	(1,516.70)
	870.27	**1,000.60**	**729.11**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

11 नकदी एवं नकदी के समतुल्य

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
अपने पास रखे ड्राफ्ट/ चैक	3.19	-	109.44
अपने पास रखी नकदी	5.08	13.18	2.83
डाक टिकट अग्रिम	1.03	0.68	2.24
बैंक में शेष #			
चालू और बचत खाता	4,914.90	3,522.71	3,167.36
	4,924.19	**3,536.57**	**3,281.86**
# शामिल है			
(i) विदेशों में जमा	8.39	15.94	16.30
(ii) उपरोक्त (i) में से तुलन-पत्र की तारीख को अपुष्ट	-	7.33	6.71

टिप्पणी :

एम सी ए अधिसूचना सं. जी एस आर 308 (ई) दिनांक 30 मार्च, 2017 के द्वारा यथा अपेक्षित धारित विशिष्ट बैंक नोटों (एस बी एन) का विवरण और 8 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान लेन-देनों का विवरण नीचे दी गई सारणी के अनुसार है :

	एस बी एन	अन्य नोटों का मूल्य	कुल
8 नवंबर, 2016 को अपने पास रखे अंतिम शेष	2.03	1.00	3.02
(+) अनुमत रसीदें	-	163.09	163.09
(-) अनुमत भुगतान	-	7.54	7.54
(-) बैंकों में जमा धनराशि	2.03	154.59	156.62
30 दिसम्बर, 2016 को अपने पास रखे अंतिम शेष	**-**	**1.96**	**1.95**

12 नकदी और नकदी के समतुल्य के अलावा बैंक बैलेंस

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने तक मूल परिपक्व सावधि	163,461.94	153,118.83	114,473.15
	163,461.94	**153,118.83**	**114,473.15**

13 चालू ऋण

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
अग्रिम			
कर्मचारियों (ब्याज सहित)			
असुरक्षित #	1,913.76	1,970.94	1,780.46
	1,913.76	**1,970.94**	**1,780.46**
# शामिल हैं			
क) निदेशकों/ पूर्व निदेशकों पर बकाया	0.86	0.86	0.86
ख) ऋण के रूप में अधिकारियों पर बकाया	5.49	5.74	10.70
ग) पूर्णत: सुरक्षित/ निजी गारंटी पर सुरक्षित	84.20	91.37	88.58

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

14 अन्य वित्तीय परिसंपतियां

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
असुरक्षित			
भारत सरकार से वसूली योग्य अनुदान	238.97	277.34	497.05
घटाएं : अनुदान की संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	(1.48)	(1.48)	(363.05)
	237.49	**275.87**	**134.00**
अंतर कारपोरेट जमा	7,500.00	7,500.00	7,500.00
बचत बैंक लेखों/ जमाओं पर ब्याज	5,145.99	5,164.42	5,363.89
डिपाजिट (जमा) कार्यों के बारे में पार्टियों पर बकाया	82.23	44.47	44.72
घटाएं : संदिग्ध बकाया के लिए प्रावधान	(41.73)	(44.47)	(38.99)
	40.50	**-**	**5.73**
	12,923.98	**12,940.29**	**13,003.62**

15 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
अग्रिम			
पार्टियों को अग्रिम (असुरक्षित)	908.27	872.53	592.71
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(119.33)	(81.54)	(78.53)
	788.94	**790.99**	**514.18**
अन्य			
वसूली योग्य सेवा कर	1,656.65	1,210.98	1,022.23
वसूली योग्य आयकर/ टी डी एस	24,804.54	20,486.13	16,845.05
घटाएं : टी डी एस संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	(427.65)	(326.35)	(310.41)
	24,376.89	**20,159.78**	**16,534.64**
पूर्व प्रदत्त व्यय	31.29	44.78	49.26
आस्थगित पेरोल व्यय	23.63	26.81	26.86
विविध जमा (असुरक्षित)	104.20	138.21	37.69
घटाए : संदिग्ध विविध जमा के लिए प्रावधान	(2.36)	(2.39)	(2.34)
	101.83	**135.82**	**35.35**
उपभोज्य वस्तुएं (लागत मूल्यांकित)	3.17	10.18	8.20
विदेशों में भारतीय दूतावासों की ओर बकाया	1.10	2.64	1.34
मिलान न किए गए शेष	-	2.23	-
अग्रिम (असुरक्षित)	10.74	24.15	3.85
ग्रुप ग्रेच्युटी फण्ड - एल सी आई	13.76	12.51	10.00
	27,008.00	**22,420.87**	**18,205.91**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

16 इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
अधिकृत			
100-100 रु. के 50,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 को 100-100 रु. के 50,000 इक्विटी शेयर)	50	50	50
निर्गम, अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त			
100-100 रु. के पूर्णतः प्रदत्त 25,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2016 और 1 अप्रैल, 2015 को 100-100 रु. के 25,000 इक्विटी शेयर)	25	25	25
	25	**25**	**25**

क. रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों का मिलान

	31.03.2017 को		31.03.2016 को		01.04.2015 को	
	शेयरों की संख्या	(रु. लाख में)	शेयरों की संख्या	(रु. लाख में)	शेयरों की संख्या	(रु. लाख में)
वर्ष के शुरू में बकाया इक्विटी शेयर	25,000	25	25,000	25	25,000	25
जोड़ : अवधि के दौरान निर्गम	-	-	-			
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	25,000	25	25,000	25	25,000	25

ख. इक्विटी शेयर की अवधि/ असम्बद्ध अधिकार

कम्पनी के केवल एक प्रकार के इक्विटी शेयर हैं, जिनका प्रति शेयर समान मूल्य 100 रु. है। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार होता है। चूंकि कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के तहत निगमित है, इसलिए कम्पनी के अधिशेष, यदि कोई हो, अथवा अन्य आय को अपने सदस्यों को लाभांश, बोनस शेयर अथवा अन्यथा वितरित करने पर प्रतिबंध है।

कम्पनी को बंद करने अथवा विघटित करने की स्थिति में समस्त ऋणों और देयताओं तथा सरकार की मूल पूंजी लौटाने के बाद यदि कोई संपत्ति जो भी हो, रहती है, तो यह कम्पनी के सदस्यों के बीच में लाभांश, बोनस शेयर अथवा अन्यथा के रूप में बांटी नहीं जाएगी, अपितु उसे ऐसी अन्य कम्पनी को दिया अथवा अंतरित कर दिया जाएगा, जो इस कम्पनी की भांति उद्देश्य वाली हो। इसका निर्धारण कम्पनी के सदस्यों के द्वारा कम्पनी के विघटन के समय पर अथवा इससे पहले किया जाएगा, अथवा इसमें चूक होने की स्थिति में उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है, अथवा मामले में न्यायालय से निर्णय आदेश प्राप्त किया जा सकता है।

ग. कम्पनी के 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण :

	31.03.2017 को		31.03.2016 को		01.04.2015 को	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भारत सरकार को पूर्ण प्रदत्त 100-100 रु0 के इक्विटी शेयर	25,000	100	25,000	100	25,000	100

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

17 अन्य इक्विटी

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
(क) पूंजीगत आरक्षित			
भारत सरकार से प्राप्त पूंजीगत अनुदान			
(पूरी तरह उपयोग कर लिया)			
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष :	1,325.22	1,325.22	6,822.55
आई टी पी ओ के माध्यम से ए एस आई डी ई अनुदान			615.26
जोड़ें : वर्ष के दौरान जुड़ी धनराशि	-	-	-
घटाएं : समायोजन/ कटौतियां			
भारत सरकार से प्राप्त पूंजी अनुदान के लिए अंतरित			(6,112.59)
इति शेष (क)	1,325.22	1,325.22	1,325.22
(ख) अन्य आरक्षित धनराशि #			
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष	18.10	18.10	92.33
कमी : समायोजन/ कटौतियां	-	-	-
धारित आय में अंतरित			(74.23)
इति शेष (ख)	**18.10**	**18.10**	**18.10**
(ग) भारत सरकार से प्राप्त पूंजी अनुदान ##			
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष	5,812.48	5,854.18	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान जुड़ी धनराशि	-	-	6,112.59
कमी : समायोजन/ कटौतियां	(41.70)	(41.70)	(258.41)
इति शेष (ग)	**5,770.79**	**5,812.48**	**5,854.18**
(घ) धारित आय			
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार शेष	170,264.79	152,325.51	152,398.95
जोड़ें : वर्ष का अधिशेष	21,542.40	17,939.28	-
जोड़ें : पूंजी रिजर्व से अंतरण			74.23
जोड़ें : म्युचल फण्ड में निवेश पर उचित कीमत लाभ/ हानि			31.00
जोड़ें : आई टी पी ओ के माध्यम से ए एस आई डी ई से अनुदान का परिशोधन			258.41
घटाएं : पूर्व अवधि समायोजन			(437.08)
इति शेष (घ)	**191,807.19**	**170,264.79**	**152,325.51**
(ङ) अन्य विस्तृत आय की मदें	28.60	-	-
सुनिश्चित लाभ योजना का पुन: निर्धारण	(219.35)	28.52	-
इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखें में लिए गए संयुक्त उद्यमों के आई सी आई के शेयर	(1.86	0.08	-
इति शेष (ङ)	**(192.61)**	**28.60**	**-**
इति शेष (क + ख + ग + घ + ङ)	**198,728.68**	**177,449.19**	**159,523.01**

कम्पनी में विलय किए गए संगठनों की पहले वर्षों में देयताओं से अधिक परिसंपत्तियों को दर्शाती है।

शामिल हैं

(i) धारक कम्पनी के मामले में प्रगति मैदान परिसर में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से 4965.62 लाख रु. का अनिर्दिष्ट अनुदान।
(ii) ग्रुप कम्पनी टी एन टी पी ओ के मामले में प्रगति मैदान परिसर में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से 805.17 लाख रु. का अनिर्दिष्ट अनुदान

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

18 गैर-नियंत्रित ब्याज

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (टी एन टी पी ओ)			
- शेयर पूंजी	0.49	0.49	0.49
- अन्य इक्विटी	10,361.61	8,923.78	7,981.28
जोड़ें : परिशोधन लागत पर दीर्घकालिक ऋणों का उचित कीमत समायोजन	41.21	79.96	129.35
कमी : ऋणों में अंतरित धनराशि	(27.05)	(38.75)	(49.39)
कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (के टी पी ओ)			
- शेयर पूंजी	980.00	980.00	24.50
- अन्य इक्विटी	4,530.96	1,925.95	1,545.52
अनुषंगी ऋण	605.00	44.50	44.50
अल्पसंख्यक शेयरधारक को आवेदन धन लंबित आवंटन			
कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (के टी पी ओ)			
- कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड	-	-	955.50
	16,492.22	**11,915.92**	**10,631.75**

19 ऋण - गैर चालू

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (टी एन टी पी ओ)			
- तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम	-	141.65	283.41
	-	**141.65**	**283.41**

20 प्रावधान

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
कर्मचारियों के लाभों के लिए प्रावधान			
- छुट्टी नकदीकरण (देखें टिप्पणी 48)	2,417.57	1,832.76	1,703.90
- ग्रेच्युटी	18.75	0.01	2.30
	2,436.32	**1,832.77**	**1,706.20**

21 अन्य गैर-चालू देयताएं

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
अग्रिम रूप से प्राप्य आय	853.55	933.39	520.58
	853.55	**933.39**	**520.58**

22 चालू-ऋण

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
आवधिक ऋण - असुरक्षित			
के आई ए डी बी	24.50	-	-
	24.50	**-**	**-**

23 व्यापार भुगतान

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
वस्तुओं और सेवाओं के लिए	2,048.16	2,187.16	1,158.82
	2,048.16	**2,187.16**	**1,158.82**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

24 अन्य वित्तीय देयताएं

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
बैंक ओवर ड्राफ्ट	8.08	10.90	0.21
अन्य भुगतान :			
देय कर्मचारी लाभ	149.70	252.09	307.18
अन्य	476.64	860.22	1,948.25
टी आई डी सी ओ	141.65	128.77	117.07
प्रतिभूति जमा	1,061.39	580.51	342.64
	1,837.46	**1,832.49**	**2,715.35**

25 अन्य चालू देयताएं

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
अग्रिम रूप से प्राप्त आय	3,347.48	3,297.07	2,722.45
मिलान न किया गया शेष			17.50
अन्य भुगतान			
अग्रिम भुगतान और जमा	2,514.09	2,359.32	2,631.86
सांविधिक बकाया	774.33	190.70	130.21
अन्य	-	1.92	0.62
	6,635.90	**5,849.01**	**5,502.64**

26 चालू प्रावधान

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 को	01.04.2015 को
(क) कर्मचारियों के हित लाभ के लिए प्रावधान			
- ग्रेच्युटी (टिप्पणी 48 देखें)	1,605.98	240.20	332.25
- छुट्टी नकदीकरण (टिप्पणी 48 देखें)	299.44	486.11	194.26
- कार्य निष्पादन से संबद्ध वेतन/ निष्पादन प्रोत्साहन #	3,264.00	3,080.00	2,946.00
- पेंशन कोष (टिप्पणी सं. 41 देखें)	2,631.14	2,325.00	-
- वेतन संशोधन	442.00	-	-
(ख) अन्य			
- आकस्मिक प्रभारों के लिए रिफंड का प्रावधान	114.21	114.21	114.21
	8,356.78	**6,245.53**	**3,586.72**

दिनांक 01.01.2007 से वेतनमानों में संशोधन के बारे में 3264.00 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 3080.00 लाख रु.) का प्रावधान लोक उद्यम विभाग (डी पी ई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान लोक उद्यम विभाग (डी पी ई) ने दिनांक 05.11.2015 के ज्ञापन के तहत यह सूचित किया कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत पंजीकृत सी पी एस ई के कर्मचारियों को पी आर पी के संबंध में मामला सी पी एस ई की तीसरी वेतन संशोधन समिति, जब भी गठित होगी, के समक्ष रखा जाएगा। मामले को दिनांक 29.12.2015 को पारिश्रमिक समिति के समक्ष रखा गया था, जिसमें मामले को डीओसी/ डीपीई के समक्ष रखने की सिफारिश की गई थी।

दिनांक 3 अगस्त, 2017 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा डी पी ई ने दिनांक 01.01.2017 से वेतनमानों में संशोधन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिनमें यह कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 (अब कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25) के अंतर्गत निगमित कंपनियों की पात्रता के बारे में उल्लेख है। अनुमोदन लंबित रहने, 1569.92 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 1617.58 लाख रु.) की धनराशि के तदर्थ भुगतान सेवा-निवृत्त कर्मचारियों से निवल वसूलियां इस शर्त पर 'ब्याज रहित अग्रिम' के रूप में 31.03.2017 तक कर्मचारियों के लिए जारी कर दिए गए हैं कि उन्हें जारी की गई धनराशि इस विषय पर लिए जाने वाले निर्णय के अनुसार वसूली अथवा समायोजित की जाएगी।

27 संचालन से राजस्व

(रु. लाख में)

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
सेवाओं की बिक्री		
स्थान का किराया (निवल) #	26,393.99	24,767.04
सरकार से राजस्व अनुदान	621.84	613.44
बिजली व पानी प्रभारों की वसूली	1,069.16	959.64
ब्राण्डिंग/ प्रायोजकता	119.24	167.81
प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं हेतु वसूली	372.69	249.53
होर्डिंग	228.04	-
सम्मेलन केन्द्र से किराया	633.65	463.65
अन्य प्रचालन राजस्व		
प्रवेश टिकट/ सीजनल पास की बिक्री	750.55	767.94
विज्ञापन (प्रकाशन)	57.47	33.79
प्रकाशनों की बिक्री	5.60	6.10
अंशदान शुल्क (ग्राहकों से शुल्क)	9.48	6.18
	30,261.71	**28,035.13**

28 अन्य आय

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
निम्नलिखित से ब्याज		
- बैंक जमा	12,462.28	12,604.62
- आयकर वापसी	-	-
- कार्मिकों को अग्रिम (परिशोधन लागत पर स्वीकार्य वित्तीय साधन)	90.65	102.63
- अन्य	605.21	665.29
	13,158.14	13,372.54
यू टी आई से लाभांश	5.59	4.22
अन्य गैर-प्रचालनीय आय		
वित्तीय संसाधनों पर उचित कीमत लाभ	8.37	(6.49)
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	-	0.35
विविध आय #	875.16	1,020.04
	14,047.25	**14,390.66**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

29 कर्मचारी लाभ व्यय

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी व भत्ते #	5,919.78	5,759.16
अन्य परिलब्धियां एवं भत्ते	1,027.27	1,011.21
चिकित्सा व्यय	332.68	282.13
निष्पादन संबद्ध वेतन/ निष्पादन प्रोत्साहन/पी एल आई (नोट 26 का टिप्पणी देखें)	184.00	134.00
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों के लिए अंशदान	890.78	582.16
ग्रेच्युटी (टिप्पणी 48 देखें)	1,391.03	269.61
छुट्टी नकदीकरण (टिप्पणी 48 देखें)	797.81	832.51
कर्मचारी कल्याण	110.12	100.50
मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार के बदले प्रतिपूर्ति	102.56	88.63
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	442.00	-
अन्य लागत	68.39	58.42
	11,266.42	**9,118.33**

30 मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल्यह्रास	922.48	971.64
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	7.32	0.25
	929.79	**971.89**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

31 अन्य व्यय

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
भागीदारी शुल्क	1,864.72	1,660.15
विनिर्माण एवं आंतरिक सजावट	1,361.70	1,167.65
प्रचार	556.73	481.26
मालभाड़ा, पैकिंग व हैंडलिंग	38.26	15.51
सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं फैशन शों	8.20	9.09
यात्रा एवं वाहन [निदेशकों के बारे में 16,24,762 रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 12,57,703 रु.) शामिल]	317.75	256.62
डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन	51.28	58.96
मनोरंजन [निदेशकों के माध्यम से 92,652 रु. (पूर्ववर्ती वर्ष में 1,08,735 रु.) शामिल]	42.56	49.76
प्रगति मैदान का रख-रखाव		
- सिविल [(भवनों की मरम्मत हेतु 5,54,228 रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 45,17,632 रु.) शामिल]	217.84	304.67
- विद्युत	785.34	885.94
- बागवानी	134.96	136.31
- कन्जर्वेन्सी व्यवस्था	319.73	290.67
बिजली और जल प्रभार	2,093.77	1,969.57
मरम्मत, नवीकरण और रख-रखाव	677.55	679.10
सुरक्षा व्यय	760.42	698.78
प्रचालन एवं रख-रखाव	353.67	572.27
दरें और कर	284.68	249.68
घटायें : वसूलियां	(9.14)	(16.50)
	275.54	233.18
पुस्तकें और पत्रिकाएं	19.08	17.68
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	89.19	88.35
किराया	110.66	109.39
घटायें : वसूली	(1.40)	(1.40)
	109.26	107.99
वाहन रख-रखाव	69.29	86.63
घटायें : वसूली	(0.08)	(0.04)
	69.20	86.59
बीमा	12.87	15.54
विज्ञापन व्यय	216.11	208.57
कमीशन	234.62	233.34
विदेशी प्रतिनिधिमंडल	6.50	18.25
विनियम में अंतर (निवल)	38.31	8.18
विधिक व व्यावसायिक प्रभार	143.04	175.52
सेमिनार व प्रशिक्षण	13.51	12.55
ब्याज	15.30	3.61
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (देखें टिप्पणी 47)	340.81	445.54
प्रावधान/ बट्टे खाते में डालना	148.31	65.65
अन्य विविध व्यय	161.20	143.62
निदेशकों का बैठक शुल्क	1.30	-
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		
- लेखा परीक्षा शुल्क	6.45	5.52
- कर लेखा परीक्षा शुल्क	1.00	1.01
- अन्य व्यय	-	0.51
खराबी से हानि	-	-
परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि	27.98	1.05
	11,514.05	**11,108.56**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

32 आपवादिक मदें

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
देयताएं/ प्रावधान, जो अब अपेक्षित नहीं	141.98	86.60
संदिग्ध ऋण/ अग्रिम अवलिखित के लिए प्रावधान	1.23	51.69
संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान/ अवलिखित जमा कार्य	2.75	-
मूल्यह्रास	(197.60)	277.33
भूमि की बिक्री पर लाभ	5,076.02	-
पेंशन कोष में अंशदान के लिए प्रावधान	-	(2,325.00)
	5,024.38	**(1,909.37)**

33 प्रति इक्विटी शेयर आय

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी शेयरधारकों से आय	21,542.40	17,939.28
इक्विटी शेयर की औसत भारित (संख्या)	25,000.00	25,000.00
इक्विटी शेयर सामान्य मूल्य प्रति शेयर (रु.)	100.00	100.00
आधारभूत व मिश्रित आय प्रति शेयर (रु.)	0.86	0.72

34 विदेशी विनिमय मुद्रा में व्यय

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
विदेश यात्रा	105.18	95.09
मेले एवं प्रदर्शनियां	2,100.61	1,913.92
	2,205.79	**2,009.01**

35 विदेशी विनिमय मुद्रा में आय

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
स्थान का किराया	1,125.25	1,342.95
अन्य प्राप्तियां	18.29	12.32
	1,143.54	**1,355.27**

36 आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक परिसंपतियां एवं पूंजीगत प्रतिबद्धताएं (जब तक प्रदान न की जाए)

(रु. लाख में)

	31.03.2017 को	31.03.2016 कों	01.04.2015 कों
(क) आकस्मिक देयताएं			
- कम्पनी के प्रति दावे, जो ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए	10,808.34	11,913.33	9,973.94
	-	-	-
(ख) पूंजीगत वचनबद्धता	-	-	-
पूंजीगत खाते में निष्पादित किए जाने वाले ठेकों की अनुमानित धनराशि (निवल अग्रिम)	1,534.84	52.06	1,029.42
(ग) आकस्मिक परिसंपत्तियां			
आयकर मामले में अनुकूल निर्णय होने की स्थिति में धारक कम्पनी, आई टी पी ओ को हुई ब्याज को प्रासंगिक परिसंपत्ति, अनिश्चय धनराशि के रूप में नहीं माना गया है (देखें टिप्पणी सं- 38)।			

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

37 भूमि और विकास कार्यालय (एल ऐण्ड डी ओ) से मांग

प्रगति मैदान का पुन: विकास करने की योजना के संबंध में प्रीमियम, अतिरिक्त प्रीमियम के प्रति दिनांक 21.04.2017 के पत्र के द्वारा भूमि और विकास कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कम्पनी से ग्राउण्ड के किराए को छोड़कर, 9,663.42 लाख रु. की मांग की थी।

वाणिज्य विभाग के माध्यम से मंत्रिमंडल के द्वारा मूल मांग की माफी प्राप्त करने के लिए इन आधारों पर मामले को उठाया गया है कि परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है। चूंकि कम्पनी को यह आशा है कि मंत्रिमंडल के द्वारा मांग को माफ कर दिया जाएगा, इसीलिए उक्त मांग, बढ़ा हुआ ग्राउण्ड किराया और ब्याज एवं दण्ड के लिए, यदि कोई हो, लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसको आकस्मिक देयता के रूप में भी नहीं माना गया है, क्योंकि आउटफ्लो दूरस्थ है।

38 आयकर मामले

(i) धारक कम्पनी आई टी पी ओ के मामले में आयकर महानिदेशक (छूट) ने निर्धारण वर्ष 2009-10 और उससे आगे कम्पनी को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23ग) (iv) के अंतर्गत दी गयी छूट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 (15) के संशोधित परन्तुक, जो 1.4.2008 से प्रभावी था के अनुसार वापिस ले ली गई है।

कम्पनी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में छूट वापसी के खिलाफ वाद दाखिल किया था। माननीय उच्च न्यायालय ने कम्पनी के पक्ष में दिनांक 22.1.2015 को अपना निर्णय दिया और तदनुसार, मुख्य आयुक्त आयकर (छूट) ने दिनांक 2 मार्च, 2015 के आदेश के तहत आकलन वर्ष 2009-10 और उसके बाद से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) (iv) के तहत आय कर छूट बहाल कर दी।

छूट बहाली लंबित रहते आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए आकलन पूरा किया और कुल 15,589.86 लाख रु. की मांग उठाई जिसमें से 1,319 लाख रु. का भुगतान विरोध के साथ किया गया और वर्ष 2014-15 तक टी डी एस वापसी के रु. 8770.74 मांग के प्रति आयकर विभाग के द्वारा समायोजित किए गए।

इसके अलावा, कंपनी द्वारा आयकर विभाग की ओर से की गई मांग के खिलाफ सी आई टी (अपील) के पास दाखिल की गई अपील को भी अलग कर दिया गया था तथापि, आयकर विभाग ने मूल्यांकन वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए कंपनी के पक्ष में सी आई टी (अपील) के आदेश के खिलाफ आयकर अपील न्यायाधिकरण में अपील दाखिल की है।

आयकर विभाग ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय के विशेष अनुमति याचिका (एस एल पी) (सी) सीसी 5899/ 2016 दाखिल की है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले के प्रचालन पर अंतरिम राहत/ स्थगन के लिए आयकर विभाग के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया। मामला अन्य एस एल पी के साथ शामिल कर दिया गया है और उचित समय पर सुनवाई की जाएगी।

चूंकि छूट बहाल कर दी गई है, इसीलिए आस्थगित कर ब्याज और दण्ड के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। टी डी एस वापसी और कम्पनी द्वारा भुगतान की गई धनराशि 10089.74 लाख रु. (1319.00 लाख रु. और 8770.74 लाख रु.) का समायोजन 'आय कर वसूलनीय' शीर्ष के अंतर्गत लेखाओं में दर्शाया गया है।

(ii) समूह कंपनी, तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (टी एन टी पी ओ) के मामले में आकलन वर्ष 2006-07 के लिए, आयकर विभाग ने दिनांक 28.03.2013 को धारा 148 के तहत नोटिस जारी करके, पुन: आकलन आरंभ किया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि आय को कम किया गया है और ब्याज तथा जुर्माने के अलावा आय, में कमी के लिए 149.47/- लाख रु. की मांग उठाई।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

इसका विरोध करते हुए टी एन टी पी ओ ने उक्त आकलन आदेश के खिलाफ आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दाखिल की। मांग पर स्थगन के अनुसार टी एन टी पी ओ ने 74.73/- लाख रु. की कर मांग का विरोध के साथ 50 प्रतिशत जमा कर दिया।

मुख्य आयकर आयुक्त, चेन्नई-III ने आकलन वर्ष 2009-10 के बाद आयकर अधिनियम की धारा 10 (23) (ग) (iv) के तहत जारी आयकर छूट इस आधार पर वापस ले ली थी कि यह कम्पनी आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के संशोधित परन्तुक के अनुसार 01.04.2008 से व्यापार, वाणिज्य अथवा व्यापार संबंधी कार्यकलापों में अथवा व्यापार, वाणिज्य अथवा व्यापार संबंधी सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई हैं।

धारा 10 (23ग) (iv) के अंतर्गत जारी छूट आदेश की वापसी के परिणामस्वरूप, आकलन अधिकारी ने आकलन वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए मांग उठायी तथा आकलन अधिकारियों के द्वारा उठायी गई मांग, विरोध के तहत जमा किया गया। कर मामले की स्थिति नीचे सारणी में दी है :

(रु. लाख में)

आकलन वर्ष	कुल मांग	समायोजित रिफण्ड कर	विरोध के तहत जमा की गई धनराशि (समायोजित रिफण्ड कर सहित)	शेष	जिनके पास लम्बित मामला
2006-07	149.47	-	74.73	74.74	आयकर आयुक्त (अपील)
2009-10	446.38	24.13	422.25	-	आयकर अपीलीय अधिकरण
2010-11	358.59	86.08	272.51	-	
2011-12	585.56	-	585.56	-	
2012-13	968.50	-	353.73	634.77	आयकर आयुक्त (अपील)
2013-14	1,200.37	-	180.05	1,020.32	
2014-15	992.50	242.09	750.41	-	
कुल	**4,701.37**	**352.30**	**2,619.24**	**1,729.83**	

कम्पनी के द्वारा विरोध के अंतर्गत भुगतान किए अग्रिम कर नीचे सारणी में दिया गया है :

(रु. लाख में)

आकलन वर्ष	विरोध के तहत जमा धनराशि
2015-16	400
2016-17	370
2017-18	500
कुल	1270

धारक कंपनी (आई टी पी ओ) ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(15) के प्रावधान को चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एक रिट याचिका दायर की थी और मुकदमा जीत भी लिया था। आई टी पी ओ के दिनांक 22.01.2015 को माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली ने उनके पक्ष में निर्णय किया। इसके परिणामस्वरूप, आयकर विभाग ने आई टी पी ओ को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23ग) (iv) के तहत आयकर में छूट प्रदान की गई है।

बोर्ड के द्वारा 08.08.2013 को हुई अपनी 42वीं बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार टी एन टी पी ओ की लेखा पुस्तकों में कर देयता का लेखांकन व्यवहार धारक कम्पनी (आई टी पी ओ) के अनुसार होगा। इस प्रकार टी एन टी पी ओ भी धारक कम्पनी के कार्यों का पालन कर रही है और माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास में रिट दायर की गई है और मामला न्यायालय में है। टी एन टी पी ओ को धारक कम्पनी आई टी

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

पी ओ की भांति अनुकूल निर्णय की उम्मीद है, अत: धारक कम्पनी आई टी पी ओ के द्वारा अपनाए गए लेखांकन व्यवहार की भांति आकलन वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए आयकर देयता हेतु कोई प्रावधान लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। विभिन्न आकलन वर्षों के लिए टी एन टी पी ओ के द्वारा दायर की गई अपीलें निपटान हेतु लंबित हैं। इन अपीलों का निपटान लंबित रहते हुए कम्पनी 31 मार्च, 2017 को 47,01,37,951/- रु. की कुल मांग के लिए प्रासंगिक रूप से जिम्मेदार है, जिसमें 45,51,91,288/- रु. कुल मांग के लिए और 1,49,46,663/- रु. की आय के निकास की मांग शामिल है।

कम्पनी आकलन वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए प्रासंगिक रूप से भी जिम्मेदार है, जिसके लिए विभाग को आकलन संबंधी कार्यवाहियां अभी शुरू करनी हैं तथा प्रासंगिक देयता की धनराशि अभी निर्धारित की जानी है।

(iii) समूह कंपनी कनार्टक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाईजेशन (के एन टी पी ओ) के मामले में, संगठन ने 2008-09 तक के आकलन वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) (iv) के तहत छूट प्राप्त कर ली थी। संगठन ने आकलन वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए छूट प्रदान करने के लिए आवेदन किया है। मुख्य आयकर आयुक्त ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) (iv) के तहत अनुमोदन को नवीकरण करने की याचिका को अस्वीकार करने के आदेश पारित किए हैं। संगठन ने माननीय उच्च न्यायालय, कर्नाटक में मुख्य आयकर आयुक्त के अस्वीकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दाखिल की गई है। माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कंपनी की मांग के अनुसार अनुमोदन के नवीकरण को अस्वीकार करने के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 10 (23ग) (iv) के तहत मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के संबंध में आदेश पारित किया है। साथ ही, विभाग को भी यह निर्देश दिया है कि भविष्य में जब भी ऐसा अवसर आए वापसी अथवा पंजीकरण के संबंध में निर्णय ले।

आकलन वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए आकलन अधिकारी ने अधिनियम की धारा 2(15) के संशोधित प्रावधानों को लागू करके धारा 11/10 (23ग) (iv) के तहत कंपनी द्वारा दावा की गई छूट से इंकार किया था। आकलन वर्ष 2010-11 के लिए कोई भी कर देनदारी नहीं बनती क्योंकि आकलन अधिकारी द्वारा पारित आकलन आदेश के तहत वर्ष के दौरान, व्यय से अधिक आय नहीं है। प्रत्युत्तर में कंपनी ने भारतीय आय कर आयुक्त (अपील) के समकक्ष यह कहते हुए एक अपील दाखिल की है कि कंपनी, अधिनियम की धारा 2(15) के संशोधित उपबंधों से प्रभावित नहीं है और कंपनी, अधिनियम की धारा 10 (23 ग) (iv) के तहत छूट के दावे के पात्र है। दिनांक 16.06.2016 के आदेश के तहत इसके अलावा कंपनी के आधार की वर्ष 2011-12 के लिए आयकर आयुक्त द्वारा अपील को स्वीकार करके पुष्टि की है तथापि आयकर विभाग ने कम्पनी के पक्ष में पारित आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध आकलन वर्ष 2011-12 के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण के पास अपील दायर की है। 31.03.2017 तक आकलन वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए कुल मांग 5,08,01,502/- रु. है, जिसमें से 2,02,86,996/- रु. की वापसी को 3,05,14,505/- रु. की शेष मांग छोड़कर समायोजित किया है। इस मांग के लिए प्रावधान नहीं किया है लेकिन आकस्मिक देनदारियों में शामिल है।

संगठन को आकलन वर्ष 2003-04 से 2008-09 के लिए दिनांक 01.04.2009 से अर्थात धारा 2(15) में संशोधन की तारीख से अधिनियम की धारा 10 (23ग) (iv) के तहत प्रदत्त अनुमोदन को वापस लेने के लिए प्रस्ताव के लिए अतिरिक्त आयकर आयुक्त (तकनीकी-1) से नोटिस प्राप्त हुआ था। कंपनी ने अपने वापसी के प्रस्ताव पर पुनर्विचार के लिए लिखित में अनुरोध दाखिल किया था।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

31.03.2017 तक उठायी और समायोजित की गई मांग की स्थिति नीचे दिए अनुसार है :

(रु. लाख में)

आकंलन वर्ष	उठायी गई मांग	रिफंड समायोजन	लंबित शेष	अपील दायर की
2012-13	110.47	48.80	61.67	27-04-2015
2013-14	238.80	70.50	168.30	15-04-2016
2014-15	158.75	83.57	75.18	14-12-2016

वर्ष 2016-17 के दौरान कम्पनी ने बेंगलुरु मेट्रो परियोजना के लिए कम्पनी की भूमि का अधिग्रहण करने हेतु बेंगलुरु मेट्रो रेल निगम लिमिटेड से 5102.76 लाख रु. प्राप्त किए जिसकी वजह से 5076.02 लाख रु. का लाभ हुआ है और कम्पनी इस लाभ को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11(2) के अनुसार खर्च करना चाहती है।

39 सेवा कर मामले

(i) (क) सेवा कर आयुक्त द्वारा धारित कंपनी, इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) पर 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिए 1087.94 लाख रु. की मांग की गई, जिसमें 1064.27 लाख रु. का सेवा कर और 23.68 लाख रु. ब्याज शामिल था। मांग का विरोध किया गया और सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयोग ने दिनांक 22.01.2015 के अपने आदेश (दिनांक 03.02.2015 को प्राप्त) के तहत सेवा कर की मांग में संशोधन करके 410.41 लाख रु. किया, जिसके साथ 410.40 लाख रु. का जुर्माना तथा 0.10 लाख रु. और भुगतान की तारीख तक ब्याज इस शर्त के साथ किया गया कि यदि 30 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाता है तो 75% तक जुर्माना धनराशि माफ कर दी जाएगी।

कम्पनी आई टी पी ओ ने 25.02.2015 को 881.31 लाख रु. का भुगतान विरोध के साथ कर दिया, जिसमें सेवा कर के रूप में 410.41 लाख और 102.70 लाख रु. का जुर्माना तथा 368.20 लाख रु. का ब्याज शामिल था। दिनांक 22.01.2015 के आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी के समक्ष दिनांक 24.04.2015 को अपील की गई। 09.02.2017 को एक संशोधित अपील दायर की गई है।

(ख) इसके अलावा धारित कंपनी को सेवा कर विभाग द्वारा विभिन्न अवधियों के लिए कारण बताओ नोटिस व मांग भेजे गए, जो इस प्रकार हैं :

क्रम सं.	धनराशि (रु.)	टिप्पणी
i	42.77	2011-12 की अवधि के लिए - ब्याज और जुर्माना यदि कोई हो, को छोड़कर जिसकी गणना नहीं की गई है।
ii	51.68	2012-13 की अवधि के लिए - ब्याज और जुर्माना यदि कोई हो, को छोड़कर जिसकी गणना नहीं की गई है।
iii	46.69	2013-14 की अवधि के लिए - ब्याज और जुर्माना यदि कोई हो, को छोड़कर जिसकी गणना नहीं की गई है।
कुल	**141.14**	

विशेषज्ञों के मतानुसार, उपर्युक्त क्रमांक क एवं ख (i से iii) के अन्तर्गत सेवाएं सेवा कर की परिधि में नहीं आती है जिनके लिए मांग एवं कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुए हैं। कम्पनी ने संबंधित सेवा कर आयुक्त, दिल्ली के समक्ष इस मांग का विरोध किया है।

लेखों में 1022.45 लाख रुपये (881.31 लाख रु. और 141.14 लाख रु.) रुपये की मांग का प्रावधान नहीं किया गया है तथापि, इसे टिप्पणी सं. 36 में आकस्मिक देयता के रूप में शामिल किया गया है।

सेवा कर विभाग के पास विवादित 881.31 लाख रु. का भुगतान 'वसूलनीय सेवा कर' शीर्ष के तहत लेखाओं में दर्शाया गया है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

(ii) समूह कंपनी, तमिलनाडु, ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (टी एन टी पी ओ) के मामले में अपर आयुक्त, सेवा कर, चेन्नई ने एक आदेश जारी करके निम्नलिखित विभिन्न अवधियों के लिए टिकटों की बिक्री से हुई आय के हिस्से पर सेवा कर की मांग का विवरण जारी किया है :

क्र. सं.	आदेश/ मांग व तारीख	धनराशि (रु. लाख में)	अवधि
1.	115/2013, दिनांक 17.12.2013 एवं 456/2011 दिनांक 13.10.2011	19.53	अप्रैल 2006 से मार्च, 2011
2.	115/2013, दिनांक 17.12.2013 एवं 7/2013 दिनांक 17.01.2013	6.51	अप्रैल 2011 से मार्च 2012
3.	7/2014 दिनांक 25.03.2014	1.68	अप्रैल 2012 से जून, 2012
4.	290/2014 दिनांक 08.10.2014	6.16	जुलाई 2012 से मार्च 2013
5.	16/2015 दिनांक 24.03.2015	6.17	अप्रैल, 2013 से मार्च 2014
6.	09/2016 दिनांक 06.04.2016	5.46	अप्रैल, 2014 से मार्च 2015
7.	01/2017 दिनांक 11.01.2017	6.61	अप्रैल 2015 से मार्च 2016
	कुल	**52.12**	

समूह कंपनी, टी एन टी पी ओ ने उपरोक्त आदेशों के खिलाफ पहले ही अपर आयुक्त, सेवा कर, चेन्नई के समक्ष अपील दाखिल की है और मामला निपटान के लिए लंबित है। केवल वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए क्रम सं. 6 और 7 को छोड़कर मूल आदेश विभाग से जिसके लिए 22.06.2017 को प्राप्त हुए थे और अपील अभी दायर करनी है। मामले में निपटान के लिए लंबित रहते टी एन टी पी ओ पर ब्याज और जुर्माने के अलावा 52.12 लाख रु. के सेवा कर की आकस्मिक देयता है।

40 शेष धनराशि की पुष्टि

विभिन्न पक्षकारों से/ को देय धनराशि पुष्टि, मिलान और समयोजन, यदि कोई हो, के अध्यधीन है।

41 पेंशन कोष

वर्ष के दौरान, पेंशन स्कीम को प्रशासनिक मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित किया था। आई टी पी ओ सेवा निवृत्ति पेंशन कोष ट्रस्ट को उसके दायित्व अंतरण होने तक 2631.14 लाख रु. (पूर्ववर्ती वर्ष 2325.00 लाख रु.) का प्रावधान पुस्तकों में किया जा रहा है।

42 वेतन में संशोधन

लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 03.08.2017 और 04.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. डब्ल्यू-02/0028/ 2107 - टी पी ई (डब्ल्यू सी) - जीएल- XIII/17 के द्वारा 01.01.2017 से आई डी ए पैटर्न पर कर्मचारियों के वेतनमानों का संशोधन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। वेतनमानों के संशोधन के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लंबित रहते, धारक कम्पनी आई टी पी ओ के द्वारा लेखों में इनका प्रावधान किया गया है।

43 एकीकृत प्रदर्शनी सह सम्मेलन केन्द्र (आई ई सी सी)

वर्ष के दौरान, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति ने 2,25,400.00 लाख रु. की अनुमानित लागत पर प्रगति मैदान परिसर का पुनर्विकास करने के लिए एकीकृत प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र (आई ई सी सी) के चरण-I को अनुमोदन किया जिसके लिए आई टी पी ओ के आरक्षित से 1,20,000.00 लाख रु. वित्त पोषित करनी होगी और शेष धनराशि वित्तीय संस्थाओं/ बैंकों आदि से जुटानी होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मैं. एन बी सी सी को परियोजना के लिए परियोजना प्रबंध सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और कम्पनी एवं एन बी सी सी के में

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

29.03.2017 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एन बी सी सी के द्वारा आई ई सी सी परियोजना के लिए कार्य देने की कार्रवाई की जा रही है। परियोजना के लिए कार्य देने संबंधी कार्रवाई के लंबित रहते 'पूंजीगत वचनबद्धताओं' के कार्यक्रम में आई ई सी सी परियोजना हेतु आंकड़े शामिल नहीं किये गए।

44 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का बकाया

ऐसा कोई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नहीं है जिसका 31 मार्च, 2017 तक ऋण देनदारी हो। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जाने की यथा अपेक्षित इस सूचना को कम्पनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्धारण किया गया है।

45. धारित कंपनी (आई टी पी ओ) के लेखों का समूह कंपनियों के साथ मिलान

(रु. लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015
(i)	टी एन टी पी ओ के खातों में निवल आधिक्य देयताएं	–	–	(17.50)
	कुल आधिक्य देयताएं	–	–	(17.50)

आधिक्य देयताओं को समेकन के प्रयोजन से शामिल किया गया है और अन्य चालू देयता के तहत दर्शाया गया है।

(रु. लाख में)

	विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016	31 मार्च, 2015
(i)	टी एन टी पी ओ से आधिक्य प्राप्य को आई टी पी ओ के खाते में दिखाया गया है।	–	2.23	–
	कुल आधिक्य देयताएं	–	2.23	–

धारित कम्पनी (आई टी पी ओ) के लेखों में आधिक्य परिसंपत्तियों की समेकन उद्देश्य हेतु परिसंपत्तियों के रूप में लिया गया है और अन्य चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत दिखाया गया है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

46 कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अंतर्गत प्रकटीकरण

(रु. लाख में)

समूह की संस्था का नाम	निवल परिसंपत्तियां अर्थात कुल परिसंपत्ति-कुल देयताएं		वर्ष के लिए लाभ अथवा हानि में हिस्सा		समाप्त वर्ष के लिए अन्य विस्तृत आय में शेयर		समाप्त वर्ष के लिए अन्य विस्तृत आय में शेयर	
	समेकित निवल परिसंपत्ति का प्रतिशत	धनराशि	समेकित लाभ अथवा हानि का प्रतिशत	धनराशि	समेकित अन्य व्यापक आय का प्रतिशत	धनराशि	समेकित अन्य व्यापक आय का प्रतिशत	धनराशि
मूल कम्पनी								
इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन								
31 मार्च, 2017	85.99%	204181.90	67.46%	17288.38	98.16%	(218.21)	67.19%	17070.17
31 मार्च, 2016	84.01%	175094.19	85.68%	16537.86	93.58%	27.60	85.69%	16565.45
1 अप्रैल, 2015	88.82%	164899.23						
सहायक कम्पनी - भारतीय								
तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन								
31 मार्च, 2017	4.57%	10862.45	6.01%	1539.36	0.51%	(1.14)	6.06%	1538.22
31 मार्च, 2016	8.74%	18212.79	5.29%	1021.74	3.15%	0.93	5.29%	1022.67
1 अप्रैल, 2015	4.47%	8307.55						
कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन								
31 मार्च, 2017	2.42%	5735.90	10.58%	2711.34	0.00%		10.67%	2711.34
31 मार्च, 2016	1.45%	3024.56	2.05%	395.95	0.00%		2.05%	395.95
1 अप्रैल, 2015	0.88%	1634.11						
सभी अनुषंगी कंपनियों में गैर-नियंत्रण हित								
31 मार्च, 2017	6.95%	16492.22	15.94%	4084.00	0.49%	(1.09)	16.07%	4082.91
31 मार्च, 2016	5.72%	11915.92	7.06%	1362.09	3.02%	0.89	7.05%	1362.98
1 अप्रैल, 2015	5.73%	10631.75						
संयुक्त उद्यम - भारतीय								
राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र								
31 मार्च, 2017	0.07%	166.11	0.01%	3.32	0.84%	(1.86)	0.01%	1.46
31 मार्च, 2016	0.08%	164.65	(0.08%)	(16.27)	0.26%	0.08	-0.08%	(16.19)
1 अप्रैल, 2015	0.10%	180.84						
कुल								
31 मार्च, 2017	100%	237438.57	100%	25626.40	100%	(222.30)	100%	25404.10
31 मार्च, 2016	100%	208412.11	100%	19301.37	100%	29.49	100%	19330.86
1 अप्रैल, 2015	100%	185653.48						

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

47 कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

i) इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन धारित कम्पनी के मामले में :

क. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा व्यय की जाने वाली कुल धनराशि 368.76 लाख रु. (विगत 3 वित्तीय वर्षों के अधिशेष का 2 प्रतिशत औसतन)। इसके अलावा, कम्पनी के विगत वर्ष 2015-16 की 253.41 लाख रु. की अव्ययित शेष धनराशि आगे ले जाने का निर्णय लिया गया है।

ख. वर्ष के दौरान व्यय की गई धनराशि :

(रु. लाख में)

		नकद	अभी नकद भुगतान किया जाना है	कुल
(i)	किसी परिसंपत्ति का विनिर्माण/अर्जन	-	-	-
(ii)	उक्त (i) के अलावा अन्य प्रयोजन हेतु	200.75	92.00	292.75

ग. व्यय न की गई धनराशि - 329.42 लाख रु. (368.76 लाख रु. + 253.41 लाख रु. में से 292.75 लाख रु. घटाकर)

(ii) समूह कम्पनी, कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (के टी पी ओ) और तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (टी एन टी पी ओ) के संबंध में

(रु. लाख में)

	टी एन टी पी ओ	के टी पी ओ
विगत तीन वित्तीय वर्षों के लिए कम्पनी का औसत निवल लाभ	2,402.88	824.82
निर्धारित सी एस आर व्यय (उपरोक्त गणना के अनुसार औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत)	48.06	16.50
वित्तीय वर्ष के दौरान सी एस आर व्यय का विवरण		
वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की जाने वाली कुल धनराशि (बोर्ड के अनुमोदन अनुसार)	48.06	2.50
व्यय की गई धनराशि वर्ष 2016-17 के लिए	48.06	-
अव्ययित राशि	-	16.50
2015-16 के लिए अव्ययित राशि	-	12.72
2014-15 के लिए अव्ययित राशि	-	-

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

48 कर्मचारी लाभ प्रकटीकरण

विभिन्न परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण इस प्रकार है :

क भविष्य निधि

धारक कम्पनी (आई टी पी ओ) निर्धारित दरों पर आई टी पी ओ कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट को कर्मचारियों की भविष्य निधि के अपने अंशदान का भुगतान करती है, जिसका निवेश ट्रस्ट अनुमत प्रतिभूतियों में करता है। वर्ष के लिए किए गए अंशदान को व्यय माना जाता है और उसे आय-व्यय विवरण में दर्शाया जाता है। यदि कोई कमी होती है, तो कम्पनी ट्रस्ट की उस कमी को दूर करने के लिए बाध्य है और ऐसी कमी को अपना व्यय मानती है।

समूह कम्पनी (एन टी पी ओ) ई पी एफ ओ की निर्धारित दरों पर कर्मचारियों के भविष्य निधि संबंधी अपने अंशदान का भुगतान करती है।

समूह कम्पनी (के टी पी ओ) भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है क्योंकि यह वर्तमान में कम्पनी पर लागू नहीं है।

ख छुट्टी

छुट्टी नकदीकरण की योजना अनफण्डेड है और उन्हें संयुक्त नियंत्रित संस्था (एन सी टी आई), जो छुट्टी नकदीकरण के व्यय को तर्कसंगत पद्धति के आधार पर मान्य करती है, को छोड़कर, कम्पनी के लेखों में मान्य मूल्यांकन के आधार पर दर्शाया जाता है। समूह कम्पनी के टी पी ओ के मामले में, उसकी छुट्टी नकदीकरण तथा ग्रेच्युटी की कोई देनदारी नहीं है। क्योंकि इसके कर्मचारी कर्नाटक सरकार से प्रतिनियुक्ति पर होते हैं। प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों के लिए छुट्टी, वेतन, पेंशन अंशदान प्रदान किए जाते हैं, जो आय और व्यय खाते में डाला जाता है।

i. आय-व्यय विवरण में मान्य व्यय

(रु. लाख में)

	2016-17	2015-16
ब्याज लागत	180.54	151.75
वर्तमान सेवा लागत	114.03	85.78
अवधि में मान्य निवल वास्तविक (लाभ)/हानि	500.03	568.68
आय-व्यय विवरण में मान्य व्यय #	**794.60**	**806.21**

ii. परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

	31.03.2017 को	31.03.2016 को
वर्ष के अंत में परिभाषित वर्तमान मूल्य	2,715.28	2,295.97
तुलन-पत्र और संबंधित विश्लेषण में निवल देयताएं/ (परिसंपत्तियां) मान्य	2,715.28	2,295.97
अनफण्डेड स्टेट्स	(2,715.28)	(2,295.97)

iii. परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

	2016-17	2015-16
अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,295.97	1,898.17
प्रारंभ में अंतर #	22.89	
अधिग्रहण में	10.15	
ब्याज लागत	180.54	151.75
चालू सेवा लागत	114.03	85.78
लाभ भुगतान (यदि कोई हो)	(408.35)	(408.40)
वास्तविक (लाभ)/ हानि	500.03	568.68
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**2,715.28**	**2,295.97**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

iv. परिभाषित लाभ दायित्व का सुग्राहिता विश्लेषण :

क) कटौती दर में बदलाव का प्रभाव

	2016-17
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,715.28
क) 0.50% बढ़ोत्तरी का प्रभाव	(58.70)
ख) 0.50% कमी का प्रभाव	61.45

ख) वेतन की बढ़ोतरी में बदलाव का प्रभाव

	2016-17
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,715.28
क) 0.50% बढ़ोत्तरी का प्रभाव	62.38
ख) 0.50% कमी का प्रभाव	(60.10)

v. गणनाओं में प्रयुक्त संकल्पनाओं को सारणीबद्ध किया गया है :

	31.03.2017 को	31.03.2016 को
छूट दर ##	7.06% प्रति वर्ष	7.79% प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर ###	5.00% प्रति वर्ष	5.00% प्रति वर्ष
मृत्यु दर	आईएएलएम 2006-08 अंतत:	आईएएलएम 2006-08 अंतत:
निकासी दर (प्रति वर्ष) ####	2.00% प्रति वर्ष	2.00% प्रति वर्ष

धारित कंपनी (आई टी पी ओ) के मामले में 31.03.2016 तक सेवानिवृत्त/ मृतक/ कर्मचारियों के लिए वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान आय और व्यय विवरण में मान्य 825.54 लाख रु. में वास्तविक मूल्यांकन पर प्रदत्त 22.89 लाख रु. लाभ के रूप में है।

छुट्टी नकदीकरण के वास्तविक मूल्यांकन के लिए टीएनटीपीओ द्वारा 31.03.2017 और 31.03.2016 के लिए क्रमश: 7.33 प्रतिशत और 8 प्रतिशत की छूट दर रखी गई है।

छुट्टी में वास्तविक मूल्यांकन के लिए टीएनटीपीओ द्वारा 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वेतनवृद्धि रखी गई है।

छुट्टी में वास्तविक मूल्यांकन के लिए टीएनटीपीओ द्वारा आहरण (निकासी) दर शून्य रखी गई है।

ग. ग्रेच्युटी

समूह कम्पनी (के टी पी ओ) के संबंध में छुट्टी वेतन और ग्रेच्युटी के संबंध में कोई देनदारी नहीं है क्योंकि इसके कर्मचारी कर्नाटक सरकार से प्रतिनियुक्ति पर होते हैं। प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों के संबंध में छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान प्रदान किए जाते हैं और आय व व्यय खाते में डाले जाते हैं।

i. आय व्यय विवरण में मान्य व्यय (रु. लाख में)

	2016-17	2015-16
ब्याज लागत	20.58	27.30
वर्तमान सेवा लागत	1,370.15	152.21
आय व्यय लेखे के विवरण में मान्य व्यय #	**1,390.73**	**179.50**
पुनर्मापन :		
प्रारंभिक अमान्य वास्तविक लाभ/(हानि)	27.59	-
वास्तविक लाभ/(हानि)	(4.02)	23.33
जनसांख्यिकी धरणा में परिवर्तन के कारण लाभ/हानि	-	-
वित्तीय धरणा में परिवर्तन के कारण लाभ/हानि	(196.81)	-
अनुभव समायोजन में परिवर्तन के कारण लाभ/हानि	(19.61)	6.08
अमान्य वास्तविक लाभ/हानि	2.23	(1.82)
वर्ष के अंत में (ओसीआई में) अमान्य निवल वास्तविक (लाभ/हानि)	**(190.62)**	**27.59**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

ii. तुलन पत्र में मान्य धनराशि

	31.03.2017 को	31.03.2016 को
वर्ष में अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,932.97	4,392.71
अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्ति की उचित कीमत	4,290.90	4,224.75
तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषण में मान्य निवल दायित्व/ (परिसंपत्तियां)	**1,642.07**	**167.97**
फण्डेड/(अनफण्डेड (स्थिति)	(1,642.07)	(167.97)

iii. परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

	2016-17	2015-16
अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	4,392.71	4,228.17
प्रारंभ में अंतर	89.43	
अधिग्रहण में	6.87	
ब्याज लागत	358.57	338.25
वर्तमान सेवा लागत	1,370.15	152.21
प्रदत्त लाभ (यदि कोई हो)	(503.45)	(318.05)
वास्तविक (लाभ)/ हानि	218.68	(7.86)
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**5,932.97**	**4,392.71**

iv. परिभाषित लाभ दायित्व का सुग्राहिता विश्लेषण :

क) कटौती दर में बदलाव का प्रभाव

	2016-17
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,932.97
क) 0.50% बढ़ोतरी का प्रभाव	(155.82)
ख) 0.50% कमी का प्रभाव	163.11

ख) वेतन की बढ़ोतरी में बदलाव का प्रभाव

	2016-17
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,932.97
क) 0.50% बढ़ोतरी का प्रभाव	158.80
ख) 0.50% कमी का प्रभाव	(154.50)

v. गणनाओं में प्रयुक्त संकल्पनाओं को सारणीबद्ध किया गया है :

	31.03.2017 को	31.03.2016 को
छूट दर ##	7.06% प्रति वर्ष	8.00% प्रति वर्ष
वेतन वृद्धि दर ###	5.00% प्रति वर्ष	5.00% प्रति वर्ष
मृत्यु दर	आईएएलएम 2006-08 अन्तत:	आईएएलएम 2006-08 अन्तत:
निकासी दर (प्रति वर्ष)	2.00% प्रति वर्ष	2.00% प्रति वर्ष

31 मार्च 2016 तक सेवानिवृत्त/ मृतक कर्मचारियों के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान और व्यय विवरण में मान्य 240.20 लाख रु. में 89.43 लाख रु. लाभ के रूप में है।

छुट्टी नकदीकरण के वास्तविक मूल्यांकन के लिए टी एन टी पी ओ द्वारा 31.03.2017 और 31.03.2016 के लिए क्रमश 7.33 प्रतिशत और 8 प्रतिशत की छूट रखी गई है।

उपयुक्त वास्तविक मूल्यांकन के लिए टी एन टी पी ओ के द्वारा 31.03.2017 और 31.03.2016 के लिए वेतन वृद्धि दर क्रमश: 8 प्रतिशत और 7 प्रतिशत रखी गई है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

49 टी एन टी पी ओ में टी आई डी सी ओ मामला

पूंजीगत व्यय के लिए प्रवर्तकों यानि आई टी पी ओ और टी आई डी सी ओ के द्वारा खर्च की गई धनराशि को मानने संबंधी मुद्दे को दीर्घकालिक ऋणों वाले गैर-ब्याज के रूप में माना गया था और पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन-पत्र में गैर-चालू देयताओं के रूप में दिखाया गया था।

दिनांक 03.12.2014 को हुई टी एन टी पी ओ की बोर्ड बैठक के अनुसार उपयुक्त 623.27 लाख रु. के गौण ऋण को टी आई डी सी ओ के लिए प्रत्येक 38.95 लाख रु. की 16 तिमाही किस्तों में भूमि विकास के पुनर्भुगतान हेतु एवं वर्ष 2014-15 से अवसंरचना सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु पुनर्भुगतान किया जाना था।

उपर्युक्त के अनुसार, टी एन टी पी ओ ने टी आई डी सी ओ और आई टी पी ओ को क्रमश: 467.45 लाख रु. और 323.31 लाख रु. वर्ष 2016-17 तक ब्याज मुफ्त ऋण को लौटाने के लिए किया था।

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आई टी पी ओ) और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टी आई डी सी ओ) के बीच दिनांक 13.11.2000 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार टी आई डी सी ओ के द्वारा भूमि उपलब्ध करायी जानी थी और भूमि विकास खर्च उठाना था तथा आई टी पी ओ के द्वारा प्रदर्शनी केंन्द्र के विनिमार्ण कार्य की देखभाल करनी थी। तमिलनाडु सरकार के द्वारा 06.11.2000 के जी ओ एल सं. 568, राजस्व (एल ए 2) डिपार्टमेंट के अंतर्गत 25.48 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। तमिलनाडु सरकार के एक और जी ओ एम सं. 28 दिनांक 03.02.2003 के अनुसार टी आई डी सी ओ को सौंपी गई भूमि के लिए टी आई डी सी ओ के माध्यम से तमिलनाडु सरकार के लिए वर्ष 2001-02 से प्रतिवर्ष 100 लाख रु. बतौर पट्टा किराया भुगतान किया जाना है। तदनुसार, कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 तक टी आई डी सी ओ के माध्यम से तमिलनाडु सरकार को पट्टे किराए का भुगतान कर दिया है। इस संबंध में पट्टा विलेख टी एन टी पी ओ और टी आई डी सी ओ के बीच निष्पादित किया जाना है।

इसके अलावा, तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई व्यापार केंन्द्र की विस्तार परियोजना को तेजी से कार्यान्वयन करने के लिए भूमियों के पट्टा लंबित रहते 9.13 एकड़ भूमि टी एन टी पी ओ को एन्टर-अपोन अनुमति प्रदान की है।

50 के टी पी ओ में के आई ए डी बी मामला

आई टी पी ओ और कर्नाटक सरकार का के आई ए डी बी के माध्यम से के टी पी ओ एक संयुक्त उद्यम है और इनका क्रमश: 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत हिस्सा है। सह-प्रवर्तकों के द्वारा हस्ताक्षरित एम ओ यू के अनुसार आई टी पी ओ के द्वारा प्रदर्शनी हाल का विनिर्माण करना था और कर्नाटक सरकार सह-प्रवर्तक के द्वारा प्रदर्शनी परिसर के लिए अवसंरचना सुविधा सहित 50 एकड़ विकसित भूमि देनी थी। सम्पूर्ण 50 एकड़ भूमि के टी पी ओ के कब्जे में है। के आई ए डी बी ने के टी पी ओ के लिए सम्पूर्ण भूमि का हक विलेख जारी किया है और यह दिनांक 15.12.2010 के विक्रय विलख के द्वारा पंजीकृत है। सम्पत्ति का खाता अब तक के टी पी ओ के पक्ष में अभी हस्तांतरित नहीं किया गया है।

वर्ष 2014-15 के दौरान, भूमि की पूंजी 1000.00 लाख रु. थी और विवरण के न होने पर बाह्य अवसंरचना को लेखे में नहीं लिया गया था। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की सलाह के अनुसार 2016-17 के दौरान 585.00 लाख रु. की धनराशि की बाह्य अवसंरचना लेखे में पूंजी के रूप में लिया गया है और तदनुसार 262.16 लाख रु. की इसी धनराशि पर मूल्यह्रास वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2015-16 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लिया गया है और आय और व्यय में विशेष मद के रूप में प्रकट किया गया है।

51 अनुषंगी कम्पनियों के बारे में प्रकटन

क) आई टी पी ओ ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (के आई ए डी बी) के सहयोग से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के अन्तर्गत दिसम्बर 2000 में 50 लाख रुपये की शेयर पूंजी के साथ कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (केटीपीओ) की स्थापना की थी जिसमें कम्पनी के 51 प्रतिशत शेयर है। केआईएडीबी के साथ हुए समझौते के अनुसार आईटीपीओ ने 1793.77 लाख रुपये की कुल लागत से केटीपीओ के लिए एक प्रदर्शनी हाल के विनिर्माण के लिए सहयोग किया।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

09.09.2004 को कम्पनी के निदेशक मण्डल ने के टी पी ओ की प्राधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाकर 2,000 लाख रु. कर दी और यह निर्णय भी किया कि प्रदर्शनी हाल में आईटीपीओ द्वारा किये गये 1020 लाख रुपये के सहयोग को के टी पी ओ के लिए किया गया पूंजीगत योगदान माना जाए। वर्ष 2015-16 के दौरान, के टी पी ओ द्वारा कंपनी के पक्ष में 994.50 लाख रुपए के शेयर प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। अत: कंपनी को के टी पी ओ की अधिकृत शेयर पूंजी में इसकी समग्र 51 प्रतिशत इक्विटी अर्थात 1020 लाख रुपए के लिए शेयर प्रमाणपत्र 31.03.2017 तक प्राप्त हो गए हैं।

प्रदर्शनी हाल के विनिमार्ण पर खर्च की गई 1,020 लाख रु. की अधिकतम 773.73 लाख रु. को अनुषंगी ऋण ब्याज रहित के रूप में माना जाना था, जिसे के टी पी ओ की वार्षिक समीक्षा और उसकी लेन-देन की स्थिति के अध्यधीन वापस किया जाना था। उपरोक्त के अनुसार लेखांकन प्रविष्टियां विगत वर्षों में की गई थी, चूंकि अनुषंगी ऋण की वसूली नहीं हुई थी, अत: अनुषंगी ऋण के पूरे/ आंशिक अंश को आई टी पी ओ के इक्विटी अंशदान में परिवर्तित करने के लिए के टी पी ओ की शेयर पूंजी में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। अन्य सह-प्रवतर्क अर्थात के आई ए डी बी को अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

वर्ष के दौरान, आई टी पी ओ के निदेशक बोर्ड और के आई ए डी बी ने के टी पी ओ की अधिकृत शेयर पूंजी 3,235.00 लाख रुपए बढ़ाकर तथा शेष धनराशि का रिफण्ड प्राप्त करके के टी पी ओ के अनुषंगी ऋण को इक्विटी में बदलने के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन किया। तथापि, के टी पी ओ की शेयर पूंजी में बढ़ोत्तरी करने के बारे में उनकी ए जी एम में अभी अनुमोदन दिया जाना है। अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर संशोधित शेयर पूंजी के लिए लेखांकन प्रविष्टियां कम्पनी की लेखा पुस्तकों में की जाएंगी। पुनर्भुगतान करने की शर्तें/ अवधि न होने की स्थिति में उक्त अनुषंगी ऋण के बारे में उचित कीमत निर्धारण के लिए छूट नहीं दी गई है।

(ख) आई टी पी ओ ने तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टीआईडीसीओ) के सहयोग से 50 लाख रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के अन्तर्गत 50 लाख रुपये की प्राधिकृत 51 प्रतिशत शेयर पूंजी के साथ नवम्बर 2000 में समूह कम्पनी तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (टी एन टी पी ओ) का गठन किया गया था। टी एन टी पी ओ की अभिदत्त पूंजी एक लाख रुपये हैं जिसमें कंपनी ने 0.51 लाख रुपये दिये हैं।

टी आई डी सी ओ के साथ हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार आई टी पी ओ ने टी एन टी पी ओ को प्रदर्शनी हाल के विनिर्माण के लिए 1637.48 लाख रुपये का लागत सहयोग दिया जिसमें वाणिज्य विभाग ने आई टी पी ओ को 1206.39 लाख रुपये का अनुदान दिया। शेष धनराशि 431.09 लाख रु. विगत वर्ष में 'टीएनटीपीओ को अनुदान' के रूप में आई टी पी ओ के खाते में बही में लिखे गए।

वर्ष के दौरान टीएनटीपीओ के निदेशक मंडल ने अपनी 44वीं बैठक, जो सीएमडी - आई टी पी ओ की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, में आई टी पी ओ द्वारा खर्च किए गए 431.09 लाख रु. की टी एन टी पी ओ संसाधनों से प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है, जो वर्ष 2014-15 से प्रत्येक 26.94 लाख रुपए की समान 16 किस्तों में की जाएगी। तदनुसार, 'विशेष मद - पूर्व वर्षों में अनुषंगी कम्पनी को दी गई सब्सिडी की वसूली' के रूप में शामिल करके 2014-15 में आई टी पी ओ के लेखा व लेखा बही में टीएनटीपीओ से वसूलनीय 431.09 लाख रुपए दिखाएं गए हैं। इसमें से 31.03.2017 तक 12 किस्तों में 215.55 लाख रु. (विगत वर्ष 215.55 लाख रु.) प्राप्त हो चुके हैं।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

52 वित्तीय संसाधन - उचित कीमत एवं जोखिम प्रबंध

I उचित कीमत निर्धारण

क. श्रेणी के द्वारा वित्तीय संसाधन

(रु. लाख में)

	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		1 अप्रैल, 2015 को	
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसम्पत्तियां						
गैर-चालू निवेश		0.00		0.00		0.00
गैर-चालू ऋण		618.93		682.24		747.81
अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां		-		500.00		20,900.00
चालू निवेश	72.40		58.45		60.72	
व्यापार प्राप्य		870.27		1,000.60		729.11
नकदी एवं नकदी समतुल्य		4,924.19		3,536.57		3,281.86
नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष		163,461.94		153,118.83		114,473.15
चालू ऋण		1,913.76		1,970.94		1,780.46
अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां		12,923.98		12,940.29		13,003.62
	72.40	**184,713.07**	**58.45**	**173,749.47**	**60.72**	**154,916.02**
वित्तीय देयताएं						
गैर चालू ऋण	-	-	-	141.65	-	283.41
चालू ऋण	-	24.50	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य	-	2,048.16	-	2,187.16	-	1,158.82
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	-	1,837.46	-	1,832.49	-	2,715.35
	-	**3,910.12**	**-**	**4,161.30**	**-**	**4,157.58**

ख. उचित कीमत समूह

यह भाग वित्तीय संसाधनों की उचित कीमत का निर्धारण करने में किए निर्णयों और अनुमान के बारे में बताता है जो हैं :
(क) उचित कीमत पर मान्य और निर्धारित तथा
(ख) परिशोधित लागत पर निर्धारित और जिनके लिए उचित कीमत को वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

उचित कीमत का निर्धारण करने में प्रयुक्त निवेशों की विश्वसनीयता के बारे में संकेत उपलब्ध कराने के लिए कम्पनी ने लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में अपने वित्तीय संसाधनों को वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर के बारे में स्पष्टीकरण नीचे सारणी में दिया है।

उचित कीमत पर निर्धारित वित्तीय परिसम्पत्तियां और देयताएं आवर्ती उचित कीमत निर्धारण

	31 मार्च, 2017 को			
	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल
वित्तीय परिसम्पत्तियां				
एफ वी टी पी एल पर वित्तीय निवेश				
निवेश				
म्युचल फण्ड	72.40	-	-	72.40
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**72.40**	**-**	**-**	**72.40**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

परिसंपत्तियां और देयताएं जिनका परिशोधित लागत निर्धारण किया जाता है और जिनकी उचित कीमत प्रकट की जाती हैं (रु. लाख में)

	31 मार्च, 2017 को			
	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल
वित्तीय परिसम्पत्तियां				
गैर-चालू निवेश			0.00	0.00
गैर-चालू ऋण	-	-	618.93	618.93
अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य	-	-	870.27	870.27
नकदी एवं नकदी समतुल्य	-	-	4,924.19	4,924.19
नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	-	-	163,461.94	163,461.94
चालू ऋण	-	-	1,913.76	1,913.76
अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	12,923.98	12,923.98
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	**-**	**-**	**184,713.07**	**184,713.07**
वित्तीय देयताएं				
गैर चालू ऋण	-	-	-	-
चालू ऋण	-	-	24.50	24.50
व्यापार प्राप्य	-	-	2,048.16	2,048.16
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	-	-	1,837.46	1,837.46
कुल वित्तीय देनदारियां	**-**	**-**	**3,910.12**	**3,910.12**

उचित कीमत पर निर्धारित वित्तीय परिसम्पत्तियां और देयताएं आवर्ती उचित कीमत निर्धारण (रु. लाख में)

	31 मार्च, 2016 को			
	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां				
एफ वी टी पी एल में वित्तीय निवेश				
निवेश				
म्युचल फण्ड	58.45	-	-	58.45
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**58.45**	**-**	**-**	**58.45**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

परिसंपत्तियां और देयताएं जिनका परिशोधित लागत निर्धारण किया जाता है और जिनकी उचित कीमत प्रकट की जानी है (रु. लाख में)

	31 मार्च, 2016 को			
	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां				
गैर-चालू निवेश	-	-	0.00	0.00
गैर-चालू ऋण	-	-	682.24	682.24
अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	500.00	500.00
व्यापार प्राप्य	-	-	1,000.60	1,000.60
नकद एवं नकदी समतुल्य	-	-	3,536.57	3,536.57
नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	-	-	153,118.83	153,118.83
चालू ऋण	-	-	1,970.94	1,970.94
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	12,940.29	12,940.29
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**-**	**-**	**173,749.47**	**173,749.47**
वित्तीय देयताएं				
गैर चालू ऋण	-	-	141.65	141.65
चालू ऋण	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य	-	-	2,187.16	2,187.16
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	-	-	1,832.49	1,832.49
कुल वित्तीय देनदारियां	**-**	**-**	**4,161.30**	**4,161.30**

उचित कीमत पर निर्धारित वित्तीय परिसम्पत्तियां और देयताएं आवर्ती उचित कीमत निर्धारण (रु. लाख में)

	31 मार्च, 2015 को			
	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां				
एफ वी टी पी एल में वित्तीय निवेश				
निवेश				
म्युचल फण्ड	60.72	-	-	60.72
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**60.72**	**-**	**-**	**60.72**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

परिसंपत्तियां और देयताएं जिनका परिशोधित लागत निर्धारण किया जाता है और जिनकी उचित कीमत प्रकट की जाती हैं (रु. लाख में)

	1 अप्रैल, 2016 को			
	लेवल 1	लेवल 2	लेवल 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां				
गैर चालू निवेश	-	-	0	0.00
गैर चालू ऋण	-	-	748	747.81
अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	20,900	20,900.00
व्यापार प्राप्य	-	-	729.11	729.11
नकदी एवं नकदी समतुल्य	-	-	3,281.86	3,281.86
नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	-	-	114,473.15	114,473.15
चालू ऋण	-	-	1,780.46	1,780.46
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	13,003.62	13,003.62
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**-**	**-**	**154,916.02**	**154,916.02**
वित्तीय देनदारियां				
गैर चालू ऋण	-	-	283.41	283.41
चालू ऋण	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य	-	-	1,158.82	1,158.82
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	-	-	2,715.35	2,715.35
कुल वित्तीय देनदारियां	**-**	**-**	**4,157.58**	**4,157.58**

लेवल 1- उद्धृत मूल्य (अनउद्धृत) सक्रिय बाजार में एक रूप अथवा देयताएं।

लेवल 2- वित्तीय संसाधनों की उचित कीमत का सक्रिय बाजार में ट्रेन्ड नहीं किया। (उदाहरण स्वरूप, ट्रेन्डकृत बाण्ड, काउंटर पर व्युत्पादित) कीमत निर्धारण तकनीकी निश्चित करना जिनका बाजार आंकड़े अधिकतम उपयोग करके दृष्टिगोचर करना है। समूह की कम्पनी के विशेष अनुमान पर कम से कम निर्भर रहना है। यदि सभी जमा निवेश अपेक्षित उचित कीमत पर साधन दृष्टिगोचर है। साधन को लेवल-2 में शामिल किया गया है।

लेवल 3- परिसंपत्तियों हेतु निवेश (विवरण) अथवा देयताएं जो कि आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं। (गैर परिदृश्य विवरण)

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

ग. **परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की उचित कीमत** (रु. लाख में)

	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को		01 अप्रैल, 2015 को	
	निहित कीमत	उचित कीमत	निहित कीमत	उचित कीमत	निहित कीमत	उचित कीमत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
गैर-चालू निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गैर-चालू ऋण	618.93	618.93	682.24	682.24	747.81	747.81
अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	500.00	500.00	20,900.00	20,900.00
व्यापार प्राप्य	870.27	870.27	1,000.60	1,000.60	729.11	729.11
नकदी एवं नकदी समतुल्य	4,924.19	4,924.19	3,536.57	3,536.57	3,281.86	3,281.86
नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	163,461.94	163,461.94	153,118.83	153,118.83	114,473.15	114,473.15
चालू ऋण	1,913.76	1,913.76	1,970.94	1,970.94	1,780.46	1,780.46
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	12,923.98	12,923.98	12,940.29	12,940.29	13,003.62	13,003.62
	184,713.07	**184,713.07**	**173,749.47**	**173,749.47**	**154,916.02**	**154,916.02**
वित्तीय देनदारियां						
गैर चालू ऋण	-	-	141.65	141.65	283.41	283.41
चालू ऋण	24.50	24.50	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य	2,048.16	2,048.16	2,187.16	2,187.16	1,158.82	1,158.82
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	1,837.46	1,837.46	1,832.49	1,832.49	2,715.35	2,715.35
	3,910.12	**3,910.12**	**4,161.30**	**4,161.30**	**4,157.58**	**4,157.58**

व्यापार प्राप्यों, व्यापार देयताओं, नकदी और नकदी समतुल्य की ले जायी गई धनराशियों, अन्य बैंक शेषों, अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को समान नहीं माना जाता है क्योंकि वे अल्पावधिक स्वरूप की होती हैं।
ऋणों की उचित कीमत की एम सी एल आर/एस बी आई की आधार दर का उपयोग करते हुए नकद प्रवाह के अनुसार गणना की गई थी। उनको प्रतिपक्ष क्रेडिट सहित अदर्शनीय निवेशों को शामिल करने की वजह से उनकी उचित कीमत के समूहों में लेवल 3 उचित कीमत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

53 पूंजीगत प्रबंध

कम्पनी के पूंजीगत प्रबंधन के लिए पूंजी में अन्य इक्विटी के रूप में मानी गई इक्विटी पूंजी, भारत सरकार से पूंजीगत अनुदान शामिल होते हैं।

54 भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाना

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुई वर्ष के इन वित्तीय विवरणों को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किया गया है। 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष तक और इसमें शामिल अवधियों के लिए कम्पनी ने कम्पनी (लेखांकन मानक) नियमावली (यथा संशोधित) और भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए थे। तदुनसार, कम्पनी ने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं जो 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि और उस तुलनात्मक अवधि के लिए लागू भारतीय लेखांकन मानक का पालन करते हैं जिसमें महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश में यथा वर्णित 31 मार्च, 2016 को और उस तक समाप्त अवधि के आंकड़े शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में 1 अप्रैल, 2015 यानि भारतीय लेखांकन मानक लेन-देन संबंधी कम्पनी की तारीख, को कम्पनी का प्रारंभिक तुलन पत्र तैयार किया गया था। यह नोट 1 अप्रैल, 2015 को तुलन पत्र सहित अपने भारतीय जी ए पी पी वित्तीय विवरण तथा 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष को तथा उस अवधि के वित्तीय विवरणों के बारे में पुन: बताते हुए कम्पनी के द्वारा किए गए मूल समायोजन के बारे में बताता है।

ली गई छूट और विशिष्ट

नीचे दिए गए लागू भारतीय लेखांकन मानक 101 वैकल्पिक छूट और पूर्व जी ए ए पी से भारतीय लेखांकन मानक लेन-देन में प्रयुक्त अनिवार्य परिवर्तन है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

क. भारतीय लेखांकन मानक वैकल्पिक छूट

(i) मानी गई लागत

भारतीय लेखांकन मानक पूर्व जी ए ए पी के अनुसार निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक के लेन-देन की तारीख को वित्तीय विवरणों में यथा मान्य अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों को ले जाने की कीमत को बनाए रखने और उसे लेन देन की तारीख को उसकी मानी हुई लागत के रूप में उपयोग करने हेतु चयन करने के लिए प्रथम बार स्वीकारकर्त्ता की अनुमति है। इस छूट का भारतीय लेखांकन मानक 38 अमूर्त परिसंपत्तियों में शामिल अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।

(ii) निवेश संयुक्त उद्यम

भारतीय लेखांकन मानक में आनुपातिक समेकन से इक्विटी पद्धति में बदलने के लिए छूट का प्रावधान है। छूट के अनुसार आनुपातिक समेकन से इक्विटी पद्धति में जब बदलाव किया जाता है, तब संस्था के द्वारा भारतीय लेखांकन मानक के लिए लेन-देन की तारीख को संयुक्त उद्यम में उसके निवेश को मान्यता देनी चाहिए। उस प्रारंभिक निवेश को उन परिसंपत्तियों और देयताओं की धनराशियों के जोड़ के रूप में निर्धारण करना चाहिए जिनका अधिग्रहण से पूर्व उत्पन्न किसी प्रकार की गुडविल सहित पहले आनुपातिक समेकन किया था। उपर्युक्त के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक के लिए लेन-देन की तारीख को संयुक्त उद्यम में शेष निवेश को प्रारंभिक मान्य निवेश की मानी हुई लागत के रूप में समझा जाता है। कम्पनी ने अपने संयुक्त उद्यम में इस छूट को लागू करने का विकल्प दिया है।

ख. भारतीय लेखांकन मानक अनिवार्य छूट

(i) अनुमान

भारतीय लेखांकन मानक के लिए लेन-देन की तारीख को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार संस्था के अनुमान पूर्व जी ए ए पी के अनुसार (लेखांकन नीतियों में किसी प्रकार के अंतर को दर्शाने के लिए समायोजन के बाद) उसी तारीख के लिए किए गए अनुमानों के अनुरूप तब तक नहीं होंगे जब तक इस बारे में कोई वस्तुपरक प्रमाण न हो कि ये अनुमान त्रुटिपूर्ण थे। कम्पनी ने जी ए ए पी के अनुसार दिए गए अनुमान में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

(ii) वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और निर्धारण

वित्तीय परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण और निर्धारण उन तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा जो भारतीय लेखांकन मानक के लिए लेन देन की तारीख को हों। कम्पनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण और निर्धारण करने के लिए भारतीय लेखांकन मानक हेतु लेन-देन की तारीख को मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों का मूल्यांकन किया है और तदनुसार लेन-देन की तारीख को वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण एवं निर्धारण किया है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

ग. पूर्व जी ए ए पी और भारतीय लेखांकन मानक के बीच सामंजस्य

भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुसार भारतीय जी ए ए पी से भारतीय लेखांकन मानक को लेन-देनों से पर्याप्त अंतरों के प्रभाव का परिमाणन निम्नलिखित सामंजस्य से उपलब्ध होता है :

इक्विटी का सामंजस्य (रु. लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	01.04.2015 को			31.03.2016 को		
		भारतीय जी ए ए पी के अनुसार धनराशि	लेन देन के कारण समायोजन	भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार धनराशि	भारतीय जी ए ए पी के अनुसार धनराशि	लेन देन के कारण समायोजन	भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार धनराशि
परिसंपत्तियां							
गैर चालू परिसंपत्तियां							
1) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	1 (क)	11,249.74	(15.80)	11,233.94	10,981.79	0.95	10,982.74
2) प्रगति पर पूंजीगत कार्य		559.48	-	559.48	617.92	-	617.92
3) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां		0.67	-	0.67	0.42	-	0.42
4) अमूर्त विकासाधीन परिसंपत्तियां		62.00	-	62.00	-	-	-
5) संयुक्त उद्यम में निवेश		-	180.84	180.84	-	164.65	164.65
6) वित्तीय परिसंपत्तिरयां							
क) निवेश		-	0.00	0.00	-	0.00	0.00
ख) ऋण	1 (ग)	749.68	(1.87)	747.81	677.93	4.31	682.24
ग) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		-	20,900.00	20,900.00	-	500.00	500.00
7) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	1 (ग)	364.50	69.42	433.92	366.84	50.76	417.60
		12,986.07	**21,132.59**	**34,118.65**	**12,644.90**	**720.67**	**13,365.56**
चालू परिसंपत्तियां							
1) वित्तीय परिसंपत्तियां							
क) निवेश	1 (घ)	29.72	31.00	60.72	33.94	24.51	58.45
ख) व्यापार प्राप्य		734.06	(4.95)	729.11	1,003.33	(2.73)	1,000.60
ग) नकदी और नकदी समतुल्य		138,799.09	(135,517.23)	3,281.86	157,324.16	(153,787.59)	3,536.57
घ) नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष		-	114,473.15	114,473.15	-	153,118.83	153,118.83
ङ) ऋण	1(ग)	24,950.12	(23,169.66)	1,780.46	28,585.02	(26,614.08)	1,970.94
च) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		-	13,003.62	13,003.62	-	12,940.29	12,940.29
2) अन्य चालू परिसंपत्तियां		8,184.96	10,020.95	18,205.91	8,886.28	13,534.59	22,420.87
		172,697.95	**(21,163.12)**	**151,534.83**	**195,832.73**	**(786.18)**	**195,046.55**
कुल परिसंपत्तियां		**185,684.02**	**(30.53)**	**185,653.48**	**208,477.63**	**(65.51)**	**208,412.11**
इक्विटी और देयताएं							
क. इक्विटी							
1) इक्विटी शेयर पूंजी		25.00	-	25.00	25.00	-	25.00
2) अन्य इक्विटी	1(क,ख,ग,घ)	159,929.08	(406.07)	159,523.01	177,933.13	(483.94)	177,449.19
गैर नियंत्रण ब्याज		10,514.03	117.72	10,631.75	11,903.87	12.05	11,915.92
		170,468.11	**(288.35)**	**170,179.76**	**189,862.00**	**(471.89)**	**189,390.11**
ख. देयताएं							
I. गैर चालू देयताएं							
1) वित्तीय देयताएं							
क) ऋण		524.93	(241.52)	283.41	356.13	(214.48)	141.65
2) प्रावधान		1,734.21	(28.00)	1,706.20	1,862.09	(29.32)	1,832.77
3) अन्य गैर-चालू देयताएं		520.58	-	520.58	933.39	-	933.39
		2,779.72	**(269.52)**	**2,510.19**	**3,151.61**	**(243.80)**	**2,907.81**
II. चालू देयताएं							
1) वित्तीय देयताएं							
क) व्यापार देयताएं		1,158.56	0.26	1,158.82	2,209.27	(22.11)	2,187.16
ख) अन्य वित्तीय देयताएं		-	2,715.35	2,715.35	-	1,832.49	1,832.49
2) अन्य चालू देयताएं		7,690.91	(2,188.27)	5,502.64	7,009.22	(1,160.21)	5,849.01
3) प्रावधान		3,586.72	-	3,586.72	6,245.53	0.01	6,245.53
		12,436.19	**527.34**	**12,963.53**	**15,464.02**	**650.18**	**16,114.19**
कुल इक्विटी और देयताएं	-	**185,684.02**	**(30.53)**	**185,653.48**	**208,477.63**	**(65.51)**	**208,412.11**

इस टिप्पणी के प्रयोजन के लिए पूर्व जी ए ए पी आंकड़ों को भारतीय लेखांकन मानक प्रस्तुतीकरण अपेक्षाओं के अनुरूप पुन: वर्गीकृत किया गया है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

अन्य इक्विटी का मिलान

(रु. लाख में)

विवरण	पाद टिप्पणी सं.	01.04.2015 को	31.03.2016 को
आई जी ए ए पी के अनुसार इक्विटी		**159,929.08**	**1,77,933.13**
समायोजन :			
जोड़ : भारतीय लेखांकन मानक 8 के अनुसार पुन: सूचित पूर्व अवधि आय के कारण परिवर्तन	1 (क)	(437.07)	(26.83)
जोड़ : ए एस आई डी ई से प्राप्त अनुदान के परिशोधन के जरिए आय			18.46
इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखे में ली गई संयुक्त उद्यम की अन्य विस्तृत आय का शेयर			(0.08)
जोड़ : म्युचुअल फण्ड में निवेश पर उचित कीमत लाभ/ (हानि)	1 (घ)	31.00	(6.49)
घटाएं : ए एस आई डी ई से प्राप्त अनुदान का परिशोधन			(18.46)
जोड़ : निवल परिभाषित योजना का पुन:निर्धारण			1.00
घटाएं : प्रावधान बट्टे खाते में डाले गए (इक्विटी पद्धति के अनुसार लेखे में लिए संयुक्त उद्यम)			(45.48)
कुल समायोजन :		**(406.07)**	**(77.88)**
प्रारंभिक तुलन पत्र से आगे ले जाए गए निवल प्रभाव			(406.07)
भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार इक्विटी		**1,59,523.01**	**1,77,449.19**

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष की कुल विस्तृत आय का मिलान

(रु. लाख में)

विवरण	पाद टिप्पणी सं.	भारतीय जी ए ए पी के अनुसार धनराशि	लेन देन के कारण समायोजन	भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार धनराशि
आय				
कार्य संचालन से राजस्व		28,156.70	(121.57)	28,035.13
अन्य आय	1 (ग)	14,526.23	(135.57)	14,390.66
कुल आय		**42,682.93**	**(257.14)**	**42,425.79**
व्यय				
कर्मचारी हित लाभ व्यय	1 (ग)	9,094.09	24.24	9,118.33
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		972.99	(1.10)	971.89
अन्य व्यय	1 (क)	11,263.56	(155.00)	11,108.56
कुल व्यय		**21,330.64**	**(131.86)**	**21,198.78**
अपवादात्मक, विशेष मदों और कर से पूर्व व्यय से अधिक आय कर संबंधी		21,352.29	(125.28)	21,227.01
अपवादात्मक मदें		(1,912.90)	3.53	(1,909.37)
कर से पहले व्यय से अधिक आय		**19,439.39**	**(121.75)**	**19,317.64**
कर व्यय		-	-	-
इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए और कर को लेखे में लिए निवेश की निवल आय के इक्विटी प्रणाली से पूर्व व्यय से अधिक आय		19,439.39	(121.75)	19,317.64
जोड़ : इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखे में लिए संयुक्त उद्यम की निवल आय का शेयर		-	(16.27)	**(16.27)**
अवधि (क) का अधिशेष		**19,439.39**	**(105.48)**	**19,301.37**
अन्य विस्तृत आय				
(i) मदें, जिनको लाभ अथवा हानि के पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा				
निवल परिभाषित लाभ (देयता)/ परिसंपत्ति का पुन: निर्धारण		-	29.41	29.41
इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखे में लिए संयुक्त उद्यम की अन्य विस्तृत आय का शेयर		-	0.08	0.08
अवधि की कुल अन्य विस्तृत आय, आयकर (ख) की निवल धनराशि		**-**	**29.49**	**29.49**
वर्ष की कुल विस्तृत आय (क + ख)		**19,439.39**	**(75.99)**	**19,330.86**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की कुल विस्तृत आय का मिलान (रु. लाख में)

विवरण	पाद टिप्पणी सं.	धनराशि
आई जी ए ए पी के अनुसार कर के बाद में लाभ		**19,439.39**
समायोजन		
जोड़ : भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार पुन:सूचित पूर्व अवधि के कारण परिवर्तन	1 (क)	(92.75)
जोड़ : म्युचुअल फण्ड में निवेश पर उचित कीमत लाभ/ (हानि)	1 (घ)	(6.49)
जोड़ : परिशोधित लागत पर वित्तीय संपत्तियों को मान्यता		-
घटाएं : निवल परिभाषित लाभ (देयता)/ परिसंपत्ति का पुन:निर्धारण		(29.48)
जोड़ : ए एस आई डी ई से प्राप्त अनुदान के परिशोधन से आय		36.19
घटाएं : बट्टे खाते में डाले गए प्रावधान इक्विटी पद्धति के अनुसार लेखे में लिए गए संयुक्त उद्यम		(45.48)
कुल समायोजन:		**(138.02)**
भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कर के बाद लाभ		**19,301.37**
अन्य विस्तृत आय		
जोड़ : निवल परिभाषित लाभ (देयता)/ परिसंपत्ति का पुन:निर्धारण		29.41
इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखे में लिए गए संयुक्त उद्यम की अन्य विस्तृत आय का शेयर		0.08
वर्ष की कुल विस्तृत आय		**19,330.86**

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाहों के विवरण का मिलान (रु. लाख में)

विवरण	भारतीय जी ए ए पी के अनुसार आय	लेन देन के कारण समायोजन	भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार राशि
प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकद प्रवाह	5,832.75	(38,619.85)	(32,787.10)
निवेश कार्यकलापों से निवल नकद प्रवाह	12,861.14	20,399.80	33,260.94
वित्त संबंधी कार्यकलापों से निवल नकद प्रवाह	(168.80)	(50.32)	(219.12)
वर्ष के दौरान नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/ (कमी)	**18,525.09**	**(18,270.38)**	**254.71**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	138,799.09	(135,517.23)	3,281.86
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	**157,324.18**	**(153,787.61)**	**3,536.57**

III. मिलानों से संबंधित पाद टिप्पणियां

1(क) पूर्व अवधि त्रुटियां

पूर्व जी ए ए पी के तहत पूर्ण अवधि त्रुटियों के बारे में उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में सूचित किया गया था, जिस अवधि में एक अथवा एक से अधिक पूर्व अवधियों के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में चूक अथवा लोप के परिणामस्वरूप त्रुटि होती है। भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार पूर्व अवधि त्रुटि को पूर्वव्यापी पुन: बनाए विवरण में इस प्रकार ठीक किया जाता है मानो कि पूर्व अवधि त्रुटि कमी नहीं हुई थी।

1(ख) प्रतिधारण आय

1 अप्रैल, 2015 की प्रतिधारण आय को 31.03.2015 से पूर्व की अवधि के वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के वित्तीय विवरणों में रिकार्ड किए पूर्व अवधि खर्चों में समायोजित किया गया है।

1 अप्रैल, 2015 को तुलन पत्र	यथा सूचित	भारतीय लेखांकन मानक समायोजनों का पुन: विवरण	पुन: सूचित शेष
प्रतिधारण आय	152,398.95	(73.44)	152,325.51

1(ग) ऋण

कर्मचारियों को दिए गए ऋणों को परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों की ब्याज दर बाजार दर से कम होती है, वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य में छूट की जाती है। कर्मचारी ऋणों के लिए, समायोजनों के प्रभाव को गैर-चालू और चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत आस्थगित वेतन पेरोल व्यय में दर्शाया जाता है।

1(घ) म्युचुअल फण्ड में निवेश

यू टी आई म्युचुअल फण्ड में आई टी ओ पी के द्वारा किए गए निवेश का उचित कीमत (अर्थात् बाजार पर) निर्धारण किया जाता है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

55 भारतीय लेखांकन मानक 112 'अन्य संस्थाओं में हिट प्रकटन' के अनुसार प्रकटन

क) अनुषंगी कम्पनियां

31.03.2017 को समूह की अनुषंगी कम्पनियां नीचे दी हैं। जब तक अन्यथा सूचित न किया जाए, तब तक उनके पास इक्विटी शेयर पूंजी है, जिसमें केवल इक्विटी शेयर शामिल हैं जो प्रत्यक्षत: समूह के द्वारा धारित होते हैं, बराबर-बराबर वोटिंग अधिकार वाल इक्विटी शेयर समूह के द्वारा धारित होते हैं।

संस्था का नाम	व्यवसाय का स्थान/ निगमित देश	समूह के द्वारा धारित स्वामित्व हित			गैर नियंत्रण हितों द्वारा धरित स्वामित्व हित			मूल कार्यकलाप
		31.3.2017	31.3.2016	01.4.2015	31.3.2017	31.3.2016	01.4.2015	
कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	भारत	51%	51%	51%	49%	49%	49%	व्यापार सवर्धन
तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	भारत	51%	51%	51%	49%	49%	49%	व्यापार सवर्धन

ख) ऐसी प्रत्येक अनुषंगी कम्पनी की संक्षिप्त वित्तीय सूचना जो गैर-नियंत्रण हित वाली हैं। प्रत्येक अनुषंगी कम्पनी के लिए प्रकट की गई धनराशि अंतर कम्पनी विलोपन से पूर्व की है :

संक्षिप्त तुलन पत्र	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन			तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन		
	31.3.2017	31.3.2016	01.4.2015	31.3.2017	31.3.2016	01.4.2015
चालू परिसंपत्तियां	10,066.06	4,441.83	3,894.27	18,335.33	15,483.54	14,631.30
चालू देयताएं	283.52	170.41	201.09	1,084.76	1,057.81	2,135.76
निवल चालू परिसंपत्तियां	9,782.54	4,271.42	3,693.18	17,250.58	14,425.73	12,495.54
गैर चालू परिसंपत्तियां	2,699.32	2,477.36	2,279.22	4,228.28	4,248.17	4,401.80
गैर चालू देयताएं	-	-	-	18.75	239.63	472.75
निवल गैर चालू परिसंपत्तियां	2,699.32	2,477.36	2,279.22	4,209.54	4,008.54	3,929.05
निवल परिसंपत्तिया	12,481.86	6,748.78	5,972.40	21,460.11	18,434.27	16,424.58
गैर नियंत्रण हित	6,116.11	3,306.90	2,926.48	10,515.46	9,032.79	8,048.05

संक्षिप्त लाभ-हानि विवरण	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन		तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	
	31/3/2017	31/3/2016	31/3/2017	31/3/2016
राजस्व	799.94	798.90	4,749.50	4,222.96
वर्ष का लाभ	5,316.35	776.38	3,155.59	2,155.18
अन्य विस्तृत आय	-	-	(2.23)	1.82
कुल विस्तृत आय	5,316.35	776.38	3,153.35	2,157.00
गैर नियंत्रण हित	2,605.01	380.43	1,545.14	1,056.93

संक्षिप्त कैश फ्लो	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन		तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	
	31/3/2017	31/3/2016	31/3/2017	31/3/2016
प्रचालन कार्यकलापों से कैश फ्लो	(5,531.78)	(302.40)	1,452.45	(460.27)
निवेश कार्यकलापों से कैश फ्लो	5,534.44	302.49	554.12	640.08
वित्तीय कार्यकलापों से कैश फ्लो	-	-	(217.84)	(211.02)
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी	2.66	0.08	1,788.72	(31.21)

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

ग) संयुक्त उद्यम में हित

संस्था का नाम	व्यवसाय का स्थान	समूह के द्वारा धारित स्वामित्व हित			लेखा गणना विधि	निहित धनराशि		
		31/3/2017	31/3/2016	1/4/2015		31/3/2017	1/4/2016	1/4/2015
राष्ट्रीय सूचना व्यापार केंद्र	भारत	50%	50%	50%	इक्विटी पद्धति	166.11	164.65	180.84

घ) अलग-अलग नगण्य संयुक्त उद्यम

इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखे में लिए अलग-अलग नगण्य संयुक्त उद्यमों में समूह के हित संबंधी वित्तीय सूचना नीचे दिए अनुसार है :

विवरण	31/3/2017	31/3/2016	1/4/2015
अलग-अलग नगण्य संयुक्त उद्यमों की ले जायी गई कुल धनराशि	166.11	164.65	180.84
विवरण	31/3/2017	31/3/2016	
वर्ष के लाभ का समूह के शेयर की कुल धनराशि अन्य विस्तृत आय			
वर्ष के लाभ	3.32	(16.27)	
अन्य विस्तृत आय	(1.86)	0.08	
कुल विस्तृत आय	**1.46**	**(16.19)**	

एन सी टी आई की 7 जुलाई, 2017 को हुई 84वीं बोर्ड बैठक अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि समापन करने संबंधी औपचारिकताएं शुरू की जाएं और प्रवर्तकों और वाणिज्य विभाग को अपनी ओर से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए दोनों को सूचित किया जाए।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

56 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष की सेगमैंट रिपोर्ट

कम्पनी के प्रबंधन द्वारा संसाधनों का आवंटन करने तथा निर्णय लेने के लिए उनके निष्पादन का आकलन करने के लिए प्रयुक्त आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर प्रचालन सेगमेंटों की पहचान की जाती है। निदेशक बोर्ड सामूहिक रूप से भारतीय लेखांकन मानक 108 के अर्थ के भीतर कम्पनी का 'मुख्य प्रचालन निर्णय लेने वाला' अथवा 'सी ओ एम डी' होता है।

प्रचालन सेगमेंट

क. उत्पाद और सेवाओं में बारे में सूचना

समूह मुख्य रूप से एक सेवा में कार्य करता है, इसीलिए सेवा वार राजस्व प्रकटन लागू नहीं होता है।

ख. भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में सूचना

(1) प्रमुख भौगोलिक सेगमेंटों के बारे में सूचना

	भारत में व्यापार संवर्धन गतिविधियां	विदेशों में व्यापार संवर्धन गतिविधियां	अनिर्धारित	कुल
राजस्व बाह्य	31,491.43	3,514.42	-	35,005.85
	(25,883)	(3,034)	-	(28,917)
इंटर सेगमेंट	-	-	-	-
कुल राजस्व	31,491.43	3,514.42	-	35,005.85
	(25,883)	(3,034)	-	(28,917)
परिणाम				
सेगमेंट परिणाम	9,295.13	-1,224.14	4,261.40	12,332.40
	(8,103.24)	(889.89)	(-1155.09)	(6,058.26)
अनावंटित व्यय अनावंटित आय का निवल				
ब्याज/लाभांश आय	-	-	13,071.70	13,071.70
	-	-	(13,272.60)	(13,272.60)
कराधन से पहले अध्शिेष				25,404.10
	-	-	-	(19,330.86)
व्यय से अध्कि आय				25,404.10
				(19,330.86)
अन्य सूचनाएं				
सेगमेंट परिसंपत्तियां	56,076.82	590.60	180,771.15	237,438.57
	(33,201.58)	(846.05)	(174,364.49)	(208,412.11)
सेगमेंट देनदारियां	27,041.48	455.25	11,188.16	38,684.89
	(21,672.09)	(676.64)	(8,589.20)	(30,937.93)
पूंजीगत व्यय	695.43	-	-	695.43
	(520.37)	-	-	(520.37)
मूल्यह्रास और परिशोधन	1,191.95	-	-	1,191.95
	(971.89)	-	-	(971.89)

टिप्पणी :

(क) अनावंटित व्यय में स्थापना और कार्यालय व्यय का 10 प्रतिशत शामिल होता है। उनके संबंधित राजस्व के आधार पर शेष धनराशि को सेगमेंटों में बांटा जाता है।
(ख) अनावंटित परिसंपत्तियों और देयता में वे शामिल हैं, जिनको विशिष्ट सेगमेंट के लिए उपयुक्त रूप से पहचान करना संभव नहीं होता है।
(ग) सेगमेंट रिपोर्ट के कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पूर्व वर्ष से संबंधित हैं।

(2) समूह का गौण सेगमेंट नहीं होता है।

ग. प्रमुख ग्राहकों (बाहरी ग्राहकों से) के बारे में सूचना

समूह बाहरी ग्राहकों से कोई राजस्व प्राप्त नहीं करता है, जो समूह के कुल राजस्व के 10 प्रतिशत अथवा अधिक होता है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां (जारी)

57 सबंद्ध पक्षकार प्रकटन नीचे दिए हैं

(क) संबद्ध पक्षकारों की सूची

संबद्ध पक्षकारों का नाम	प्रचालन का मूल स्थान	संबंध की प्रकृति
आई टी पी ओ कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	भारत	आई टी पी ओ का नियोजन के बाद लाभ योजना
आई टी पी ओ कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि न्यास	भारत	आई टी पी ओ का नियोजन के बाद लाभ योजना

(ख) मुख्य प्रबंधक कार्मिक

	नाम	धारित पद
	धारक कम्पनी-आई टी पी ओ	
1	श्री लक्ष्मी चंद गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2	श्रीमती शुभ्रा सिंह (09.02.2017 तक)	कार्यकारी निदेशक
3	श्री रजनीश (10.02.2017 से 24.05.2017 तक)	कार्यकारी निदेशक
4	श्री जे. के डाडू	नामिती निदेशक
5	श्री मनोज जोशी	नामिती निदेशक
6	श्री संजय चड्ढ़ा	नामिती निदेशक
7	श्री के. नागराज नायडू	नामिती निदेशक
8	श्री पी. एन. विजय (10.06.2016 से)	स्वतंत्र निदेशक
9	श्री देवेन्द्र मोहन शर्मा	मुख्य वित्तीय अधिकारी
10	श्री स्मृति रंजन साहू	कम्पनी सचिव
	समूह कंपनी - तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	
1	एस. विस्कान	प्रबंध निदेशक
	समूह कम्पनी - कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	
1	श्री टी. हालास्वामी	प्रबंध निदेशक
2	श्री जे. रंगारामू	प्रबंध निदेशक

(ग) सरकार के नाम और उसके साथ संबंध की प्रकृति

सरकार का नाम	आई टी पी ओ के संबंध
भारत सरकार	100% कम्पनी के शेयरधारक

(घ) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के लिए मुआवजे (रु. लाख में)

	व्यक्ति का नाम	पदनाम	वेतन एवं भत्ते	परिलब्धियां	कुल पारिश्रमिक
(i)	**अल्पकालिक कर्मचारी लाभ**				
	धारक कम्पनी - आई टी पी ओ				
1	श्री लक्ष्मी चन्द गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	25.96	4.29	30.24
2	श्रीमती शुभ्रा सिंह	कार्यकारी निदेशक	26.26	2.25	28.51
3	श्री रजनीश	कार्यकारी निदेशक	-		
4	श्री स्मृति रंजन साहू	कम्पनी सचिव	15.37	0.09	15.46
5	श्री देवेन्द्र मोहन शर्मा	मुख्य वित्तीय अधिकारी	17.75	-	17.75
	कम्पनी समूह - तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन				
1	श्री एस. विस्कान	प्रबंध निदेशक	14.69	0.35	15.04
	कम्पनी समूह - कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन				
1	श्री टी हालास्वामी	प्रबंध निदेशक	4.14	-	4.14
2	श्री रंगारामू	प्रबंध निदेशक	9.45	-	9.45
(ii)	**अन्य लाभ**				शून्य

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां

			2016-17	2015-16
(ङ)	संबद्ध पार्टियों के साथ लेन-देन			
	आई टी पी ओ कर्मचारी भविष्य निधि न्यास			
	कर्मचारी भविष्य निधि न्यास		569.83	566.60
	आई टी पी ओ कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि न्यास			
	कम्पनी के द्वारा अंशदान		1,387.85	267.79
(च)	**संबद्ध पार्टियों के पास बकाया शेष**			
	विवरण		**31.03.2017**	**31.03.2016**
(i)	**कम्पनी के द्वारा देय**			
	आई टी पी ओ कर्मचारी भविष्य निधि न्यास		शून्य	11.42
	आई टी पी ओ ग्रेच्युटी निधि न्यास		1,607.53	240.20
(ii)	**के एम पी की ओर बकाया शेष**			
	श्री टी हालास्वामी	प्रबंध निदेशक	0.08	-
	श्री जे रंगारामू	प्रबंध निदेशक	0.26	1.03

समूह का राज्य सरकारों और भारत सरकार के द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के साथ कारोबार लेन-देन किया है। इन संस्थाओं के साथ लेन-देन बाजार की शर्तों के आधार पर किए जाते हैं। इसीलिए ऐसे लेन-देनों के पार्टी-वार विवरण पहले नहीं दिए गए हैं। ऐसे लेन-देन सामान्य वाणिज्यिक दरों पर व्यापार की साधारण अवधि के दौरान किए जाते हैं। विभाग और सरकार की जो एजेंसियां नियंत्रित नहीं होती हैं, संयुक्त रूप से नियंत्रित हों अथवा ये समूह को काफी प्रभावित करती हैं, वे भारतीय लेखांकन मानक - 24 के अनुच्छेद ।। (ग) (IV) के अनुसार संबद्ध पार्टिया नहीं होते हैं।

58 पूर्व वर्ष के आंकड़े

पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूह/ पुनः वर्गीकृत/ सुधारे गए हैं, जहां कहीं समझा गया है।

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
(एस. आर. साहू)	**(डी. एम. शर्मा)**	**(दीपक कुमार)**	**(एल. सी. गोयल)**
कम्पनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते ग्रोवर, लाला एवं मेहता
चार्टरित लेखाकार
एफ आर एन 002830एन

ह./-
(आलोक गोयल)
भागीदार
सदस्यता सं. 501529

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.08.2017

आई टी पी ओ में स्वच्छ भारत से संबंधित कार्यकलाप

भारत सरकार के 'स्वच्छ भारत कोष' में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्त्व के अंतर्गत अंशदान

भारत सरकार के 'स्वच्छ गंगा कोष' में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्त्व के अंतर्गत अंशदान

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन
प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली-110001